राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 01] सोलहवीं विधान सभा के पहले सत्र का छत्तीसवां दिवस [संख्या: 05

बुधवार,

24 जनवरी 2024

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार।

अनेक माननीय सदस्य: जय श्री राम, जय श्री राम।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये। प्रश्न काल। श्री जुबेर खान।

अलवर के पर्यटन स्थलों के विकास की कार्ययोजना

17. श्री जुबेर खान (रामगढ़): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अलवर में स्थित पर्यटन स्थलों का विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त पर्यटन स्थलों के विकास हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

पर्यटन मंत्री (सुश्री दिया कुमारी): (1) जिला अलवर में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थलों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। जिला अलवर के प्रमुख पर्यटन स्थलों, सरिस्का टाइगर रिजर्व, नीलकण्ठ महादेव मंदिर, मूसी महारानी की छतरी, रानी का कुआं, बराही माता मंदिर, भर्तृहरि धाम में अमरगंगा नाले का जीर्णोद्धार व अन्य कार्य, नारायणी माता धाम में पर्यटन विकास कार्य एवं माचाड़ी किले का संरक्षण तथा राजा हेमू के पैनोरमा का निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं।

जिला अलवर के उक्त प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं, आदरणीया मंत्री महोदया जो उप मुख्य मंत्री भी हैं राजस्थान सरकार में, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो उत्तर दिया है, यह 2022-23 में कार्य स्वीकृत किये गये हैं और ज्यादातर इनमें ऐतिहासिक मन्दिर हैं, तो कांग्रेस सरकार के समय में यह राशि स्वीकृत की गयी है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि अलवर जिले का डिवीजन होने के बाद जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया थे अलवर के, चाहे खुशखेड़ा हो, चाहे चौपानकी हो, चाहे शाहजहांपुर हो, चाहे नीमराणा हो, सब अलग हो गये। जो अलवर जिला है, जो वर्तमान में रह गया है, जिसको बनवाने में आपके पूर्वजों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा था, जब भी अलवर स्टेट बना था। इसमें आने वाले में, जो अलवर में पर्यटन स्थल हैं, सरिस्का है, सिलीसेढ़ है, तालवृक्ष है, वह जगह भी है जहां पांडवों ने एक साल का अज्ञातवास काटा था। इनको डवलप करने के लिए आगामी सरकार जो बजट लेकर आयेगी, आप एक पावरफुल मंत्री हैं, इस सरकार में महत्वपूर्ण हिस्सा हैं तो आपसे आसन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर जिले के इन पर्यटन स्थलों का विकास कराने के लिए सरकार का आगामी बजट में क्या योगदान रहेगा? जो मुम्बई वाला एक्सप्रेस हाईवे बना है, इसकी वजह से दिल्ली से अलवर की दूरी सिर्फ सवा, डेढ़ घंटे की हो गयी है। लोग वीक एंड पर आयें और वहां सरिस्का, सिलीसेढ़ आदि में टूरिज्म अच्छा चमके, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को इसके बारे में बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार, हमारा जो संकल्प-पत्र है उसमें भी जो टूरिज्म है, उस पर हम लोग बहुत फोकस करेंगे और निश्चित रूप से पूरे अलवर जिले में जितने भी हमारे टूरिज्म स्थान हैं, धार्मिक स्थल हैं, इसके अलावा जो भी स्थल हैं, उनकी आप भी मुझे अगर जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से हम लोग इस पर कार्य करेंगे। जितने भी टूरिज्म डेस्टिनेशंस हैं उनको डवलप करने के लिए पूर्ण रूप से योजना भी बनाई जायेगी और उसमें धरातल पर काम भी होगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया आपने यह आश्वासन दिया इसके लिए तो आपका धन्यवाद। औंकार सिंह लखावत जब राज्य सभा के सांसद थे और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे तो

(श्री जुबेर खान)

उन्होंने अलवर में दो पैनोरमा बनवाये थे, भर्तृहरि धाम और एक हसन खां मेवाती का बनवाया था। वह भी इसी में है। इसमें उत्तर में है, अलग से प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद दे दिया।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उनके ऊपर ध्यान दीजिये क्योंकि वे बन तो बड़े ही खूबसूरत गये हैं, लेकिन उनकी देखरेख अगर ठीक से नहीं होगी, उनको आगे डवलप नहीं किया जायेगा तो वे खंडहर हो जायेंगे। मेरा आपसे यह निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: हो गया, माननीय सदस्य।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): जी, अध्यक्ष महोदय। मैं आपको पूरी तरह से आश्वस्त करती हूं कि ये जो पैनोरमा बने थे, ये भी जब हमारी सरकार राजस्थान में थी उसी समय बने थे। हां, पूर्ण रूप से इन 5 सालों में उन पर ध्यान नहीं दिया गया इसलिए आज उनकी यह हालत है। यह बहुत दु:ख की बात है। इन पर पूर्ण रूप से ध्यान देकर इनको और भी अच्छा बनाया जायेगा। ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट वहां तक पहुंचे, वहां की फैसेलिटीज और ज्यादा अच्छी हों, इस पर पूर्ण रूप से ध्यान दिया जायेगा। धन्यवाद।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन उठाया है, अलवर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मैं एक ही बात जानना चाहूंगा कि आपने जो राशि इसमें दी है इसमें से कितनी राशि का व्यय हो गया? कितने के टेंडर हो गये? कितनी राशि बाकी है, अभी कितना काम होना बाकी है? आप मुझे एक तो यह बता दें।

दूसरा, क्या यह बात सही है कि जो हमारे टूरिज्म के स्थल हैं, ये शहर के अन्दर हैं? वहां शहर में आज जितनी भारी गंदगी छायी हुई है, लगातार पिछले 15 दिनों से सारे समाचार पत्रों में यह चीज छप रही है तो क्या हम पर्यटन स्थलों को जो डवलप कर रहे हैं और अखबारों के माध्यम से मौके पर भी जिस प्रकार से गंदगी वहां पर छायी हुई है, तो बाहर से जो पर्यटक आयेंगे उन पर क्या मैसेज जायेगा? आप एक तरफ तो स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं और एक तरफ सिटी के अन्दर आपके टेंडर नहीं हो रहे हैं। उस विषय पर भी आप कुछ बताना चाहेंगी?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। माननीय मंत्री महोदय।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने

(सुश्री दिया कुमारी)

जो यह बात कही है, पूरा विवरण मैंने वैसे हमारे माननीय सदस्य तक पहुंचा दिया है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो आपको भी यह पूरा विवरण जो-जो कार्य चल रहे हैं, कितनी राशि अभी तक इन पर खर्च हुई है और अब आगे क्या इसकी प्लानिंग है, यह सारा कुछ मेरे पास है। अगर आप चाहेंगे तो पूरी डिटेल्स, बहुत लंबी डिटेल्स है।

श्री अध्यक्ष: आप बाद में दे दीजिये।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): जी। मैं, हमारा डिपार्टमेंट, बाद में आप तक पहुंचा देंगे। हां, गंदगी की जो बात है, राजस्थान में जो यह सारी गंदगी है, 5 साल में बहुत गंदगी इकट्ठा हो चुकी है, उसमें पूरी तरह से प्रयास रहेगा कि गंदगी हटे। हटनी भी चाहिए। जनता के साथ मिलकर करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री गणेश घोगरा। हो गया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मोदी जी तो 10 साल से झाड़ू लगा रहे हैं। वह गंदगी साफ नहीं हुई क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय जूली जी, बैठिये। हो गया।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मोदी जी 10 साल से स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं तो अलवर उसमें नहीं है क्या? उसमें आपका ही बोर्ड है। आपका सभापति, आपका विधायक है, आपका सांसद है। उसमें आप कुछ कह दीजिये।

श्री अध्यक्ष: हो गया, माननीय विपक्ष के नेता। श्री गणेश घोगरा।

डूंगरपुर से रतनपुर तक बस सेवा का संचालन

18. श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला डूंगरपुर में परिवहन निगम की कितनी बसें संचालित हैं?

(2) क्या सरकार उक्त जिले में निगम की नवीन बसें उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या सरकार डूंगरपुर से हिम्मतपुर, डूंगरपुर से पाली सोडा व डूंगरपुर से रतनपुर तक निगम की बसें संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

परिवहन मंत्री (डा. प्रेम चन्द बैरवा): (1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा डूंगरपुर जिले में 145 बसें संचालित हैं।

(2) निगम द्वारा बसें क्रय करने एवं निगम के अधीन बसें अनुबन्ध पर संचालित करने हेतु टेंडर की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने पर डूंगरपुर आगार को 5 बसें अनुबन्ध पर एवं क्रय करने के उपरांत अतिरिक्त बसों का आबंटन किया जायेगा।

(3) निगम द्वारा वर्तमान में डूंगरपुर से अहमदाबाद वाया रतनपुर 12 बसें संचालित हैं। डूंगरपुर से हिम्मतपुर एवं डूंगरपुर से पाली सोडा के लिए निगम की बसें संचालित नहीं हैं। डूंगरपुर से हिम्मतपुर एवं डूंगरपुर से पाली सोडा के लिए निगम द्वारा बसों का संचालन शुरू करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पर्याप्त यात्री भार एवं संसाधन उपलब्ध होने पर इन प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये 5 बसें कब तक उपलब्ध करवा देंगे? यह प्रक्रियाधीन है तो यह फाइल कहां तक पहुंची है?

दूसरा, यह है कि जो 12 बसें आपने बतायी हैं डूंगरपुर से अहमदाबाद वाया रतनपुर बोर्डर तक, तो रतनपुर बस स्टाप पर कितनी बसें रुक रही हैं? एक बस भी नहीं रुक रही है। उन 12 बसों का तो फायदा ही नहीं मिल रहा है। उनका तो मोदी जी के वहां गुजरात में फायदा मिल रहा है, तो राजस्थान के लोगों को कब फायदा मिलेगा? जो हिम्मतपुर और पाली सोडा, जो गुजरात बोर्डर पर सीमा है, वह टी.एस.पी. एरिया, जनजाति बहुल क्षेत्र है। वहां गरीब लोग रहते हैं, उनके आवागमन के लिए कोई सुविधा ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): कभी आटो, कभी जीप समय पर मिलते नहीं हैं और बच्चों को आने-जाने में काफी दिक्कत रहती है। वह इतनी मोटी रकम नहीं दे सकते हैं। आप इन बसों को जल्दी से जल्दी कब तक चालू कराने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: बैठिये।

डा. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है, तो हमारे निगम द्वारा अनुबंध पर बसों को लेने की कार्यवाही आगामी 03 महीनों में पूर्ण होने की संभावना है। नवीन बसें क्रय

(डा. प्रेम चन्द बैरवा)

करने एवं सम्मिलित करने की कार्यवाही में भी आगामी छह महीने प्रक्रिया में लगेंगे। छह महीने में हम उपलब्ध करा सकेंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न नम्बर दो।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि 12 बसें जा रही हैं तो वह रुक क्यों नहीं हो रही हैं रतनपुर बोर्डर तक? अब 6 महीने क्यों लग रहे हैं? अब तो डबल इंजन की सरकार हो गयी आपकी।

श्री अध्यक्ष: बसों के रुकने का प्रश्न पूछा है।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): डबल इंजन की सरकार में छह महीने क्यों लग रहे हैं? डबल इंजन की सरकार है तो जल्दी, फास्ट काम होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कोई नहीं बोलेगा।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): एक इंजन की सरकार थी तो हो सकता है कि टाइम लगे लेकिन अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई तो छह महीने क्यों लग रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: बैठिए आप। हो गया। (व्यवधान)

डा. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय सदस्य, आपने पांच साल में एक भी बस चालू नहीं की है और 12 बसें जो आप रतनपुर की बता रहे हो, वो बसें वहां रुक रही हैं। (व्यवधान)

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): नहीं रुक रही हैं।

डा. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): मेरे पास इसका रिकार्ड है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपके दोनों पूरक प्रश्न हो गए हैं।

अगला प्रश्न। श्री रामकेश। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ऐसे कैसे हो गए?

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, आपको कोई अनुमति नहीं है। उत्तर ऐसे ही आएगा।

श्री रामकेश।

चम्बल-गंगापुर-नादौती पेयजल योजना से गंगापुर शहर को पेयजल की आपूर्ति

19. श्री रामकेश (गंगापुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रामकेश)

(1) चम्बल-गंगापुर-नादौती पेयजल योजना का कार्य कब तक पूर्ण कर गंगापुर शहर व ग्रामीण क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध करवा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना की समय सीमा समाप्त हो जाने के उपरांत भी कार्य पूर्ण नहीं करने के क्या कारण रहे तथा उक्त के लिए कौन दोषी है तथा उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त योजना हेतु अतिरिक्त राशि कितनी स्वीकृत की गई? क्या उक्त कार्य के टेण्डर व वर्क आर्डर जारी हो चुके हैं? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री कन्हैयालाल): (1) जिला सवाईमाधोपुर एवं करौली की पेयजल समस्या के दीर्घकालीन समाधान हेतु सतही जल स्रोत चम्बल नदी आधारित चम्बल-सवाईमाधोपुर-नादौती पेयजल परियोजना के प्रथम चरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नीति निर्धारण समिति की 157वीं बैठक दिनांक 22.09.2004 के द्वारा राशि रुपये 478.91 करोड़ की जारी की गई थी।

उक्त स्वीकृत परियोजना के प्रथम पैकेज के अंतर्गत मुख्य ट्रांसमिशन मेन पाइप लाइन एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यादेश मैसर्स एस पी एम एल, नई दिल्ली को दिनांक 23.09.2005 को राशि रुपये 269.29 करोड़ का जारी किया गया। कार्यादेशानुसार कार्य को पूर्ण करने की निर्धारित दिनांक 02.10.2008 थी, परन्तु मण्डरायल स्थित चम्बल नदी में इन्टेकवैल निर्माण एवं नदी में पाइप लाइन बिछाने हेतु आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति देरी से दिनांक 12.04.2010 को जारी होने एवं कार्यकारी फर्म द्वारा धीमी गति से कार्य किये जाने के कारण वर्तमान तक इस पैकेज का लगभग 74 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हुआ है। शेष कार्य शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास किया जावेगा।

उक्त परियोजना की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति नीति निर्धारण समिति की 191वीं बैठक दिनांक 19.09.2013 द्वारा राशि रुपये 567.00 करोड़ की जारी की गई। उक्त स्वीकृति के अन्तर्गत मुख्य ट्रांसमिशन लाइन के पूर्व में आदेशित कार्यों के अतिरिक्त शेष कार्यों यथा शहर गंगापुरसिटी व करौली तथा सवाईमाधोपुर व करौली जिले के 109 ग्रामों (तहसील नादौती, करौली एवं गंगापुरसिटी के क्रमश: 63 ग्राम, 15 ग्राम एवं

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

31 ग्राम) को क्लस्टर पेयजल वितरण प्रणाली तंत्र से लाभान्वित करने हेतु द्वितीय पैकेज का कार्यादेश मैसर्स एस पी एम एल इन्फ्रा लिमिटेड, गुड़गांव को दिनांक 23.09.2013 को राशि रुपये 234.90 करोड का जारी किया गया। कार्यादेशानुसार कार्य को पूर्ण करने की निर्धारित दिनांक 02.04.2016 थी, परन्तु कार्यकारी फर्म द्वारा धीमी गति से कार्य किये जाने के कारण वर्तमान तक इस पैकेज का लगभग 92 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हुआ है। योजना में तहसील नादौती, करौली एवं गंगापुरसिटी के क्रमश: 63, 15 एवं 02 (कुल 80) ग्रामों को पेयजल आपूर्ति से जोड़ा जा चुका है। शेष 29 ग्रामों को माह जून, 2024 तक पेयजल आपूर्ति से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार परियोजना में इन्टेकवैल के निर्माण का कार्य अधूरा होने एवं संवेदक द्वारा कार्य धीमी गति से किये जाने के कारण शहर गंगापुरसिटी एवं करौली तथा जिला सवाईमाधोपुर एवं करौली के ग्रामों को अस्थाई पम्पिंग व्यवस्था के द्वारा 16 एम.एल.डी. स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वित्त समिति की 737वीं बैठक दिनांक 18.01.2018 द्वारा राशि रुपये 2.69 करोड़ की जारी की गयी थी। इस योजना का कार्य दिनांक 21.06.2018 को पूर्ण किया जाकर वर्तमान में गंगापुरसिटी एवं करौली कस्बों तथा जिला सवाईमाधोपुर एवं करौली के 80 ग्रामों में आंशिक पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

(2) संवेदक द्वारा अत्यन्त धीमी गति से कार्य करने एवं वांछित प्रो-रेटा प्रगति नहीं देने कारण अनुबन्ध में वर्णित प्रावधानों के तहत परियोजना के प्रथम पैकेज के अंतर्गत रुपये 11.29 करोड़ व द्वितीय पैकेज के अंतर्गत रुपये 14.43 करोड़ की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में रोकी गई है।

(3) उक्त परियोजना के क्रियान्वयन में देरी के दृष्टिगत परियोजना क्षेत्र के निवासियों को तात्कालिक रूप से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा राशि रुपये 15.98 करोड़ की 02 अतिरिक्त योजनाएं स्वीकृत की गईं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

1. परियोजना के प्रथम पैकेज के पूर्ण क्रियान्वयन में अधिक समय लगने के कारण, गंगापुरसिटी एवं करौली कस्बों तथा पैकेज द्वितीय में सम्मिलित 109 ग्रामों में पर्याप्त मात्रा में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु, अतिरिक्त पंपसैट एवं पाइप लाइन डाली जाकर इन्टेकवैल से अतिरिक्त 60 मिलियन लीटर प्रतिदिन जल उत्पादन बढ़ाने के लिये राशि रुपये 15.00

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

करोड़ की योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वित्त समिति की 843वीं बैठक दिनांक 16.03.2023 द्वारा जारी की गई। योजना के क्रियान्वयन हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाकर वित्तीय बिड दिनांक 10.07.2023 को खोली जा चुकी हैं। वर्तमान में निविदा अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है।

2. इन्टेकवैल में स्थापित 2 पुराने सबमर्सिबल पम्पसैट को बदलने हेतु राशि रुपये 98.25 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 24.04.2023 को जारी की गयी थी। कार्य का कार्यादेश दिनांक 26.05.2023 द्वारा मैसर्स शेख कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, खेतड़ी को जारी किया गया था। कार्यादेशानुसार कार्य को दिनांक 25.08.2023 तक पूर्ण किया जाना था, परन्तु समय पर पंपसैट की आपूर्ति नहीं किये जाने एवं वर्षाकाल में पानी भर जाने के कारण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है जिसे माह फरवरी, 2024 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

इसके अतिरिक्त सवाईमाधोपुर जिले के 2 शहर (गंगापुरसिटी, सवाईमाधोपुर) व कुल 579 ग्राम, करौली जिले के 4 शहर (करौली, हिण्डौन, टोडाभीम, सपोटरा) व 847 ग्राम कुल 1,426 ग्राम एवं 6 शहरों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर-घर जल संबंधों द्वारा लाभान्वित करने हेतु वृहद् पेयजल परियोजना की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की 37वीं बैठक दिनांक 30.05.2023 के द्वारा राशि रुपये 4,060.31 करोड़ की जारी की गई है। बजट उपलब्धता के आधार पर योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश हो तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, विराजो। उत्तर पढ़ा हुआ मान लिया गया है। माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिए।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह योजना चम्बल-गंगापुर-नादौती जिससे हमारे 109 गांवों को और गंगापुर और करौली शहर को पेयजल उपलब्ध होना था, इस योजना का कार्यादेश वर्ष 2005 में जारी हुआ और 2008 तक इसको पूरा होना था, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद में 19.09.2013 को संशोधित स्वीकृति निकाली जो 478 करोड़ से बढ़कर 567 करोड़ की जारी हुई। कार्य पूरा होना था 02.04.2016 को, वो भी 2016 तक

(श्री रामकेश)

नहीं हुआ। 16.03.2023 को 15 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृति जारी की गई थी, उसके भी वर्क आर्डर अभी तक नहीं हुए। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि 2005 की स्कीम 2024 तक पूरी नहीं हो रही है, ऐसी भ्रष्ट कम्पनी, चोर कम्पनी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने की आपकी कोई मंशा है?

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि जो 15 करोड़ रुपये की राशि अभी 2023 में स्वीकृत की थी उसके वर्क आर्डर अभी तक नहीं हुए वो वर्क आर्डर आप कब तक जारी करवा देंगे?

तीसरी बात, मेरी यह है कि 98 लाख रुपये के जो दो पम्प 24.04.2023 को जिनकी स्वीकृति हो गई थी, वर्क ऑर्डर जारी हो गया था, वो पम्प भी साइट पर पहुंच गए लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि वो पम्प जैसे ही लगाए, वो भी खराब हालत में आ गए तो इनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की आपकी मंशा है या नहीं है?

श्री अध्यक्ष: बैठिए। माननीय मंत्रीजी।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य महोदय को कहना चाहता हूं कि सबसे पहले तो वास्तव में अब तक जो सिस्टम हम महीने भर से देख रहे हैं कि पुरानी कम्पनियां बाहर से आती हैं और काम को लेकर बैठी रहती हैं। इसका नुकसान आम जनता को भुगतना पड़ता है। आपकी बात बिलकुल जायज है। हमने इस कम्पनी को फाइनल नोटिस दे दिया है, 15 दिन के अन्दर ये काम चालू नहीं करती तो इसको री-असाइन करके दूसरा टेंडर लगाएंगे और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कम्पनी का आप वाला ही नहीं, राजस्थान में जहां-जहां भी काम चल रहे हैं, मैंने देखा है कि ये कम्पनी लेकर बैठी रहती है, काम नहीं करती है। राजस्थान से पूरे काम नहीं करती है तो डिबार करेंगे। हंडरेड परसेंट इसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

दूसरा, आपने कहा कि 15 करोड़ रुपये के 60 एम एल डी बढ़ाने का जहां पर टेंडर हुआ था, इस कम्पनी को आने वाले तीन से चार दिन में वर्क आर्डर दे देंगे और छह महीने में आपकी समस्या जो है उसका हंडरेड परसेंट समाधान करेंगे।

(श्री कन्हैयालाल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो दूसरा प्रश्न था कि 98 लाख रुपये जो हमने पम्पों के दिए थे, इनको भी हमने नोटिस दे दिया है और 29.02.2024, फरवरी के अन्दर जो भी कमी है उसको पूरा कराकर ये दोनों पम्प चालू हो जाएंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्री अध्यक्ष: बैठिए। डा. ऋतु बनावत। (व्यवधान) आपके तीन प्रश्न आ गए।

श्री रामकेश (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। 2005 का कोई प्रोजेक्ट है, उसके बारे में मैं सवाल कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी ने कह दिया कि छह महीने में हो जाएगा।

श्री रामकेश (गंगापुर): हां, बिलकुल, मैं मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा, सरकार को धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए, लेकिन आप यह समझिए कि ऐसी कम्पनियां और उनमें काम करने वाले आपके अधिकारी, उन अधिकारियों को भी आप एक बार जांचिए। बीस साल तक जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती?

श्री अध्यक्ष: कह दिया इन्होंने कार्यवाही करने का, माननीय सदस्य।

श्री रामकेश (गंगापुर): इस मामले में एक भी अधिकारी के खिलाफ आज तक कार्यवाही नहीं हुई है। सरकारें बदल गईं लेकिन कम्पनियां वहीं की वहीं हैं, बीस साल तक लोगों को उलझा रही हैं। गंगापुर में एक भी एम एल डी पानी सही ढंग से नहीं आ रहा है। यह 15 करोड़ रुपये की राशि इसलिए स्वीकृत की थी कि इससे 60 एम एल डी पानी मिल जाएगा। वर्क आर्डर के लिए आपने आश्वासन दे दिया इसके लिए धन्यवाद है, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोग, ऐसे इंजीनियर जो बीस-बीस साल तक ऐसी कम्पनियों को प्रोटेक्शन देते आ रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्यवाही कीजिए, तब जाकर राजस्थान में लोगों का भला हो पाएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डा. ऋतु बनावत।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सभी प्रश्नों के उत्तर पढ़े हुए मान लिए जाएं ताकि अधिक से अधिक प्रश्न सदन में आ सकें।

श्री अध्यक्ष: हां, तो आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया। अगला प्रश्न पुकार लिया है।

पांचना बांध से गम्भीरी नदी में पानी छोड़ने का एम.ओ.यू.

20. डा. ऋतु बनावत (बयाना): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) करौली स्थित पांचना बांध से गम्भीरी नदी में पानी छोड़ने के क्या प्रावधान हैं? बांध के निर्माण के समय किये गये एम.ओ.यू. की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों में पांचना बांध से गम्भीरी नदी में कब-कब व कितना-कितना पानी छोड़ा गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री सुरेश सिंह रावत): (1) पांचना बांध में पानी की आवक भराव क्षमता (FTL) 258.62 मीटर से अधिक होने पर गेटों द्वारा गम्भीरी नदी में पानी छोड़ा जाता है। श्रीमहावीरजी मेले में राज्य सरकार की अनुमति के उपरांत गम्भीरी नदी में पानी छोड़ा जाता है। पांचना बांध के निर्माण के समय गम्भीरी नदी में पानी छोड़ने का किसी प्रकार का एम.ओ.यू. संपादित नहीं किया गया था।

(2) विगत पांच वर्षों में पांचना बांध से गम्भीरी नदी में छोड़े गये पानी का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डा. ऋतु बनावत (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास क्वेश्चन का जवाब आ गया है, इसलिए मैं सीधे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ही पूछना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: पूछिए।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): भरतपुर की जीवनदायिनी गम्भीरी नदी अपने अस्तित्व की लड़ाई अभी लड़ रही है और यह एक बहुत गम्भीर विषय है। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2015 में निर्देशित किया कि किसी भी नदी को जीवित रखने के लिए नदी में पानी का औसत बहाव 15 से 20 परसेंट होना चाहिए। उस इरादे को लेकर सरकार ने कुछ नहीं किया। क्या माननीय मंत्रीजी का इरादा है कि गम्भीरी नदी में पानी आएगा? भरतपुर जिले की जनता की लगातार अनदेखी करते हुए पांचना बांध की भराव क्षमता बढ़ाई गई और ऐसा क्यों किया गया? इसका जवाब मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं। बयाना विधान सभा क्षेत्र में नंगला खार में जो बांध है उस पर नाले का निर्माण नहीं हुआ, पुलिया का

(डा. ऋतु बनावत)

निर्माण नहीं हुआ और उस कारण से पानी यूपी. चला जाता है और आठ बांध इस पुलिया और नाले के निर्माण से प्रभावित हो रहे हैं। इसके बारे में माननीय मंत्रीजी की क्या योजना है? वह जानना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजें। माननीय मंत्रीजी।

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बयाना से आने वाली माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा, उसमें है कि बाकोली हैड रेगुलेटर से पंचायत समिति रूपवास जो इनके बयाना विधान सभा क्षेत्र में है, उसके 9 बांधों में जल अपवर्तन हेतु 4 फीडर चैनल निर्मित हैं जो कि वर्तमान में कच्चे हैं। इन फीडर का आवश्यक रीच में रिनोवेशन करवाने एवं रास्ते में पड़ने वाली पुलिया इत्यादि की मरम्मत हेतु प्रस्ताव तैयार करने के विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

माननीय सदस्या से मेरा आग्रह है कि आपका भी कोई सुझाव हो तो आप दे दें।

श्री अध्यक्ष: क्या कोई पूरक प्रश्न है?

डा. ऋतु बनावत (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि गम्भीरी नदी में जब तक पानी नहीं आयेगा, बयाना ही नहीं, पूरे जिले का वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है, गम्भीरी नदी के बहाव क्षेत्र में पानी लाने के लिए आपकी क्या योजना है?

श्री सुरेश सिंह रावत (जल संसाधन मंत्री): मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि जो ईआर.सी.पी. का हमारा प्रोजेक्ट है, उसके आने के बाद उसमें पानी आयेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री राजकुमार रोत।

अनुसूचित क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम के तहत जारी पट्टे

21. श्री राजकुमार रोत (चौरासी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अनुसूचित क्षेत्र में वर्ष 2020 से माह दिसम्बर, 2023 तक वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफ आर ए) के तहत कितने-कितने सामुदायिक एवं व्यक्तिगत दावों के आवेदन प्राप्त हुए? कितनों में पट्टे जारी हुए व कितने निरस्त हुए तथा कितने प्रक्रियाधीन हैं? वर्षवार, जिलेवार, संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजकुमार रोत)

(2) उक्त क्षेत्रों के जिलों में वर्ष 2020 से माह दिसम्बर, 2023 तक एफ आर ए के तहत जो सामुदायिक दावा पत्र एवं व्यक्तिगत दावे पत्र प्राप्त हुए हैं उक्त में से कितने दावे पत्र ऑफलाइन एवं कितने ऑनलाइन प्राप्त हुए? जिलेवार एवं वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वन विभाग के अन्तर्गत मिले पट्टों पर निवासरत आदिवासियों को उक्त जमीन पर के.वाई.सी., कृषि कनेक्शन एवं अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्ष 2020 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक जिला डूंगरपुर में एफ आर ए के तहत मिले पट्टाधारकों में से कितनों को के.वाई.सी. एवं विद्युत कृषि कनेक्शंस का लाभ मिला? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री बाबूलाल खराड़ी): (1) अनुसचित क्षेत्र में वर्ष 2020 से दिसम्बर, 2023 तक वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफ आर ए) के तहत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक प्राप्त दावे स्वीकृत, निरस्त एवं प्रक्रियाधीन दावों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ के अनुसार संलग्न है।

(2) उक्त क्षेत्रों के जिलों में वर्ष 2020 से दिसम्बर, 2023 तक वन अधिकार अधिनियम, 2006 (एफ आर ए) के तहत ऑनलाइन व ऑफलाइन व्यक्तिगत व सामुदायिक प्राप्त दावों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ब के अनुसार संलग्न है।

(3) वन विभाग के अन्तर्गत मिले अधिकार पत्रों पर निवासरत आदिवासियों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वनाधिकार अधिनियमों के तहत अनुमत कार्यों के लिए आवेदन किये जाने पर सम्बन्धित योजना के तहत लाभान्वित किया जाता है एवं अन्य सरकारी योजना मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पशुपालन विभाग द्वारा बकरी यूनिट वितरण कर लाभान्वित किया गया है।

(4) वनाधिकार अधिनियम के तहत हक पत्र धारकों का के.वाई.सी. व कृषि विद्युत कनेक्शंस के लाभान्वितों का पृथक से रिकार्ड संधारित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जवाब आ गया है। आपकी अनुमति हो तो मैं पूरक प्रश्न ही पूछ लूं?

श्री अध्यक्ष: चलिये, पूछिये।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, वन विभाग में जो फोरेस्ट राइट एक्ट, 2006 के तहत पट्टे का प्रोसेस है, मेरा प्रश्न यह था कि पिछले चार वर्षों में कितने आवेदन आये हैं तो मंत्री जी का जवाब आया है कि 32,521 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से उन्होंने 25,029 दावे निरस्त कर दिये और सिर्फ 5,937 लोगों को ये पत्र व्यक्तिगत और सामुदायिक रूप से प्राप्त हुए। मेरा पहला सवाल यह है कि जो 25 हजार आपने निरस्त किये हैं, वे किस कारण से निरस्त किये हैं? क्या सरकार इनका परीक्षण करने के लिए कोई कमेटी बनाने का प्रावधान करेगी?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जिन्हें पट्टा मिला है, इन पर लोगों को के.वाई.सी. और कृषि कनेक्शंस नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जो पट्टा है उसमें जमीन की किस्म नहीं दर्शा रहे हैं। किस्म नहीं दर्शाने की वजह से उस व्यक्ति को एग्रीकल्चर कनेक्शन विद्युत विभाग नहीं दे रहा है। बैंक भी के वाई सी नहीं दे रहा है। जिन पांच हजार लोगों को पट्टे मिले हैं, उनमें किसी को भी विद्युत कनेक्शंस और के.वाई.सी. नहीं मिले हैं। इसके लिए राज्य सरकार क्या प्रावधान करने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: पहले इन दो का उत्तर आ जाये, उसके बाद आगे पूछ लीजियेगा आप। माननीय मंत्री जी।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न किये हैं। एक तो आपका कहना यह है कि जो पट्टे निरस्त किये, उनकी हमने आपको सूची उपलब्ध करायी है। उसकी एक प्रक्रिया होती है, वह मैं आपको बताना चाहूंगा। आप लोग पिछली बार सरकार में थे। जब आपकी सरकार में साझेदारी थी, उस समय आप करा नहीं पाये। उस समय आपको करा लेना चाहिये था, अन्यथा यह प्रश्न नहीं लगाते आप।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सर, क्या यह कोई जवाब है? मंत्री जी, इसीलिए तो आप यहां बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप मुझे सम्बोधित करते हुए बोलें।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): जो आपने बात कही पट्टे के बारे में, हम पट्टे नहीं देते हैं, अधिकार पत्र देते हैं। इसकी प्रक्रिया यह है कि जो व्यक्ति वहां 2005 के पहले से काबिज है, 2006 से हम उन्हें वन अधिकार पत्र देते हैं। वह व्यक्ति 25 वर्षों से वहां रह रहा है। वहां वह

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

दावा पेश करेगा, दावा पेश करने के बाद वहां की जो ग्राम समिति है, वन सुरक्षा समिति, वह उसकी जांच करेगी कि क्या वह व्यक्ति वहां वास्तव में काबिज है या नहीं। यह सारा मूल्यांकन करने के बाद पटवारी और वनपाल मिलकर तय करेंगे कि इसका कौन-सा खसरा है। ट्रेस नक्शा और वनपाल यह बतायेगा कि यह व्यक्ति यहां काबिज है। फिर वह समिति उस वन अधिकार पत्र को ग्राम सभा को भेजेगा। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा उसकी जांच-पड़ताल करने के बाद ...(व्यवधान)

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सर, मैं एक सिंपल-सा उत्तर चाह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। उनका उत्तर तो सुन लें। आपको अगला प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा मैं। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी जवाब देने में सक्षम नहीं हैं जो बाकी के लोग बीच में बोल रहे हैं? क्या मंत्री सक्षम नहीं हैं? (व्यवधान) मंत्री जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: सब सक्षम हैं। आप हाउस को चलने दें। आप विराजें। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह कौन-सा तरीका हुआ? स्पीकर महोदय, मेरा आब्जेक्शन है। ...(व्यवधान) मंत्री जवाब दें, उससे पहले सारे बोलने लग जाते हैं। इसका क्या मतलब है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिये। प्रश्न काल में कोई व्यवधान नहीं डालेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह व्यवधान नहीं है। यह व्यवस्था की बात है।

श्री अध्यक्ष: मैंने व्यवस्था दे दी। आप बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): व्यवस्था देना स्पीकर का काम है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। यह मेरा काम है। मेरा काम मुझे करने दें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सब्जी मण्डी बना दिया है राजस्थान की विधान सभा को।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। अबकी बार आप खड़े हुए तो मुझे कुछ आगे बोलना पड़ेगा। बैठिये। मंत्री नये हैं, उन्हें बोलने दीजिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय जी, ये तीन-चार प्रकार की समितियां हैं। (व्यवधान) आप मेरा उत्तर तो सुनिये।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, आप इधर मेरी तरफ देखकर संक्षेप में जवाब दीजिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, निरस्त करने के जो कारण हैं, वे मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। या तो वह व्यक्ति तय सीमा में वहां नहीं था या फिर वह राजकीय सेवा में है।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): मेरा सवाल यह है ही नहीं।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): निरस्त करने का कारण तो बताऊं न। (व्यवधान)

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): जो ये जवाब दे रहे हैं, वह मेरा सवाल ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में मत बोलिये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पहले वे बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: पहले उधर से आ रही है। आप उत्तर तो सुनिये।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वे जो जवाब चाह रहे हैं, मंत्री जी वह जवाब नहीं दे रहे हैं। आप माननीय सदस्य के क्वेश्चन का जवाब दिलवा दीजिये।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय नेता, प्रतिपक्ष आप मुझे सुनेंगे तो मैं पूरा जवाब दूंगा। आप सुनिये। सुनने का माद्दा रखिये। आपने पूछा, के.वाई.सी. और वहां रहने वालों को कृषि कनेक्शंस क्यों नहीं मिल रहे हैं।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): मैंने कृषि कनेक्शंस और के.सी.सी. के बारे में पूछा है।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): के.सी.सी. नहीं, आपका प्रश्न के.वाई.सी. के बारे में है। के.वाई.सी. कोई योजना नहीं है। के.वाई.सी. हम दस्तावेज सत्यापित करने के लिए आधार लेते हैं। वह दस्तावेज सत्यापित करने के लिए एक प्रक्रिया है।

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

दूसरा, जो हमने वन अधिकार पत्र दिये हैं, उन्हें बिजली कनेक्शंस नहीं मिलते हैं, वहां पर फोरेस्ट एक्ट के कारण हम खम्भा नहीं ले जा सकते हैं, लाइट जा नहीं सकती है। इसके कारण से हम उन्हें कृषि कनेक्शंस नहीं दे पाते हैं।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सर, मेरा सिम्पल-सा सवाल है कि 25 हजार लोगों के फॉर्म्स निरस्त हुए हैं, चूंकि वे 25 हजार लोग वहां काबिज हैं, वे उसका दावा पत्र प्राप्त करने के लिए घूम रहे हैं। उनकी भावना का सवाल है।

सैकंड सवाल यह है कि 5 हजार लोगों को पट्टा या पत्र मिल गया। वे वहां बसे हुए हैं, खेती कर रहे हैं। अब उन्हें एग्रीकल्चर कनेक्शंस नहीं मिले हैं। मेरा जो था, वह के.सी.सी. था। वह मिसप्रिंट होकर के वाई.सी. आया है। के.सी.सी. लोन नहीं मिल रहा है। ये 5 हजार लोग इस योजना का लाभ लेने के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं, उसके लिए विभाग क्या कार्रवाई करेगा?

श्री अध्यक्ष: सवाल पूछें कि कब तक करेंगे।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): अब वन अधिकार पट्टा मिला है, वह कृषि कर रहा है, पर विभाग कह रहा है कि हम नहीं दे सकते और एक तरफ कह रहे हैं कि देश में घर-घर बिजली पहुंचाएंगे। हम सिम्पल-सी यह चीज चाहेंगे कि उन्हें आप कृषि कनेक्शंस और के.सी.सी. लोन्स दें। आप पट्टा दे रहे हैं, उसमें एग्रीकल्चर दर्शा दें। पट्टे में आप एग्रीकल्चर दर्शा दें। किस्म दर्शा ही नहीं रहे हैं ये लोग।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये वन अधिकार हक पत्र हम दे रहे हैं, वह उस जमीन की बेचान नहीं कर सकता, यह उस नियम में है, उस कानून में है। आप के.सी.सी. लेना चाहते हैं, आपका खाता नहीं है उसमें, इसलिए उसे के.सी.सी. लोन नहीं मिल पाता है।

दूसरा, आपने कहा कि हमने निरस्त किये, निरस्त करने के कारण आप सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): आप परीक्षण कराएंगे कि नहीं उनका?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उत्तर पूरा हो जाये उसके बाद पूछ लें। आपके दो प्रश्न हो गये हैं।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय जी, जो अधिकार पत्र निरस्त हुए हैं, मैंने उनकी सूचना सदस्य को दे दी है, लेकिन यदि और भी इनके पास हैं तो वे बतायें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप इनसे मिलकर इनकी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, इनसे चर्चा कर लीजिये। अगला प्रश्न। श्री ललित मीना। आप इनसे मिल लीजिये। मैंने इनको निर्देश दे दिये हैं।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): सर, यह पब्लिक से रिलेटेड प्रश्न है। इसके लिए लोग दर-दर भटक रहे हैं। सर, यह पालिसी मैटर है। सर, यह मेरा पर्सनल नहीं है। इसमें मेरा कोई हित नहीं है, पब्लिक का हित है।

श्री अध्यक्ष: मैंने आपसे आग्रह किया है कि आप इनके चैम्बर में जाकर चर्चा कर लें, नहीं तो दोबारा चर्चा कर लेंगे।

अगला प्रश्न। माननीय मंत्री जी, आप उत्तर दें।

किशनगंज में ऑनलाइन जमाबन्दी

22. श्री ललित मीना (किशनगंज): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की तहसील किशनगंज के 27 गांवों की जमाबन्दी ऑनलाइन नहीं होने के क्या कारण रहे? सरकार उक्त गांवों की जमाबन्दी कब तक ऑनलाइन करवाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हेमन्त मीणा): बारां जिले में विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की तहसील किशनगंज में कुल 213 राजस्व ग्राम हैं। राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 18.01.2021 से 186 गांवों को ऑनलाइन अधिसूचित किया जा चुका है।

उक्त 27 गांवों में जटिल तरमीम होना, नक्शों का नष्ट होना/जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होना, अपवादित खाते, रकबे में कमी-बेशी, आबंटन सम्बन्धित प्रकरणों के कारण इन ग्रामों को ऑनलाइन अधिसूचित नहीं किया जा सका। उक्त गांवों के राजस्व रिकार्ड को ऑनलाइन अधिसूचित किये जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आजादी के 70 साल बाद भी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 401 गांव हैं, मंत्री जी बता रहे हैं कि किशनगंज

(श्री ललित मीना)

के लगभग 186 गांव ऑनलाइन हो गये हैं और किशनगंज के 27 गांव अभी बाकी हैं। शाहबाद के लगभग 128 गांव बाकी हैं। हमारे लगभग आधे विधान सभा क्षेत्र में अभी तरमीम होना बाकी है।

किशनगंज और शाहबाद के लगभग 215 गांवों की तरमीम होना बाकी है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि वे कब तक कर देंगे? 70 साल तो गुजर गये हैं। अब तारीख, समय बतायें। बारां जिले की चारों-पांचों-आठों तहसीलें ऑनलाइन हो चुकी हैं। केवल ये दो तहसीलें हैं, जहां ऑनलाइन नहीं हुआ है। कब तक ऑनलाइन करा देंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। सॉरी, किसी और को अनुमति नहीं है।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): शाहबाद तहसील सहरिया जनजाति बहुल क्षेत्र है। तहसील में सैटलमेंट संवत् 2020, 2039 में हुआ था। इस प्रकार लगभग 58 वर्ष पूर्व सैटलमेंट होने से तहसील क्षेत्र में अत्यधिक आबंटन, डिक्री, इजराय, बंटवारे, नये राजमार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण होने के कारण मौके और रिकार्ड का मिलान नहीं होने से तहसील क्षेत्र में लगभग 20 हजार तरमीम लम्बित हैं। तहसील क्षेत्र के 236 में से 48 ग्राम, जिसमें नक्शा, लट्ठा, जीर्ण-शीर्ण, अनुपलब्ध होने से राज्य सरकार द्वारा दिनांक 22.10.2021 को सर्वे रिवर्स की अधिसूचना जारी की गई थी, परन्तु अभी तक इसमें सम्बन्धित फर्म द्वारा कार्य आरम्भ नहीं किया गया है। इन 48 ग्रामों में 5,991 तरमीमें लम्बित हैं, शेष 188 गांवों में वर्तमान में 3,180 तरमीमें लम्बित हैं, जिनका मुख्य कारण भू-प्रबन्धन नहीं होना है। आने वाले 6 महीने के अन्दर इन कामों को करा लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: 6 महीने का समय आ गया है।

श्री ललित मीना (किशनगंज): मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि 58 साल हो गये। अब समय और तारीख, अभी 215 गांव बाकी हैं।

श्री अध्यक्ष: उन्होंने 6 महीने बता दिये हैं।

श्री ललित मीना (किशनगंज): मंत्री महोदय, यह बतायें कि 18.01.2021 से, आज दो साल हो गये हैं। अभी तक उस एजेंसी ने तरमीम नहीं की है, सर्वे नहीं किया है, नक्शा नहीं बना है। आप फटा हुआ बता रहे हैं तो कब तक कर देंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, 6 महीने दिये हैं। आप इन्तजार करें। 6 महीने में कर देंगे। श्री चन्द्रभान सिंह चौहान।

चित्तौड़गढ़ की कच्ची बस्तियों में जारी पट्टे

23. श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में वर्तमान में कितनी कच्ची बस्तियां कितने समय से अवस्थित हैं तथा वर्तमान में उक्त कच्ची बस्तियों में कितने नागरिक निवासरत हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कच्ची बस्तियों में कितने निवासियों को निकाय द्वारा पट्टे जारी कर दिये गये हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पट्टे से वंचित शेष को पट्टे जारी करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री झाबर सिंह खर्रा): (1) चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में वर्तमान में 20 कच्ची बस्तियां हैं, जो 1999 से पूर्व अवस्थित हैं। इन कच्ची बस्तियों में 3,380 परिवार निवासरत हैं, जिनमें वर्तमान में लगभग 13,516 नागरिक निवास कर रहे हैं।

(2) उक्त कच्ची बस्तियों में 2,430 पट्टे नगर परिषद् द्वारा जारी किये गये हैं।

(3) वंचित रहे शेष निवासियों में से पात्र परिवारों को नियमानुसार पट्टे दिये जा सकेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ शहर में उक्त 20 कच्ची बस्तियां हैं। ये कौन-कौन सी हैं तथा इनमें से किस-किस कच्ची बस्ती में सरकार द्वारा कब पट्टे जारी किये गये हैं?

क्या यह सही है कि नगर परिषद् द्वारा जारी किये गये 2,430 पट्टों में से कई लोगों को दोहरे पट्टे जारी किये गये हैं? साथ ही, उक्त जारी 2,430 पट्टों में से कई पट्टाधारी चित्तौड़गढ़ शहर के मूल निवासी न होकर बाहर के बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इन सभी पट्टों की जांच करवाकर, सही पात्र परिवार को पट्टा जारी करने का विचार रखती है? एक और बाकी है, मैं वह बाद में पूछ लूंगा।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने जो शंका जाहिर की है, अगर किसी भी गैर-भारतीय ने या किसी

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

घुसपैठिए ने कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से भूखण्ड आबंटित करवा लिया है, यदि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होगी तो वहां के अतिरिक्त जिला कलेक्टर से जांच करवाकर, विधिक जांच रिपोर्ट के आधार पर विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए कूटरचित दस्तावेज के माध्यम से यदि उसने कोई लाभ प्राप्त किया है तो उसके लिए जो भी कानूनी कार्यवाही होगी, वह करेंगे। हमारे पास जो सूचना है, वह हमने आपको बता दी है। बाकी जो परिवार बचे हैं, उनके लिए हम शीघ्र ही कोई न कोई योजना बनाकर उनको भी पुनर्वासित करेंगे।

श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो पट्टे अभियान में जारी किये थे तो पर्टिकुलरली अपने चहेतों को पट्टे दे दिये। उन्होंने विचारधारा के अनुसार पट्टे दिये हैं। कच्ची बस्ती में उस समय जो विचारधारा के अनुरूप नहीं थे, उनको पट्टे नहीं दिये। वे सभी शत-प्रतिशत वंचित हैं। उनके लिए हमें समयावधि बता दें कि इतने दिनों में या इतने महीनों में अपन उनको पट्टे जारी करा देंगे?

मंत्री महोदय, एक तो आप यह बता दें कि इतने महीनों में उनको दे देंगे? जो उनके मिलने वाले थे, जो उनके चहेते थे, उनकी विचारधारा वाले थे। जिस विचारधारा की सरकार थी, उसके अनुसार उन्होंने पट्टे जारी कर दिये। हमारी विचारधारा के लोग थे, उनको एक भी पट्टा जारी नहीं किया गया है। वे पट्टे आप कब तक जारी कर देंगे? उसका आप समय निश्चित करें कि 6 महीने में करेंगे या साल भर में करेंगे। एक तो यह बता दें।

दूसरा, निर्दलीयों की भी विचारधारा होती है। मंत्री महोदय, आप पहले मंत्री रहे हैं। निर्दलीयों की विचाराधारा होती है, तभी एक लाख वोट से जीतकर आये हैं। यह थोड़ा ध्यान रखें। दूसरा, यह कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को जो पट्टे दे दिये हैं, मैं खुद ही आपको शिकायत कर रहा हूं मैं बता रहा हूं कि चित्तौड़गढ़ में ऐसे बहुत से बांग्लादेशी कच्ची बस्तियों में बसे हुए हैं जो रोहिंग्या हैं, वे बस गये हैं। उनके वहां के दस्तावेज, आधार कार्ड, वगैरह-वगैरह, राशन कार्ड सब बन गये हैं तो उनके प्रति आप क्या करेंगे? कैसे हटवायेंगे? जिनको पट्टे दे दिये हैं, उनको निरस्त करवायें।

हमारी विचारधारा के लोगों को कितने समय में आप पट्टे दिलवायेंगे? मनोज जी, विचारधारा को अध्यक्ष जी अच्छे तरीके से जानते हैं। अध्यक्ष जी, इस क्वेश्चन के बाद में डिटेल में बता देंगे।

श्री अध्यक्ष: बैठिये-बैठिये। माननीय मंत्री जी का उत्तर सुनिये।

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि विचारधारा से मुझे कोई मतलब नहीं है, जो भी पात्र भारतीय है, जो भारत का मूल निवासी है और जिसके पास रहने के लिए कोई भूखण्ड नहीं है, वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, उसका हक बनता है कि उसे हम भूखण्ड आबंटित करें।

नंबर-दो, आपने जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की बात की, वह आपसे मैंने पहले ही निवेदन कर दिया सदन की मार्फत कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जो मूल रूप से भारतीय नहीं हैं अगर उन्होंने कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से अनियमितता करके भूखण्ड प्राप्त कर लिये हैं तो उनके भूखण्ड निरस्त करने के साथ-साथ उनके खिलाफ भी फर्जी कार्य के मामले में जो भी कानूनी कार्यवाही हो सकती है, वह करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेंगे।

नंबर-तीन, बाकी आपके जो पात्र लोग रह गये, उनके लिए हम योजना बनाकर यथा सम्भव वर्ष 2024 में प्रयास करेंगे कि उनको भी भूखण्ड आबंटित हो जायें। आपने जो पूर्व में आबंटित में अपने चहेतों और अन्य चहेतों के बारे में जो सदन को अवगत कराया है, मुझे अवगत कराया है, अगर इस प्रकार की कोई भी शिकायत मेरे पास आयेगी तो जिन लोगों ने अपात्र होते हुए भूखण्ड आबंटित करवा लिये, उनके भूखण्ड निरस्त करते हुए जिस भी अधिकारी ने उनको भूखण्ड आबंटित किया है, उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोविन्द प्रसाद।

मनोहर थाना में लम्बित कृषि कनेक्शन

24. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में किसानों को दिन में कितने घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में कृषि कनेक्शन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए? उनमें से कितने जारी किये गये हैं तथा कितने विचाराधीन हैं? पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कृषि कनेक्शनों के मांग पत्र जमा होने के पश्चात् भी उनमें से कितने कनेक्शन लम्बित हैं? सरकार उक्त लम्बित

(श्री गोविन्द प्रसाद)

कृषि कनेक्शनों को कब तक जारी करने का विचार रखती है? श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री हीरालाल नागर): (1) विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में किसानों को सामान्यतया दिन में निर्धारित ब्लाक अनुसार 6 घंटे कृषि कार्य हेतु थ्री फेज बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में 01 जनवरी, 2021 से 31 दिसम्बर, 2023 तक विगत तीन वर्षों में कृषि कनेक्शन हेतु 882 प्राप्त आवेदनों में से 127 कृषि कनेक्शन जारी किये गये हैं। 744 आवेदन विचाराधीन हैं जबकि 11 आवेदन निरस्त किये गये। पंचायतवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में 578 जमा मांग पत्र वाले आवेदकों के कनेक्शन जारी करना शेष है।

उक्त लम्बित आवेदकों में सामान्य श्रेणी के 522, अनुसूचित जाति श्रेणी के 39 एवं बूंद-बूंद श्रेणी के 17 कृषि कनेक्शन जुलाई, 2024 तक किया जाना लक्षित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, जो ये 6 घंटे आप किसानों को बिजली दे रहे हो तो निर्धारित ब्लाक में कटौती होने पर क्या किसानों को 6 घंटे बिजली की भरपाई की जाती है या नहीं? दूसरा, मैं पूछना चाहूंगा कि जो आवेदन विचाराधीन हैं जो 744 विचाराधीन हैं, वे किस प्रकार के हैं और कब तक इन पर कार्यवाही करके इनको कनेक्शन दे दिये जायेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री हीरालाल नागर (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हां। कभी-कभी बिजली लाइनों में फाल्ट होने से सप्लाई बाधित हो जाती है जिससे किसानों को 6 घंटे बिजली नहीं मिल पाती है। सप्लाई बाधित होने की वजह से कम रही बिजली की भरपाई अगले ब्लाक में करने का प्रयास किया

(श्री हीरालाल नागर)

जाता है। जो 744 विचाराधीन आवेदकों का प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है उनमें से 144 जमा मांग पत्र वाले आवेदक हैं जिनके कनेक्शन जारी करने हैं जिसका कार्य प्रक्रियाधीन है तथा शेष 591 सामान्य श्रेणी एवं 9 अनुसूचित जाति श्रेणी के हैं जिनके मांग पत्र जारी करना शेष है। 591 सामान्य श्रेणी के आवेदन 22 फरवरी, 2022 के हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, और कोई?

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। अगला प्रश्न। श्री मनोज कुमार।

सुजानगढ़ में सम्राट होटल के पास आर.ओ.बी. का निर्माण

25. श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा एल.सी. 21 सम्राट होटल के पास, सुजानगढ़ में आर.ओ.बी. स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आर.ओ.बी. के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति जारी कर निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है? यदि नहीं, तो कब तक निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ कर कार्यादेश जारी कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (सुश्री दिया कुमारी): (1) जी हां। एल.सी. 21 सम्राट होटल के पास, सुजानगढ़ में आर.ओ.बी. हेतु पत्रांक एफ.7(75)/ एएण्डएफ/सैक्शन-II/2020-21/डी-32 दिनांक 12.02.2021 द्वारा राशि रुपये 65.00 करोड़ (राज्य सरकार द्वारा राशि रु. 45.00 करोड़ एवं रेलवे द्वारा राशि रुपये 20.00 करोड़ रुपये हिस्सेदारी) की स्वीकृति जारी की गई है। (संलग्नक-01)

(2) जी हां। उक्त आर.ओ.बी. के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति जारी कर निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

निविदाएं दिनांक 08.11.2023 को प्राप्त कर वित्तीय प्रस्ताव दिनांक 12.12.2023 को खोले जा चुके हैं एवं स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सप्लीमेंट्री पूछें।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा सिम्पल क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन पूछा, वो ही जवाब दिया है कि स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं, टेण्डर हो चुके हैं। तीन साल पहले स्वीकृति जारी हो चुकी है, टेण्डर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब वापस स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन बतायी जा रही है, जबकि अब तो इसका कार्यादेश देकर काम चालू होना चाहिये था। सिम्पल-सा क्वेश्चन है कि कार्यादेश देकर कब चालू करा दिया जायेगा काम?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि एम्पावर्ड बोर्ड द्वारा प्राप्त बिड दरों को उचित पाया गया तो कार्य का वर्क आर्डर लगभग एक माह में दिया जाना सम्भावित है।

श्री अध्यक्ष: और कोई?

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): सम्भावित क्या है जब सारी स्वीकृतियां हो चुकी हैं तो अब कार्यादेश देना है सिर्फ?

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): बिलकुल नियमानुसार इसका वर्क आर्डर महीने भर में दिया जायेगा।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा।

केशोरायपाटन में संचालित राजकीय महाविद्यालय

26. श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में कितने राजकीय महाविद्यालय कब से संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय खोलने के निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने के पश्चात् भी अब तक राजकीय महाविद्यालय नहीं खोले जाने के क्या कारण हैं?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उच्च शिक्षा मंत्री (डा. प्रेम चन्द बैरवा): (1) विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में वर्तमान में कोई भी राजकीय महाविद्यालय संचालित नहीं है।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

(2) संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर चरणबद्ध रूप से नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जाता है।

(3) जी हां। राज्य सरकार केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र में शीघ्र ही राजकीय महाविद्यालय खोले जाने का विचार रखती है।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र राजस्थान में ऐसा विधान सभा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा नगरपालिकाएं हैं, चार नगरपालिकाएं हैं। किसी भी विधान सभा क्षेत्र में चार नगरपालिकाएं नहीं होंगी, लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी सरकारी कालेज नहीं है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप केशोरायपाटन, कापरेन, लाखेरी और इन्द्रगढ़ में, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे प्रश्न के उत्तर में यह कहा कि केशोरायपाटन में महाविद्यालय खोला जायेगा। मेरा आपसे यह निवेदन है कि मेरे यहां अन्य जगह भी कालेज खोलने का क्या आपका प्रस्ताव है? मुझे बताने का कष्ट करें।

डा. प्रेम चन्द बैरवा (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो विचार बताया है, आपकी सरकार जब थी तो बहुत सारे कालेजेज की घोषणा की थी, लेकिन ऐसे एक विधान सभा क्षेत्र को छोड़ा है। निश्चित रूप से आपके वहां पर जल्दी ही कालेज खोलने का विचार है और कालेज खोलेंगे आपके यहां।

श्री चुन्नीलाल सी.एल. प्रेमी बैरवा (केशोरायपाटन): यह बजट के पहले हो जायेगा या बजट के बाद में होगा?

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। डा. जसवन्त सिंह यादव।

बहरोड़ में जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत कार्य

27. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत कितने कार्य स्वीकृत किये गये? उक्त में से कितने कार्य पूर्ण कर दिये गये व कितने कार्य लंबित हैं? उक्त लंबित कार्यों को कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में कई गांव उक्त योजना से वंचित रह गये हैं? यदि हां, तो उक्त को उक्त योजना में कब तक सम्मिलित कर लिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना में कई काम भ्रष्टाचार के कारण अपूर्ण हैं? यदि हां, तो सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करके उक्त कार्य कब तक पूर्ण करवाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री कन्हैयालाल): (1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के कुल 142 ग्रामों में से 138 ग्रामों को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत लाभान्वित करने हेतु 124 अन्य योजनाओं (वृहद् परियोजनाओं के अतिरिक्त) की स्वीकृतियां राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.एस.सी.) की विभिन्न बैठकों द्वारा जारी की जा चुकी हैं। इन 124 योजनाओं में से 97 योजनाओं (107 ग्राम) का कार्य प्रगतिरत है एवं 20 योजनाओं (24 ग्राम) हेतु निविदायें प्रक्रियाधीन हैं।

ग्राम माजरा की जल योजना का कार्य आदेशित संवेदक द्वारा प्रारम्भ नहीं किया गया है तथा 06 योजनाओं यथा खापरिया, उंटोली, नंगली जागीर, फतेहपुरा, बंथला एवं पोरुला की निविदाएं स्रोत निर्धारण समिति द्वारा उपयुक्त स्रोत नहीं पाए जाने के कारण आस्थगित रखी गयी हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) शेष 04 ग्रामों यथा जयसिंहपुरा, सागली, मोहम्मदपुर नांगलिया एवं खातीवास की आबादी बिखरी हुई होने के कारण, इन्हें जल जीवन मिशन के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर इन ग्रामों की पेयजल योजनाओं की जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृतियां जारी नहीं की गयी हैं।

(3) मैसर्स श्रीगणपति ट्यूबवैल कम्पनी शाहपुरा एवं मैसर्स श्री श्याम ट्यूबवैल कम्पनी जयपुर द्वारा निविदाओं में कथित रूप से भारत सरकार के उपक्रम मैसर्स इरकान इन्टरनेशनल लिमिटेड के द्वारा जारी फर्जी एवं फैब्रिकेटेड कार्य पूर्णता: प्रमाण पत्र लगाये जाने की शिकायत के क्रम में शासन उप सचिव, जन स्वा. अभि. विभाग, राजस्थान के आदेश दिनांक 24.06.2023 द्वारा जांच कमेटी गठित करते हुए जांच रिपोर्ट प्राप्त होने व उस पर सक्षम निर्णय होने तक सन्दर्भित अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर विभाग में जिन भी निविदाओं में कार्य लिया गया है, उन कार्यों पर रोक लगायी जाकर उक्त कार्यों के विरुद्ध विभाग द्वारा देय समस्त प्रकार के भुगतान को तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश जारी किये गये। जिसके क्रम में खण्ड बहरोड़ के अन्तर्गत मैसर्स श्रीगणपति ट्यूबवैल कम्पनी, शाहपुरा को आदेशित 03 कार्यों (37 ग्रामों

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

की 31 योजनाएं) एवं मैसर्स श्री श्याम ट्यूबवैल कम्पनी, जयपुर को आदेशित 01 कार्य (03 ग्रामों की 03 योजनाएं) के भुगतान एवं क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई।

शासन उप सचिव के उक्त आदेशों के विरुद्ध दोनों संवेदकों द्वारा जिला न्यायाधीश जयपुर में वाद दायर किया गया। उक्त दायर किये गये वादों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की अनुपालना में शासन उप सचिव के दिनांक 28.07.2023 को जारी आदेश द्वारा पूर्व में दिनांक 24.06.2023 को जारी आदेश में संशोधन करते हुए दोनों संवेदकों के नियमानुसार देय समस्त प्रकार के भुगतान पर लगाई गई रोक अग्रिम आदेशों तक हटाई गई।

शासन उप सचिव के आदेश दिनांक 24.06.2023 के द्वारा गठित जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर मुख्य अभियन्ता (शहरी एवं एन आर डब्ल्यू) के आदेश दिनांक 14.08.2023 के द्वारा मैसर्स श्रीगणपति ट्यूबवैल कम्पनी, शाहपुरा को तथा दिनांक 18.08.2023 के द्वारा मैसर्स श्री श्याम ट्यूबवैल कम्पनी, जयपुर को ब्लैकलिस्ट किया गया तथा विभागीय वित्त समिति की 867वीं बैठक दिनांक 18.08.2023 के द्वारा इरकॉन के फर्जी कार्य पूर्णता प्रमाण पत्रों के आधार पर उक्त दोनों संवेदकों को जारी किये गये कार्यादेशों को निरस्त करने के निर्देश जारी किये गये।

शासन उप सचिव के आदेश दिनांक 05.10.2023 के द्वारा दिनांक 28.07.2023 को जारी आदेशों को निष्प्रभावी करते हुए उक्त दोनों फर्मों के भुगतान पर रोक यथावत रखी गई। तत्पश्चात् न्यायालय में लम्बित वादों में पारित अस्थायी निषेधाज्ञा के क्रम में शासन उप सचिव के दिनांक 15.12.2023 को जारी आदेश द्वारा पूर्व में जारी आदेश दिनांक 05.10.2023 को आहरित किया गया।

विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत संवेदक मैसर्स श्रीगणपति ट्यूबवैल कम्पनी, शाहपुरा एवं मैसर्स श्री श्याम ट्यूबवैल कम्पनी, जयपुर को आदेशित जल योजनाओं के कार्यों का क्रियान्वयन दिनांक 24.06.2023 के पश्चात् रुका हुआ है। उक्त दोनों फर्मों को आदेशित कार्यों की वर्तमान स्थिति का विवरण क्रमशः परिशिष्ट-ब एवं स पर संलग्न है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.08.2023 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान द्वारा तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता श्री मायालाल

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

सैनी; सहायक अभियन्ता नीमराणा, श्री राकेश चौहान; कनिष्ठ अभियन्ता, नीमराणा प्रदीप कुमार; श्री पदमचन्द जैन संवेदक मैसर्स श्रीश्याम ट्यूबवैल कम्पनी; श्री महेश मित्तल संवेदक श्री गणपति ट्यूबवैल कम्पनी व अन्य के विरुद्ध मिलीभगत कर रिश्वत लेने व देने की प्राथमिकी दर्ज की गई। जिसके पश्चात् विभाग द्वारा उक्त तीनों अभियन्ताओं को निलम्बित किया गया है। वर्तमान में प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के स्तर पर जांच प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मंत्री महोदय, जवाब आपका आ गया है। जल जीवन मिशन योजना में इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि पिछली सरकार में ई डी तक को आना पड़ा। जो पाइप लाइन बिछायी गयी, उसके अन्दर कटिंग भी हुई है तो उसमें क्या उसको वापस ठीक करने की ठेकेदार की जिम्मेदारी है या पंचायत की जिम्मदारी है? अगर ठेकेदार की जिम्मेदारी है और उनके सबके पेमेन्ट हो गये तो यह भ्रष्टाचार में आता है या नहीं आता है और ईडी तक को आना पड़ा तो क्या आप व्यापक रूप से इसमें भ्रष्टाचार की जांच करायेंगे?

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वास्तव में पिछली सरकार में जल जीवन मिशन में जितना घोटाला हुआ, शायद आजादी के बाद कभी नहीं हुआ होगा। पिछले 20 दिन से इसकी समीक्षा कर रहे हैं। 2019 में हर घर में पानी के लिये जल जीवन मिशन एक बहुत महत्वपूर्ण योजना देश के प्रधान मंत्री मोदी जी ने चालू की थी। इसका जिस तरह से इन्होंने दुरुपयोग किया, लूटा तो लूटा, आज हम भारत में 33वें स्थान पर हैं। (व्यवधान) चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, सुनो, आपके पाप सुनो ....(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लोग पुण्य करने के लिये पैसे लगा कर प्याऊ लगाते हैं, इन्होंने इतना बड़ा पाप किया, जनता के पैसे को इतना लूटा है कि जिस जगह हम जाते हैं, उस जगह पर न तो कहीं पाइप लाइन, कहीं एक फीट पर पड़ी है, कहीं पर उसमें पानी कहां से आयेगा, क्या योजना है, कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ यह देखा कौनसे डिवीजन में कितना बजट मिलेगा, उस बजट में से महीनों चैक काटे और फिर दूसरे में चले जाते थे। जब बैन लग जाता था तो ए पी ओ का सिस्टम चालू कर दिया। इसको ए पी ओ करके उसमें लगा दो, सिर्फ लूटने का

(श्री कन्हैयालाल)

काम किया। इन्होंने राज्य सरकार का राज्यांश कौनसी योजना में दिया? केन्द्र सरकार का पूरा का पूरा बजट कर लिया। इससे भी बड़ा काम इन्होंने केवल वाहवाही लूटने के लिये किया। मार्च, 2019 में इन्होंने कहा कि हम 10 परसेंट हिस्सा नहीं लेंगे। आज ढाई हजार करोड़ रुपये का वह बजट इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। कैसे, कहां से व्यवस्था होगी? मैं तो इतना कहना चाहता हूं ....(व्यवधान) सुनो, सुनो ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिए, बैठिए। प्रश्न का उत्तर आ रहा है। आपके लीडर आफ अपोजिशन बैठे हैं। आप बैठिए, बैठिए।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): पाप किया है तो सुनने की क्षमता रखो। (व्यवधान) पानी पिलाने की इतनी महत्वपूर्ण योजना ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए, बैठिए। प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप बैठिए ....(व्यवधान) मुझे पता है क्या है। प्रश्न का उत्तर आ गया।

श्री किरोड़ी लाल (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने फर्जी कंपनियों को टेंडर दे दिये ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उत्तर सुनिए।

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): हमारे सैक्रेटरी द्वारा टास्क फोर्स गठित कर इन चोरों को, जिन्होंने चोरी की है, ई डी भी आयेगी, ए सी बी भी आयेगी और मौका पड़ेगा तो सी बी आई में इनको जेल में डालेंगे और जिन ठेकेदारों ने घोटाला किया, उनको ब्लैकलिस्ट करके उनसे रिकवरी करेंगे। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि इसको सुधार कर रखेंगे।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट प्रश्न। श्री कान्ति प्रसाद।

थानागाजी क्षेत्र के बांधों को ई आर सी पी में सम्मिलित करने की कार्ययोजना

28. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के कौन-कौन से बांधों को ई आर सी पी में सम्मिलित किया गया है? क्या सरकार उक्त परियोजना में शेष रहे बांधों को भी सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: केवल प्रश्नकर्ता और मंत्री जी, किसी तीसरे को अनुमति नहीं है। ....(व्यवधान) व्यवस्था है, अनुमति नहीं है, अनुमति नहीं है। नहीं बोलने देंगे, नहीं बोलने दूंगा, नहीं बोलोगे ....(व्यवधान) बैठिए ....(व्यवधान) जाना हो तो जाइए, जाना हो तो जाइए, क्वेश्चन आवर में बोलने नहीं दूंगा ....(व्यवधान)

सदन कूप में

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

मंत्री जी, आप उत्तर दीजिए। (व्यवधान) आप बोलते रहिए। (व्यवधान) उनकी बात सुननी पड़ेगी, आपकी भी सुनेंगे। (व्यवधान) बैठिए, बैठिए ....(व्यवधान) श्री कान्ति प्रसाद ....(व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): यह पाप तो भुगतना पड़ेगा ....(व्यवधान) चोरी और सीनाजोरी नहीं चलेगी। (व्यवधान)

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): ....(व्यवधान) आप चोरों की पैरवी कर रहे हो, चोरों की पैरवी कर रहे हो ....(व्यवधान) चोरों को बचाने का प्रयास कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिये। (व्यवधान) चोरों को बचाने का प्रयास कर रहे हो। आपने गरीबों को लूट लिया ....(व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): ....(व्यवधान) चोरी और सीनाजोरी नहीं चलेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अपनी-अपनी सीटों पर जाइए। (व्यवधान) माननीय विपक्ष के नेता, इनको सीटों पर जाने के लिये कहिए। प्रश्न काल चलने दीजिए .... (व्यवधान) आपका रोल ही नहीं है। (व्यवधान) अपनी सीटों पर जाइए। प्रश्न काल में नहीं। आप राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलना ....(व्यवधान) आप नीचे उतरिए, आप नीचे उतरो। वहीं से कहिए, मैं सुन रहा हूं। (व्यवधान) सदन में रहना है तो यह करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा ....(व्यवधान) बात नियमों से होगी, यह नियम में नहीं है। प्रश्न काल में उत्तर आ गया ....(व्यवधान) अगला प्रश्न। श्री कान्ति प्रसाद। मंत्री जी, सुरेश रावत।

(कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

जल संसाधन मंत्री (श्री सुरेश सिंह रावत): पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की रिपोर्ट के अनुसार परियोजना के अन्तर्गत निर्मित की जाने वाली फीडर कैनाल से नजदीक के पूर्व निर्मित 26 बांधों में जल अपवर्तन किया जाना प्रस्तावित है, जिनमें थानागाजी विधान सभा क्षेत्र में स्थित कोई बांध सम्मिलित नहीं है।

(जल संसाधन मंत्री)

ई.आर.सी.पी.की.डी.पी.आर. में सम्मिलित 26 बांधों के अतिरिक्त दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, अलवर, भरतपुर एवं अन्य जिलों के कुछ बांधों में भी जल भरे जाने हेतु डी.पी.आर. तैयार करायी जा रही है। जल उपलब्धता, तकनीकी एवं वित्तीय उपादेय होने पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हरीश चन्द्र मीना।

मालपुरा, कुचामन व सुजानगढ़ को जिला बनाने की अधिसूचना

29. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दिनांक 6 अक्टूबर, 2023 को प्रदेश में तीन नये जिले मालपुरा, कुचामन और सुजानगढ़ बनाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो क्या उक्त जिलों की अब तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त जिलों की अधिसूचना जारी कर उक्त का सीमांकन करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हेमन्त मीणा): (1) तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 06.10.2023 को मालपुरा, सुजानगढ़ व कुचामनसिटी को नवीन जिला बनाने की घोषणा की गयी। इस सम्बन्ध में मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक 250/2023 दिनांक 07.10.2023 के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई तथा इन जिलों का क्षेत्राधिकार निर्धारण कर राज्य सरकार को अनुशंसा प्रदान करने हेतु उच्च स्तरीय समिति (जिला गठन) को निर्देशित किया गया। मंत्रिमण्डल आज्ञा की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

इस सम्बन्ध में उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा प्राप्त नहीं होने से राजस्व विभाग द्वारा घोषित जिलों के संबंध में अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

(2) उक्त घोषित जिलों के गठन एवं सीमांकन करने अथवा नहीं, के सम्बन्ध में उच्च स्तर पर विचार-विमर्श किये जाने के उपरांत ही निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।

प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र दिनांक 17.12.2023 में प्रदत्त

(राजस्व मंत्री)

निर्देशों के अनुसरण में राजस्व विभाग के आदेश क्रमांक प. 9(18)राज-1/2022 दिनांक 18.12.2023 द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति (जिला गठन) को समाप्त किया जा चुका है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं।)

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): अध्यक्ष जी, मेरा सवाल है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि उक्त घोषित जिलों का गठन एवं सीमांकन करने अथवा नहीं करने के बारे में उच्च स्तर पर विचार-विमर्श के बाद निर्णय किया जायेगा। मेरा सरकार से अनुरोध है कि आप इन पर विचार करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में देवली है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि देवली को भी जिला बनाने पर विचार करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: ....(व्यवधान) आपके नेता बोलेंगे, विपक्ष के नेता बोलेंगे ....(व्यवधान) माननीय मंत्री जी।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): मंत्री जी जवाब दें, देवली को जिला बनायेंगे या नहीं बनायेंगे?

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): जो उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी, उसको भंग कर दिया गया है। नये जिलों के सम्बन्ध में अभी तक कोई विचार नहीं है।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): जब आप दुबारा विचार करें तो देवली को भी कृपया उसमें शामिल करें, उस पर भी विचार करें, मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री हेमन्त मीणा (राजस्व मंत्री): अभी इस सम्बन्ध में विचार करना बाकी है।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रश्न संख्या 30

श्री अध्यक्ष: श्री प्रताप सिंह सिंघवी, आपका प्रश्न है। प्रताप सिंह सिंघवी।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए। कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या 31

अगला प्रश्न। श्री रामनिवास गावड़िया

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

(श्री अध्यक्ष)

अगला प्रश्न। श्री रोहित बोहरा।

ई-बिल पोर्टल का संचालन

32. श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ई-वे बिल पोर्टल अप्रैल, 2018 में चालू किया गया था व उक्त पर विक्रेता व क्रेता दोनों ही पोर्टल पर बिल निकाल सकते थे? क्या अब उक्त प्रक्रिया को बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

प्रश्न संख्या 33

श्री अध्यक्ष: श्री डूंगरराम गेदर।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

प्रश्न काल समाप्त। माननीय सदस्य बैठिये।

(शेष तारांकित व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें।)

(समय: 12.00 बजे)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

मोहम्मद जहूर श्री, पूर्व सदस्य

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री मोहम्मद जहूर के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व विधायक श्री मोहम्मद जहूर का जन्म 6 मई, 1945 को भरतपुर जिले के विलग ग्राम में हुआ। आपने स्नातक पूर्व तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री मोहम्मद जहूर छठी राजस्थान विधान सभा में कामां निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप सामान्य प्रयोजनों सम्बन्धी समिति के सदस्य रहे। विधान सभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिये सदैव प्रयत्नशील रहे।

सामाजिक कार्यों में रूचि रखने वाले श्री जहूर ने शराबबन्दी सहित समाज में व्याप्त कुप्रथाओं के उन्मूलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये भी कार्य किया।

(श्री अध्यक्ष)

श्री मोहम्मद जहूर का दिनांक 26 सितम्बर, 2023 को निधन हो गया।

मैं अपनी तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनंतर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों की सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

(1) श्री गणेश घोगरा, सदस्य की ओर से प्रदेश में राजीव गांधी युवा मित्र योजनान्तर्गत रोजगार प्राप्त शिक्षित युवाओं की सेवाएं समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से जिला डूंगरपुर में अवैध खनन की कार्यवाही में स्थानीय अधिकारियों द्वारा भेदभावपूर्ण तरीके से की जा रही कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से बीसलपुर बांध में डिसिल्टिंग की आड़ में बजरी माफियाओं द्वारा अवैध बजरी खनन करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री रोहित बोहरा एवं 4 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री जुबेर खान एवं एक अन्य सदस्य की ओर से उदयपुर एवं भीलवाड़ा में नाबालिग बच्चियों से हुए दुष्कर्म से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री मनीष यादव, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात अवरुद्ध होने से आम जनता को हो रही परेशानी के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(7) डा. ऋतु बनावत, सदस्य की ओर से प्रदेश में अघोषित विद्युत कटौती एवं असमय आपूर्ति से कृषकों तथा विद्यार्थियों को हो रही असुविधा के संबंध में।

(8) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में गहराते बिजली संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री टीकाराम जूली, सदस्य की ओर से सरकार द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम के स्थान पर पुनः एन.पी.एस. लागू करने से कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार, श्री जुबेर खान, डा. ऋतु बनावत एवं श्री टीकाराम जूली को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री प्रताप सिंह सिंघवी, सदस्य की ओर से प्रदेश में मिड-डे मील एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में न्यूट्रीशियन फूड की टेंडर प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं की जांच करवाकर कार्यवाही करने के संबंध में।

(2) श्री अजय सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डेगाना में नागौर लिफ्ट परियोजना के अंतर्गत निर्मित उच्च जलाशयों से गांवों तक डाली गई गुणवत्ताहीन पाइप लाइनों के संबंध में।

(3) श्री छगनसिंह राजपुरोहित, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर के किसानों की फसलों को बिपरजॉय चक्रवात के कारण हुए नुकसान से उत्पन्न स्थिति की संबंध में।

(4) श्री हाकम अली खां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर की पुरानी हवेलियों को बिना प्रशासन की अनुमति के ध्वस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री संजय कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बसेडी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत लंबित कार्यों को पूर्ण किये जाने के संबंध में।

(6) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से ICT योजना के अन्तर्गत सरकारी विद्यालयों में लगे कम्प्यूटर अनुदेशकों को नियमित करने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री ललित मीना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगंज शाहबाद में पानी की विकट समस्या का समाधान किये जाने के संबंध में।

(8) श्री कालूराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डग की क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण आम जनता को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री मुरारी लाल मीणा, सदस्य की ओर से खान एवं पेट्रोलियम विभाग के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण से संबंधित पत्र की आड़ में विभागीय अधिकारियों द्वारा छोटे कामगारों को परेशान करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री पूसाराम गोदारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में स्थित रणधीसर पहाड़ी पर खनिज विभाग द्वारा 42 लीजों को बिना नोटिस दिये बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(11) श्री ललित यादव, सदस्य की ओर से नीमराणा, घिलोट एवं शाहजहांपुर में स्थापित उद्योगों में स्थानीय निवासियों को रोजगार नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री रमेश खींची, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कठूमर में पोषाहार वितरण में हो रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(13) श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के पूर्व में स्वीकृत कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(14) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के पटवार मण्डल डाल के राजस्व ग्राम डुंगावतफला की तरमीम राजस्व रिकार्ड में वापिस किये जाने के संबंध में।

(15) श्री रविन्द्र सिंह भाटी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र शिव में सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति नहीं होने से आम जनता को हो रही परेशानी के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री मनोज कुमार।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

बीसलपुर बांध में डिसिल्टिंग की आड़ में बजरी माफियाओं द्वारा अवैध बजरी खनन

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद, आपने मुझे स्थगन पर बोलने का समय दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो विषय है, वह बड़ा ही गंभीर विषय है। जल संसाधन विभाग द्वारा ई.आर.सी.पी. के अन्तर्गत बीसलपुर बांध में डिसिल्टिंग की आड़ में अवैध बजरी खनन घोटाले के सम्बन्ध में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जिसको बाहर जाना है, जायें, आपस में बात नहीं करें। अपने स्थान पर बैठकर बात करें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बीसलपुर बांध जयपुर, अजमेर, टोंक, केकड़ी जिलों के नागरिकों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है। पिछली सरकार और इस भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही ई.आर.सी.पी. के लिए चिंतित हैं। इस ई.आर.सी.पी. के माध्यम से बीसलपुर बांध में डिसिल्टिंग का नाम देकर एक बहुत बड़ी फर्म को इन्होंने बजरी खनन करने का परमिट दिया। जिस परमिट का नाम दिया गया, गाद। गाद के नाम से इन्होंने 20 वर्ष तक ई.आर.सी.पी. में उस गाद निकालने की अनुमति दे दी और जिसकी सरकार ने रेट 130 रुपये रखी। 130 रुपये रखकर इस राजस्थान में इस तरह से बड़ा कोई घोटाला नहीं हो सकता, जिसकी बजरी की रेट आज के दिन 700 रुपये से अधिक है और उस समय 130 पर इनको आबंटित करके इस राजस्थान की सरकार में 3,270 अरब रुपये का घोटाला करने का काम किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां तक भी यह सीमित नहीं है। एक फर्म है एन.जी. गढ़िया, उनको इन्होंने ठेके पर देकर, अगर 20 वर्ष तक की हम गणना करें तो 221 अरब रुपये, प्रतिदिन के हिसाब से, अगर 20 वर्ष की गणना करें तो इन्होंने कमाई का साधन बनाया है।

इसके साथ ही साथ इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया। नियम 52 (4) के परमिट होल्डर में सम्पूर्ण रायल्टी परमिट फीस अग्रिम रूप में विभाग को जमा कराना था, लेकिन जिस अनुसार एन.जी. गढ़िया फर्म को इन्होंने 15 करोड़ 33 लाख 40 हजार टन की अग्रिम रायल्टी परमिट फीस जो 800 करोड़ रुपये बनती है, जो जमा करानी थी, लेकिन इन्होंने वह बिना जमा कराये

(श्री मनोज कुमार)

इनको अनुमति दे दी। इन्होंने साथ ही साथ एन.जी. गढ़िया फर्म को, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट आदेश किया गया कि इनको किसी भी सूरत में बीसलपुर बांध की डिसिल्टिंग, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की अनुमति के अलावा पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए, उनको आप अनुमति देंगे, लेकिन इस सरकार ने, इस सरकार के नेताओं ने, बड़े-बड़े अधिकारियों ने और वर्तमान सरकार के भी लोग उसमें कहीं न कहीं शामिल हैं। इसमें 3,270 अरब रुपये का घोटाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि इतने बड़े राजस्व घाटे को, अगर सरकार को घोटाले में शामिल किया गया है, ऐसी शर्तें लगायी गयीं कि सिर्फ जिस कंपनी को यह देना चाहते थे, उसी कंपनी को दिया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्तमान सरकार, जो ईमानदारी की बात कर रही है, ये पिछली सरकार का घोटाला है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) यह 2022 का घोटाला है। एक मिनट, अध्यक्ष जी। 21/11/2022 को इन्होंने ऐसा कार्य किया है। ये सरकार बने हुए दूसरा महीना चल रहा है। माननीय मंत्री महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि इतने बड़े घोटाले की आप जांच कराकर क्या इस राजस्थान प्रदेश के घोटाले को आप उजागर करना चाहेंगे? इनकी निविदा को निरस्त करना चाहेंगे और इनके खिलाफ कोई कार्यवाही करना चाहेंगे? (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) ऐसा मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री जुबेर खान।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): इनकी रिकवरी की जाए। बेईमान, चोर, भ्रष्ट लोग जिस तरीके से शामिल हुए हैं, उनका पर्दाफाश किया जाए।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। विषय आ गया है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका विषय आ गया है। विराजिए। श्री जुबेर खान जी।

उदयपुर एवं भीलवाड़ा में नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति

(श्री जुबेर खान)

से मैं आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि कल महामहिम गवर्नर साहब के अभिभाषण पर बहुत बात की गयी महिला सशक्तीकरण की, महिलाओं के सम्मान की, मोदी जी के महिला सशक्तीकरण की। अगर आप गत दो महीने से राजस्थान में देखें, जब से यह भाजपा की नयी सरकार भजनलाल जी की आयी है, कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा कि अख़बार में दो-चार जगह, हाल ही में अभी उदयपुर में 10 साल की बच्ची का रेप करने के बाद टुकड़े करके फेंक दिए जाते हैं। भीलवाड़ा में मासूम बच्चियों को भट्टी में झोंक दिया जाता है। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा कि राजस्थान में कहीं न कहीं महिलाओं पर, बालिकाओं पर अत्याचार नहीं हो रहे हों। ये सरकार जो राम राज्य की स्थापना की बात कर रही है, क्या यही राम राज्य है? यही दुर्गा माता का देश है? क्या ये काली माता का देश है?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): जुबेर खान जी, आपके राज में क्या हो रहा था?

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आप बैठ जाइए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): महामहिम राष्ट्रपति भी हमारी महिला हैं और आज यहां महिला सुरक्षित नहीं है। हमारे राज में क्या हुआ, ये भूल जाइए। आपके राज में क्या हो रहा है, ये काम करिए वरना आप भी जल्दी इधर आकर बैठ जाएंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार के मंत्री यहां बैठे हैं, उप मुख्य मंत्री यहां बैठे हैं। यह इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि राजस्थान में बेटियां आज सुरक्षित नहीं हैं। ये कैसे राम राज्य की स्थापना हो रही है। सरकार इसके ऊपर ध्यान दे और बलात्कारियों पर, अन्याय करने वालों पर कठोर कदम उठाकर सज़ा देने का सरकार काम करे।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। डा. ऋतु बनावत।

अघोषित विद्युत कटौती एवं असमय आपूर्ति से कृषकों तथा विद्यार्थियों को असुविधा

डा. ऋतु बनावत (बयाना): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

"मत मारो गोलियों से मुझे, मैं पहले से दुःखी इंसान हूं,

मेरी मौत की वजह यही है कि मैं पेशे से एक किसान हूं।'

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का एक गंभीर विषय पर ध्यान

(डा. ऋतु बनावत)

आकर्षित करना चाहूंगी कि आज राजस्थान में और खासकर पूर्वी राजस्थान में रात को सर्दी कंपकंपा देने वाली है। इस समय पूरे राजस्थान में किसानों को बिजली दिन में मिलने की बात सरकार ने प्राथमिकता से कही, लेकिन हमारा अन्नदाता रात को सर्दी में फसल की सिंचाई कर रहा है। सिंचाई करने के साथ-साथ वह आवारा पशु से भी अपनी फसल की रक्षा करने के लिए खड़ा है। मैंने खुद जाकर देखा है कि रात में ऐसी कंपकंपा देने वाली सर्दी में किसान की क्या हालत होती है। सरकार की प्राथमिकता थी कि किसानों को दिन में बिजली दी जाएगी, लेकिन सरकारी आदेश के उपरांत भी वर्तमान में किसानों को दिन में बिजली नहीं मिल रही है। मैं आपको बताऊं कि रात को मैंने खुद जाकर देखा कि 11.30 बजे किसान की स्थिति क्या होती है। मैं तीन दिन तक सो नहीं पायी कि किसान कितनी मजबूरी में रात को खड़ा है, बिजली की वैट कर रहा है। अगर किसान को बिजली मिलती है तो दो घंटे मिलती है, तीन घंटे मिलती है और उसमें भी ट्रिपिंग की बहुत ज्यादा समस्या आती है। मोटर फुंक रही है, वोल्टेज नहीं मिल रहे।

मैं ऊर्जा मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि किसान जब खून के आंसू रो रहा है तो हम सभी को मिलकर उनके खून के आंसू पोंछने चाहिए। इधर बैठे हुए लोग, उनकी सरकार ने जो कुछ किया, (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) अब जनता आपकी तरफ टकटकी लगाए बैठी है। भजन लाल जी, आदरणीय मुख्य मंत्री जी की तरफ टकटकी लगाए बैठी है कि इस समस्या का समाधान करें।

श्री अध्यक्ष: श्री टीकाराम जूली। आप बैठिए, आपका विषय आ गया है।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगी कि थ्री फेज बिजली तो दूर की बात है जो किसानों को मिल ही नहीं रही। साथ ही सिंगल फेज बिजली, जो अभी आप देख रहे हैं कि बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली हैं, विद्यार्थियों के जीवन मरण का प्रश्न है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) उनको आगे बढ़ना है और भविष्य में कुछ करना है। उनको बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारियों के लिए अभी बिजली नहीं मिल पा रही है। रात को बिजली दस बजे के बाद आती है, जब विद्यार्थी पढ़ने की स्थिति में नहीं होता है। बिजली की इतनी समस्या है, मैं निदान के लिए ऊर्जा मंत्री जी से आग्रह करूंगी। ऊर्जा मंत्री जी अभी हाउस में ही नहीं हैं। मैं यह कहना चाहूंगी, समस्त सरकार से कहना चाहूंगी..

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। श्री टीकाराम जूली।

डा. ऋतु बनावत (बयाना): स्थगन प्रस्ताव ऊर्जा मंत्री जी के लिए लाया गया था। मैं यह कहना चाहूंगी, समस्त सरकार से यह अपील है कि किसानों के दर्द को समझे और किसानों को दिन में बिजली दी जाए।

श्री अध्यक्ष: बैठिए, माननीय सदस्या।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): साहब, मंत्रियों को हाउस में रहना चाहिए, सुनना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: हाउस चल रहा है। मैं सुन रहा हूं।

ओल्ड पेंशन स्कीम के स्थान पर पुन: एन.पी.एस. लागू करने से कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह परिपाटी नहीं रही। कम से कम शून्य काल में तो सारे मंत्री यहां उपस्थित रहें। जिस विषय को माननीय सदस्य उठाते हैं तो कम से कम उसका मंत्री तो यहां रहना चाहिए।

मैं एक विशेष विषय पर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि जब 22 तारीख को एक तरफ बी.जे.पी. सब जगह भगवान राम का नाम ले रही थी और उसी दिन प्रदेश के कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम का एक कृषि विभाग का आर्डर निकलता है जिसके अन्दर यह कहा जाता है कि इस विभाग से जो रसायन अधिकारी चयनित हुए हैं, जिनकी नियुक्ति हुई है, उनको नयी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन दी जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो ऐसा नजर आता है कि जैसे मुंह में राम और बगल में छुरी। आप लोगों के द्वारा जो पूरे प्रदेश में चल रहा है कि दिल्ली से पर्ची आएगी, तो ये पर्ची प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात करने की आ चुकी है। बड़ा दुःख का विषय है कि सदन चल रहा है और इस प्रकार के निर्णय, बिना सदन में रखे हुए यह सरकार ले रही है। यह सरासर इस विधान सभा का अपमान है। यहां जो सदन के माननीय सदस्य हैं, इनके विशेषाधिकारों का हनन है। इस प्रकार से आप कोई भी नई स्कीम लागू नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष: अपनी जगह से बोलेंगे।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): लेकिन बड़ी विडम्बना है ऐसे आर्डर भी निकल जाते हैं और उसके बाद आर्डर वापस भी कर लिए जाते हैं,

(श्री टीकाराम जूली)

बड़ी असमंजस की सी स्थिति है। पर्ची सरकार तो सुनी थी, अब यह ढीली सरकार भी आ रही है अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं एक मिनट और बोलना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट बोल लीजिए।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मैं चाहता हूं कि हमारी गहलोत सरकार के द्वारा जो ओ.पी.एस. लागू की, जिसका पूरे प्रदेश में समर्थन हुआ और देश के अन्दर कर्नाटक, हिमाचल में हमारी सरकार बनी, वहां पर ओ.पी.एस. लागू की गई। आज पूरे प्रदेश के कर्मचारी यह जानना चाहते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। ओ.पी.एस. लागू करेंगे या एन.पी.एस. लागू करेंगे इस चीज को यह क्लियर बताएं। कर्मचारियों को यह भय है कि यह सरकार, टाइपिंग तो कर रखी है, एक आर्डर टाइप होकर आ भी चुका है, यह सरकार इस प्लान के तहत है कि जैसे ही लोक सभा का चुनाव निकले और यह एन.पी.एस. जारी करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर अपना रूख स्पष्ट करे कि एन.पी.एस. लागू करेंगे या ओ.पी.एस. रखेंगे।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज़ पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्रीमती दिया कुमारी। (व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष जी, यह क्या हो रहा है? अब तो अति हो गई। दो दिन से असमंजस की स्थिति है।

श्री अध्यक्ष: बैठिए, इससे पहले 295 है।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से.....

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदया, एक मिनट बैठिए। पहले 295 है। श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी का ध्यान चाहूंगा। माननीया उप मुख्य मंत्री जी, माननीया उप मुख्य मंत्री जी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप पढ़िए। मुझे सम्बोधित करके बोलिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): उनसे मतलब...

श्री अध्यक्ष: आप तो बोलिए। आप बोलना शुरू करिए।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

मिड-डे मील एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में न्यूट्रीशियन फूड की टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम-295 के अंतर्गत निवेदन है कि प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र में मिड-डे मील योजनान्तर्गत प्रोसेस्ड फूड (न्यूट्रीशियन फूड) उपलब्ध कराये जाने के लिए....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, संदीप जी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): कॉनफैड द्वारा आईडी क्रमांक 2022 आरएससीओसी 264277-1 के माध्यम से टेंडर जारी किया गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठकर बात करिए। बैठकर बात करिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): निविदा पांच वर्षों के लिए जारी की गई है तथा जिसका अनुबंध भी पांच वर्षों के लिए किया गया है, अर्थात् निविदा की लागत 5,000 करोड़ होती है। साथ ही इस अनुबंध को आर.टी.पी.पी. (राजस्थान ट्रांसपेरेन्सी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट) के नियमानुसार 50 प्रतिशत की वृद्धि आपसी सहमति से की जा सकती है। इस हिसाब से इस टेंडर की वैल्यू 7,500 करोड़ रुपये बनती है जिसके हिसाब से ही बिड सिक्योरिटी राशि 05 प्रतिशत अर्थात् 375 करोड़ ली जानी चाहिए थी जबकि 05 करोड़ रुपये ही बिड सिक्योरिटी राशि ली गई है। संवेदक को बिड सिक्योरिटी राशि में फायदा पंहुचाया गया है। आरटी.पी.पी. (राजस्थान ट्रांसपेरेन्सी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट) एक्ट की धारा 29 एवं आर.टी.पी.पी. नियम 15 के तहत खुली बोली आमंत्रित की गई, जिसमें मात्र 09 दिवस का समय संवेदकों को दिया गया, जबकि नियमानुसार कम से कम 20 दिवस का समय दिया जाना अपेक्षित था। यदि 20 दिवस से पूर्व ही निविदा जारी करनी आवश्यक थी तो इस निविदा को अल्पकालीन निविदा जारी की जानी चाहिए थी, जो कॉनफैड द्वारा नहीं करके नियमों की अवहेलना की गई है। रुपये 7,500 करोड़ की इतनी बड़ी निविदा में प्री-बिड का कोई प्रावधान नहीं किया गया है जबकि नियमानुसार प्री-बिड का प्रावधान किया जाकर संवेदकों को अपनी बात कहने का मौका दिया जाना चाहिए था। निविदा में मार्किंग

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

क्राइटेरिया के तहत टर्न ओवर को 80 प्रतिशत नम्बर दिए गए तथा अनुभव को मात्र 10 प्रतिशत नम्बर दिए गए हैं, जबकि अनुभव को अधिक वरीयता दी जानी चाहिए थी जिससे फ़र्म के साथ विभाग के सांठ-गांठ की पुष्टि होती है। विभाग द्वारा पोषाहार संबंधी कार्य कॉनफैड को दिया गया है जिसके बदले में कॉनफैड द्वारा करोड़ रुपये का कमीशन लेकर टेंडर संबंधी कार्य किया गया है जिससे सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगाया गया है और सांई ट्रेडिंग कंपनी को टेण्डर गलत तरीके से मिलीभगत करके दिया गया है। यह कार्य बिना कमीशन दिए विभाग के अधीन निदेशालय, समेकित बाल विकास के माध्यम से भी किया जा सकता था, किन्तु ऐसा किया जाता तो इनके भ्रष्टाचार के मंसूबे पूरे नहीं होते।

निवेदन है कि प्रदेश में मिड-डे मील एवं महिला बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रोसेस्ड फूड (न्यूट्रीशियन फूड) उपलब्ध कराने के लिए टेंडर प्रक्रिया में हुई अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की जांच एसी.बी. या एस.ओ.जी. से कराने का श्रम करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री अजय सिंह।

डेगाना में लिफ्ट परियोजना के अंतर्गत निर्मित उच्च जलाशयों से गांवों तक गुणवत्ताहीन पाइप लाइन

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम-295 के अंतर्गत निवेदन है कि डेगाना विधान सभा क्षेत्र में भारत सरकार एवं जायका (जापान इन्टरनेशनल एजेन्सी) द्वारा वित्त पोषित नागौर लिफ्ट परियोजना फेज-द्वितीय में पैकेज संख्या CDS04 अन्तर्गत मैसर्स लार्सन एण्ड टुब्रो, चैन्नई को कार्यादेश दिनांक 27.10.2017 राशि रुपये 250.90 करोड़ का जारी किया गया, जिसके अन्तर्गत डेगाना विधान सभा क्षेत्र के 112 गांवों में मुख्य पाइप लाइन तथा वितरण पाइप लाइन, 7 पम्प हाउस एवं 48 उच्च जलाशयों का निर्माण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव इत्यादि का कार्य भी शामिल किया गया। इस कार्य में पिछली सरकार के समय में उच्च जलाशयों से गाँवों में घरों तक पेयजल आपूर्ति के लिए पाइप लाइनें बिछाई गईं। पाइप लाइनें बिछाने में कई गाँवों में घटिया व गुणवत्ताहीन पाइप काम में लिए गए तथा प्रत्येक गांव में पाइप लाइनें निर्धारित मापदण्ड से नहीं बिछाई गईं। पाइप लाइनें स्थानीय अनुभवहीन व्यक्तियों को ठेका देकर बिछाई गईं। पाइप लाइने गलत तरीके से बिछाने के

(श्री अजय सिंह)

कारण आज तक गांवों में प्रत्येक घर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है तथा पाइप लाइनें बिछाने के उपरान्त तोड़ी हुई सड़कों की मरम्मत आज तक नहीं की गई। प्रत्येक गांव में पाइप लाइनों व बिछाने के तरीके की सम्पूर्ण तकनीकी जांच उच्च स्तरीय विभागीय अधिकारियों द्वारा जनहित में करवाई जानी आवश्यक है तथा इस योजना से जुड़े सभी गांवों में प्रत्येक घर तक पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए सही तकनीकी तरीके से पाइप लाइनें बिछवाकर प्रत्येक घर तक निर्बाध जलापूर्ति के लिए उचित कार्यवाही करने का श्रम करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री छगनसिंह राजपुरोहित।

आहोर के किसानों की फ़सलों को बिपरजॉय चक्रवात के कारण नुकसान

श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम-295 के अंतर्गत निवेदन है कि आहोर के गुढाइन्द्रपुरा, भूती, कवला, कवरड़ा, चवरडा, वलदरा, भवरानी, बाला, नोसरा, आहोर, हरजी आलावा सी, रायथल, आईपुरा, बावड़ी, काम्बा, शंखवाली, भागली पुरोहितान, भैंसवाडा, सांकरणा, थांवला, गुडाबालोतान, उम्मेदपुर, सैदरिया बालोतान, बेदाना कलां, सुगालिया बालोतान आदि गांवों के अलावा भी आहोर विधान सभा क्षेत्र के कई गांवों में मकानों का नुकसान हुआ है एवं सैकड़ों मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए। कई किसानों की खड़ी फ़सलों में पानी बह जाने से पूरा का पूरा खेत नष्ट हो गया। कई कुएं पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। सड़कों की बदहाल स्थिति हो गयी। आज भी कई गांवों की सड़कें टूटी पड़ी हैं। निम्नांकित पुलियाएं क्षतिग्रस्त हो गयी हैं:-

1. भैंसवाड़ा गांव में जाने की पुलिया
2. आहोर-जालौर मुख्य मार्ग पर भैंसवाडा पर पुलिया
3. हरजी पचानया पुलिया
4. भवरानी रायथल मार्ग पर पुलिया
5. हरजी जवाई नदी पर पुल
6. सांडण मार्ग पर पुल
7. चांदना मार्ग पर पुल
8. भूती-रोडल सड़क मार्ग

(श्री छगनसिंह राजपुरोहित)

9. कवला पेणावा पर रपट

10. पादरली के दोनों तरफ पुलिया मार्ग

आदि कई गांवों की पुलिया एवं सड़कें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी हैं जिनसे ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी होती है। बिपरजॉय चक्रवात से किसानों को भी काफी नुकसान हुआ है। जालौर में अत्यधिक बारिश से विधान सभा क्षेत्र आहोर के किसानों की खड़ी फ़सलें पूरी तरह से नष्ट हो गई थीं। कई किसानों ने फ़सलें काट भी ली थीं, लेकिन बारिश से वह फसल भी खराब हो गई थी। कई किसानों ने ऋण लेकर फसल बोई थी, लेकिन इस बारिश की वजह से उनकी मेहनत पर पानी फिर गया था। इससे पूर्व में आये बिपरजॉय चक्रवातीय बारिश व उसके बाद हुई बारिश से ज्यादातर फ़सलें खराब हो गई थीं। जो बची थीं वो पुनः हुई बारिश ने खराब कर दी। इससे आहोर के किसानों की 2023 की ख़रीफ़ की फसल तो बिलकुल हुई ही नहीं है।

अतः मकानों, खेत, कुओं एवं किसानों की खराब हुई फसल का मुआवजा पीड़ित व्यक्तियों को दिया जाए, ताकि उनको राहत मिल सके। साथ ही उक्त गांवों में टूटी पुलिया एवं सड़कों को वापस मरम्मत कराया जाए, ताकि लोगों को आवागमन में असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री हाकम अली खां।

फतेहपुर की पुरानी हवेलियों का बिना अनुमति ध्वस्तीकरण

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रकिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत चर्चा के संबंध में निवेदन है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में पुरानी हवेलियों को अवैध रूप से बिना प्रशासन की अनुमति लिए ब्लास्ट कर ध्वस्त किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, कस्बा फतेहपुर एवं रामगढ़ अपनी पुरानी हवेलियों के लिए जाना जाता है। इन हवेलियों को देखने हेतु देश-प्रदेश के साथ-साथ विदेशी पर्यटक भी भारी संख्या में फतेहपुर आते हैं। इन प्राचीन हवेलियों का संरक्षण अति आवश्यक है।

मैं सरकार का ध्यान हाल ही में हुई घटना की ओर आकर्षित करना

(श्री हाकम अली खां)

चाहूंगा। दिनांक 03.01.2024 की मध्य रात्रि को फतेहपुर एवं रामगढ़ की एक प्राचीन हवेली को बिना प्रशासन की अनुमति लिए ब्लास्ट कर, ध्वस्त कर वहां मार्केट बना दिया गया। ब्लास्ट के कारण बिजली-पानी की लाइनें क्षतिग्रस्त हो जाने से स्थानीय जनता को भयंकर समस्या का सामना करना पड़ रहा है तथा ब्लास्ट से आमजन में भय का माहौल पैदा हो गया।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि इस प्रकार अवैध रूप से प्राचीन धरोहरों को नष्ट करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए तथा फतेहपुर की पहचान बनाए रखने के लिए प्राचीन हवेलियों एवं अन्य प्राचीन धरोहरों को संरक्षित रखे जाने के आदेश प्रदान किये जाएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री संजय कुमार। इसमें जो लिखा है वह आप पढ़ें।

बसेड़ी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत लंबित कार्य

श्री संजय कुमार (बसेड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी (धौलपुर) में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्य संचालित किये जा रहे हैं। ये कार्य आज दिनांक तक पूर्ण नहीं हुए हैं। सडकें और खरंजे जो कटर से काटने थे, वे आज दिनांक तक नहीं काटे गये हैं। उक्त खरंजे एवं सड़कों को जे.सी.बी. से खोद दिया गया है और इनको खुदे हुए करीब एक वर्ष से अधिक का समय हो गया है।

मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जल जीवन मिशन की समस्त योजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र सम्पूर्ण करवाया जाए एवं सड़कों की मरम्मत भी जल्द से जल्द करवाई जाए, जिससे आम आदमी को इस समस्या से निजात मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजकुमार रोत।

आई सी टी योजना के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों के कम्प्यूटर अनुदेशकों का नियमितीकरण

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत ICT योजना के अन्तर्गत सरकारी विद्यालयों में लगे कम्प्यूटर अनुदेशकों को नियमित अथवा नवगठित सरकारी कम्पनी RLSDC में शामिल कर राहत प्रदान करने के संबंध में निवेदन है।

(श्री राजकुमार रोत)

महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत तहत ICT योजना से सरकारी विद्यालयों में लगे कम्प्यूटर अनुदेशकों को राहत देने हेतु सदन का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। राजस्थान में पूर्व सरकार द्वारा संविदा कार्मिक/प्लेसमेंट एजेन्सी कार्मिक/ठेका कार्मिकों को नियमित करने की घोषणा की गयी थी, वहीं दूसरी बार दिनांक 10.02.2023 को राजस्थान विधान सभा में पेश बजट भाषण के बिन्दु संख्या 159 में भी संविदा कार्मिक/प्लेसमेंट एजेन्सी कार्मिक/ठेका कार्मिकों को शोषण से मुक्त करने के लिए ठेके पर संविदा कार्मिक लेने की प्रथा को समाप्त करते हुए REXCO की तर्ज पर RLSDC (Rajasthan Logistical Service Delivery Corporation) के गठन की घोषणा की थी, जिसमें 01.01.2022 तक लगे कार्यरत समस्त प्लेसमेंट एजेन्सी कार्मिक/ठेका कार्मिकों को नवगठित सरकारी कम्पनी RLSDC के माध्यम से लिया जाना तय किया गया था। इसके बाद सरकारी स्कूलों में ICT योजना के तहत 4000 -5000 रुपये के न्यूनतम मानदेय में वर्षों से पूरी लगन व मेहनत से अपने पूर्ण दायित्व के साथ पूर्व की केन्द्र सरकार के डिजिटल भारत सपने को साकार बनाने के लिए बिना अवकाश कार्य कर रहे कम्प्यूटर अनुदेशकों को एक आशा की किरण वर्तमान राज्य सरकार से जगी है।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि ICT योजना के अन्तर्गत सरकारी स्कूलों में लगे कम्प्यूटर अनुदेशकों को नियमित कर अथवा नवगठित सरकारी कम्पनी RLSDC में शामिल कर राहत प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री ललित मीना।

किशनगंज-शाहबाद में पेयजल समस्या

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहबाद में अभी से जनवरी माह से पीने के पानी की विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। विधान सभा की कई पंचायतों में पानी 500 से 600 फीट की गहराई में चला गया है। एनिकटों में पानी सूख गया है। किशनगंज के नहरगढ़, बन्दाबुई, पचलावडा, सीमवंड, छत्रगंज, खल्दा, जलवाड़ा, घट्टी, परानीया, बादीपुरा, वामगढ़, असनावर, करवरी काल, सुवास, वहीं शाहबाद के सन्दरकेडा, आगर, भीलखेडा डाग-मल, सनवाड़ा, गणेशपुरा, विची, राजपुर, बेटा, देवरी, बाल्का, खण्डासहसेल, खाखरा, रामपुर-टोडिया, खण्डेला आदि गांवों में

(श्री ललित मीना)

पानी की उपलब्धता नहीं है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि आगे के माह में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में पीने के पानी हेतु बजट स्वीकृत करें, ताकि नये बोर-मोटर, हैंडपम्प्स व टैंकर स्वीकृत कर पानी पिलाने का श्रम कराएं।

जल-जीवन मिशन में बनी हुई नई टंकियों में पानी की पूर्ति करवाने का श्रम कराएं। कई जगह पानी नहीं पहुंच रहा है। कई जगह टंकियों का निर्माण जल्द करवाने का श्रम कराएं। रामगढ़ की पेयजल टंकी में नयी मोटर व पाइप लाइन को बजट स्वीकृत कर चालू करवाने का श्रम कराएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री कालूराम।

डग की क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण आमजन को परेशानी

श्री कालूराम (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रकिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डग में सड़कों की स्थिति बहुत ही खराब होने के कारण यहां के निवासियों को आवागमन में बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर मार्ग में गहरे-गहरे खड्ढे हो गए हैं। कई स्थानों पर सड़कें इतनी क्षतिग्रस्त हो गई हैं कि आवागमन के साधन निकालने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में सड़कों की समय-समय पर मरम्मत नहीं होने के कारण दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं। काफी गांवों में सड़क नहीं है व रास्ते बहुत क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं। नवीन सड़कों का निर्माण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है जिससे यहां के ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। डग क्षेत्र में वर्तमान में जो कार्य सड़कों के चल रहे हैं उनकी गति बहुत धीमी है।

अतः आपसे निवेदन है कि डग क्षेत्र की महत्वपूर्ण क्षतिग्रस्त सुकेत से डग पूर्व में आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा 103 किलोमीटर बनवाई गई थी जिसे बने हुए करीब 10 साल हो गए हैं और अभी तक सड़क खराब पड़ी है। इसका निर्माण कार्य करवाए जाने हेतु सदन में पूर्व में भी अवगत करवा चुका हूं, इसलिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश प्रदान करवाकर समस्या का अतिशीघ्र समाधान करवाया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सड़कों की काफी गंभीर समस्या है, उसका तुरन्त समाधान करवाया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मुरारी लाल मीणा।

खान एवं पेट्रोलियम विभाग के पत्र की आड़ में अधिकारियों द्वारा छोटे कामगारों को परेशान किया जाना

श्री मुरारी लाल मीणा (दौसा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अंतर्गत मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि खान एवं पैट्रोलियम (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के संबंध में पत्र दिनांक 13.01.2024 जारी किया गया है। उक्त जारी पत्र की आड़ में खान विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग, पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश भर के आम नागरिकों को परेशान किया जा रहा है। पत्र की आड़ में इन विभागों द्वारा वैध कार्य किये जाने पर भी ट्रैक्टर, गाड़ियों आदि साधनों पर कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश के लाखों लोगों द्वारा पत्थर, मोरम, बजरी आदि के कार्य से अपनी जीविका चलाई जा रही है। उक्त पत्र की आड़ में इन लोगों पर कार्यवाही से इनकी रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। इस हिटलरशाही आदेश से आम ट्रैक्टर वाले जो अपना छोटा-मोटा कार्य करते थे, अब वे सब परेशान हैं।

मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि उक्त जारी पत्र की आड़ में वैध कार्य करने वालों पर कार्यवाही रुकवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री पूसाराम गोदारा।

रतनगढ़ में स्थित रणधीसर पहाड़ी पर खनिज विभाग द्वारा 42 लीजों को बिना नोटिस बंद किया जाना

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया और नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में स्थित रणधीसर पहाड़ी पर 42 लीजें बंद करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

मेरे विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में स्थित रणधीसर पहाड़ी पर 42 लीजें थीं, जिनको एस.एम.ई., बीकानेर द्वारा सामान्य शिकायत पर बिना लीज होल्डरों को नोटिस दिये, बिना किसी कारण के 09.09.2022 को माइन्स कार्य बंद करा दिया गया। जिस कारण 50-60 स्टोन क्रेशर, बजरी प्लांट बन्द हो गये एवं इस पहाड़ी से जुड़े 5-6 हजार मजदूर बेरोजगार हो गए। सैकड़ों ग्रामीण उद्योग बंद हो गये एवं इससे 20-25 ग्राम प्रभावित हुए हैं। निरंतर प्रयास के बावजूद खनन विभाग की हठधर्मिता के कारण माइनिंग कार्य शुरू

(श्री पूसाराम गोदारा)

नहीं किया गया है एवं सरकार को प्रतिमाह करोड़ों रुपयों की रायल्टी व विद्युत का घाटा हो रहा है। रणधीसर पहाड़ी एसोसिएशन व जन-प्रतिनिधि इन लीजों को बहाल के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन करीब एक वर्ष से अधिक समय हो गया, अभी तक रणधीसर पहाड़ी पर 42 लीजें पुनः शुरू नहीं की गई हैं। एन.जी.टी., नई दिल्ली द्वारा भी इस पहाड़ी की शिकायतों का निस्तारण करते हुए दिनांक 09.01.2024 को खान विभाग में जहां भी इन लीजों की कार्यवाही चल रही है, उस पर निर्णय कर कार्य चालू करने हेतु स्वतंत्र कर दिया गया है। अब कोई भी बहाना शेष नहीं बचा है।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि रणधीसर पहाड़ी पर उक्त 42 लीजें बहाल कर बेरोजगार हुए मजदूरों को पुनः रोज़गार देने का श्रम करें।

श्री अध्यक्ष: श्री ललित यादव।

नीमराणा, घिलोट एवं शाहजहांपुर में स्थापित उद्योगों में स्थानीय निवासियों को रोजगार

श्री ललित यादव (मुण्डावर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अंतर्गत मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि नीमराणा, घिलोट एवं शाहाजहांपुर में स्थापित उद्योगों में स्थानीय लोगों को ही रोजगार देने की अनिवार्यता नहीं है। उक्त वर्णित उद्योगों में स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों में बेरोजगारी की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उक्त उद्योगों में कार्य कर रहे अन्य प्रदेशों के श्रमिकों द्वारा यहां के निवासियों के साथ बदमाशी-लूटपाट-गुण्डागर्दी, गाड़ियां एवं मोटर साइकिलों की चोरी होने की घटनाएं आम बात हो गई हैं।

मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि अगर ऐसा कोई नियम-कानून राज्य में संचालित किया जा रहा है तो 75 प्रतिशत कुशल स्थानीय निवासियों को रोजगार इस कानून के तहत दिया जावे। अगर यह कानून राज्य में लागू नहीं है तो उक्त कानून को बनाया जाना चाहिए, जिससे उक्त उद्योगों में कुशल स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध हो सके।

श्री अध्यक्ष: श्री रमेश खींची।

कठूमर में पोषाहार वितरण में अनियमितताएं

श्री रमेश खींची (कठूमर): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना।

मान्यवर, विगत पांच वर्षों में महिला एवं बाल विकास विभाग, अलवर जिले के कठूमर विधान सभा क्षेत्र में पोषाहार वितरण में भारी अनियमितताएं की गई हैं जिनमें अलवर जिले में डिपो से पोषाहार/सिलेण्डर आदि सामान उठा लेने के बावजूद भी उसका ग्रामीण क्षेत्र कठूमर के आंगनबाड़ी केन्द्रों/विद्यालयों में वितरण नहीं कर बाजार में बेचा गया है। गत तीन माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 2023 का पोषाहार आदि सामग्री सिर्फ कागजों में ही बांटी गयी है, धरातल पर इनका वितरण नहीं किया गया। अतः इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करवाई जावे तथा दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावे, ताकि इस प्रकार के घोटाले करने वालों पर अंकुश लगाया जा सके।

श्री अध्यक्ष: श्री श्रवण कुमार।

सूरजगढ़ के पूर्व में स्वीकृत कार्यों की वित्तीय स्वीकृति

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव।

प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अंतर्गत मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ (झुंझनू) में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दी गई कार्यों की स्वीकृति के बाद वर्तमान सरकार द्वारा पानी, बिजली, सड़क एवं अन्य कार्यों के स्थगन आदेश दिये गये हैं। वर्तमान सरकार को मेरे द्वारा निरन्तर निवेदन करने के बावजूद भी पूर्ववर्ती सरकार में स्वीकृत हुए उक्त वर्णित आदेशों के फाइनेंशियल आदेश की आज दिनांक तक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई जिससे समस्त कार्य बन्द पड़े हुए हैं।

अतः इस सदन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि उक्त वर्णित कार्यों को तत्काल चालू कराने के आदेश दे जिससे जनता की समस्याओं का समाधान हो सके। प्रदेश की जनता के साथ हो रहे अन्याय को न्याय मिल सके एवं सुचारू रूप से जन कल्याणकारी योजना चालू हो सके। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसमें जितना लिखा होता है, वही पढ़ना होता है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): वही पढ़ा है। आपको यह खतरा था कि

(श्री श्रवण कुमार)

और कुछ पढ़ेगा। आपके दिमाग में थी कि और कुछ पढ़ेगा। मैं भी यही सोच रहा था। सही है न यह बात?

श्री अध्यक्ष: आप अच्छे हैं, पुराने हैं, मेरे साथी हैं। श्री अमृतलाल मीणा।

सलूम्बर के पटवार मण्डल डाल के राजस्व गांव डुंगावतफला की राजस्व रिकार्ड में तरमीम

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया सभा तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव- मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के तहसील सलूम्बर के पटवार मण्डल डाल के राजस्व ग्राम डुंगावतफला की तरमीम राजस्व रिकार्ड में वापस किये जाने के क्रम में।

महोदय,

1. यह कि सलूम्बर के अन्तर्गत तहसील सलूम्बर के राजस्व ग्राम डुंगावतफला जो कि पटवार मण्डल डाल का गांव है, उक्त डुंगावतफला गांव जो कि मूल गांव डाल से बना है, जिसके बनने के बाद सन् 2018 में सलूम्बर में उदयपुर-बांसवाड़ा नया बाईपास बनाया गया। उस बाईपास के दोनों ओर कई खातेदारों की भूमि राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी में जितनी दर्ज थी, उतनी भूमि का नक्शे में तरमीम नही किया गया। खातेदारों का जमाबन्दी में रकबे के मुकाबले नक्शे में रकबा कम अंकित किया गया तथा कई प्रभावशाली लोगों को जो कि सड़क के पास कभी भी उनकी भूमि नहीं थी, उन्हें भी कहीं अन्य जगह की अलॉटशुदा भूमि को नक्शे में सडक के पास बताया गया, जबकि उनको वहां कभी भी कोई जमीन आबंटित नहीं की गई थी।

2. यह कि नक्शे में जिस जगह नहर बता रखी है, उस जगह मौके पर नहर ही नहीं है तथा जिस जगह वास्तव में नहर है, उस जगह को नक्शे में नहर के रूप में अंकन नहीं किया गया है।

3. यह कि नई तरमीम में खातेशुदा जमीन के मुकाबले तरमीम मौके के अनुसार नही हुई है।

4. यह कि नक्शे की स्थिति मौके की स्थिति से काफी भिन्न है।

5. यह कि बिलानाम राजस्व भूमि में कई गरीब एवं असहाय

(श्री अमृतलाल मीणा)

काश्तकार जिनके पास धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम के तहत बेदखली के नोटिस प्राप्त हुए, उन्हें मौके से राजस्व के सम्बन्धित स्थानीय अधिकारियों ने उनके काबिज होने के तथ्य को नजर अंदाज कर ऐसे प्रभावशाली व्यक्तियों को नक्शे एवं जमाबन्दी में गलत तरीके से इन्द्राज कर दिया, जबकि ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति कभी भी उस भूमि पर गये नहीं एवं न ही उन्हें उक्त भूमि कभी आबंटित ही की गई है।

अतः निवेदन है कि डुंगावतफला राजस्व ग्राम की तरमीम नये सिरे से राजस्व रिकार्ड में सैटलमेंट की पूर्व की स्थिति के अनुसार किये जाने तथा दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही किये जाने का आदेश फरमायें।

श्री अध्यक्ष: श्री रविन्द्र सिंह भाटी।

शिव में बाधित विद्युत आपूर्ति

श्री रविन्द्र सिंह भाटी (शिव): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र शिव में विद्युत आपूर्ति में उचित वोल्टेज सप्लाई नहीं किये जाने से काश्तकारों एवं आम ग्रामवासियों को हो रही परेशानी से निजात दिलाने के संबंध में प्रक्रिया नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख।

महोदय, उपरोक्त विषय के संबंध में उल्लेख किया जाना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शिव में काश्तकारों एवं आम ग्रामवासियों को सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है। बिजली सप्लाई के समय वोल्टेज में उतार-चढ़ाव के कारण प्रायः विद्युत आपूर्ति ट्रिप होती रहती है। बिजली सप्लाई के लिए पर्याप्त क्षमता का जी.एस.एस. नहीं होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। बिजली की सर्वाधिक खपत के समय तो हर 5-10 मिनट में बिजली आती-जाती रहती है। वोल्टेज में अनियमितता से घरेलू उपकरण जैसे टी वी, फ्रिज आदि भी खराब हो जाते हैं। निर्बाध आपूर्ति और उपभोग के अनुरूप वोल्टेज नहीं मिलने के कारण काश्तकारों और क्षेत्रवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि विधान सभा क्षेत्र शिव में उपरोक्त समस्या का स्थायी समाधान करवाने हेतु संबंधित जिम्मेदार को सख्त निर्देश प्रसारित करें तथा पर्याप्त क्षमता के जी.एस.एस. का निर्माण कराया जाये, ताकि स्थानीय जनता को इस समस्या का स्थायी समाधान मिल सके।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। वित्त एवं विनियोग लेखे। श्री गजेन्द्र सिंहजी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वित्त लेखे (खण्ड-1 व खण्ड-2) (वर्ष 2022-23) एवं विनियोग लेखे (वर्ष 2022-23)

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वित्त लेखे खण्ड-। व खण्ड-2 वर्ष 2022-23 एवं विनियोग लेखे वर्ष 2022-23 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: अधिसूचनाएं। श्री गजेन्द्र सिंहजी।

अधिसूचना

गृह विभाग

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार गृह विभाग की निम्न दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: प.20(2)गृह-9/2021पार्ट1 दिनांक 01.09.2023 जिसके द्वारा राजस्थान अत्यावश्यक अनुरक्षण सेवा अधिनियम 1970 के तहत ऊर्जा विभाग की सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है; एवं

(2) अधिसूचना संख्या: प.20(2)गृह-9/2012पार्ट1 दिनांक 01.09.2023 जिसके द्वारा राजस्थान अत्यावश्यक अनुरक्षण सेवा अधिनियम 1970 के तहत ऊर्जा विभाग की सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित करने पर हड़ताल किये जाने का प्रतिषेध किया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री अविनाश गहलोत।

परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की निम्न चार अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(श्री अविनाश गहलोत)

(1) अधिसूचना संख्या: प.6(75)परि/कर/मु./08/20207 दिनांक 06.09.2023 जिसके द्वारा रामदेवरा मेले में आने वाले वाहनों के रुपये 6,500/- से अधिक के कर में छूट प्रदान की गई है;

(2) अधिसूचना संख्या: प.6(260)परि/कर/मु./2011/20969 दिनांक 21.09.2023 जिसके द्वारा ई-रवन्ना चालानों हेतु एमनेस्टी स्कीम की अवधि को बढ़ाया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या: प.6(260)परि/कर/मु./2011/20981 दिनांक 21.09.2023 जिसके द्वारा कर एमनेस्टी स्कीम की अवधि को बढ़ाया गया है; एवं

(4) अधिसूचना संख्या: प.6(96)परि/कर/मु./उर्स/10/779 दिनांक 18.01.2024 जिसके द्वारा उर्स मेला, अजमेर में आने वाले अन्य राज्य के यात्री वाहनों को मोटरवाहन कर में छूट प्रदान की गई है।

श्री अध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त जी एण्ड टी विभाग की निम्न चार अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 10.07.2023 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में संशोधन किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 14.08.2023 जिसके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 में नागरिक उड्डयन विभाग के सलाहकार/पेशेवर की सेवाएं एक साल तक के लिए वित्तीय सीमा रुपये 18 लाख तक लेने हेतु छूट प्रदान की गई है;

(3) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 08.09.2023 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)एफडी/ जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 04.09.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है; एवं

(श्री गजेन्द्र सिंह)

(4) अधिसूचना संख्या: एफ.2(1)एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 15.09.2023 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.1(8)एफडी/जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 04.09.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन दिलावर।

पंचायती राज विभाग

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार पंचायती राज विभाग की निम्न तीन अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.4(10)पीआर/लीगल/संशो/2023/393 दिनांक 28.07.2023 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.4(9)संशो/सीईटी/लीगल/पीआर/2023/454 दिनांक 04.09.2023 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है; एवं

(3) अधिसूचना संख्या: एफ.4(11)संशो/स्थायी समिति/लीगल/पीआर/2023/514 दिनांक 29.09.2023 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज (स्थायी समिति गठन) नियम, 2000 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: श्री अविनाश गहलोत।

राजस्व विभाग

श्री अविनाश गहलोत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की निम्न दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: प.9(29)राज-6/2023/28 दिनांक 01.08.2023 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है; एवं

(2) अधिसूचना संख्या:प.9(4)राज-6/2023/29 दिनांक 24.08.2023 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम, 2007 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री गजेन्द्र सिंह।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24)

(1) स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 1987 की धारा-32(4) के अन्तर्गत स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24;

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023)

(2) महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर अधिनियम, 2000 की धारा-42 के अन्तर्गत महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023;

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023-24)

(3) श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर अधिनियम, 2013 की धारा-46 के अन्तर्गत श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24;

(श्री गजेन्द्र सिंह)

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023)

(4) कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2013 की धारा-46 के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023; एवं

कृषि विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2023)

(5) कृषि विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम, 2013 की धारा-46 के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय, कोटा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-

श्री अध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह।

श्री गजेन्द्र सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर के वित्तीय लेखे एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन (वर्ष 2021-22)

(1) मानव अधिकार अधिनियम, 1993 की धारा-35(4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर के वित्तीय लेखे एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2021-22; एवं

राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर का 77वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022)

(2) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा-395(1)(बी) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जयपुर का 77वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022.

श्री अध्यक्ष: कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़।

राजस्थान एक्स-सर्विसमैन कारपोरेशन लिमिटेड का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022-23)

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 395 के अन्तर्गत राजस्थान एक्स-सर्विसमैन कारपोरेशन लिमिटेड का ग्यारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन दिलावर।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2022)

श्री मदन दिलावर (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25(4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री झाबर सिंह खर्रा।

राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथोरिटी, जयपुर के अंकेक्षित वार्षिक लेखे (वर्ष 2021-22)

श्री झाबर सिंह खर्रा (राज्य मंत्री, नगरीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथोरिटी एक्ट 2016 की धारा-77(4) के अन्तर्गत राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथोरिटी, जयपुर के अंकेक्षित वार्षिक लेखे वर्ष 2021-22 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद। श्री गोपाल शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आपने दिया है दिया कुमारी जी, उप मुख्य मंत्री, भारत नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी।

श्री अध्यक्ष: यह पहले हो गया। यह हो गया न।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी): पहले हो गया?

श्री अध्यक्ष: पहले हो गया। आप सदन में पूरा रहेंगे तो पता रहे।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): पाइंट आफ इंफोर्मेशन।

श्री अध्यक्ष: हां, बतायें।

सूचना

राजस्थान में महाधिवक्ता की नियुक्ति नहीं किया जाना

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है राजस्थान सरकार को, उसको मैं उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने यह कहा है कि यह राजस्थान सरकार 03.12.2023 को

(श्री युनूस खान)

जनादेश आ गया, उसके बाद आज तारीख तक राजस्थान में महाधिवक्ता की नियुक्ति नहीं हुई यानी ए.जी. की नियुक्ति नहीं हुई। उस कारण से बहुत सारे केसेज पेंडिंग पड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: सरकार के ध्यान में आ गया।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): नहीं, ध्यान में तो आ गया। सरकार बदलते ही यह काम होता है।

श्री अध्यक्ष: आपने ध्यान आकर्षित कर लिया। धन्यवाद। श्री गोपाल शर्मा।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाइन्स): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिये मैं हृदय से आपका आभारी हूं, अभिनन्दन करना चाहता हूं। हमारे विद्वान, विनम्र और विधायिका का लम्बा अनुभव रखने वाले महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उस दिन जिस तरह से प्रतिपक्ष शांत भाव से सुन रहा था, अच्छा तो यह होता कि हम सब मिलकर उनके अभिभाषण का समर्थन करते, लेकिन यह वाद-विवाद है तो इसलिये थोड़ा वाद-विवाद आवश्यक भी है। मैं लोकतंत्र के मन्दिर के रूप में श्री नरोत्तम जोशी हमारे राजस्थान विधान सभा के पहले अध्यक्ष, झुन्झुनूं से आने वाले विधायक, जिन्होंने इसे लोकतंत्र के मन्दिर के रूप में परिभाषित किया था, उसमें बैठे हुए सभी पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के विधायकों का अभिनन्दन करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं। मैं आपके बीच में नया हूं। पहली बार बोल रहा हूं। गलती होना स्वाभाविक है लेकिन उसको क्षमा करेंगे, क्योंकि क्षमा वीरों का आभूषण है और अपनी वीरता में राजस्थान कभी किसी से पीछे नहीं रहा है, इसलिये मेरा आपसे विनम्र आग्रह है।

(समय: 13.00 बजे)

मैं बोलने से पहले माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करना चाहता हूं जिनके कारण चार दशक पहले मैं राजस्थान की अपनी धरती से वापस जुड़ा और माननीय श्रीमान् नरेन्द्र मोदी जी विश्व नेता, भारत के लोकप्रिय प्रधान मंत्री के प्रति बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिनके कारण मैं यहां मौजूद हूं।

(श्री गोपाल शर्मा)

मैंने माननीय प्रधान मंत्री जी कहा है और विश्व नेता भी कहा है। यह सदन राजस्थान की आकांक्षाओं, सपनों के इंद्रधनुष की तरह से है, जिसमें बीकानेर का बांकपन है, जैसलमेर की दृढ़ता है, हमारे शेखावाटी की सुरमई है, ढूंढाड़ का वैभव है। जोधपुर से आवाज आती है तो दुर्गादास राठौड़ की आवाज आती है। महाराणा प्रताप की आवाज आती है तो साथ में चेतक के टापों की गूंज सुनाई देती है।

यह वह धरती है राजस्थान की, जिसकी धूल में वीरों की अस्थियों की धारा बही हुई है। सारे विश्व में इस तरह की धरती नहीं है। हम सब लोग जरूर कुछ विधायकों के नहीं होने पर तकलीफ महसूस कर रहे हैं, जिनमें सत्ता पक्ष के भी हैं और विपक्ष के भी हैं, लेकिन जिस जनता में शक्ति भरी है राजतिलक करने की, उस जनता में शक्ति भरी है राज मुकुट उतार लेने की।

आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 4 दशक तक मैंने इस और उस विधान सभा की गंध को महसूस किया है। मैं भूल नहीं पाता जब मैं याद करता हूं पूनम चन्द जी विश्नोई को, जो माननीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए केवल चेहरा घुमाते थे और सदस्य बैठ जाते थे। मैं परसराम जी मदेरणा को याद करना चाहता हूं जिनके जीवन के ऊपर एक भी कलंक नहीं था। मैं याद करना चाहता हूं श्रीमान् पंडित नवलकिशोर जी को जिन्होंने क्वात्रोची को ठेका देने के बदले राजीव गांधी की बात मानने से इंकार करके अपने पद से इस्तीफा देना मंजूर किया था। मैं याद करना चाहता हूं श्रीमान ललित किशोर जी चतुर्वेदी को जिन्होंने दिखाया कि एक मंत्री कितना सक्रिय हो सकता है। एक मंत्री की जुबान में कितनी ताकत हो सकती है।

हमने देखा इस बार के चुनावों में कि राजस्थान में ऐसी लहर उठी कि रिकार्ड मतदान ने नये सपने खोल दिये, जागती आंखों वाले सपने, यह वैसे सपने थे। 1952 के चुनावों में जितने वोट पड़े थे उससे दुगुने वोट इस बार पड़े हैं। ठीक दुगुने वोट। 74.45 प्रतिशत पुरुषों ने मतदान किया, लेकिन उनसे आगे बढ़कर मातृ शक्ति ने 74.72 प्रतिशत मतदान किया। यह मातृ शक्ति की ताकत है। यह राजस्थान की महिलाओं की ताकत है जिसमें पन्ना धाय, मीरा बाई, महारानी पद्मिनी, अमृता देवी, काली बाई को जन्म देकर राजस्थान के नाम को सार्थक किया है। हमारे 51 हजार मतदान केन्द्रों से 3,96,78,207 लोगों ने मतदान किया। 75 परसेंट लोगों का मतदान किसी भी राज्य के

(श्री गोपाल शर्मा)

अन्दर सुशासन के लिए गढ़ी हुई सरकार की सबसे बड़ी गारंटी हुआ करता है। 75 परसेंट वोटों का मतलब है कि जनता हृदय से अपनी सरकार चुनना चाह रही है। सही देखा जाये तो यह मोदी जी के नाम पर कमल की जीत है। यह भारत माता की जीत है। जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश की नेपाल सीमा तक आजानु बाहु फैलाये अपने बच्चों को देख रही है।

यह हमारे अन्नदाता के चेहरे की मुस्कान की जीत है, जिसने जातिवाद को भुला दिया। मैं ऐसे विधान सभा क्षेत्र से खड़ा था जहां पर मेरा पहले कोई काम नहीं किया हुआ था, सिवाय रहने के लेकिन हमारी जनता ने जाति को भुला करके इस तरह से मतदान किया कि वह एक व्यक्ति की विजय नहीं रह गयी, वह अहंकार की पराजय बन गयी। इस अहंकार ने कांग्रेस को आज प्रतिपक्ष में बैठाने का काम किया है।

(समय: 13.04 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

मनुष्य तो वही हैं, लेकिन जब शासन छोड़ा है तो क्या स्थिति है कि खजाना खाली है और दो चूहे दौड़ रहे हैं। वे चूहे कौन हैं? टाइटैनिक डूबता है तो वे सबसे पहले भागते हैं। हम सबने देखा है कि कई भाग चुके हैं।

भारत की सांस्कृतिक स्वतंत्रता का सूर्योदय हो गया है। परसों मैं भगवान राम लला के सामने हाथ जोड़े खड़ा था, तो मैं प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, लखनऊ में ही जब हम निकले हैं तो क्या हमारा जयपुर ऐसा नहीं हो सकता? क्या हमारा राजस्थान ऐसा नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि भ्रष्टाचार की जड़ चाहे कोई भी सरकार हो, उसको खोखला कर देती है। जो व्यक्ति आज 100 करोड़ का मालिक है वह 1000 करोड़ का मालिक बन जाये तो क्या स्थिति होगी? आज जाकर देखिये, औरंगजेब की जहां पर मजार बनी हुई है वहां पर कोई दीपक जलाने नहीं जाता, लेकिन उनके बगल में जो औलिया साहब की मजार है वहां शाम को भीड़ लगती है। इस पैसे की कीमत बहुत कम है। सबसे कम है। अगर पैसे की ही कीमत होती तो मेरे जैसे साधारण परिवार के व्यक्ति जिसने कि भिखारियों की लाइन में बैठकर के भी भोजन किया हुआ है, वह कभी विधान सभा के अन्दर नहीं होता।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 'सत्यं ब्रूयात् प्रियं

(श्री गोपाल शर्मा)

ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम् अप्रियम्' कि ऐसा सत्य मत बोलो जो अप्रिय हो, लेकिन समाज की रक्षा के लिए ऐसा सत्य बोलना जरूरी हो तो भी उससे चूको मत।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दिन राजस्थान का चुनाव परिणाम आ रहा था, उस दिन घोषणा हो रही थी कि महिला अपराध के अन्दर राजस्थान पहले नंबर पर है। उसी दिन, उसी 3 तारीख को भारत सरकार के आंकड़े जारी हो रहे थे कि राजस्थान महिला अपराध के अन्दर नंबर वन है। मैं केवल पिछली सरकार को दोषी ठहरा करके नहीं चुप रहना चाहता, क्योंकि हमारे सामने, सत्ता पक्ष के सामने जिम्मेदारी है कि वह उसको कम करके दिखा दे।

अपना राजस्थान बेरोजगारी के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। यह 5 हजार, 10 हजार नौकरियों से क्या होने वाला है। जब पेट की आग भड़कती है तो वह क्रांति का रूप लेती है। इस क्रांति को बचाने के लिए एक ही तरीका है कि हम संकल्प लें कि राजस्थान के अन्दर हम एक भी व्यक्ति को बेरोजगार नहीं रहने देंगे। यह मुश्किल नहीं है।

गड्ढा मुक्त राजस्थान, सड़कों पर गड्ढे, गंदगी मुक्त राजस्थान, मुश्किल नहीं है। गैंग मुक्त राजस्थान, यह मुश्किल नहीं है। गुंडागर्दी मुक्त राजस्थान, यह मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए सरकार का सिर्फ सरकार रहना जरूरी नहीं है, बल्कि सरकार का असरकारी होना भी जरूरी है। यह सरकार असरकारी थी, आपकी वाली, प्रतिपक्ष वाली? केवल 3 महीने, जब अशोक जी पहली बार मुख्य मंत्री बने थे तो उनकी एक आवाज पर बांग्लादेशी जयपुर छोड़कर चले गये थे। बरामदे खाली हो गये थे लेकिन उसके बाद उनकी सरकार का इकबाल खतम हो गया। उनकी याद्दाश्त कमजोर हो गयी। उनको अपने साथियों में नाकारा और निकम्मे नजर आने लगे।

यह दुर्भाग्य की बात है कि जब हमको अपने परिवार का व्यक्ति, हमारा साथी नाकारा नजर आयेगा, निकम्मा नजर आयेगा तो क्या होगा? क्या मेरा बेटा मेरा साथ देगा? नहीं देगा। वह भी घर छोड़कर चला जायेगा। मैं किसी की न तो आलोचना में बोल रहा हूं, न समर्थन में बोल रहा हूं। लूट की खुली छूट, लूट की खुली छूट, घोषणा करो और भूल जाओ।

आचार्य चार्वाक ने लिखा था, 'यावज्जीवेमसुखं जीवेत्, ऋणं कृत्वा घृतं

(श्री गोपाल शर्मा)

पिबेत्'। क्या सारे निगम और बोर्ड, यह कहीं से सपना आया, कहीं से किसी ने हिदायत दे दी? दो महीनों में कितने निगम, बोर्ड? लगाने को अधिकारी नहीं, पानी पिलाने को चपरासी नहीं। जाने को जगह नहीं। जिले कहां खोल दिए? जहां कालेज नहीं, जहां 10 हजार की आबादी नहीं। भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों और अधिक जिलों का समर्थन करती है। उत्तराखण्ड और छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए राज्य हैं। जिले कब बने थे पिछली बार? कई जिलों की शुरुआत में तो मैं गया हूं। जब अपना राजसमन्द जिला बना, दौसा जिला बना, ये जिले भाजपा ने बनाए, लेकिन आपने जिलों की स्थिति क्या कर दी? जिला एक आदमी से संचालित होता है, उस एक आदमी ने दो बार पहले वाली सरकार को बर्बाद किया, उस एक आदमी ने कांग्रेस के शासन को बर्बाद किया। क्या हम यह सोच नहीं सकते कि शासन उस एक आदमी के हाथ में नहीं रहना चाहिए। क्या माननीय भजन लाल जी जैसा मुख्य मंत्री मिल सकता है जो कार्यकर्ता का आदर्श स्वरूप है, जिस व्यक्ति ने अपने ऊपर कभी कोई कलंक नहीं लगने दिया?

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाइन्स): क्या टीकाराम जूली जैसा प्रतिपक्ष का नेता हो सकता है? मुझे याद नहीं आता कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को प्रतिपक्ष के नेता के रूप में 40 साल से इस तरह से दहाड़ते हुए देखा हो। लेकिन शर्म तब आती है जब हमारी अनुसूचित जाति की एक महिला सदस्य बोलने के लिए खड़ी होती है और इस तरह से लगता है कि यह कोई कौरव बैठे हैं और जहां पर द्रौपदी का चीर हरण करने जा रहे हैं। (व्यवधान) क्या दृश्य है ये? क्या दृश्य है ये? हम लोगों ने कभी 'नेहरू' नहीं बोला, हम लोग 'नेहरूजी' बोलते हैं। हम लोग 'इंदिराजी' बोलते हैं। (व्यवधान) मैं माननीय सभापतिजी की ओर मुंह करके बोल रहा हूं।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, यह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस हो रही है या कोई महाभारत चल रही है? (व्यवधान)

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाइन्स): माननीय सभापति महोदय, आभार में यदि भार थोड़ा ज्यादा हो तो जोर आता है। आभार में भार थोड़ा ज्यादा हो तो जोर आता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाइन्स): माननीय सभापति महोदय, क्या इस चीज को भुलाया जा सकता है कि राजस्थान के अन्दर जन धन योजना से 3 करोड़ 34 लाख खाते खुले हैं? क्या इसको भुलाया जा सकता है कि ढाई करोड़ खाता धारकों को रुपे कार्ड मिले?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाइन्स): जल्दी ही, दो-चार मिनट में ही समाप्त कर दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, क्या इस चीज को भुलाया जा सकता है कि आयुष्मान भारत के राजस्थान में एक करोड़ सत्तर लाख लोग लाभार्थी हैं?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री जुबेर खान।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाइन्स): माननीय सभापति महोदय, आखिर में एक मिनट लेकर अपनी बात खतम करता हूं। हम उस राजस्थान विधान सभा की कल्पना करते हैं जिसमें बैठे हुए माननीय सदस्यगण जो मेरी बात की आलोचना कर रहे हैं, उनकी आवाज में ताकत हो और वो ताकत ईमानदारी से भरी हुई हो, उस ताकत के अन्दर भारत की भक्ति हो, उस ताकत के अन्दर भारत माता की जय हो। मैं इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

श्री सभापति: श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो वाद-विवाद की शुरुआत अजमेर दक्षिण से आने वाली आदरणीय सदस्य अनिता भदेल जी ने की और उसके ऊपर मुझ से पूर्व अभी जयपुर सिविल लाइंस से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने द्रौपदी जी के चीर हरण का जिक्र किया। मैं समझता हूं कि यह सदन की परम्परा नहीं है और इसको कार्यवाही से एक्सपंज कर दिया जाए।

मैं गीता के सार से ही अपनी बात शुरू करूंगा। गीता में कहा गया है कि सत्य की जब असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लम्बी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुण्ड खड़ा होगा।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): यह गीता का कौनसा श्लोक है, यह भी बता दो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मैं बताता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। (व्यवधान) माननीय चीफ व्हिप साहब, मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। यदि आपको नहीं रखना है तो मैं स्पीकर साहब को बुला लेता हूं। मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। जो वक्ता बोल रहा है, अपनी बात कह रहा है, इर्रेलेवेंट होगी तो मैं उसको एक्सपंज करूंगा, लेकिन बार-बार खड़े होकर इंटरवीन करना यह सदन की मर्यादा नहीं है। इसका ध्यान रखेंगे आप, आप सब माननीय सदस्य नये आये हैं, परम्पराएं सीखिए आप।

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): आप दोनों तरफ के माननीय सदस्यों से कहें।

श्री सभापति: प्लीज। आप अपने स्थान पर जाइए। आपका कौनसा स्थान है? अपने स्थान पर जाइए आप। (व्यवधान) आप विराजिए। सदन परम्पराओं से चलेगा, इस तरह से नहीं। मैं दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जो वक्ता बोल रहा है उसको अपनी बात पूरी करने दें। बार-बार इंटरवीन करने का, यह कतई अमर्यादित बात है। (व्यवधान) प्लीज विराजिए आप। मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। माननीय जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं ...(व्यवधान) क्या गीता को हम नहीं मानते हैं? आप नहीं मानते हैं? मैं जो बात कह रहा हूं वो रेफरेंस से कह रहा हूं मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकरजी ने भी कहा था, जिन्होंने संविधान की रचना की, उसकी आप सब लोगों ने शपथ ली, किसी ने मंत्री के रूप में ली, किसी ने मुख्य मंत्री के रूप में और किसी ने जबरदस्ती असंवैधानिक तरीके से उप मुख्य मंत्री के रूप में ली। (व्यवधान) बाबा साहब ने कहा था, भगवान से न्याय मिलता तो न्यायालय नहीं होता।

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): पूर्व उप मुख्य मंत्री, सचिन पायलट क्या असंवैधानिक थे? माननीय सचिन पायलट क्या थे? पहले वो बता दो। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): बाबा साहब अम्बेडकरजी ने कहा है, उनको तो सब मानते हैं, सब दलित कहते हैं, वे कहते हैं, भगवान से न्याय मिलता तो न्यायालय नहीं होते, सरस्वती जी से ज्ञान मिलता तो विद्यालय नहीं होते, दुआओं से काम चलता तो औषधालय नहीं होते और बिन काम किये भाग्य चमकता तो कार्यालय नहीं होते। मंदिरों के बारे में जो कुछ कहा गया, बाबा साहब ने कहा, वो मैं कहना चाहता हूं। मन्दिर के बारे में जो कुछ बाबा साहब

(श्री जुबेर खान)

ने कहा, वो मैं कहना चाहता हूं। मंदिरों से न्याय मिलता तो न्यायालय नहीं होते।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि अनिता जी ने चार-पांच चीजों का जिक्र किया। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की जरूरत कब पड़ती है? जब एक इंजन गाड़ी को खींच नहीं पाता है। हमारे तो गहलोत साहब की सरकार एक इंजन की थी, खूब पांच साल तक जन कल्याणकारी योजनाएं लाए। यहां तक कि गो-माताओं की लम्पी से मौत होने पर 40-40 हजार रुपये का अनुदान दिया गया। कर्नाटक में मेनिफेस्टो में जनता के लिए सारे जो वादे किये गये थे, हमारी पार्टी की सिंगल इंजन की सरकार बड़ी अच्छी चल रही है। आपको जरूरत है डबल इंजन की, कांग्रेस को डबल इंजन की जरूरत नहीं है।

एक बात कही गई सत्ता पक्ष से, पक्ष में होते हैं तो कुछ बोलते हैं और विपक्ष में होते हैं तो कुछ और बोलते हैं। वो तो आप भी बोलते हो। हमने खूब सुने हैं भाषण, मदन दिलावर जी के, खूब सुने हैं किरोड़ी लाल जी मीणा के, खूब सुने हैं, प्रताप सिंह सिंघवी जी के। एक बात और कहना चाहूंगा। बाबूसिंह जी राठौड़ कह रहे थे, नई सड़कें तो पुरानी सरकार ने बहुत बनाई, लेकिन पुरानी सड़कों की अनदेखी की। आप नहीं कर रहे हैं? आपने आडवाणी जी को कहां बैठा दिया? वसुन्धरा जी को बिलकुल प्रतिपक्ष के ब्लाक्स में लाकर बैठा दिया, कालीचरण सराफ जी को बैठा दिया, जो सात-सात, आठ-आठ बार विधायक बने हैं। (व्यवधान) क्यों? क्या मैं गलत कह रहा हूं? और फूल सिंह जी, आपने भी कहा था कि आदिवासी महिला को महामहिम राष्ट्रपति बनाया है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं, संसद के उद्घाटन में, शिलान्यास में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में महामहिम राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया?

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): उसकी चिन्ता आप मत करें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह हमें करनी है, क्योंकि यह संविधान हमारे नेताओं ने दिया है।

श्री सभापति: माननीय जुबेर खान, विराजिये। वाद-विवाद कर लें अपन आपस में बैठकर? माननीय मीणा जी, मैं आपको वार्न करता हूं। मजबूर मत करिये आसन को। बोलने दीजिये उन्हें अपनी बात, जब आपका वक्त

(श्री सभापति)

आये तो आप बोलना। सब बोल रहे हैं अपनी बात। क्या साबित करना चाहते हैं आप बार-बार खड़े होकर? माननीय जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अनिता जी ने एक बात और कही कि हमारे लोगों ने आजादी की बहुत लड़ाई लड़ी थी। उनके नाम तो बता दीजिये कि आपकी पार्टी और आपकी विचारधारा में से किसने आजादी की लड़ाई लड़ी थी? अनिता जी यहां नहीं हैं, उनसे कहूंगा, हमें नाम बता देंगी तो हमारा ज्ञानवर्धन तो होगा। हमने तो यह पढ़ा है कि आपकी पार्टी के नेताओं ने अंग्रेजों की मुखबिरी की थी। (व्यवधान) राम-राज्य की स्थापना की बात कही गयी। अच्छी बात है। (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): 000

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): 000

श्री सभापति: विराजिये आप। बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं आप। प्लीज विराजिये। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आज मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा। मैंने उनसे निवेदन किया है कि नाम बता देंगे तो हमारा भी ज्ञानवर्धन हो जायेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज सहयोग कीजिये। अंकित नहीं होगा आपका कुछ भी, विराजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): 000

श्री सभापति: विराजिये आप। आसन आपको इजाजत नहीं दे रहा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप बता दें न स्वतंत्रता सेनानी कौन थे आपकी पार्टी के? (व्यवधान) राम-राज्य की स्थापना की बात की गयी, अच्छा है। मैं, मेरी पार्टी, मेरा पूरा दल राम-राज्य के...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, जुबेर खान, विराजिये। सभी विराजिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): 000

श्री सभापति: आसन को इतना मजबूर न करिये कि मुझे आपको बाहर निकालना पड़े।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): 000

श्री सभापति: प्लीज, चुप रहिये आप। मैं बिलकुल इजाजत नहीं दूंगा आपको।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये आप। (व्यवधान) आसन पैरों पर है, विराजिये। प्लीज सहयोग कीजिये। (व्यवधान) आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। अंकित नहीं होगा किसी का भी। विराजिये। आसन पैरों पर है। कोई भी ऐसा शब्द होगा, जो असंसदीय होगा, मैं आसन से निर्देश देता हूं, उसे एक्सपंज करें, लेकिन बार-बार इस तरह से खड़े होकर उत्तेजना पैदा करना ... (व्यवधान) विराजिये माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है। मैं दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा...

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री सभापति: माननीय मिस्टर रोहित बौहरा, अपने स्थान पर जाइये आप। मैं बार-बार बीच में अलाउ नहीं करूंगा आपको। प्लीज, मैं दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों, जिनमें कई वरिष्ठ सदस्य भी हैं, उनसे कह रहा हूं, आसन निर्देश देता है, जो भी असंसदीय होगा, एक्सपंज किया जायेगा, लेकिन बार-बार आसन को निर्देश मत दीजिये आप।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज। कुछ परम्पराएं सीख लीजिये। आप तो बहुत वरिष्ठ हैं। जो नये लोग आये हैं उन्हें भी सीखने दें। आपको देखकर क्या नसीहत लेंगे वे कि ऐसे ही करना चाहिये सबको?

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): 000

श्री सभापति: विराजिये। बहुत वरिष्ठ हो गये आप। दोनों तरफ से मैं कह रहा हूं, सनसनी पैदा मत करिये। मैं यह महसूस कर रहा हूं, अभिभाषण पर कोई कन्फाइन नहीं कर रहा है। लाल किले का सा भाषण दे रहे हैं यहां पर। क्या यह कोई चुनावी सभा है? कन्फाइन करें अपने आपको अभिभाषण पर। न इधर वाले बोल रहे हैं, न उधर वाले बोल रहे हैं। बार-बार इंटरवीन करना अच्छी बात नहीं है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): 000

श्री सभापति: प्लीज। क्या जरूरी है आपका हर बात पर जवाब देना? माननीय जुबेर खान।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): 000

श्री सभापति: विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): 000

श्री सभापति: पूरा राजस्थान देख रहा है आपको। विराजिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में यह कहा गया कि राम-राज्य की स्थापना की बात सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने कही थी कि हम इस देश में राम-राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक नहीं हुआ। महामहिम राज्यपाल से इस सरकार ने कहलवाया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं अगर आप राम-राज्य की स्थापना कर दें तो, क्योंकि राम के राज्य में बालिकाओं से बलात्कार नहीं होगा, राम-राज्य में गरीबी, अमीरी, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के नाम पर अत्याचार नहीं होगा। करिये राम-राज्य की स्थापना, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन पिछले दो महीनों में सरकार का जो रवैया है, उससे हमें कोई राम-राज्य की स्थापना होती नजर नहीं आ रही।

एक बात और कही गयी, कन्हैयालाल जी की हत्या की बात की गयी। उसकी जितनी भर्त्सना की जाये, उतनी कम है। की भी गयी है, पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा कदम भी उठाये गये हैं और कन्हैयालाल जी के परिवार में दो नौकरियां भी दी गयी हैं, 50 लाख रुपये का अनुदान भी दिया गया है। अगर कोई दूसरे धर्म का आदमी मारा जाये और उसे 50 लाख दिये जाएं तो उसके ऊपर लोगों को आपत्ति होती है। कहते हैं, मुसलमान को दे दिया। क्या मुसलमान इस देश के वासी नहीं हैं? क्या मुसलमानों का इस देश के प्रति योगदान नहीं है? मोदी जी सबके विकास की बात करते हैं, क्या उसमें मुसलमानों का योगदान नहीं है? मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि ये मुस्लिम्स हैं, जिन्होंने देश को ये चीजें दी हैं।

अंग्रेजों के खिलाफ "भारत छोड़ो" का नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली ने दिया। वे भारत के मुस्लिम थे। भारतीय थे, धर्म से मुस्लिम थे। महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? हकीम सूरी थे न। अकबर के सेनापति कौन थे? मानसिंह जी थे न। "जय हिन्द" का नारा किसने दिया? जो आज हम लगाते हैं, महामहिम भी लगाकर गये, आबिद हसन सफरानी ने दिया। तराना-ए-हिन्द "सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा, हिन्दी हैं हम, हिन्दी हैं हम, वतन है हिन्दोस्तां हमारा", किसने दिया? इकबाल ने दिया न। आजादी

(श्री जुबेर खान)

में सबसे ज्यादा इस्तेमाल "इंकलाब जिन्दाबाद" का हुआ न, "इंकलाब जिन्दाबाद" का नारा किसने दिया? सारे मजदूर नेता लगाते थे और विश्वविद्यालय के छात्र नेता लगाते थे। राजेन्द्र राठौड़ जी अभी इस सदन में नहीं हैं, उन्हें तो हमने लगाते देखा था।

जो देश का तिरंगा अभी आसन के अगल-बगल में भी है, जिस पर हमें मान है, मर्यादा है, इसे यह रूप किसने दिया? सुरैया तैयब जी ने दिया न। वे मुस्लिम महिला थीं न। मादर-ए-वतन की जय। यानी, भारत माता की जय। 1857 में किसने पहली बार यह नारा लगाया। यह अजीमुल्लाह खां ने लगाया था। मैं तो लगाता ही हूं। मैं उस भारत माता की जय लगाता हूं, जिसका व्याख्यान पं. जवाहर लाल नेहरू जी ने किया है। भारत माता में सारी प्रजा आती है, उसमें सारे मन्दिर आते हैं, उसमें सारी नदियां आती हैं, उसमें सारे पहाड़ आते हैं। आपकी भारत माता अलग है, हमारी भारत माता अलग है। हम भारतवर्ष का नारा हमारी आत्मा से लगाते हैं, आप वोट के लिए लगाते हो, इतना फर्क है, आपके और हमारे अन्दर।

श्री सभापति: आप उनको इनवाइट नहीं कीजिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू-ए-कातिल में है। दुश्मन कौन थे? अंग्रेज, जिन्होंने सैकड़ों साल हमारी जनता पर अन्याय किये, लोगों को फांसी पर चढ़ाया, जेलों में डाला। जलियांवाला बाग़ में तोपों से उड़ाया। उनके खिलाफ ये नारे दिये गये थे।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैंने स्कूल में नहीं सीखा है वन्दे मातरम् स्कूल में नहीं सीखा है। कांग्रेस पार्टी की कोई भी मीटिंग या अधिवेशन होता है, वन्दे मातरम् से शुरू होता है और जन-गण-मन राष्ट्रगान पर खतम होता है। वहीं पढ़-पढ़कर मुझे याद हो गया है। कांग्रेस ने कभी विरोध नहीं किया। इस सदन में वन्दे मातरम् होता है, किसी मुस्लिम आदमी ने कहा कि क्यों हो रहा है? साथ नहीं गया हो, तराना नहीं गया, जय हिन्द नहीं गया। कांग्रेस की मीटिंग में विरोध किया? हमारे मन में है, हम लगायेंगे। हमने तो वन्दे मातरम् सीखा ही कांग्रेस की मीटिंग में है।

श्री सभापति: आप आसन की तरफ मुखातिब हों, उनको इनवाइट मत कीजिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): एक बात और कहना चाहूंगा, हम उस हसन

(श्री जुबेर खान)

खां मेवाती जी के वंशज है जिन्होंने 15 मार्च, 1927 को बाबर का निमंत्रण इस आधार पर ठुकरा दिया था कि बाबर तुम विद्रोही हो, विदेशी हो। महाराणा सांगा हमारे वतन का है, हमारे देश का है, मैं महाराणा सांगा के साथ मिलकर आपके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। हम उस हसन खां मेवाती के वंशज हैं। आप हमें भारत माता का ज्ञान, वन्दे मातरम् का ज्ञान, जन-गण-मन का ज्ञान, राष्ट्र भक्ति का ज्ञान मत सिखाइये। यह हम आपसे पहले ही सीखे हुए हैं।

अभी अभिभाषण में आदरणीय राज्यपाल महोदय से, राजस्थान के राज्य का विभाजन हो रहा है। आपने भैरोंसिंह जी का और अटल बिहारी जी का तो नाम लिया लेकिन अटल बिहारी जी और भैरोंसिंह जी के कदमों पर चल रहे हैं क्या, आप उनके निशानों पर चल रहे हो क्या? उनके सिद्धान्तों पर चल रहे हो क्या? भैरोंसिंह जी, पुराने लोग जानते हैं, वे अक्सर यहां बैठे रहते थे। नया से नया सदस्य बोलता था तो भी बैठे रहते थे। आपके पहली बार मुख्य मंत्री बने हैं, जो कि इस सदन के लिए उत्तरदायी हैं, वे जयपुर में चौपाल लगाते रहते हैं और एक मिनट आकर बैठ नहीं रहे हैं। आप यह भैरोंसिंह जी का अनुसरण कर रहे हैं?

अटल जी ने क्या कहा था? राज का एक राजधर्म होना चाहिए। प्रधान मंत्री का, मुख्य मंत्री का राजधर्म होना चाहिए। आप उस राजधर्म की पालना कर रहे हैं? आप उनके सदन की बात कर रहे हो? पुराने लोग यहां हैं नहीं, सब उठकर चले गये हैं, क्योंकि सबको आपने दु:खी कर दिया है।

ये तो उस समय विपक्ष में थे। हमारे साथ थे, लेकिन ये थे, श्रवण कुमार जी थे। 1993 से 1998 के बीच में एक पी.एन भंडारी, उपनिवेशन आयुक्त हुआ करते थे, उनकी चिट्ठी के ऊपर विधान सभा में जो चर्चाएं हुई थीं। नरेन्द्र सिंह भाटी और सुरेन्द्र व्यास जी, मालपुरा वालों ने की थी। भैरोंसिंह जी ने कहा था कि इनको बोलने दीजिये। आज पुराने लोग उठाकर देख लीजिये, प्रोसीडिंग देख लीजिए। लोग खड़े होते थे, भैरोंसिंह जी कहते थे, हम जवाब देंगे। यह प्रजातंत्र है, हर आदमी को हक है। आज अगर वे बातें कही जाएं, किसी सदन के नेता के लिए, मुख्य मंत्री के लिए तो मेरे ख्याल से यहां से एक-आध तो लाश उठकर जायेगी, ऐसा झगड़ा होगा।

उन भैरोंसिंह जी की बात करते हो। उनके कदमों पर चल रहे हो क्या? उनका इस सदन में योगदान है। भैरोंसिंह जी, इस सदन के नेता कहते थे, मैं इस सदन से नेता बना हूं। आप उन पर चलिये, हम तो कहते हैं सबको

(श्री जुबेर खान)

चलना चाहिए। सदन की गरिमा का मान रखना चाहिए। यह पवित्र सदन है, इसका सम्मान करना चाहिए।

एक बात और कही। अनिता जी कह रही थीं, कांग्रेस तो भारत के टुकड़े-टुकड़े करने की बात करती है। इस देश में अंडमान निकोबार को किसने मिलाया? इंदिरा गांधी ने मिलाया न। दमन, दीव, दादरा नगर हवेली को किसने मिलाया? पंडित जवाहर लाल नेहरू और सरदार पटेल जी ने मिलाया न। सिक्किम का इस देश में किसने विलय कराया? इंदिरा गांधी जी ने कराया न। पाकिस्तान को कश्मीर से किसने खदेड़ा? भारत की सेनाओं ने। प्रधान मंत्री जवाहर जी थे और गृह मंत्री सरदार पटेल थे, उन्होंने धकेला न। पाकिस्तान के दो टुकड़े किसने किये? इंदिरा गांधी ने किये न। आपने किये क्या? आज उन इंदिरा गांधी, जिनके लिए अटल जी ने लोक सभा में कहा था, ये इंदिरा नहीं, दुर्गा का अवतार हैं, आप उनके नाम बदल रहे हो। इंदिरा रसोई का नाम बदल रहे हो, इंदिरा आवास योजना का नाम बदल रहे हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपको शर्म आनी चाहिए कि ऐसी नेता, जिसने अमेरिका के सातवें बेड़े को चने चबवा दिये हों।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाइन्स): 000

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जिसने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिये हों, जिसने खालिस्तान बनने से रोक दिया हो, उन नेताओं के नामों के साथ आप राजनीति कर रहे हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री बाबूलाल खराड़ी (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): 000

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अनिता जी, बार-बार कह रही थीं कि कांग्रेस तो तुष्टिकरण करती है। क्या तुष्टिकरण करती है कांग्रेस? इस सदन में जितने भी लोग यहां मौजूद हैं, राजस्थान में या हिन्दुस्तान में एक थाने का, एक तहसील का, एक सरकारी कार्यालय का, एक सार्वजनिक पार्क का नाम बता दीजिये, जहां कांग्रेस के समय में मन्दिर नहीं बनाये गये हों या पूजा स्थल नहीं बनाये गये हों। कांग्रेस ने कभी किसी का विरोध किया? एक भी जगह कहीं बता दीजिये, जहां मस्जिद बनी हो। आप क्या तुष्टिकरण की बात करते हो?

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाइन्स): 000

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): 000

श्री बालमुकुन्दाचार्य (हवा महल): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री जेठानन्द व्यास (बीकानेर पश्चिम): 000

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ऐसा है, मुझे बहुत से माननीय सदस्यों के बारे में मालूम है। क्या बात कर रहे हैं।

श्री गोपाल शर्मा (सिविल लाइन्स): 000

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): 000

श्री सभापति: माननीय जुबेर खान, समाप्त करें। आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, आप तो विराजिये। आप उनकी तरफ ध्यान मत दीजिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): एक कर्जे की बात कही गई। इस सरकार ने कर्जे के बारे में कहा था कि देश पर कर्ज है। राजस्थान पर बहुत कर्ज हो गया है। 1950-52 से 2014 तक प्रधान मंत्रियों ने सिर्फ 54 लाख करोड़ रुपये का ऋण लिया था। अब 2014 से 2023 के बीच में अकेले नरेन्द्र मोदी जी ने 205 लाख करोड़ का कर्जा लिया है और कर्जा किसलिए लिया जा रहा है? क्योंकि अडानी और अम्बानी के कर्जे माफ किये जा रहे हैं और जनता के ऊपर कर्जा थोपा जा रहा है। इंडिया शब्द की बात कही गई, सच्चाई कड़वी लगती है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपने तो राजस्थान के बारे में किया ही है न। सबने राजस्थान की बात की है।

श्री सभापति: माननीय जुबेर खान, समाप्त करें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इंडिया शब्द का कहते हैं टुकड़े-टुकड़े करने वाला शब्द है। अगर यह गैंग है तो यह स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया तो यह किसी अनपढ़ या मानसिक रोग से कोई आदमी ठीक नहीं है जिसने यह नारे दिये हैं? अगर इंडिया शब्द अच्छा नहीं है

(श्री जुबेर खान)

तो यह नारे किसने दिये हैं? यह तो आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने दिये हैं न? (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप यह अभिभाषण पढ़िये, आपने मोदी जी के और मन्दिर के अलावा कोई बात की है क्या?

श्री सभापति: समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): कोई बात की है क्या? राजस्थान की की है क्या? महाराणा प्रताप की की है क्या? महाराणा सांगा की की है क्या? पृथ्वी राज चौहान की की है क्या? अमर सिंह राठौड़ की की है क्या? किसकी बात की है इसमें? बात तो इनकी की है।

अन्त में, मैं वाइंड-अप करना चाहूंगा, सभापति महोदय, 'मैं झुका लेता हूं अपना सर दूसरे धर्मस्थलों के सामने भी क्योंकि मुझे मेरा धर्म किसी धर्म का अपमान करने की इजाजत नहीं देता।' यहां यह बात भी कही गई कि पलायन हो रहा है।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जाम कहां नहीं हो रहा है, अजमेर में नहीं हो रहा, उदयपुर में नहीं हो रहा, अमृतसर में नहीं हो रहा, बोम्बे में नहीं हो रहा, कलकत्ता में नहीं हो रहा? और कहां जायें परकोटे के लोग? जो लोग पढ़ लिख गये हैं, शादियां कर ली हैं वो बड़ी कालोनियों में, बड़े टॉवर्स में, सोसायटीज में मकान ले रहे हैं। आप लोगों ने तो यह हालत कर दी कि मुझ जैसा आदमी कभी जाता है फ्लैट लेने तो मुसलमान को तो फ्लैट नहीं देंगे, तो फिर कहां जायें? मैं हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य को...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। अंकित नहीं होगा। जाम वहां लग रहा है वह तो ठीक है लेकिन जाम की स्थिति यहां क्यों कर रहे हो आप लोग? यह जाम की स्थिति है, ये बोल रहे हैं तो आप इंटरवीन कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो ये इंटरवीन कर रहे हैं। नये माननीय सदस्य हैं, मैं उम्मीद करता हूं उन लोगों से कुछ सीखेंगे तो अच्छी बातें हैं। यह वह यूनिवर्सिटी है जिसकी शिक्षा बाहर कहीं नहीं मिलती। परम्पराएं सीख लेंगे। बार-बार में इंटरवीन नहीं करेंगे, बार-बार हाथ ऊपर कर नहीं बोलेंगे। यदि बोलने की आपकी मंशा है तो अपने चीफ व्हिप से कहिये, इजाजत लीजिये और बोलिये आप। क्यों बार-बार इंटरवीन कर

(श्री सभापति)

रहे हैं? इन्हें अपनी बात कहने का हक मैंने दिया है। आसन ने इनको बोलने की इजाजत दी है। आसन को आपने बोलने की इजाजत दी है। जब आप बोलेंगे तो ये इंटरवीन नहीं करें, जब ये बोलें तो आप इंटरवीन नहीं करें। परम्पराएं हैं, सीख लीजिये। बहुत मुश्किल से वक्त मिला है आपको, पर अब मुझे लग रहा है कि यह वक्त आप बहुत जल्दी से गुजारना चाह रहे हैं कि कैसे भी गुजरे, ताकि हम बाहर निकलें। मेहरबानी करें, आसन का निर्देश मानें। बार-बार कहने की नौबत नहीं आये। जब बोलने का मौका दिया तब आप अपनी बात शालीनता से रखें, असंसदीय तरीके से नहीं रखें और जब बोलें तो आप एक-दूसरे को इंटरवीन नहीं करें। श्री ललित मीना। (व्यवधान)

प्लीज विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। मुझे बहुत खेद है कि बार-बार कहने के बावजूद भी आसन के निर्देशों की इस तरह से अवहेलना।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 000

श्री सभापति: विराजिये। चाणक्य की जरूरत नहीं है अभी यहां पर। विराजिये। माननीय सदस्य, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं आप लोगों को। बार-बार मत खड़े होइये। कुछ अच्छी परम्पराएं सीख लेंगे तो घटेगा नहीं, आपका मान बढ़ेगा। पूरा राजस्थान देख रहा है आपको कि किस तरह से आप आसन के निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं। जिन माननीय सदस्य का अभी जिक्र किया है न माननीय भैरोंसिंह जी का, हमने सीखा है उनसे, एक-एक बात उनकी सीखते थे। किस तरह से बोलना है, किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से आसन की मर्यादा का ध्यान रखना है, किस तरह से सदन की मर्यादा का ध्यान रखना है। आज जहां मैं बैठा हूं 1990 के बाद में माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत के प्रति मेरी निष्ठा है। मैं नतमस्तक हूं उनके सामने। हमने सीखा है उनसे। आप भी सीखेंगे तो अच्छा है। वक्त आयेगा जब आप भी इसी जगह बैठ कर कुछ कहेंगे कि हमने सीखा है उनसे, लेकिन अब जो कुछ आप सीख रहे हो यह वो चीजें हैं जो आपको पश्चाताप करने लायक भी नहीं छोड़ेंगी। पश्चाताप करना पड़ेगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता। जयपुर के माननीय सदस्य जो यहां पर आये हैं मैं नाम नहीं लेना चाहता। आप विद्वान हैं। आसन आपसे यह अपेक्षा रखता है कि बार-बार खड़े होकर बोलने की बजाय आप इजाजत लीजिये और अच्छी बात कहिये। श्री ललित मीना।

श्री ललित मीना (किशनगंज): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया,

(श्री ललित मीना)

बहुत-बहुत आभार। मैं इस सदन के माध्यम से और मेरे विधान सभा क्षेत्र के आमजन की ओर से इस देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी को, मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि 3 तारीख को राजस्थान में जनादेश आया और 15 तारीख को सरकार का गठन हुआ। उसके एक महीने बाद ही इस प्रदेश में विधान सभा को, जिसके लिए हम सब लोग यहां आये हैं। हमारे गरीब के सर पर छत हो, उसको लाइट की सुविधा मिले, उसको पानी की सुविधा हो। मेरे विधान सभा क्षेत्र में गरीब लोगों की यह अपेक्षा है, आमजन की यह अपेक्षा है, जाते ही वो कहते हैं तो मैं इस सदन के माध्यम से हमारे प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और मैं यह कहूंगा कि यह एक तरह से इस पूरे प्रदेश को यहां तक की डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बारां जिले के मेरे किशनगंज, शाहबाद जनजाति क्षेत्र को हमारे प्रधान मंत्री जी ने और इस पूरे राष्ट्र के लगभग 18 जिलों में प्रधान मंत्री जन मन धन कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बड़ी सौगात उस गरीब, नीचे तबके के व्यक्ति को दी, उसके लिए मैं इस सदन के माध्यम से बारम्बार धन्यवाद दूंगा।

सभापति महोदय, मैं इसलिये धन्यवाद दूंगा, क्योंकि भारत के 18 राज्यों में और एक केन्द्र शासित प्रदेश में लगभग सात लाख लोगों को घर तथा 29 लाख आदिवासी परिवारों को 24 हजार करोड़ के बजट के आबंटन से 9 मंत्रालयों के सहयोग से पक्का घर, घर तक नल, गांव तक सड़क, हर घर तक बिजली, सबको शिक्षा, कौशल, सबका स्वास्थ्य, आजीविका और इन्टरनेट, दूरदराज तक इसकी सुविधा देने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने 15 तारीख को जन मन धन कार्यक्रम के माध्यम से शुरुआत की। मैं इधर-उधर की कहूं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 13,390 परिवारों को घर देने का काम हमारे प्रधान मंत्री जी ने किया और उनकी पहली किस्त 90 हजार रुपये मेरे आदिवासी सहरिया परिवार, जनजाति के भाइयों को अभी वर्तमान में 15 तारीख को कार्यक्रम चालू हुआ और 22 तारीख को जिस दिन भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई उस समय उनके खाते में 90 हजार रुपये की पहली किस्त आ गई और भूमि पूजन भी उसी दिन उनके भवन का, उनके घर का हुआ। यह बहुत बड़ा सौभाग्य है कि प्रधान मंत्री जी ने हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह बहुत बड़ी हमारे पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में लगभग मेरे यहां पर 13,390 परिवारों को आवास स्वीकृत किये। किसी भी विधान सभा क्षेत्र में मेरे ख्याल से नहीं हुए होंगे। इसके साथ-साथ लगभग 24 किलोमीटर की सड़कें

(श्री ललित मीना)

प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से स्वीकृत होकर उनका काम, सर्वे वगैरह होकर, मौके पर चालू हो गया।

सभापति महोदय, इतनी बड़ी सौगात इस नयी सरकार के राजस्थान में गठन होने के बाद प्रधान मंत्री जी ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में दी। इसके साथ-साथ जो हमारे गरीब तक लाइट का कनेक्शन आज क्वेश्चन ऑवर में मेरे साथी राजकुमार जी रोत कह रहे थे कि गरीब को जब हम पट्टा देते हैं तो उसको लाइट की दिक्कत आती है, एग्रीकल्चर कनेक्शन की दिक्कत आती है, पर सरकार गठित होने के बाद 22 तारीख को ही, 15 को जब यह प्रधान मंत्री जन मन धन कार्यक्रम चालू हुआ तो लगभग 17,633 परिवारों को विद्युत कनेक्शन लगाकर मीटर लगाकर उनको लाइट का कनेक्शन दे दिया। यह बहुत बड़ी गरीब को सहायता है। गरीब को यह लगे कि सरकार का गठन हुआ और हमारे प्रधान मंत्री जी, जो नीचे तबके तक हर चीज पहुंचाना चाहते हैं, उसका सीधा लाभ उसको उसके खाते में मिला।

इसी तरह जल जीवन मिशन में गरीब परिवारों को पानी देने का काम किया। किस जगह पर कहां पर बोर लगना है, वह सारा चिह्नित करने का काम प्रधान मंत्री जन मन धन कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया। यह पूरे राजस्थान और 18 प्रदेशों के साथ एक केन्द्र शासित प्रदेश में करने का काम किया। मैं हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी एवं मुख्य मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मंत्री जी को शपथ लिये हुए आज 14-15 दिन हो गये, आज हमारे मीसा बंदियों की पेंशन को वापस चालू करने का काम उन्होंने किया। यह बहुत बड़ा काम हमारे मीसा बंदियों के लिये किया।

इसके साथ-साथ पिछले पांच साल से जो हमारा युवा ठगा हुआ सा महसूस कर रहा था, आर पी एस सी का कैलेंडर जारी करके उसको यह सौगात देने का काम किया कि आने वाले समय में कब-कब, कौन-कौनसी परीक्षाएं होंगी।

इसके साथ-साथ 10 दिन में किसान का कर्जा माफ करने का नाम लेकर पिछली सरकार सदन में आई, इन्होंने कुछ नहीं किया। किसान के लिये हमारे मुख्य मंत्री जी ने गेहूं की एम एस पी को बढ़ाकर 2700 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा करके सदन के माध्यम से आमजन को राहत देने का काम किया। सरकार गठन के बाद 450 रुपये में सिलेंडर की घोषणा को अमल में लाने का काम हमारे मुख्य मंत्री जी ने किया। ई आर सी पी प्रोजेक्ट

(श्री ललित मीना)

के बारे में पिछले पांच साल से पूर्व मुख्य मंत्री जी कहते थे कि इसको करना है, लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि हम इन 13 जिलों को जल्दी ही इससे जोड़ कर इसको आगे बढ़ाने का काम जल्दी करेंगे।

इसके साथ-साथ हमारे विपक्षी साथी पिछली बार 10 दिन में कर्जा माफ करने का कह-कहकर सरकार में आये, लेकिन किसी किसान का कर्जा माफ नहीं करने का काम इन्होंने किया और उसी का जवाब आज जनता ने वोट के रूप में देकर इनको सामने बिठाने का काम किया।

मैं इस अभिभाषण के माध्यम से सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हाड़ौती की एक बहुत वृहद परियोजना 'अकावद मध्यम सिंचाई परियोजना' पूर्व मुख्य मंत्री वसुंधरा जी के समय लागू की गई। पिछले पांच साल में उसका 30 परसेंट काम भी पूरा नहीं किया, उसको पेंडिंग पटके रखा। चार जिलों में उससे सिंचाई का काम होना था, आज उस डैम का काम अधूरा पड़ा हुआ है। लगभग 7,355 करोड़ का वह प्रोजेक्ट आज भी यह इंतजार कर रहा है कि कब उसको पैसा मिले और कब वह काम आगे चालू हो। पिछली सरकार में 2018 के दौरान 2,175 करोड़ रुपये जारी किये, परन्तु मानिटरिंग नहीं होने के कारण आज भी वह काम नहीं हो पाया।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री ललित मीना (किशनगंज): सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के जो काम नहीं हुए, मैं मोटे-मोटे वह आंकड़े बताना चाहूंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि लाइट की समस्या है। तीनों डिस्कॉम लगभग घाटे में चल रहे हैं। जो 132 के.वी. जी.एस.एस., 33 के.वी. जी.एस.एस. नहीं बन पाये, लास्ट में केवल घोषणाएं करने का काम किया। आज जनता जाते ही कहती है कि इनका काम कराओ। इसलिए वोट देकर जनता ने इनको सामने बिठाने का काम किया। आज जनता यह कहती है कि पत्थर लगा दिया, पत्थर लगाने के बाद काम नहीं हुआ। अब वह जिम्मेदारी हमारी सरकार की है।

हमारे मुख्य मंत्री जी एवं हमारे प्रधान मंत्री जी ने आयुष्मान योजना की पूरे राजस्थान और पूरे देश को सौगात दी। इस आयुष्मान योजना को पूरे भारत में लागू करने का काम हमारे प्रधान मंत्री जी ने किया, लेकिन राजस्थान में पिछले पांच साल से यह रुका हुआ था। सरकार बदलने के बाद अब गरीब को नीचे तक, आमजन को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिले, यह

(श्री ललित मीना)

मोदी जी की गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी बनने चालू हुए हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान की आम जनता को और विपक्ष को यह बताना चाहूंगा कि जो गारंटी देने का काम हमारे प्रधान मंत्री जी ने किया, वह आज चालू हो गया है। अभी कैम्पों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा एवं प्रधानमंत्री आवास के आवेदन लिये जा रहे हैं। हमारी कई सारी योजनाएं जो पिछले पांच साल से अटकी हुई थीं, उनको इन्होंने एक रुपया नहीं दिया।

श्री सभापति: विराजिए। श्री यूनुस खान।

श्री ललित मीना (किशनगंज): मैं दो मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा।

श्री सभापति: प्लीज, एक मिनट में समाप्त करें।

श्री ललित मीना (किशनगंज): सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि रामनवमी पर, परशुराम जयंती, हिन्दू नव वर्ष पर और हनुमान जयंती पर जो शोभा यात्राएं निकाली जा रही थीं, उन पर रोक लगाने का काम तो आपकी सरकार ने ही किया। यहां तक कि नवरात्रि पर लाइट कटौती करने का आपके बिजली विभाग से स्पेशल आदेश निकला। मैं कहना चाहूंगा कि जो आपने पक्षपात किया, उस वजह से आपको जनता ने जनादेश दिया है। मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि हमारी सरकार, हमारे मुख्य मंत्री जी ने ...

श्री सभापति: श्री यूनुस खान। अंकित नहीं होगा।

श्री ललित मीना (किशनगंज): 000

श्री यूनुस खान (डीडवाना): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले आपको धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, अभी महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण प्रस्तुत किया, उसके ऊपर वाद-विवाद में आपने मुझे समय दिया, उसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं तो टू-द-पाइंट ही बात करूंगा। इसके पाइंट संख्या 29 और 30 में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा की गई। यह पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों एवं 83 विधान सभा की जीवनदायिनी है। इस योजना में जिस तरह की लेट-लतीफी हो रही है और जो आंकड़े बार-बार प्रस्तुत किये जा रहे हैं, उस पर मैं आपका, सदन का और माननीय मंत्रीगण का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्य मंत्री जी ने 8 मार्च, 2017 को अपने बजट के

(श्री यूनुस खान)

पैरा नंबर 134 में इस ई आर सी पी का जिक्र किया था। उसके बाद उन्होंने जब अपना दूसरा बजट 12 फरवरी, 2018 को प्रस्तुत किया, उसमें इसकी पूरी कार्ययोजना, डी पी आर और सारी बातें उन्होंने कहीं। उसके पश्चात् लगभग नवम्बर, 2017 में इस परियोजना का विस्तृत स्वरूप भारत सरकार की एजेंसी वैपकोस के द्वारा तैयार किया गया। उसने लगभग 18 करोड़ रुपये फीस के रूप में लिये। उस समय राजस्थान के जल स्वावलम्बन और पानी से जुड़े हुए विभाग के एडवाइजर थे श्री राम बेटरे, जो आज भारत सरकार के एडवाइजर हैं। मैं यह मानता हूं कि भारत सरकार की जो वैपकोस एजेंसी थी, उसने जो परियोजना बनाई और जो डी पी आर बनाई, उसके अनुसार राजस्थान को पानी मिलना चाहिये था। मैं थोड़ा-सा पीछे जाना चाहूंगा, 1999 में तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय गहलोत साहब और दिग्विजय सिंह जी ने दो राज्य, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच चम्बल बेसिन के पानी के बंटवारे का एक समझौता किया था। उसमें हमारे राजस्थान के हिस्से में 3,925 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी आया। उसी को बेस मानते हुए यह परियोजना तैयार की गयी। उसमें से 3,510 मिलियन क्यूबिक मीटर की परियोजना तैयार हुई। माननीय सभापति महोदय, उसमें हमारे राजस्थान के अन्दर जो हमारे अलग-अलग सेक्टर में यूज आने वाला था, उसमें विशेष रूप से पीने का पानी, डी.एम.आई.सी. यानी दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर के लिए और लगभग 2 लाख हैक्टेयर जमीन सिंचाई और 80 हजार हैक्टेयर जमीन जो पहले से ही सिंचित थी, कमांड एरिया था, लेकिन पानी नहीं मिलने के कारण अन-कमांड हो गया, उसके लिए पानी की व्यवस्था थी।

(समय: 14.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार आयी, उसने कहा कि वसुन्धरा राजे जी ने दिल्ली में डी.पी.आर. भेजी है, उसके अनुसार हम करेंगे। वह तो स्वागत योग्य था, लेकिन 1999 में उन्होंने जो समझौता किया था, उस समझौते में राजस्थान के हितों के साथ कुठाराघात हुआ, उसके कारण आज राजस्थान पीने के पानी के क्राइसेस से जूझ रहा है।

मेरा इतना ही निवेदन है कि अब जो इन्होंने पाइंट संख्या 29 और 30 में दिया है, अगर इनकी चिट्ठियां हम देखें, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने जो लिखी हैं, बहुत सारी चिट्ठियां राजस्थान सरकार को लिखी हैं। वे कह रहे हैं कि इसकी रिवाइज डी.पी.आर. भेजिए। इसकी जो मूल डी.पी.आर. बनी थी,

(श्री यूनुस खान)

वह 50 प्रतिशत डिपेंडेबिलिटी पर बनी थी। हमारा समझौते के तहत पानी 3,925 मिलियन क्यूबिक मीटर था, उसमें से 3,510 मिलियन क्यूबिक मीटर के लिए यह योजना बनी थी। इस योजना में अब जो हमें कहा जा रहा है कि अब हम इंटर-लिंकिंग रिवर के तहत 90 परसेंट पैसा दे देंगे। राजस्थान को पैसा नहीं चाहिए, राजस्थान को पानी चाहिए। पानी तब ही मिलेगा, जब इसके मूल स्वरूप में डिपेंडेबिलिटी पर आप काम करेंगे। अगर हम आंकड़े देखें, माननीय सभापति महोदय, 50 परसेंट डिपेंडेबिलिटी का मतलब यह हुआ कि हमारी यह योजना आगे बढ़ेगी। अगर इसको 75 परसेंट डिपेंडेबिलिटी पर करते हैं तो हमारा पानी 1,740 मिलियन क्यूबिक मीटर हो जायेगा, जिससे राजस्थान को लगभग 1,800 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी कम मिलेगा, यह आप मानकर चलिए। इसलिए मेरा वर्तमान सरकार से आग्रह है। दोनों माननीय मंत्रीगण यहां पर नहीं विराज रहे हैं, मेरा वर्तमान सरकार से आग्रह है कि सरकार इसका अध्ययन करे। केन्द्र सरकार क्या चाहती है, मध्य प्रदेश क्या चाहता है, इसको नहीं देखे। अब सब डबल इंजन-डबल इंजन कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री यादव हैं यहां के माननीय भजन लाल जी हैं। भजन लाल जी राजस्थान के हितों को देखें तो मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री अपने हितों को देखेंगे। वे आपको पानी ज्यादा क्यों दे देंगे? डबल इंजन हो गया, इसलिए पानी नहीं देंगे। पानी तो आपका जो 1999 का समझौता है, उसके अनुसार ही मिलेगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस योजना को इंटर लिंकिंग रिवर से नहीं जोड़ें, क्योंकि उससे राजस्थान के हितों के साथ कुठाराघात होगा। हमें पैसा नहीं चाहिए, पैसा हमारे पास है, पैसे के लिए योजना थोड़े ही भेजी थी? 2017 में योजना परमिशन के लिए भेजी थी, क्योंकि इसके लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की परमिशन चाहिए थी। वह तो संयोगवश यह परियोजना, जो राष्ट्रीय परियोजनाएं होती हैं, उनमें क्वालिफाई कर गयी, क्योंकि उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन में 2 लाख हैक्टेयर भूमि चाहिए सिंचाई के लिए और बाकी नोर्म्स भी पूरा कर रही थी, इसलिए उनसे मांग थी कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे। हमारी चाहे राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हो, लेकिन राजस्थान एक ही चीज चाहता है, वह यह कि राजस्थान को पीने का पानी मिले और इन 13 जिलों में।

माननीय सभापति महोदय, अगर हम आंकड़े देखेंगे तो 83 विधान सभा क्षेत्र आते हैं और इन 83 में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी

(श्री यूनुस खान)

50 विधान सभा क्षेत्र जीतकर आयी है, कांग्रेस 30 जीतकर आयी है, बाकी आर एल डी और अन्य लोग जीतकर आये हैं। मैं इन माननीय सदस्यगण से भी कहूंगा कि इसका अध्ययन करें, बिना अध्ययन के खाली इसलिए नहीं कि केन्द्र में हमारी सरकार है, स्टेट में हमारी सरकार है और केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री भी हमारे हैं। यह तो दुर्भाग्य है कि जोधपुर से आने वाले विधायक और जोधपुर से आने वाले सांसद, दोनों का ईगो अड़ गया, इसलिए आज राजस्थान सफर कर रहा है, अन्यथा यह योजना उसी समय हो जाती, क्योंकि दोनों की एक-दूसरे से वार्ता ही नहीं होती थी। वार्ता नहीं होने के कारण यह योजना अटकी रही। वे कह रहे हैं कि 90:10 मिलाओ, ये कह रहे हैं कि हम तो वसुन्धरा जी ने जो प्रस्तुत किया है, उसी को करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मेरा यह आग्रह है कि हमारे राजस्थान के जो हित हैं, उनको साधना चाहिए। इसमें चार चीजें हैं। एक पीने का पानी है, एक नया कमांड एरिया है और जो पुराना कमांड एरिया है, उसको वापस जीवित करना है।

एक जो हमारी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करेगी, वह है डी.एम.आई.सी.। अगर डी.एम.आई.सी. में पानी नहीं होगा तो ये उद्योग राजस्थान में कौन लगायेगा? मेरा आग्रह है कि अगर आप 90:10 में कर गये, उसको स्टडी कर लेना, अगर किसी को समझना है तो मेरे हिसाब से आप अधिकारियों के साथ बैठकर समझिये। खाली भावनाओं में मत बहिये कि दिल्ली में हमारी सरकार है, उन्होंने कह दिया है, इसलिए हम कर रहे हैं। यह भावना का खेल नहीं है, यह राजस्थान के हितों से जुड़ा हुआ सवाल है। इसलिए राजस्थान के हितों के साथ कोई कुठाराघात नहीं होना चाहिए और यह हमारी योजना बिना अध्ययन के पास नहीं होनी चाहिए। मेरा आग्रह है कि हमारी जो मूल रूप में योजना है, उसको उसी स्वरूप में अध्ययन करके इसको स्वीकृत करवाया जाये, न कि इंटर लिंकिंग योजना के तहत।

अभी सभी ई.आर.सी.पी. पर बोल रहे हैं। मैं लाया हूं। महामहिम कलराज मिश्र साहब ने 2023 में यहां अभिभाषण रखा था, उसको इसमें उद्धृत किया है। माननीय हो सकता है कि एक लाइन छूट गयी हो। 2051 की जनसंख्या को मानते हुए, कोई भी परियोजना बनती है तो जनसंख्या उसका आधार होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार इन 13 जिलों की 2 करोड़ 81 लाख 83 हजार 725 जनसंख्या थी और आज आप जयपुर देखिये, 2011

(श्री यूनुस खान)

से लेकर। पूर्व यू डी एच मिनिस्टर बैठे हैं, ये बतायेंगे कि कितने लोग नये बस गये। सभापति महोदय, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि लगभग साढ़े चार करोड़ की पापुलेशन इस क्षेत्र की हो गयी है। 83 विधान सभा क्षेत्रों में पीने का पानी आता है। यहां हमारी लाइन में जो बैठे हैं, माननीय मुख्य मंत्री भी भरतपुर से आते हैं, हमारे दोनों उप मुख्य मंत्री, एक जयपुर से आते हैं, एक दूदू से आते हैं। दूदू भी इसमें सम्मिलित है। अभी अध्यक्ष जी नहीं हैं, उनका अजमेर जिला भी इसमें सम्मिलित है। ये सारे हैं। इसलिए राजस्थान को पीने का पानी मिले। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल अपने मूल स्वरूप में वापस आये और उसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये उस पर काम करें।

माननीय सभापति महोदय, क्योंकि बहुत शोर्ट समय मिला है। मेरी एक मांग रहेगी। अगर यह सरकार एम.ओ.यू. करती है, क्योंकि एम.ओ.यू. का प्रारूप मैंने देखा है। उससे राजस्थान के हितों के साथ कुठाराघात होगा। वे कह रहे हैं कि हम पानी का रीजनरेशन करेंगे। माननीय सभापति महोदय, कब तो पानी आयेगा और कब आप उसको रीजनरेट करेंगे? 20 साल बाद पानी आयेगा तो वाटर लेवल तो..। जो आदमी राजस्थान में एडवाइजर था, जिसने मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना शुरू की और वैपकोस से यह बनायी, वही व्यक्ति वहां जाकर बदल गया। माननीय सभापति महोदय, व्यक्ति इसलिए बदल जाते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि मेरा मंत्री क्या चाहता है, मेरी सरकार क्या चाहती है। माननीय सभापति महोदय, सरकारें आयेंगी और जायेंगी, लेकिन राजस्थान की जनता के हित कल भी थे, आज भी हैं और परसों भी रहेंगे, उनके साथ कोई कुठाराघात नहीं हो, यह मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे टाइम दिया, मैं उसी टाइम में बोलने का प्रयास करूंगा। एक बड़ा इश्यू और है। वह बड़ा इश्यू है कि हमारे 10 जिले, जिनमें पीने का पानी आता है, वे इसी का हिस्सा हैं। मैं उनमें कहूंगा कि वे गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, माननीय सभापति महोदय, इसमें आपका जिला भी है, झुंझुनूं, नागौर, बाड़मेर और जोधपुर, इन जिलों में जो सतलुज-व्यास का पानी आता है, यह दुर्भाग्य की बात है कि उसमें जो भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड बना हुआ है उसमें आज तक राजस्थान का कोई प्रतिनिधि नहीं है। केन्द्रीय मंत्री दिल्ली में बैठे हैं, अगर उन्हीं को नियुक्त करना है, राजस्थान के हितों की बात करने के लिए आज तक कोई मेम्बर नहीं है। हमारे ड्रिंकिंग वाटर के लिए तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा

(श्री यूनुस खान)

जी ने कृपा की और उन्होंने 4 हजार करोड़ रुपये, दो फेज में, 761 करोड़ रुपये पहले फेज में और लगभग 3400 करोड़ रुपये दूसरे फेज में, 10 विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की योजना आयी थी। माननीय सभापति महोदय, पाइप लाइन बिछ गयी, टंकियां बन गयीं, लेकिन उसमें पानी नहीं आ पा रहा है। मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि नागौर, डीडवाना, कुचामन जिले का नहरी पेयजल के लिए, इंदिरा गांधी नहर का जो पानी है, उस पानी में हमारा जो एलोकेशन है, वह हमें नहीं मिल रहा है। नहीं मिलने के कारण, इन्फ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया, बार-बार माननीय सदस्य कहते हैं कि हर घर को जल, हर घर को नल। आप ठेकेदार को कहकर नल तो डलवा लेंगे, टंकी बनवा लेंगे, लेकिन जब आपके पास पानी ही नहीं है तो उन पाइप में, उन टंकियों में पानी जाएगा कहां से? इसलिए जल जीवन मिशन तभी कामयाब होगा, जब इन 13 जिलों की ये जीवनदायिनी ईमानदारी से चालू होगी और हमारा हक हमें मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, अब लोग सोचते हैं कि 75 परसेंट डिपेंडेबिलिटी होगी तो पानी ज्यादा मिलेगा, 50 पर कम मिल रहा है, जबकि इसमें उलटा है। उसमें सक्सेस रेट 75 परसेंट होती है। वह भी इर्रिगेशन की अलग होती है, ड्रिंकिंग वाटर की अलग होती है और इंडस्ट्री की अलग होती है, सक्सेस रेट। उसको ध्यान में रखते हुए, ये जो आपके जिले में और जहां हम बैठे हैं, पीने का पानी, मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से पहला आग्रह रहेगा, वह हैं नहीं, जब अपनी रिप्लाई करें तो उसमें भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में कब तक यह सदस्य बना देंगे?

दूसरी प्रॉब्लम क्या है माननीय सदस्य? हम लोग जो पानी पी रहे हैं, उसमें सीवरेज का पानी भी आ रहा है, क्योंकि पंजाब के सारे जितने भी सिटीज हैं, उनके सीवरेज का पानी उसमें आ जाता है। साथ-साथ वहां जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उसका भी गंदा पानी उसमें आ जाता है। हमें उस अकॉर्ड के अनुसार जितना पानी मिलना चाहिए था, मेरे ख्याल से 0.865 एम.ए.एफ. पानी राजस्थान को आज भी नहीं मिल रहा है। वहां पोंग डैम और भाखड़ा डैम, दोनों की स्थिति खराब हो गयी। मैं दोनों माननीय मंत्रीगण से, यहां नहीं हैं, आग्रह करूंगा कि....

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): सभापति महोदय, बात को कन्क्लूड कर रहा हूं। वे इस बात को संभालें। चूंकि मैं भी अपने क्षेत्र को रिप्रजेन्ट करता हूं

(श्री यूनुस खान)

और हमारे डीडवाना में सारी व्यवस्थाएं हैं। टंकियां बनी हुई हैं, पाइप लाइन बिछी हुई है, लेकिन जो हमें लगभग 40 एम.एल.डी. पानी मिलना चाहिए था, उसमें से अभी हमारे को 28 एम.एल.डी. पानी मिल रहा है, जिसके कारण त्राहि-त्राहि हो रही है। नागौर जिले का जो अलाटेड 300 एम.एल.डी. पानी है, पूरे जिले का, जो हमारा मूल जिला था, उसका पानी भी नहीं मिल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, एक समस्या और है जो मैं आपके माध्यम से लाना चाहूंगा कि ये दोनों मंत्री, बहुत अच्छी बात है कि दो मंत्री बने हैं। इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गयी, क्योंकि ये तो माननीय मुख्य मंत्री जी का विशेषाधिकार है कि किसको क्या विभाग दें। वित्त मंत्री को टैक्सेशन दें या नहीं दें या पहले जब वसुन्धरा जी की गवर्नमेंट थी, सांवरलाल जाट पूरे ही विभागों के एक ही मंत्री थे, जल संसाधन विभाग के, जिसके कारण कोई दिक्कत नहीं आती थी।

(समय: 14.12 बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, अब ई.आर.सी.पी. को तो देखेंगे सुरेश रावत साहब, जिनके पास आई.जी.एन.पी. का रेगुलेशन है और आई.जी.एन.पी. को देखेंगे माननीय मुख्य मंत्री जी, जिनके पास आपरेशन का है। सभापति महोदय, रेगुलेशन और आपरेशन दोनों अलग-अलग हो गये। अलग होने के कारण ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गयी और तीसरे मंत्री हैं, पी.एच.ई.डी. के मिनिस्टर।

सभापति महोदय, अब व्यावहारिक समस्या यह आयी है, जो आपके नोटिस में लाना चाहूंगा कि पानी देता है अलग विभाग, फिर परियोजना में जाता है, परियोजना के अलग अधिकारी, फिर जल जीवन मिशन के अलग अधिकारी। यानी एक विधान सभा में, एक स्टेट में जो एक मंत्री होना चाहिए था, उसके तो तीन मंत्री कर दिए। अब एक मंत्री कभी मीटिंग बुलाएगा, दूसरा कभी बुलाएगा तो ये तारतम्य बैठेगा नहीं। इसीलिए जो आप कह रहे हैं कि इन्होंने जल जीवन मिशन में राजस्थान को 33वें नंबर पर ला दिया तो हमारे भी तो केन्द्र में मंत्री बैठे हैं। जल शक्ति मंत्री हैं हमारे भी। उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): उनको भी मीटिंग करके इस समस्या का

(श्री यूनुस खान)

समाधान करना चाहिए था। चूंकि मेरा एक आग्रह है कि इस विषय को समझें। दूसरा, यह है कि माननीय मंत्रीगण कम से कम एक बार इन नदियों का, जितना भी इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, उसका कम से कम, गंगानगर, हनुमानगढ़ तक दौरा करें। फिर इनको भी एक कम्बाइंड मीटिंग बुलानी चाहिए जिससे इस समस्या का, पीने के पानी का, क्योंकि आज की तारीख में हमारा अखंड जो नागौर जिला, जिसमें दस विधान सभा क्षेत्र हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पीने के पानी की है। पानी आ नहीं रहा है और सरकार का पैसा लग चुका और सरकार के ब्याज लग रहा है, क्योंकि वह पैसा भी जनता का था। इसलिए आपके माध्यम से मेरा यही आग्रह रहेगा कि ये पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट परियोजना भी इसमें जुड़ गयी, अब हमारा ड्रिंकिंग वाटर भी इसी से आता है और इर्रिगेशन का पानी उसी से आता है। दोनों को अलग-अलग कर दीजिए, क्योंकि वह 10 किलोमीटर का एरिया है।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): उसमें क्या होता है कि वह तो लोकल लोग हैं, जो अपने, मैं क्या शब्द यूज लूं हाउस है, ताकत के बलबूते पर पानी ले लेते हैं हमारे हिस्से का, क्योंकि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी भी पीने का पानी है।

श्री सभापति: श्री गोरधन।

श्री यूनुस खान (डीडवाना): सबकी प्रायोरिटी पीने का पानी है। सभापति महोदय, इस विषय को गंभीरता से लेते हुए और मैं माननीय मंत्रीगण और माननीय मुख्य मंत्री जी को कहूंगा कि ईआर.सी.पी. के मूल स्वरूप को समझें, उसकी भावना को समझें, उनके अनुसार काम करें। पंजाब और हरियाणा सरकार से बात करके हमारे भाखड़ा बांध का जो मैनेजमेंट बोर्ड है, उसमें सदस्य नियुक्त कराएं, जिससे राजस्थान के हितों की रक्षा हो सके। इसी के साथ आपने मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिए। श्री गोरधन। श्री भैरा राम चौधरी।

श्री गोरधन (धोद): हाजिर हूं साहब।

श्री सभापति: आ गये।

श्री गोरधन (धोद): सभापति महोदय, बोल रहा हूं, आपके सामने खड़ा हूं।

श्री सभापति: प्रोसीड।

श्री गोरधन (धोद): माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र धोद की जनता को भी, जिन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया और मुझको इस सदन में बोलने का मौका दिया। साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगा पूरी राजस्थान की जनता को भी जिन्होंने हम सबको आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। वैसे तो माननीय सभापति महोदय, क्योंकि जो बीत गया, वह बीत गया, लेकिन बीता वह बहुत खराब बीता। पिछले पांच साल जो सरकार चलाई और उसमें जिस प्रकार से जनता के साथ जो छलावा किया, जो धोखा किया, मैं सोचता हूं कि वह पांच साल इस राजस्थान की जनता के लिए काले अध्याय के रूप में ही माना जाएगा।

सभापति महोदय, सबसे ज्यादा धोखा किसानों के साथ में, चाहे कर्जा माफी की बात हो, उसी प्रकार से सबसे ज्यादा धोखा युवाओं के साथ में, क्योंकि जब एक गरीब का बच्चा अपना गांव छोड़कर दूसरी जगह पढ़ने के लिए जाता है, चाहे वह जयपुर आता है, चाहे वह दिल्ली जाता है और जब परीक्षा पास में आती है तथा जब वह परीक्षा देने के लिए अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचता तो वहां गेट पर ही सूचना मिलती कि पेपर आउट हो गया, पेपर लीक हो गया। एक बार ही नहीं 19 बार ऐसे पेपर आउट हुए, पेपर लीक हुए हैं। यही कारण रहा कि ये अपनी सरकार को गंवा बैठे। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, पैसे रखने के लिए जगह नहीं मिली, यहां सचिवालय की अलमारियों में इन्होंने, क्योंकि बिस्किट खाने को ही नहीं मिलते और इन्होंने सचिवालय की अलमारी में सोने के बिस्किट छिपा कर रखे। मैं सोचता हूं कि ऐसा भ्रष्टाचार हमने कभी नहीं देखा होगा।

जिस प्रकार से इन्होंने आयुष्मान भारत योजना का नाम बदलकर चिरंजीवी योजना रखा और चिरंजीवी योजना में भी कोई भी सरकार यदि अपनी जनता को लाभ देना चाहती है तो कम से कम ये तो सोचे कि 6 महीने पहले या 7 महीने पहले तो शुरू नहीं करे। जाते-जाते जब इन्होंने कहा कि हम 25 लाख रुपये चिरंजीवी योजना के अंतर्गत उस रोगी का इलाज कराएंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बात नहीं करें।

श्री गोरधन (धोद): केवल 25 लाख की घोषणा असत्य बात साबित हुई। इसमें भी 10 फरवरी, 2023 को चन्द लोगों को ही सहायता दी गयी।

(श्री गोरधन)

माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी ने 2018-19 में सरकार छोड़ी थी तो कर्जा 3 करोड़ 11 लाख 30 हजार 76 रुपये का था। (व्यवधान) हां, तीन लाख। मैं देखकर बोल रहा हूं, जो लिखा हुआ है वही बोल रहा हूं लेकिन आपने इसमें 5 लाख 79 हजार करोड़ रुपये कर्ज के छोड़े हैं। उस समय हमारी सरकार थी तो कर्जा 40 हजार 300 रुपये प्रति व्यक्ति था, आपने छोड़ा उस समय 70 हजार 800 रुपये हो गए। मैं सोचता हूं कि केवल और केवल कर्जा लो या सरकारी परिसम्पत्तियां बेचो, असत्य वादे करो और असत्य वादों में भी पता नहीं आपने इतना कर्जा कैसे कर लिया, यह भी समझ में नहीं आता। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बीच में ना बोलें।

श्री गोरधन (धोद): मैं सोचता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने इस राजस्थान का भट्ठा बैठाया है, वह कई सालों तक आपको माफ नहीं करेगा। हमारी सरकार ने जिस प्रकार से घोषणा पत्र बनाया था और हमारा जो संकल्प था, उस संकल्प पत्र के आधार पर ही, जैसे ही हमारी सरकार बनी, सबसे पहले साढ़े चार सौ रुपये में गैस सिलेण्डर देने का माननीय मुख्य मंत्री जी ने वादा निभाया, इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद इसलिए भी देते हैं कि किसान सम्मान निधि द्वारा 6 हजार रुपये मिलते थे, अब आने वाले समय में 12 हजार रुपये किसानों को मिलेंगे।

माननीय सभापति महोदय, विकसित भारत संकल्प यात्रा और माननीय मोदी जी का विजन है कि 2047 तक यह भारत विकसित राष्ट्र बने, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारे 17 विभाग जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता में गरीब, असहाय, पीड़ित या मकान रहित, जो भी वंचित व्यक्ति हैं, उन सब लोगों को 17 विभागों द्वारा जन-कल्याणकारी योजनाओं द्वारा भारत सरकार और राजस्थान सरकार यह अभियान चला रही है।

माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केन्द्र में बनी हो चाहे राजस्थान में बनी हो, वह गरीब को गणेश मानकर ही सेवा करती है। इसी का कारण है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री ने भी पीएम विश्वकर्मा योजना चलाई है। यह इसलिए है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में 15 हजार से लेकर 3 लाख रुपये तक की सहायता या ऋण दिया जाता है।

माननीय सभापति महोदय, 22 तारीख को दूसरी दीपावली के रूप में

(श्री गोरधन)

भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो पूरा देश दीपावली मना रहा था। मैं माननीय यशस्वी प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जैसे ही भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की, उसके बाद आते ही सूर्योदय योजना का शुभारम्भ किया गया। सूर्योदय योजना के अंतर्गत एक करोड़ लोगों को कनेक्शन दिए जाएंगे, उसी प्रकार से उनको बिजली दी जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, इस कांग्रेस सरकार ने पांच साल तक जनता के साथ जो धोखा किया था, जिस प्रकार से राजस्थान का भट्टा बिठाया है, अब हम सब लोग मिलकर इस राजस्थान को फिर से एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे। यदि ऐसा हम सब लोग संकल्प लेंगे...

श्री सभापति: विराजिए।

श्री गोरधन (धोद): तो मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में यह राजस्थान एक नम्बर पर होगा। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रतन देवासी।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण दिया गया है। चूंकि हम सारे माननीय सदस्य इस सदन में बैठे हैं और सभी ने अपने विचार व्यक्त किये। राज्यपाल अभिभाषण को एक राजनीतिक भाषा के तौर पर भी उपयोग में लिया जाता है। यह 26 पेज का है। राज्यपाल जी ने अभिभाषण के विभिन्न बिन्दुओं पर जो ध्यानाकर्षण किया है, सम्बोधन किया है उनमें से कुछ बिन्दुओं पर ही चर्चा करना चाहता हूं।

सभापति जी, जब भी किसी सरकार का गठन होता है, उस सरकार के पहले सत्र में, पहले सत्र के पहले दिन राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है, वह अभिभाषण राजस्थान की जनता हमेशा सुनना चाहती है और देखना चाहती है, क्योंकि उस अभिभाषण में सरकार का विजन आता है। उस अभिभाषण के अन्दर, घोषणा पत्र में चुनाव लड़कर सरकार बनाई है उस पार्टी के घोषणा पत्र का अभिभाषण में किन बिन्दुओं पर उल्लेख किया गया है, उसके बारे में लोग सुनना चाहते हैं। उस अभिभाषण में राजस्थान की जनता देखती है कि चुनाव में जो वादा करके सरकार बनी है, वह हमारे बारे में क्या सोचती है और उस अभिभाषण में क्या आता है। यह अभिभाषण कौन तैयार करता है? आपने मंत्रिमण्डलीय उप-समिति बना दी, तीन माननीय मंत्रियों को

(श्री रतन देवासी)

उस उप-समिति में रख दिया और उसका अन्तिम प्रारूप तैयार करने के लिए उनको जिम्मेदारी दे दी कि राज्यपाल के अभिभाषण का अंतिम प्रारूप ये लोग तैयार करके दे दें। हमारे यहां कई वरिष्ठ साथी बैठे हैं जो अनेक बार इस विधान सभा के सदस्य बने हैं। कई ऐसे साथी हैं, पूर्व में हम इस विधान सभा में साथ रहे, कुछ ऐसे साथी हैं जो प्रथम बार जीतकर आए होंगे। हमारे विचारों में तो इन चीजों को लाए हैं, मगर राज्यपाल महोदय के मुंह से, वह प्रारूप किसी ने चेक भी नहीं किया होगा। आप तीनों मंत्रियों को एकदम खड़ा करके विभिन्न बिन्दुओं पर पूछ लो तो जिन शब्दों का उस अभिभाषण में उपयोग किया गया है, इस सदन में हम राजनीतिक लोग भी हैं, कई बार कई लोग आए, कई प्रथम बार आए हैं। हमने इस सदन में या पुरानी विधान सभा में अनेकों नेताओं को देखा है। विचारधारा अपनी जगह है, राजनीतिक दल अपनी जगह है। इस सदन में जब भैरोंसिह जी बैठते थे, इस सदन में गहलोत साहब बैठे, इस सदन में वसुन्धरा जी बैठीं, इस सदन में पूर्व में जिनको भी हमने सुना या पढ़ा, लाइब्रेरी से किताबें लेकर भी हमने पढ़ा, तो ऐसे-ऐसे वक्तव्य देखे और अभिभाषण में ऐसे अंश देखे, ऐसे शब्दों का प्रयोग देखा है जिससे लगता है कि हमको प्रदेश के लिए कुछ करना चाहिए। माननीय सभापति जी, तीनों मंत्री जिन्होंने मंत्रिमण्डलीय उप-समिति में इस प्रारूप को अंतिम रूप दिया है, इस प्रदेश के, संविधान के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति के मुख से, आपने अभिभाषण में जिन शब्दों का प्रयोग कराया है वह बहुत खेदजनक है। आज से पूर्व किसी अभिभाषण में इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं किया गया। मैं उनको इंगित करूंगा और उन शब्दों को बताना चाहूंगा।

सभापति जी, आपने अभिभाषण बनाया है, कभी लगता है राजस्थान का अभिभाषण पढ़ रहे हैं, कभी लगता है केन्द्र सरकार के हिसाब से ही आपको पूरे राज्य को पार करना है तो केन्द्र सरकार का अभिभाषण है। कभी ऐसा लगता है कि आपने चुनावी भाषण तैयार करके बनाया है कि पिछली सरकार, उनके मुखिया और पिछली सरकार में बैठे हुए लोगों को हमको किस क़दर कोसना है आपने उसके बारे में अभिभाषण बनाया है।

माननीय सभापति महोदय, आपने अभिभाषण की शुरुआत, आपका जो पैरा-4 है, उसमें आपने अभिभाषण की शुरुआत करवा दी 'अन्तर्कलह' शब्द से। कोई दिक्कत नहीं है। राजनीतिक तौर पर वह शब्द आता है पर अब

(श्री रतन देवासी)

अन्तर्कलह नहीं दिख रही है? हमने क्या किया, क्या हुआ, आप यही समझ लो कि हमने भुगत लिया है, हम यहां पर बैठे हैं। आपको शासन हाथ में दिया है तो आपकी अन्तर्कलह नहीं दिख रही है? इस राजस्थान राज्य के अन्दर जब-जब सरकारों का गठन हुआ तो उनके गठन होने के पश्चात् यह पहली बार देखा गया है कि इतने महीने, आपके इतने दिन बीत गये और इतने दिन बीतने के बाद में भी आप डबल इंजन की बात करने वाले, ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी रेलगाड़ी तो पटरी पर पड़ी है, इंजन ही नहीं जुड़ा हुआ है। कभी देखा कि ए.जी. को नियुक्त होने में इतना टाइम लग गया? ए.ए.जी. नियुक्त होने में इतना टाइम लग रहा है, प्रिंसिपल सैक्रेटरी टू सी.एम. आपने अस्थाई बना रखा है और उसके बाद मंत्रिमण्डल, मंत्री उनके यू.डी.सी., एल.डी.सी., एस.ए. को तरस रहे हैं। कब स्टाफ लगेगा? ए.जी. का कहा मैंने। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया, शांत रहें। आप माननीय सदस्य, शांत रहें। माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलें। (व्यवधान)

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं यह चाहता हूं कि आप कृपा करके टोके नहीं। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बनता है और हम सब यहां पर बैठे हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने इस हाउस में आने से पहले, इस गैलरी में से इस हाउस को देखा होगा। मैंने देखा है पुरानी विधान सभा और इस विधान सभा में, हमने भैरोंसिंहजी को सुना है, हमने अच्छे-अच्छे वक्ता, आपके दल के भी हैं, उनको भी सुना है। राष्ट्र के अच्छे वक्ताओं को सुना है और हमें अभिमान है। हमारी विचारधारा अलग हो सकती है मगर हम अटलजी को सुनना पसंद करते थे, किन्हीं विषयों पर तो आज भी हम उनको सुनना पसंद करते हैं पुरानी यादों में जाकर। भैरोंसिंहजी की अच्छी बात को पसंद करते थे तो आज भी पसंद करते हैं। भैरोंसिंहजी के टाइम सदन में यदि कांग्रेस का व्यक्ति भी बोलता था और वह अच्छा बोलता था तो वे पकड़ कर कहते थे कि बहुत बढ़िया बोला है लड्डू खिलाओ और लड्डू मंगाते थे और तब से ही सदन के सितारों की बात शुरू हुई थी। हम वे लोग हैं जो इस बात की तारीफ करते हैं। आप सुनिये, बहुत मुश्किल से कोई व्यक्ति इस सदन में आता है। आता है तो वह पढ़ता है, बोलता है और मैं तो केवल आपके इन बिंदुओं को ही बता रहा हूं। राजनीतिक तौर पर कोई बात नहीं कह रहा हूं। जो बिंदु हैं उनके हिसाब से ही बात कर रहा हूं।

(श्री रतन देवासी)

माननीय सभापति महोदय, मैंने आपको बताया कि आज तक आपका ए.जी., ए.ए.जी, प्रिंसिपल सैक्रेटरी टू सी.एम., आपके मिनिस्टर्स का क्लेरिकल स्टाफ लगने में ही इतना टाइम लग गया। क्या यह डबल इंजन है? रेलगाड़ी वहां पटरी पर ही पड़ी है, इंजन ही आपका जुड़ा हुआ नहीं है और जिन शब्दों का आपने प्रयोग किया, मैं दो मिनट में उन शब्दों के बारे में आपको बताना चाहता हूं।

आपने अभिभाषण में किन शब्दों का प्रयोग किया? 'अस्थिरता' हो सकती है, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 'अराजकता के अंधकार', अराजकता क्या है? अराजकता क्या है? मंत्रिमण्डल की उप समिति ने इसका प्रारूप तय किया है। हमारे तीन मंत्री उसमें हैं, 'अराजकता के अंधकार', 'तथाकथित कल्याणकारी योजनाएं', so-called, किसी भी सरकार ने कोई योजना बनायी है तो क्या वह तथाकथित होती है? आपने यह लिख दिया कि 'तथाकथित कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा होगी', पैरा-12 में। तथाकथित योजनाएं, कोई भी सरकार हो, आपकी सरकार है, पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार रही हो, अनेकों सरकारें रही हैं, वह जो योजनाएं बनाते हैं, उन योजनाओं का प्रारूप तैयार होता है, उसके बाद में वे योजनाएं धरातल पर आती हैं, उनके माध्यम से लोगों को लाभान्वित किया जाता है। आपने शब्द का प्रयोग कर दिया 'तथाकथित',...(व्यवधान) (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मेरी पार्टी का टाइम है, उसमें से मैं थोड़ा टाइम ले लूंगा मगर मैं दो-चार बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। नेता, प्रतिपक्ष भी यहां पर बैठे हैं, वह आप हमारी पार्टी के टाइम में से काट देना।

'तथाकथित' शब्दों का प्रयोग आपने कर दिया। आपने 'सरकार की अविवेकपूर्ण नीतियों', क्या यह अविवेकपूर्ण नीति है? राजस्थान की नीतियों, राजस्थान की योजनाओं को आज नहीं वर्ष 2008 की सरकार में जब फ्री मेडिकल स्कीम थी तब उस समय भी आज के प्रधान मंत्रीजी गुजरात के मुख्य मंत्री थे। उस समय फ्री मेडिकल की स्कीम राजस्थान में लान्च हुई, उसके बाद गुजरात ने उसको अडाप्ट किया था, जबकि आप कह रहे हो कि अविवेकपूर्ण नीतियां हो गयीं हमारी।

आपने शब्द का प्रयोग किया 'ईज आफ डूइंग बिजनेस', आप पता कर

(श्री रतन देवासी)

लो मंत्रीजी को उठाकर कि ईज आफ डूइंग बिजनस आपने लिखा है, उसका प्रारूप में मतलब क्या है? उसका कोई उल्लेख नहीं कर पायेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत खेद के साथ दो बातें रखना चाहता हूं। बहुत खेद व्यक्त कर रहा हूं इस सदन के अन्दर जिम्मेदारी के साथ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कन्क्लूड करें, जल्दी समाप्त करें।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): फाइनेंस पर, वित्तीय मामलों पर हम बजट पर बोलेंगे मगर मैं एक बात बताऊंगा कि आपने यह लिख दिया इसके अन्दर कि 'आर्थिक आपातकाल' की ओर राज्य को धकेल दिया। माननीय सभापति महोदय, जब अभिभाषण का जवाब आयेगा सदन के नेता की तरफ से, तब यह जो शब्द अभिभाषण में आया 'आर्थिक आपातकाल' इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, बताना चाहिए। इस देश के अन्दर, इस भारत राष्ट्र में या किसी भी राज्य में आर्थिक आपातकाल घोषित करने का कोई भी समय आज तक नहीं आया। आर्थिक आपातकाल जब घोषित किया जाता है, जब यह लगता है राष्ट्रपति महोदय को कि यह स्टेट बंद हो जायेगा, ठप हो जायेगा, नौकरियां बंद हो जाएंगी, तनख्वाह देने को नहीं होगी जब राष्ट्रपति महोदय करते हैं। आपने राज्यपाल महोदय के मुंह से कहलवाया, आप ज्ञापन दे देते, राज्यपाल महोदय लिख देते राष्ट्रपतिजी को और राष्ट्रपतिजी कह देते। इस देश के अन्दर जब देश का सोना गिरवी रखा गया और संकट एक बार वित्तीय आ रहा था तो उस वित्तीय संकट में जब इस देश के पूर्व प्रधान मंत्री नरसिम्हारावजी और वित्त मंत्री डाक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश को वित्तीय संकट से बाहर निकाला, उस दिन भी आर्थिक आपातकाल घोषित करने का समय नहीं आया था और आपने यहां पर कह दिया कि आर्थिक आपातकाल में आ गया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिये। वक्ता बहुत हैं आप विराजिये।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं अन्त में मेरी बात को विराम देते हुए एक ही निवेदन करना चाहता हूं सदन के नेता से कि आपने इसमें उल्लेख तो कर दिया कि भैरोंसिंहजी का आप शताब्दी वर्ष मना रहे हैं पर मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इतनी हिम्मत और माद्दा दिखाना कि आपने भैरोंसिंहजी के बारे में रॉबर्ट मैकनमारा ने जो कहा, वह तो आपने

(श्री रतन देवासी)

बता दिया, उसका आपने अध्ययन नहीं किया होगा मगर उनके नाम पर भी कुछ रख देना ताकि हमको भी यह पता चले कि भैरोंसिंहजी का नाम आपने इस कागज पर सिर्फ छापा नहीं है।

श्री सभापति: श्री भैरा राम चौधरी। अब आप विराजें।

श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): अन्त में, मैं आपको इस अभिभाषण में जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, उसको विलोपित करके पुन: उन शब्दों के बारे में सदन के नेता बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि राजस्थान में जो अभिभाषण इस प्रकार का पढ़ाया गया है, वह कोई भी मंत्रिमण्डल की उप समिति चैक करती है तो उस प्रारूप को गहनता से चैक करें, केवल अधिकारियों के लिखे हुए प्रारूप को आप तय करके वापस नहीं भेजें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): माननीय सभापति महोदय, इस सोलहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र में माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं अपनी ओसियां विधान सभा क्षेत्र की जनता को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस सदन में दुबारा भेजने का अवसर दिया है। मैं इस मौके पर इस विधान सभा के सभी सदस्यों को, चाहे वे हमारे दल के हैं या चाहे सामने बैठे हैं, उन सबको भी बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। इस सदन में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और सभी सदस्यों ने अपनी ओर से जोरदार मेहनत की है। बहुत सारे सीनियर मैम्बर्स को सुनने का मौका मिला, बहुत सारी चीजों को सीखने का भी मौका मिला।

अपने कुछ माननीय सदस्य बोल रहे थे बिजली के बारे में, उस समय जब हमारी सरकार थी तो 62,400 करोड़ रुपये से उदय योजना के तहत डिस्कॉम्स को सम्बल देने का काम किया और जब कांग्रेस ने छोड़ी तो लगभग 88,000 करोड़ रुपये का घाटा दिया। मैं इस विद्युत तंत्र के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा कि आपकी सरकार ने 50 यूनिट फ्री देने की घोषणा की थी, उस 50 यूनिट की घोषणा में आपने 6,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने की बात कही है, लेकिन जब बिजली के बिलों को अपन देखते हैं तो उन बिजली के बिलों को आप एक बार ध्यान से पढ़ें, चाहे वह कृषि का बिल हो और चाहे

(श्री भैरा राम चौधरी)

घरेलू विद्युत का बिल हो, आपकी 50 यूनिट तक 3 रुपया 50 पैसा, 51 से 150 यूनिट तक 6 रुपया 50 पैसा, 151 से 300 यूनिट तक 7 रुपया 35 पैसा है। इसके बाद में बिजली के बिलों के ऊपर यह लिखा होता है कि यह आपका स्थायी शुल्क होगा, यह आपका फ्यूल सरचार्ज होगा, इसके बाद स्पेशल फ्यूल सरचार्ज होगा। उसी के ऊपर लिखा हुआ है डब्ल्यू सी सी, वाटर कन्वर्जेशन सेस होगा। आम आदमी इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि बिजली के बिलों से जिस प्रकार से डिस्कॉम और पूर्ववर्ती सरकार ने जनता से असत्य बोलकर, छलावे में लेकर जनता की जेब का पैसा लूटा है। एक तरफ तो आपने 06 हजार करोड़ की सब्सिडी दी, दूसरी तरफ आपने 07 हजार करोड़ रुपये जनता की जेब से निकालने का काम किया। जेब से ऐसे निकाला, उसके अन्दर लिख दिया फ्यूल सरचार्ज। यह फ्यूल सरचार्ज क्या होता है? आपका कहना है कि कोयला खरीदते हैं। कोयला सस्ता होता है, महंगा होता है। मैं सदन में एक बात रखना चाहूंगा कि सारी की सारी बिजली क्या कोयले से ही बनती है? बिजली सोलर से भी आती है, बिजली विंड से भी आती है, बिजली हाइड्रो से भी बनती है और बिजली न्यूक्लियर से भी आती है, लेकिन बिजली के बिलों में आम किसान या आम उपभोक्ता इस बात को नहीं समझ पाता है। सोलर जनरेटर से आप बिजली खरीदते हैं, वह ढाई रुपये पर यूनिट खरीदते हैं या तीन रुपये पर यूनिट। इस मकड़जाल के सिस्टम में इस डिस्काम और विद्युत विभाग ने आम आदमी और आम किसान को लूटा है।

मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, उस क्षेत्र में 35 एच पी के ऊपर के कनेक्शन हैं और जहां पानी की गहराई ज्यादा है उसमें 35 एच पी की मोटर ही नहीं चल सकती है। वहां पर सिंगल फेज के कनेक्शन लगे हुए हैं और वह भी बड़ी मुश्किल से 6 घंटे मिलती है और 6 घंटे में लगभग 36 बार कटती थी। पिछले पांच वर्षों में हमने यही देखा है, 2018 से 2023 के बीच में। जैसे ही कोई कृषक ट्यूबवैल स्टार्ट करता है, पानी दूसरे छोर में जाने से पहले ही बिजली गुल हो जाती थी।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि बिजली के बिल जो किसान या उपभोक्ता के पास आते हैं, एक बार उन बिलों की व्याख्या होनी चाहिए कि जब विद्युत विभाग अलग-अलग रेट के बिल भेजते हैं, एक सामान्य किसान कैसे समझेगा कि मेरे पास जो बिजली आ रही है कोयले से आ रही है या सोलर से आ रही है या न्यूक्लियर से बनकर आ रही

(श्री भैरा राम चौधरी)

है। जब आप खरीदते हो तो किस रेट से खरीदते हो? सुबह की रेट अलग होती है, दोपहर की रेट अलग होती है और रात की अलग होती है। एक आम उपभोक्ता और किसान उन रेट्स को क्यों भुगतेगा? सदन के माध्यम से मेरा एक निवेदन रहेगा कि बिजली के बिलों के मकड़जाल को ठीक से समझना होगा और आम किसान, आम उपभोक्ता केवल एक पंखा और एक बल्ब जला रहा है, वह अपनी यूनिट देखता है तो स्थायी शुल्क बहुत लगा दिया जाता है। वह स्टाफ को पूछते हैं कि स्थायी शुल्क किस बात का है। बताते हैं कि आपका इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, यह इस बात का है। उसमें भी बिजली के बिलों का ज्यादा उपभोग किया तो उसका रेट अलग होगा। इन्होंने एक स्पेशल फ्यूल सरचार्ज और अलग से लगा दिया। आम किसान समझ ही नहीं पाता है कि स्पेशल फ्यूल सरचार्ज क्या होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन्होंने 2018 से 2023 के कार्यकाल में बिजली के बिलों को मन-माफिक, अंधाधुंध बनाकर जिस प्रकार से कृषकों और आम उपभोक्ता को दिया है, यह बहुत ही दयनीय स्थिति है। सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से इस बात का निवेदन करना चाहूंगा कि 2018 से 2023 के बीच में जितने भी विद्युत के क्षेत्र में काम हुए, हमने यह भी देखा कि स्ट्रीट के ऊपर लाइट लगने वाली थी, उसकी कीमत बाजार में सात सौ रुपये है और जब टेंडर हुआ तो यह मालूम चला कि वह 3,500 रुपये की लाइट लगी। इसके अन्दर बड़े घोटाले की बू आ रही है, इसकी जांच होनी चाहिए।

सभापति महोदय, ओसियां से आने वाली पूर्ववर्ती सदस्या ने इसी विधान सभा के अन्दर कहा था कि जलदाय मंत्री सिर्फ और सिर्फ रबर स्टाम्प है। जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है।

श्री सभापति: समाप्त करो माननीय सदस्य। एक मिनट में समाप्त करो।

श्री भैरा राम चौधरी (सियोल) (ओसियां): इस प्रकार से भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है, वह भी जांच का विषय है। हमारे माननीय सदस्य जब भी बात रखते हैं तो इनको रामजी के नाम से करंट आता है। इनसे पूछा जाए। हम आपको भी अयोध्या लेकर चलेंगे। हम आपको न्यौता देते हैं। आप यदि सभी तैयार हैं तो एक दिन चलते हैं। रामजी का दर्शन करके आयेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

सबसे पहले मैं भारत के संविधान निर्माता डा. बी.आर. अम्बेडकर साहब को नमन करता हूं। आप सभी दोनों दलों के लोग, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को जब पहले दिन यहां पढ़ने का मौका मिलता है, उस दिन सरकार के लोग उनके मुख से सरकार की योजनाओं के बारे में और हम यदि अभिभाषण को पढ़ते हैं तो ज्यादातर देखने को मिलता है कि पिछली सरकारों को कोसने का लिखा जाता है।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी गम्भीर बात यह है कि पिछले 30-40 वर्ष से राजस्थान की जनता कभी इधर वालों को और कभी उधर वालों को, इधर वाले उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं और उधर वाले इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद ये भी उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करते और वे सत्ता में आने के बाद इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते और जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं।

सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पेज नम्बर 6 पैरा नम्बर 20 पर इस सरकार ने लिखा है, ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी जिसकी गारंटी सरकार ने नहीं दी हो। उन्होंने कहा कि हम सब चीज की गारंटी देंगे। हर गरीब को नि:शुल्क अन्न की गारंटी, हर सिर को छत की गारंटी, हर घर को नल से जल की गारंटी, हर हाथ को काम की गारंटी, हर घर में बिजली की गारंटी, हर क्षेत्र में पानी की गारंटी, हर महिला को सुरक्षा की गारंटी और हर अपराधी को सज़ा की गारंटी।

सभापति महोदय, अगर मैं इनमें से एक की बात करूं, गरीब को नि:शुल्क अन्न की गारंटी। खाद्य सुरक्षा का पोर्टल पिछले पांच वर्ष से बन्द है, जनता त्राहि-त्राहिमाम है। चाहे यह सरकार रही हो या पिछले दो माह से यह सरकार आयी हो, खाद्य सुरक्षा में लोगों के नाम नहीं जुड़ रहे हैं। कौनसी गारंटी दे रहे हैं इनकी?

सभापति महोदय, दूसरे नम्बर पर इन्होंने कहा है कि हर सिर पर छत। 2021-22 का प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लक्ष्य था, उसकी अभी इन्होंने स्वीकृति नहीं दी। राजस्थान के लोग आवास के लिए इंतजार कर रहे हैं। एक शब्द में ही कह देते हैं कि स्वीकृति नहीं आयी है।

(श्री मनोज कुमार)

सभापति महोदय, तीसरी गारंटी दी है कि हर घर में नल। सबसे बड़ा गम्भीर विषय है। इस पर आज माननीय मंत्री महोदय जवाब भी दे रहे थे। जल जीवन मिशन के नाम से इस सरकार ने इतनी बड़ी योजना, मैं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र की कह सकता हूं, जो कार्य डेढ़ वर्ष में होना चाहिए था, वह कार्य दो वर्ष में भी पूरा नहीं हुआ। एक भी टंकी का निर्माण नहीं हुआ। नियमानुसार एक भी पाइप लाइन नहीं डाली गयी और जिस तरीके का भ्रष्टाचार इस जल जीवन मिशन में हुआ है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। हर घर नल निश्चित रूप से जायेगा, लेकिन जल नहीं जायेगा, यह मैं गारण्टी दे सकता हूं। यह सरकार दे रही है, लेकिन मैं यह गारण्टी देता हूं हर घर जल नहीं जायेगा, नहीं जायेगा। यह भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, इतने दिन में तो मैं कह रहा हूं ये लोग जेल में जाने चाहिये थे अगर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके की इन लोगों ने इसमें गारंटियां दी हैं, अगली गारण्टी बिजली की गारण्टी। हर घर में बिजली की गारण्टी तो छोड़ दो। इस राजस्थान की जनता को आप छह घंटे भी बिजली नहीं दे पा रहे हो। हर बार मैं पढ़ता हूं, पिछली गवर्नमेंट में भी अभिभाषण में पढ़ा कि बिजली की गारण्टी जब दी जाती है तो सबसे पहले उसमें लिखा जाता है कि बिजली को पिछली गवर्नमेंट बड़े घाटे में ले गयी। पिछली बार 62 हजार करोड़ का कर्जा था, अब की बार बढ़कर वह और आगे चला गया और यह घाटे की सरकार की बात नहीं सुनना चाहते। राजस्थान की जनता को बिजली की आवश्यकता है और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह घाटे में चले, नफे में चले। सरकार से यह गणित के आंकड़े कोई मांगने नहीं आता। सरकार से बिजली चाहिये, वह जनता को मिलनी चाहिये, जो छह घंटे वाली है, वह 18 घंटे मिले। किसान को जो बिजली छह घंटे में मिलती है, किसान ट्रिपिंग में बैठा है। हर एक घंटे बाद ट्रिपिंग आती है। उनको अगर छह घंटे बिजली नहीं मिल पाये तो दुबारा उनको बिजली नहीं दी जाती।

माननीय सभापति महोदय, बिजली के तो इस क़दर हालात हैं, गांवों में नये कनेक्शन की बातें करते हैं, इनके पास बदलने के लिये ट्रांसफार्मर नहीं हैं, इनके पास केबल नहीं है, इनके पास नये कनेक्शन देने के लिये पोल नहीं हैं। सामान के अभाव में राजस्थान का किसान, राजस्थान का आम उपभोक्ता इस बात की लड़ाई लड़ रहा है कि डिमांड राशि भरने के बाद भी एक-एक वर्ष तक इनके कनेक्शन नहीं हैं। इस सदन के पूरे 200 सदस्यों को इस बात का

(श्री मनोज कुमार)

ज्ञान है और आभास है कि बिजली के बहुत बुरे हालात हैं। अब जनता के सामने पिछली बार मुफ्त बिजली की घोषणा की गयी। मैं यह कहना चाहता हूं और यह सरकार भी उस पर गौर करे कि आज बिजली की जिस तरीके से मुफ्त की बात कर रहे हो, आडिट के नाम से बिजली के बिलों में तीन-तीन वर्ष पीछे की ऑडिट बनाकर बिलों में दस हजार रुपये, बीस हजार रुपये, पचास हजार रुपये ऑडिट के नाम से, जो उपभोक्ता लगातार बिल भरता आ रहा है, उसके बाद भी लूट मची हुई है और कोई भी सुनने वाला नहीं है। एक शब्द में कहते हैं कि आपके ऑडिट आ गयी है इसलिये ऑडिट का भुगतान करें। माननीय सभापति महोदय, यह सरकारें गारण्टी देने का काम इस बिल में करती हैं।

अपराधियों की सज़ा की गारण्टी भी बहुत बड़ा सब्जैक्ट है। आपने कहा, अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को रोकेंगे। मैं सरकार को आपके माध्यम से कहूंगा कि सरकार अपराधियों से सांठगांठ करके चल रही है और सरकार जब तक इस पुलिस सिस्टम पर नियंत्रण नहीं करेगी, ये गैंगस्टर और अपराधी इसी तरीके से करते रहेंगे। सरकार के हमारे मुख्य मंत्री महोदय को जब जेल से धमकी मिल जाती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान के लिये कोई और नहीं हो सकता। माननीय मुख्य मंत्री को, जो हमारे सदन के नेता हैं, उनको भी धमकी जेल से मिलती है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। इस पर नियंत्रण करो। अगर दस बीघा जमीन में जेल बनी है, उसमें भी नियंत्रण नहीं कर सकती तो खुलेआम इन महिलाओं को, इन लोगों को, गैंगस्टरों को, फिरौतीकर्ताओं को, धमकी देने वालों को, मर्डर करने वालों को आप खुले में कैसे रोक पाओगे?

दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार के लिये सरकार ने कानून बनाया कि भ्रष्टाचार करने वालों को पकड़ा जाये, लेकिन पकड़ने के बाद सरकार ने वह अभियोजन स्वीकृति की बात अपने हाथ में रख रखी है। जिस अपराधी को सीधा पैसे लेते पकड़ लिया, कोई और कानून में ऐसा नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इन भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिये कोई अभियोजन स्वीकृति नहीं होनी चाहिये। जो पकड़ा गया, वह जेल जाये और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अभियोजन स्वीकृति के नाम से सरकार ने IAS, IPS और RAS जो बड़े-बड़े आफिसर्स बैठे हैं, उनकी अभियोजन स्वीकृति सरकार के खाते में पेंडिंग है और सरकार उनकी

(श्री मनोज कुमार)

अभियोजन स्वीकृति नहीं देना चाहती। इसलिये माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करें।

दूसरा, इसी भ्रष्टाचार में सबसे बड़ा मुद्दा है, जिन-जिन विभागों में जिस तरीके से चर्चा चल रही थी कि हमारे जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हुआ है, जब दस्तावेजों में, कागजों में यह प्रमाणित हो जाता है कि यह भ्रष्टाचार हुआ है, उसके खिलाफ भी भ्रष्टाचार में FIR होनी चाहिये। सरकार ने उसके लिये रोक लगा दी कि विभाग जब तक परमिशन नहीं देगा, उनके खिलाफ FIR नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसलिये सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे जो स्वीकृति की बात करते हैं यह स्वीकृति का कार्यक्रम बन्द करे। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, हमारी पार्टी का पांच-दस मिनट का समय है। थोड़ा अकेला आदमी हूं, दूसरे सदस्य नहीं बोलेंगे तो पांच मिनट और दिये जायें।

श्री सभापति: पांच मिनट नहीं। सुनिये आप, वक्ताओं की संख्या अधिक है, इसलिये शीघ्र अपनी बात समाप्त करें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): बस समय सीमा में बोलूंगा। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ मैं आपको खिलाड़ियों के नाम से, हमारे मंत्री महोदय अभी सदन में नहीं हैं, इस प्रदेश के नौजवानों के साथ, उन खिलाड़ियों के साथ जो पैरा-एथलीट हैं या सीधे मेडल जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं, इन खिलाड़ियों के बारे में पिछली सरकार ने, हमारे जिला क्रीड़ा परिषद् की अध्यक्ष महोदया खुद खिलाड़ी थीं और उन खिलाड़ी ने खूब घोषणा की कि हम बड़े -बड़े खिलाड़ियों को मौका देंगे, लेकिन मैं यह मानता हूं कि खिलाड़ियों को, एक भी खिलाड़ी को अभी तक पिछले चार वर्ष में उन्होंने राशि जारी नहीं की। एक भी खिलाड़ी को नौकरी नहीं दी। पैरा एथलीट का 25 करोड़ रुपया बकाया पड़ा है। इन हालात में इस क्रीड़ा परिषद् के नौजवानों को, हमारे इस अभिभाषण में लिखा है कि हम खिलाड़ियों को नौकरी देंगे, इनको हम नकद राशि देंगे। मैं कहता हूं कि क्रीड़ा परिषद् में तो बड़ा ग्रामीण ओलम्पिक खेल करके पिछली सरकार ने 70 रुपये की टी-शर्ट 700 रुपये में बेचने का काम किया और राजस्थान के 80 साल की उम्र के खिलाड़ियों को मैदान में खिलाकर उनकी प्रतिभाएं छांटने का काम किया। 70 साल का बूढ़ा मैदान में खेलेगा और वह राजस्थान का इस भारत देश में नाम रोशन करेगा? इस तरह का लाभ देने का काम किया गया।

(श्री मनोज कुमार)

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी एक-दो लाइन श्रमिकों के प्रति है। श्रमिक के लिये इन्होंने कहा है कि हम बहुत कुछ करेंगे। माननीय सभापति महोदय, श्रमिकों के लिये शुभ शक्ति योजना, जो गरीब लोगों को मिलती है, पिछले पांच वर्षों से वह बन्द पड़ी है।

श्री सभापति: विराजें। श्री लक्ष्मण राम (अनुपस्थित)।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, छात्रवृत्ति नहीं मिली। दो मिनट में मैं समाप्त कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से हमारे विधान सभा क्षेत्र में नहर का बड़ा मुद्दा है और सरकार हर बार वहां चकबंदी, मुरब्बाबंदी और किलाबंदी की बात करती है। सिद्धमुख नहर परियोजना के लिये, पिछले 30 वर्ष से कभी हमारे गहलोत साहब की फोटो लगती है, नाम लगता है, कभी हमारी इंदिरा गांधीजी का नाम लगा, कभी हमारे राजीव गांधीजी का नाम लगा। अब की बार इस सरकार में पांच वर्ष की सरकार में फिर कहा कि हम किलाबंदी, मुरब्बाबंदी करेंगे, लेकिन किसानों को बार-बार बेवकूफ बनाया गया। माननीय सभापति महोदय, मैं मांग करता हूं, मेरे किसानों की बहुत बड़ी मांग है। इस मांग पर मुख्य मंत्री महोदय गौर करेंगे। आप पीने का पानी नहीं दे सकते, सिंचाई का पानी नहीं दे सकते और ईस्टर्न कैनाल की जो अभी बात कर रहे थे युनूस जी, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं।

(समय: 14.56 बजे)

(श्री फूल सिंह मीणा, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय सभापति महोदय, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, घोटाला उस गाद को निकालने के नाम से हुआ, यह मैंने पहले भी रखा है। उस नाम से बजरी के माफिया उत्पन्न हो गये हैं। इसलिये इस राजस्थान में हमें इस संविधान की सरकार चाहिये, राम की विचारधारा वाले, हम राम को मानने वाले हैं। मोदीजी ने कहा है राम सबका है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): इनकी गलती है। राम हमारा भी है। अल्लाह हमारा है, लेकिन यह संविधान राम और अल्लाह से नहीं, देश के संविधान से चलेगा। इसलिये हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): 000

श्री सभापति: डा. विश्वनाथजी।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आपका आभार। माननीय सभापति महोदय, दुर्भाग्य की बात है कि विगत सरकार ने पिछले पांच वर्षों में अपनी आपसी खींचतान के कारण शासन की गाड़ी को बेपटरी किया। गलत नीतियों के कारण कांग्रेस की आज यह हालत हुई है। जिस तरीके से पूरे राजस्थान में अवैध खनन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, उसकी पराकाष्ठा सब लोगों ने देखी। जिस तरीके से पूरे राजस्थान में इन्होंने लूट की, इस वजह से आज इनकी यह हालत हुई है। असत्य वादे किसानों के साथ करना, किसानों का सम्पूर्ण कर्जा इन्होंने माफ करने की बात कही, लेकिन किसी भी प्रकार का कर्जा माफ नहीं हुआ। पूर्ववर्ती वसुन्धराजी की सरकार ने बिना मांगे ही किसानों का 50 हजार रुपये तक का कर्जा माफ किया था। इन लोगों ने कहा कि हम सम्पूर्ण कर्जा माफ करेंगे, इनके हाईकमान ने कहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।

(समय: 15.00 बजे)

युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता देने की बात इन्होंने कही। उसमें भी इन्होंने युवाओं के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। युवाओं को अपने हाल पर छोड़ा। जिस तरह से पेपर आउट हुए, लीक हुए, किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं दिया। ऐसी स्थिति इन्होंने पैदा की। अंतिम वर्ष में, जब इनका अंतिम समय था, उस वक्त कांग्रेस सरकार ने इस तरीके से रेवड़ियां बांटने का जो काम किया, 19 जिले बनाने की इन्होंने घोषणा की पर किसी भी प्रकार का कोई बजटीय प्रावधान नहीं किया। आज तक किसी भी सरकार ने 19 जिले एक साथ ऐसे नहीं बनाये। इन्होंने अंतिम समय में इस तरीके से रेवड़ियां बांटने का काम करके कोशिश यह की कि हम दुबारा राज में आ जायें, लेकिन ऐसा इनके साथ नहीं हुआ। महंगाई कम करने के कैम्प भी इन्होंने लगाये। गारंटियां इन्होंने दीं, लेकिन फिर भी इनका ऐसा नहीं हुआ कि ये सरकार में आयें। आज इनकी यह स्थिति पैदा हुई। असत्य वादे इन्होंने किये।

सभापति महोदय, मैं इस मौके पर हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पूरे भारत वर्ष में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी सभी

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

ग्राम पंचायत लेवल पर जा रही है। इसके लिए 'सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास और सब का प्रयास', हमारी सरकार का मूल मंत्र माननीय मोदी जी ने पूरे राजस्थान, पूरे भारत वर्ष में किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पंडित दीनदयाल जी और स्वर्गीय भैरोंसिंह जी शेखावत, पूर्व मुख्य मंत्री, जिनका यह सपना था कि अंत्योदय योजना, अंतिम छोर पर बैठे हुए किसान भाइयों, हमारे सभी जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे। इसका पूरा संकल्प हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी करने जा रहे हैं।

चुनावी यात्राओं और जन सभाओं के दौरान हमारी वर्तमान सरकार का संकल्प पत्र अहम हिस्सा रहा था। उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा पत्र और संकल्प पत्र लागू करने का काम एक ही महीने के अन्दर शुरू करने का जो काम किया है, मैं इस मौके पर उनको धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा। जिस तरीके से 450 रुपये में गैस सिलेंडर की बात कही, गेहूं पर एम एस पी दर से ऊपर खरीद की बात कही, पेपर लीक में एस आई टी गठन की बात हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कही। अन्नपूर्णा रसोई में खाद्य पदार्थों का आबंटन 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम किया। अन्नपूर्णा रसोई की बात हमारी पूर्व माननीय मुख्य मंत्री वसुंधरा जी के समय में हुई थी। वह इन्होंने बदलकर, अंतिम समय में इंदिरा रसोई का नाम दिया। वह योजना हमारी थी। उस वक्त भी इन्होंने जनता के साथ इस तरीके का काम किया।

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6 हजार से 12 हजार रुपये, जो हमारे घोषणा पत्र में है, उसको भी लागू करने का काम यशस्वी मुख्य मंत्री जी करने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के प्रकरणों में सी बी आई द्वारा अनुसंधान की शक्तियां दी गयी हैं। ऐसी हमारे माननीय मुख्य मंत्री राजस्थान को सौगात देने जा रहे हैं।

सभापति महोदय, इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में जिस तरीके से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण योजना माननीय प्रधान मंत्री जी की पूरे भारत वर्ष में चल रही है, इन्होंने उसको उस वक्त बंद करने का काम किया। इसको लागू नहीं किया। आज पूरे राजस्थान में, किसी भी प्रकार की बीमारी होगी तो आदमी उसका कहीं भी पूरे भारत में बैनेफिट ले सकता है। सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा जन औषधि केन्द्र की स्थापना एक अनूठी पहल है।

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

प्रदेश में करीब 350 नये जन औषधि केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। यह हमारी सरकार की सोच है।

आने वाले समय में हमारी सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कालेज, वन डिस्ट्रिक्ट वन नर्सिंग कालेज, वन डिस्ट्रिक्ट वन डायलिसिस केन्द्र, वन डिस्ट्रिक्ट वन डायग्नोस्टिक सेंटर स्थापित कर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध है और हमारी सरकार इस ओर कार्य कर रही है।

सभापति महोदय, मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से पिछले 5 साल में हमारे स्कूलों की हालत जो इन्होंने की है, शिक्षकों की भर्ती नहीं की। हर स्कूल में शिक्षकों की कमी रही है। महाविद्यालय जैसे इन्होंने खोले, उनमें भी बिना इन्फ्रास्ट्रक्चर के, बिना किसी प्रकार के लेक्चरर भर्ती के खोल दिये। इस तरह से इन्होंने घोषणाएं बहुत कीं, लेकिन उन पर पूरा अमल नहीं हो पाया।

माननीय सभापति महोदय, बिजली तंत्र की हम बात करें तो पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा जी के समय में डिस्कॉम को आर्थिक संबलता देने के लिए 62,400 करोड़ रुपये का ऋण हमने माफ किया था। गत कांग्रेस राज के कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण आज यह ऋण 88,700 करोड़ रुपये का हो गया है। बिजली की व्यवस्था के बारे में सभी लोग बता रहे हैं। अभी हमारे जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं, सब बता रहे हैं कि किस तरीके से बिजली की हालत हुई।

हमारे समय में, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, उस वक्त 14, 33 के वी जी एस एस, 132 के 02 जी एस एस, 220 के वी के 01 जी एस एस बनाये। बिजली तंत्र को इतना मजबूत किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से ढाणी-ढाणी को हमने जोड़ने का काम किया, लेकिन इस सरकार ने किसी भी प्रकार के इस तरह के कार्य नहीं किये, सिर्फ घोषणाएं की हैं। सिर्फ इन्होंने शिलान्यास के पत्थर लगाये हैं। इन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, सिंचाई के क्षेत्र में मैं बात करना चाहूंगा। जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार ने, कांग्रेस ने पिछले 5 साल में सिंचाई व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ी, इन्होंने रेगुलेशन समय पर नहीं किया। किसानों को, अंतिम छोर पर बैठे हुए आदमी को सिंचाई व्यवस्था इन्होंने सुचारु रूप से

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

नहीं की। पूर्ववर्ती सरकार के समय में, 3,200 करोड़ रुपये माननीय वसुन्धरा जी के समय में नहरों की सुदृढ़ीकरण के पास कराये थे, लेकिन इनके समय में 4 साल तक किसी भी प्रकार का कोई टेंडर नहीं हुआ, नहरों का कोई सुदृढ़ीकरण नहीं हुआ। इस तरीके से इन्होंने काम किया। आज किसान, उस क्षेत्र की जनता यह कह रही है कि हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार का नहरी सुदृढ़ीकरण का काम नहीं हुआ। अंतिम छोर पर बैठे हुए किसान को समय पर पानी नहीं मिला। ऐसी स्थिति इन्होंने अपने समय में पैदा की।

सभापति महोदय, मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार का उद्देश्य है कि नि:शुल्क अन्न की गारंटी, हर सिर पर छत की गारंटी, हर घर में नल से जल की गारंटी, हर हाथ को काम की गारंटी, हर घर को बिजली की गारंटी, खेत को पानी की गारंटी, महिला को सुरक्षा की गारंटी, अपराधी को सज़ा की गारंटी। राजस्थान में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने और प्रदेश में शांति कायम करने के लिए एंटी गैंगस्टर्स टास्क फोर्स का गठन हमारी सरकार ने किया है।

सभापति महोदय, मैं इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी का विजन है कि आने वाले समय में भय और भ्रष्टाचार से मुक्ति हमारी राजस्थान सरकार देगी। हर आदमी सुखी रहे, हर आदमी हर क्षेत्र में आगे बढ़े, हर आदमी को काम मिले, ऐसी सरकार की भावना है।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका आभार। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री उमेश मीणा।

श्री उमेश मीणा (आसपुर): सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। जोहार।

अभी मैं आसपुर विधान सभा क्षेत्र से जीतकर आया हूं। इस सदन में मैंने काफी चर्चा सुनी, लेकिन बड़े दु:ख की बात है कि पिछले 3 वर्ष से विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। उसको लेकर मैं चर्चा करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मैं ट्राइबल एरिया से आता हूं। वहां कई विद्यार्थी हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। वहां नियमित विद्यार्थी रहते हैं। कालेज के अन्दर बी.एड. करने वाले, एस.टी.सी. करने वाले बच्चों की 3 साल से छात्रवृत्ति नहीं आई है। उन बच्चों के लिए छात्रवृत्ति एक माध्यम है। उनका

(श्री उमेश मीणा)

पेंसिल, पेन से लगाकर के किराया भी इसी से होता है। वे आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं। मैं इस सम्बन्ध में आपको निवेदन करना चाहूंगा कि उन बच्चों को छात्रवृत्ति सही समय पर दिलायी जाये।

सभापति महोदय, कई बच्चे ऐसे हैं जो एस.टी.सी. और बी.एड. करने जाते हैं तो ब्याज पर पैसे लेकर के उनकी फीस भरी जाती है। वे 3 साल से ब्याज भर रहे हैं पर आज तक उनकी छात्रवृत्ति नहीं आई है। मैं डबल इंजन की सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप ब्याज सहित उन बच्चों की 3 साल की छात्रवृत्ति देने का कष्ट करें।

इसके अलावा पाइंट नंबर 20 में जो अभी चर्चा हो रही थी, हर गरीब को नि:शुल्क अन्न की बात हो रही थी। मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी राजस्थान प्रदेश में खाद्य सुरक्षा में कई गरीबों का नाम नहीं जुड़ा हुआ है, राशन कार्ड तो बन गया है, लेकिन खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ा हुआ है तो वो कब तक जोड़ा जाएगा? खाद्य सुरक्षा योजना में उन लोगों का नाम जोड़कर उनको अनाज दिया जाए। आवास के क्षेत्र में हर सिर पर छत, मैं आज विधान सभा क्षेत्र आसपुर की बात करूं तो काफी सारे गरीबों को आज भी आवास नहीं मिले हैं। 20 से 30 परसेंट गरीब लोग ऐसे हैं जिनको आज तक आवास नहीं मिले हैं। पंचायत स्तर पर समस्या बताई जाती है तो वहां बताते हैं कि आपके 50 हजार रुपये का इंदिरा आवास है, कई तरह के बहाने करने से आज बहुत से परिवार हैं जो आज बिना छत के रह रहे हैं।

आज हर घर नल से जल की बात कर रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर दो प्रकार की योजना है, 151 गांव की और 61 गांव की योजना। इनमें कई गांव ऐसे हैं जो 151 वाली योजना में लिए तो हैं, लेकिन हर घर तक नल नहीं लगे हुए हैं। आधे-अधूरे नल लगाए गए हैं, कई घर छूट गए हैं, तो मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो एक बार जांच करके हर घर तक नल पहुंचाने का काम करे। हर घर नल से जल योजना की बात कही जाती है। हमारे सोम कमला डैम से नल से पानी की सुविधा जाएगी। मैं सरकार से अपेक्षा रखूंगा कि हर घर में नल से जल की सुविधा हो।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा हर हाथ को काम की गारंटी। आज रोजगार गारंटी सही तरीके से लोगों को पूरे दिन के लिए नहीं हो पा रही है। मैं चाहूंगा कि रोजगार गारंटी के दिन भी पूरे हों। खेत में पानी की बात आती है तो आसपुर विधान सभा क्षेत्र में सोम कमला अंबा बांध और

(श्री उमेश मीणा)

माही डैम से जो नहरें आ रही हैं, वे नहरें आज अंतिम खेतों तक सही तरीके से पानी नहीं पहुंचा पा रही हैं। इनमें कई नहरें ऐसी हैं जिनकी मरम्मत करने की जरूरत है, लेकिन आज तक मरम्मत कहीं की है तो टुकड़ों में की है, पूरी तरह से मरम्मत नहीं की है। मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो नहरें विभाग द्वारा मरम्मत करवाकर, जो भी रिपोर्ट लेनी पड़े, लेकर उन नहरों से विधिवत रूप से किसानों के लिए अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का काम करे।

माननीय सभापति महोदय, महिला सुरक्षा की बात करें तो हमारे ट्राइबल एरिया के अन्दर एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहां पर आज पॉक्सो केसेज में सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। आज गरीब परिवार का जो बच्चा है, उस बच्चे को पता ही नहीं है और कहीं न कहीं आपसी सम्बन्ध किसी कारणवश हो जाते हैं और परिवारों में आपसी झगड़े की वजह से पुलिस प्रशासन द्वारा एफ आई आर दर्ज कर ली जाती है और उस परिवार को फंसाने के बाद 20 साल की सज़ा दिलाई जाती है। उस परिवार के साथ यह बड़ा दु:ख होता है तो इस पर भी सरकार थोड़ा ध्यान दे।

श्री सभापति: केसाराम जी चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): जय श्रीराम। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, जनता के इस पावन मन्दिर में महामहिम राज्यपाल महोदय के श्रीमुख से अभिभाषण का वाचन किया गया, उसके लिए हम राज्यपाल महोदय के आभारी हैं।

सबसे पहले तो मैं राष्ट्र नायक नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति से राम मन्दिर का निर्माण सही समय में पूर्ण करके उसका उद्घाटन कर दिया, भगवान राम को मन्दिर में विराजमान कर दिया। इससे पूरे भारत देश की जनता खुशी से सराबोर हो गई और 22 जनवरी का नजारा देखने लायक था। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में था और वहां पर सभी गांवों में पूरी छत्तीसों कौम के लोग इकट्ठे होकर इस पर्व को मना रहे थे। गांवों में प्रसादी बनी थी और उस प्रसादी में लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। ऐसे महानायक का हम भारत की पावन धरा पर तहेदिल से आभार व्यक्त करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, अभिभाषण के पैरा नम्बर 16 के अनुसार विगत 5 वर्षों में विद्युत विभाग की घोर लापरवाही, अकर्मण्यता और संस्थागत भ्रष्टाचार के कारण गांव और शहरी क्षेत्रों में आमजन, किसान

(श्री केसाराम चौधरी)

अघोषित विद्युत कटौती की मार झेलता रहा। बिजली कब आएगी, कब जाएगी, इन 5 वर्षों में जिस तरह से किसान ने इसको भुगता है, ऐसा समय आज दिन तक कभी नहीं आया। माननीय वसुन्धरा जी के राज में निश्चित रूप से साढ़े सात घंटे रात में और दिन में अगर लेंगे तो सात घंटे बिजली देकर किसान को पूरे पांच साल तक बिजली दी। आपका राज आते ही किसान को मात्र 4 घंटे और बाद में एक साल तक के 5 घंटे बिजली दी, जिससे किसान अपनी खेती से महरूम रहा। उस समय कोई सुनने वाला नहीं था, कर्मचारी को भी कोई टेलीफोन करते तो सीधा जवाब आता कि बिजली आगे से गई हुई है। आगे से मतलब कहां से गई तो इसका कोई जवाब देने वाला नहीं था। इस तरह से अघोषित बिजली काट कर जनता को परेशान किया गया। आमजन में 'अंधेर नगरी चौपट राजा' की कहावत चरितार्थ होती रही। आपने किसानों को पहले वर्ष में 4 घंटे बिजली दी थी और अब हमारी सरकार आते ही बिजली 6 घंटे की है। इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी का तहेदिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आते ही बिजली की व्यवस्था को ठीक किया और नॉन ट्रिपिंग बिजली करीब-करीब आने लग गई है। बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने आते ही शुरू कर दिया है।

माननीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने प्रदेश में डिस्कॉम को आर्थिक सम्बल देने के लिए उदय योजना के माध्यम से 62 हजार 400 करोड़ रुपये का ऋण माफ किया था, किंतु दुर्भाग्य से कांग्रेस सरकार के कुप्रबंधन व भ्रष्टाचार के कारण आज यह ऋण बढ़कर 88 हजार 700 करोड़ रुपये के पार चला गया है। आज उनके पास न तो ट्रांसफार्मर है, न बिजली का सामान है, मीटर भी नहीं है। किसानों को डिमांड राशि भरे हुए एक-एक, दो-दो साल हो गए, उन किसानों को कनेक्शन नहीं मिल रहा है। मैंने डिस्कॉम के एम डी से बात की तो कहा कि, केसाराम जी, अभी ट्रांसफार्मर की व्यवस्था किसी तरह से कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपने पांच साल में किसानों की दुर्दशा की है। भारतीय जनता पार्टी के राज में 72 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल दिया जाता था, मगर आज 15-15 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता है और किसान की फसल सूख जाती है। इस तरह से किसानों को आपने बिजली के मामले में बड़ी दुविधा में धकेला है।

माननीय सभापति महोदय, विदेशों से महंगा कोयला खरीदा, कोयला धुलाई और निजी विद्युत उत्पादनकर्ताओं से महंगी बिजली खरीदने में गत

(श्री केसाराम चौधरी)

सरकार द्वारा किये गये संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करवा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से विद्युत के अन्दर भ्रष्टाचार के कारण से ये डिस्कॉम इतने घाटे में चले गए, जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपने पूरे पांच साल में टी एण्ड डी लोस को कम करने का कोई प्रयास नहीं किया, जिससे बिजली ट्रिप होती रही और आपने जो लाइन लोसेज हो रहे थे उनको ठीक करने के लिए एक भी नया फीडर नहीं बनाया ओर न ही कोई नया जी एस एस बनाया।

विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने में अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहित कर राज्य को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। गत सरकार द्वारा घाटे में धकेले गए डिस्कॉम्स की आर्थिक हालत विशेषज्ञों से परामर्श एवं कुशल प्रबंधन द्वारा सुधार कर नगरीय उद्योगों को और किसानों को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति करना सुनिश्चित करेंगे। वसुन्धरा जी के राज में किसानों को 10 हजार रुपये एक साल में माफ किये जाते थे पर आपकी सरकार आते ही वो 10 हजार रुपये बंद कर दिए और चार साल तक एक-एक किसान उपभोक्ता को 40 हजार का नुकसान आपने पहुंचाया। अब जाते-जाते आपने 2000 यूनिट फ्री देने का कहा था, लेकिन वो भी आज दिन तक नहीं दे पाए। इस तरह से किसानों के साथ कुठाराघात करने का काम यदि किसी ने किया है तो आपकी कांग्रेस सरकार ने किया। हमारी सरकार तीन दिन में ट्रांसफार्मर बदल देती थी, आप पन्द्रह दिन तक भी नहीं बदल पाये। हमारी सरकार गरीबों को रियायती दरों पर भोजन सुलभ कराने के लिए संकल्पित है। हमारी वसुन्धरा जी के राज में वैष्णो देवी के नाम से जो भोजनशाला चलायी गयी थी, उसे आपने इन्दिरा गांधी के नाम से कर दिया। अन्नपूर्णा मतलब वैष्णो देवी, उसके नाम से हमारी सरकार ने अन्नपूर्णा योजना चलायी थी और आपने उसे बन्द करके इन्दिरा रसोई का नाम दिया और उसमें न कोई भरपेट भोजन दिया। एक साल के लिए आपने जाते-जाते देखा कि इसमें भी इन्दिरा जी के नाम से यश लेकर वोट मिल जाएंगे, मगर वह भी आपकी मंशा पूरी नहीं हो सकी। हमारे मुख्य मंत्री ने आते ही इस काम को किया और 400 की जगह 600 ग्राम भोजन देने का जो काम किया है, निश्चित रूप से ग्रामीण जनता के लिए एक बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है।

गरीब वर्ग की माताओं-बहनों के लिए 01 जनवरी, 2024 से मात्र 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की जो घोषणा की है, उसे मूर्त रूप दिया गया।

(श्री केसाराम चौधरी)

इन कैम्पों में 450 रुपये में हमारे द्वारा गैस सिलेंडर दिये गये, जिससे आने वाले समय में गांवों में एक भी घर ऐसा नहीं रहेगा, जिसमें गैस कनेक्शन न हो।

युवा वर्ग के जीवन से खिलवाड़ करने का काम आपने किया। आपके राज में एक के बाद एक पेपर लीक हुए। सोलह बार पेपर लीक हुए। क्या आपके पास संसाधन नहीं थे? क्या आपके पास पुलिस नहीं थी? आपको सख्ती से उससे निपटने का काम करना था, किन्तु आपने वह काम नहीं किया, जिसके कारण युवा वर्ग में आपके प्रति असन्तोष पैदा हुआ और इसका प्रतिफल यह हुआ कि युवा वर्ग ने आपको विपक्ष में बैठाया। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): साहब, अभी तो स्टार्ट किया है।

पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर रहा। जल जीवन मिशन पाइप खरीद में घोटाला, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की अलमारियों में सोने एवं नकदी की बरामदगी, ए सी बी की जांच में सज़ा योग्य पाये गये प्रकरणों में पूर्व सरकार ने न तो ठोस कार्रवाई की और न ही अभियोजन स्वीकृति प्रदान की। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रकरणों में सी बी आई के द्वारा अनुसन्धान की शक्तियां बहाल कर दी हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए आगे भी ठोस एवं कड़े निर्णय लिये जाएंगे। हमारी सरकार का ध्येय है कि मातृ शक्ति को समुचित सुरक्षा देकर प्रदेश के ऐतिहासिक मान-सम्मान का गौरव लौटाना है। राजस्थान महिला दुष्कर्म के मामलों में पहले स्थान पर रहा, यह बात कांग्रेस के मंत्रियों ने सदन में मानी। मैं भी इस बात की ताईद करता हूं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, किन्तु मर्द कैसे? राव कुम्पा और राव जैता जैसे। कुएं पर पानी भरती हुई औरतों को जब पता चला कि बादशाह की फौजें आ रही हैं तो उन्होंने कहा, "जब तक राव कुम्पा और राव जैता हैं, तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता"। ऐसे मर्दों का है यह राजस्थान प्रदेश। शेरशाह सूरी को कहना पड़ा कि एक मुट्ठीभर बाजरे के लिए मैं भारत की सल्तनत खो देता, ऐसे मर्दों का प्रदेश है राजस्थान। यह महाराणा प्रताप जैसे मर्दों का प्रदेश है, न कि दुष्कर्म करने वाले व्यक्तियों का प्रदेश है।

(श्री केसाराम चौधरी)

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही एक निवेदन पक्ष और विपक्ष दोनों से करना चाहता हूं कि माताओं-बहनों के लिए एक ऐसा निर्णय लें, नाबालिग और 18 से 25 वर्ष की बच्चियां, जो किसी के साथ भाग जाती हैं, इसके लिए कोई कानून बनाया जाना चाहिये। पुलिस पकड़कर वापस लाती है। बच्ची बाप से कहती है, "मैं आपको नहीं जानती, आप कौन हैं", ऐसे में मां-बाप पर जो गुजरती है, उस दर्दनाक पीड़ा को समझें। माननीय भीम राज जी भाटी साहब पाली से बैठे हैं। ऐसी ही एक घटना पाली में घटी। मां-बाप से बेटी ने कहा, "मैं आपको नहीं पहचानती'', तब भाई घर छोड़कर भाग गया और मां-बाप ने रेल के आगे कटकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। इसके लिए भी हम सबको मिलकर इस सदन में यह विचार करना पड़ेगा कि 25 साल तक अपनी बेटी को पालकर एक पिता बड़ा करता है और उसी की बच्ची उससे कहती है कि वह उसे नहीं जानती। ऐसी सूरत में हमें कोई न कोई कदम उठाना पड़ेगा, जिसमें उसके मां-बाप की कुछ रजामन्दी हो और ऐसे कार्यों पर प्रतिबन्ध लगे।

श्री सभापति: माननीय, आप सीनियर सदस्य हैं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात पूरी करता हूं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जनता ने हमें एम एल ए बनाकर भेजा। शपथ लेते ही माननीय प्रधान मंत्री जी की 17 फ्लैगशिप योजनाएं लेकर हम गये। उन योजनाओं के माध्यम से...

श्री सभापति: श्री घनश्याम जी मेहर।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): आपका बहुत-बहुत आभार। जय हिन्द। जय भारत।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सोलहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र पर आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं और प्रदेश की खुशहाली की मंगल कामना करता हूं।

सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जिक्र किया था कि विगत पांच वर्षों में गहलोत सरकार ने विकास नहीं किया, जबकि इस सदन के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अत्यन्त विषम परिस्थितियों में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझने के बावजूद राज्य की आर्थिक विकास दर 11.40 प्रतिशत के साथ समस्त देश में दूसरे स्थान पर रही।

(श्री घनश्याम)

माननीय सभापति महोदय, आज आजादी के अमृत महोत्सव की बात होती है, परन्तु हमारे देश की आदिवासी बहन-बेटियों से मणिपुर में जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं हुईं, वे इस देश को शर्मसार करने वाली थीं। माननीय सभापति महोदय, प्रधान मंत्री जी उन पीड़ितों से न तो मिलने गये और न ही उनकी कोई खैर-खबर ली। आज इस देश में जिस तरह से आदिवासियों के साथ व्यवहार हो रहा है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

सभापति महोदय, जिस तरह से कर्मचारियों की जो योजनाएं हैं, उनके लिए हमने जो जी पी एस नम्बर जारी किया था, उसे भी और कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए आर जी एच एस की जो सुविधा प्रदान की जा रही थी, उसे आपने बन्द कर दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में आप राज्य को कुप्रबन्धन की ओर ले जा रहे हैं। वर्ष 2014 में पूरे देश पर 55 लाख करोड़ का कर्जा था। 2023 आते-आते इस देश पर 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। सभापति महोदय, आप जिस तरह से डबल इंजन की सरकार का बखान करते हैं, आज डबल इंजन की सरकार एक महीने तक मंत्रिमण्डल नहीं बना सकी और न ही मंत्रियों को विभाग दे सकी।

आज स्थिति यह हो रही है कि हमारे पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विभाग को आपने अलग-अलग कर दिया है। न तो पंचायती राज मंत्री काम कर सकते हैं और न ही ग्रामीण विकास मंत्री काम कर सकते हैं। माननीय किरोड़ी लाल जी से बात करते हैं, उन्हें पंचायती राज मंत्री की बजाय ग्रामीण विकास विभाग दिया है और ग्रामीण विकास विभाग की जब वे मीटिंग लेते हैं तो पंचायती राज मंत्री उसे कैंसिल कर देते हैं। ऐसी स्थिति में, जो पर्ची दिल्ली से आयी थी, उन्हें यह तो ध्यान रखना चाहिये था कि यह एक ही डिपार्टमेंट है। इसे आपने दो जगह डिवाइड कर दिया। न ये काम कर पा रहे हैं, न वे काम कर पा रहे हैं। अब दुबारा पर्ची मंगाकर इन मंत्रियों को विभाग सौंपे जाएं और जो हालात इस प्रदेश में आप पैदा करने जा रहे हैं, इससे स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं रहेगी।

माननीय सभापति महोदय, आज मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य में जन आक्रोश की स्थिति पैदा हो रही है। एक महीने से आप देख रहे हैं, किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही है। हमारी सरकार में किसानों को दिन में 6 घन्टे बिजली मिलती थी। आज स्थिति यह हो गई है

(श्री घनश्याम)

कि आप रात को 3-3 घन्टे या 2-2 घन्टे बिजली दे रहे हैं और वह दो घन्टे बिजली भी बार-बार ट्रिप हो रही है। वहां ट्रिप होने के कारण किसान सर्दी में पड़ा रहता है। बिजली नहीं मिलने के कारण आज प्रदेश के हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी परसों एक किसान की मृत्यु इस कारण हुई कि उसकी बिजली ट्रिप हो गई। वह रात को वहीं सो गया और सर्दी लगने से 38 साल की उम्र में ही वह खतम हो गया।

माननीय सभापति महोदय, बिजली मंत्री से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों को आप बिजली दिन में दें। आप दिन में भले 6 घन्टे नहीं दे सकते हो, हमने 6 घन्टे बिजली दी है। हमारी सरकार 6 घन्टे बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध थी। यदि आप नहीं दे पा रहे हैं तो 3 घन्टे दें, 4 घन्टे दें पर किसानों को दिन में बिजली दें।

आज जिस तरह से बिजली की स्थिति पैदा कर दी है उससे सभी किसानों में भारी आक्रोश है। क्या आपकी सरकार किसान विरोधी है? आप बिजली नहीं दे पा रहे हैं। आप इस महीने में मेरे विधान सभा क्षेत्र में, मेरे जिले में कहीं भी दिन में बिजली नहीं दे पाये हैं।

मेरा आपसे निवेदन है, जहां तक आप पानी के लिए जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं, पहले जो इंदिरा सिंचाई लिफ्ट परियोजना थी, हमने उसका काम पूरा किया है। वह काम आज एक महीने से बन्द है। चम्बल में जो नादौती, सवाई माधोपुर और गंगापुर पेयजल योजना थी, उसके 6 पम्प खराब हैं। ये 6 पम्प एक महीने से खराब हैं। आज मंत्री जी प्रश्न काल में कह रहे थे कि दो पम्प खराब हैं। दो नहीं, आठ पम्प खराब हैं। आठ में से दो के लिए एक करोड़ रुपये देकर चालू करने की कोशिश की है पर वे आज तक चालू नहीं हो पा रहे हैं। लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इन बातों पर ध्यान दे। पानी, बिजली और चिकित्सा जैसी सुविधाओं पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में जनता में भारी रोष आपके खिलाफ पैदा होने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, आप स्कूलों की बात करते हैं। जिला स्कूलों में हम लोगों ने काम कराये थे, उनका काम बन्द हो गया है। जिन सड़कों का टेंडर किया था, उन सारे टेंडर को कैंसिल कर दिया गया है। जो काम पहले से चल रहे थे, उन कामों को आपने एक आर्डर के तहत बन्द कर

(श्री घनश्याम)

दिया है। पहले जो सड़कें आधी-अधूरी बन गई हैं, उनमें ग्रिट बिछ गई हैं। सरकार को उनको पूरा करने का काम करना चाहिए। किसानों को, जनता को बहुत परेशानी हो रही है, आये दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। इस तरह की जो व्यवस्था सरकार कर रही है, यह आने वाले समय में बहुत दुखदायी होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं जल जीवन मिशन की बात करूं। जो आपने काम कराये, उसमें कई जगह टंकियां तो बना दीं और पाइप लाइन भी डाल दी पर उनमें पानी नहीं आ रहा है। पहले कुछ पानी तो आता था, अब वह पानी भी बन्द हो गया है। आप जनता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करें। मैं सरकार से आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस डबल इंजन की सरकार को दुबारा पुनर्विचार करना चाहिए। दिल्ली से एक पर्ची मंगानी चाहिए कि जिन विभागों को अलग-अलग कर रखा है, उन विभागों को एक करके कार्यरूप बनाकर काम करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से कर्मचारियों की ओ पी एस की स्कीम को बन्द करना चाहते हैं, उससे भी कर्मचारियों में भारी रोष है। आज जगह-जगह हमारे राजीव गांधी युवा मित्र हैं, वे पांच हजार कर्मचारी हैं, वे स्ट्राइक पर बैठे हैं। अपने मेडिकल के कर्मचारी स्ट्राइक पर बैठे हैं तो उनकी भी सरकार को सुननी चाहिए। ऐसी स्थिति में, जो लाटरी मुख्य मंत्री हैं, उनको भी यह सोचना चाहिए कि हमारी विधान सभा में सदस्यों की क्या-क्या पीड़ा है, उसको भी सुनने का काम करें।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, हैरत की बात है कि दुराचारी मध्य प्रदेश विधान सभा में, तत्पश्चात् बी जे पी के प्रचार करने वाले तीन लोग कुणाल पांडे, संयोजक, बीजेपी सेल, वाराणसी महानगर; सक्षम पटेल, संयोजक, बीजेपी सेल, बीजेपी महानगर और आनन्द उर्फ अभिषेक चौहान, कार्य समिति, बीजेपी सेल, वाराणसी; इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया और इन लोगों ने किस तरह आदिवासियों के खिलाफ काम किये हैं, यह बहुत ही निन्दनीय बात है।

मैं आपके माध्यम से पुन: निवेदन करूंगा कि इन आदिवासियों के खिलाफ जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गुरवीर सिंह जी।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, आपने हमें

(श्री गुरवीर सिंह)

समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी सादुलशहर की जनता का, जिन्होंने हमें राजस्थान के लोकतंत्र के मन्दिर में अवसर दिया। महामहिम राज्यपाल जी ने अभिभाषण में, हमें खुशी है कि हमारे आदर सत्कार के योग्य, हमारे आदर्श नेता श्री भैरोंसिंह जी शेखावत, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए, उनके पद चिह्नों पर चलने का काम किया है।

अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के कोने-कोने में बैठे किसानों के लिए, देश की गांव-ढाणियों के लिए जो योजनाएं बनाईं और वे देश के पहले ऐसे प्रधान मंत्री हुए, जिन्होंने खेत में काम करने वाले मजदूर से लेकर नेशनल हाईवे तक की चिन्ता की। भैरोंसिंह जी शेखावत को मैं याद करना चाहूंगा। हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़ कृषि प्रधान जिले के लिए सबसे ज्यादा चिन्ता भैरोंसिंह जी ने की, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पानी, सिंचाई से चलने वाले जिले, सबसे ज्यादा रिकार्ड तोड़ पानी अगर राजस्थान की किसी सरकार में चला तो आई जी एन पी में 14 हजार क्यूसेक पानी भैरोंसिंह शेखावत जी के राज में चला। उसके बाद की कोई भी सरकार उस तरीके से काम नहीं कर पाई। मुझे खुशी है कि सरकार ने उनके पदचिह्नों पर चलते हुए अंत्योदय के संकल्प को साकार करने का मकसद ठान लिया है।

हमारे पैरा 24 में कृषि क्षेत्र की जी डी पी की चर्चा माननीय राज्यपाल जी ने की है। हमारी जी डी पी में कृषि क्षेत्र का 30 परसेंट हिस्सा है। आज भी राजस्थान और देश भर के तकरीबन 50 फीसदी लोगों की रोजी-रोटी कृषि से जुड़ी है। हमारी सरकारें कृषि पर चिन्ता करें, ऐसा मेरा विचार है।

जब-जब भी कांग्रेस की सरकार आई है, इन्होंने किसानों की अनदेखी की है। खासकर हमारे सिंचिंत क्षेत्र ने इनकी अनदेखी को भोगा है। मैं प्रधान मंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। एमएस. स्वामीनाथन की रिपोर्ट के अनुसार फार्मर्स कमीशन पर कोई सरकार काम नहीं कर पाई चाहे केन्द्र की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो या दूसरे प्रदेशों की सरकार हो। आज सबसे ज्यादा चिन्ता का विषय है कि इतनी डिटेल में एम.एस. स्वामीनाथन जी ने रिपोर्ट रखी, कोई भी सरकार किसी भी राज्य में, केन्द्र में, सदन में आज तक चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। मैं इस सदन से मांग करता हूं कि चाहे वे कांग्रेस के साथी हों, चाहे बी जे पी के साथी हों, हमें एम.एस. स्वामीनाथन आयोग पर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने जो सिफारिशें की हैं, हमें उनको लागू करना चाहिए।

(श्री गुरवीर सिंह)

प्रधान मंत्री मोदी जी ने लागत का डेढ़ गुना हमारे किसानों को देकर, जिस तरह से एम एस पी बढ़ाई है, उसका लाभ पूरे देश के कोने-कोने में बैठे किसानों को हो रहा है। केन्द्रीय एजेंसियां, चाहे एफ सी आई, सी सी आई हो, अपने माध्यम से खरीद कर रही हैं, पर हमारी कांग्रेस की सरकार ने पांच साल में न सरसों खरीदी, न जौ खरीदा, न चना खरीदा, न मूंग खरीदा। पांच साल में खरीद के नाम पर औपचारिकता करते रह गये। पांच साल तक किसान इनके मुंह की तरफ देखता रहा।

साथियों, आज माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी ने बोनस देकर किसानों को भरपाई देने का काम किया है, 125 रुपये बोनस देने का मैं स्वागत करता हूं। किसानों को गेहूं पर 125 रुपये देकर आज किसानों का हाथ पकड़ा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी का इसके लिए स्वागत करता हूं।

पैरा 26 में, इंटरनेशनल ईयर आफ मिलेट्स पर बात हमारे माननीय राज्यपाल जी ने रखी है। यह पूरे राजस्थान के लिए गौरव की बात है। पूरे देश में राजस्थान 28 परसेंट तक कंट्रीब्यूट करता है। राजस्थान के किसी भी विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आने वाला माननीय सदस्य हो, उसको मिलेट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमारी सरकारों को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हम अपने मिलेट्स को किस प्रकार ख्याति दे सकते हैं, हमारे किसानों द्वारा उत्पादित किये गये मिलेट्स को किस तरह हम देश, दुनिया को दे सकते हैं। यह सोच यदि किसी ने रखी है तो माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने रखी है और इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। हमारे यहां ज्वार, बाजरा हो, हमारे यहां का ईसबग़ोल या जीरा हो, हमारे यहां बहुत-सी, चाहे जैतून, अनार, अमरूद किन्नू हो। हमारी फसलें, राजस्थान में बहुत पोटेंशियल है। राजस्थान की धरती पर हम खुशनसीब हैं कि यहां गंगानगर में अमरूद और किन्नू हो रहे हैं, जैसलमेर में ईसबगोल और जीरा हो रहा है। कहीं अनार हो रहे हैं, कहीं जैतून हो रहा है। हमें इन सबकी मार्केटिंग, प्रोसेसिंग के लिए काम करना चाहिये। सरकार चाहे कांग्रेस की आये, चाहे बी जे पी की आये, हमें इन चीजों पर काम करना चाहिये। हमारी ए पी एम सी की जो मंडियां हैं वे किसानों की जेब लूटने के लिए नहीं, उनको सहायता देने के लिए, उनको योगदान देने के लिए होनी चाहिये।

सभापति महोदय, आज मुझे इस बात का भी गम है कि यहां के

(श्री गुरवीर सिंह)

जादूगर जो आज तो सदन में आना नहीं चाहते उन जादूगर की सरकार बनी। जादूगर ने कल्याण नाम यूज करके किसान की जेब लूटी। कृषि कल्याण सैस का जो दो परसेंट उन्होंने प्रावधान किया, हम तो उस टाइम सदन के सदस्य नहीं थे, वो मीटिंग इनकी फेसबुक पर लाइव हुई। कांग्रेस के नेताओं ने भी कृषि कल्याण सैस का विरोध किया। आज मैं दिवंगत गुरमीत सिंह जी कुन्नर को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उस समय अपने मुख्य मंत्री के खिलाफ आवाज उठायी और वो दो परसेंट कृषि कल्याण सैस जो इन्होंने लगाया उसके बाद उनको वापस लेना पड़ा। आज भी वह एक परसेंट कृषि कल्याण सैस राजस्थान में लगा हुआ है।

सभापति महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आग्रह करता हूं, मैं हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी और हमारी सरकार से आग्रह करता हूं कि कोई भी ए पी एम सी मंडी का टैक्स है, यहां के अधिकारियों से भी मैं मांग करता हूं कि इस पर विचार करने की जरूरत है। आपको मैं बता दूं कि जो इन्कम टैक्स की हाईएस्ट पेइंग स्लैब है वह भी प्रोफिट लोस स्टेटमेंट पर चलती है। प्रोफिट पर हाईएस्ट जो स्लैब है वह तीस परसेंट है पर अगर आज ए पी एम सी मंडी के किसान पर एक परसेंट का बोझ डाला जाता है तो वह आपके बीस परसेंट इन्कम टैक्स का काम करता है। आज जो किसान अपनी पैदावार लेकर के ए पी एम सी मंडी में जाता है उस पर 2.6 का भार अगर किसी ने डाला है तो हमारी पिछली सरकार ने डाल कर के उस पर टर्न ओवर टैक्स है जो कि आपके इन्कम टैक्स से ज्यादा पड़ रहा है। यह किसानों की पीड़ा मैं आज सदन के सामने रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, प्रधान मंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की। आत्मनिर्भर भारत में हमारे राजस्थान के पास पोटेंशियल है। हम पूरे देश का 46.7 परसेंट सरसों उगा रहे हैं। आज मुझे खेद है जो सरसों राजस्थान में इतनी बड़ी मात्रा में पैदा हो रही है पर राजस्थान की कोई भी सरकार इस पैदावार का फायदा नहीं ले सकी है। क्यों हम राजस्थान में सरसों का डेडिकेटेड कारपोरेशन नहीं बनाते? एक साल के लिए नैफेड ने, खरीद की दलहन और तिलहन की तो सरसों के रेट बाजार में 7 हजार से ऊपर क्रोस कर गये। एक साल के लिए नैफेड ने खरीद की तो मूंग के भाव 8,500 से लेकर 9,000 रुपये को टच कर गये। आज अगर सरकार ने नहीं खरीदा तो दो-दो हजार रुपये एम एस पी से नीचे सरसों और मूंग बिक रहा है, इस पर चिन्ता भी हमें करनी होगी।

(श्री गुरवीर सिंह)

साथियों, आज एडिबल आयल है यह सबसे बड़ी चिन्ता की बात है। आज आयल सीड्स और पल्सेज में हम उगा सकते हैं पर हमारी सरकारों से हमें सपोर्ट नहीं मिलता उसकी वजह से आज जो एडिबल आयल का इम्पोर्ट है 1 लाख 38 हजार करोड़ का एडिबल आयल हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। जहां हमारे देश में जो चीजें पैदा हो सकती हैं उन पर भी हम इम्पोर्ट पर निर्भर हैं। डाइवर्सिफिकेशन आफ क्रोप की बात एम एस स्वामीनाथन जी ने की है। क्यों हमारी सरकारें इसके बारे में नहीं सोचतीं? जहां पंजाब और हरियाणा ने हरित क्रान्ति के नाम पर अपनी जमीनों को जहर बना लिया है, यहां यूरिया खाद का इतना भरपूर उपयोग हो रहा है आज वहां की मिट्टी में उनकी मजबूरी है। पंजाब और हरियाणा की मजबूरी है कि वहां गेहूं और धान के बिना कोई फसल नहीं हो रही है।

सभापति महोदय, आज मैं कह सकता हूं गंगानगर कृषि प्रधान जिला है और हमारे एक बीघा में दो क्विंटल से ज्यादा चना नहीं होता। हम जैसलमेर में भी खेती कर रहे हैं। जैसलमेर में 8 क्विंटल पर बीघा का चना हो रहा है। गंगानगर में आज की डेट में जिस तरीके से नरमा खराब हुआ। हमारे एक बीघा में डेढ़ से दो क्विंटल भी...

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): अभी तो साहब, शुरू किया है। हम नये सदस्य हैं, हमें ज्यादा मौका दिया जाये। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर मुझे पांच मिनट का समय चाहिये।

श्री सभापति: आपको दस मिनट दिये हैं।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): हमारे पड़ोसी राज्य चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, 52 तरह की योजना लेकर के उन्होंने किसानों का साथ दिया है। आज हरियाणा की सरकार सारी की सारी फसलें एम एस पी पर खरीद रही है। हमारे राजस्थान के इस सदन से मैं आग्रह करता हूं कि हम सबको मिलकर इस पर काम करना चाहिये। इस पर हम काम करेंगे तो हमारा किसान समृद्ध होगा। जादूगर और युवराज जी ने पांच साल पहले जिस तरीके से दस दिनों में कर्जा माफी कहकर वोट मांगे, 19 हजार किसानों की जमीन नीलाम हुई और मुझे खेद है कि हमारे रायसिंहनगर का सोहन लाल नाम का किसान अपने सुसाइड नोट में पूर्व मुख्य मंत्री और पूर्व उप मुख्य मंत्री का

(श्री गुरवीर सिंह)

नाम लिखकर के मरा और उन्होंने कहा कि यह योजना का नुकसान है और उस किसान ने अपनी जान दे दी।

श्री सभापति: अपनी बात समाप्त करें।

श्री गुरवीर सिंह (सादुलशहर): मैं एक मिनट और लूंगा।

एक को-आपरेटिव महकमे का बताना चाहता हूं। जो पिछली सरकार ने किसानों की जेब लूटी, उसको मैं आपके सामने सदन में रखना चाहता हूं। आज जो एक्सीडेंटल क्लेम है, मोदी जी की फ्लैगशिप योजना में 0.001 पर 2 लाख रुपये तक उसमें क्लेम मिल रहा है और लाइफ इंश्योरेंस पर 0.12 पर क्लेम मिल रहा है। हमारा को-आपरेटिव डिपार्टमेंट एक हजार के पीछे 17 रुपये काट रहा है जो कि किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है।

हमारे सिंचाई पानी की बात करूं तो सरहिन्द फीडर हो, आई जी एन पी हो और चाहे फिरोजपुर फीडर हो, फिरोजपुर फीडर का मुझे अफसोस है इन्होंने अपने मेनिफेस्टो में लिया, इन्होंने अपने बजट में 200 करोड़ की घोषणा की पर पांच साल में एक बार भी डी पी आर के लिए प्रयास नहीं किये, डी पी आर नहीं बनवा सके।

सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी ने वादा किया है कि हम फिरोजपुर फीडर का निर्माण करा कर के चार विधान सभा क्षेत्र जिससे सिंचित होते हैं उनको हम पानी प्रदान करेंगे और मुझे खुशी है कि हमारी पिछली सरकार में वसुन्धरा जी को हम लोहगढ़ हैड पर लेकर के गये, हमारी नहरों की दशा दिखायी। वसुन्धरा जी ने तुरन्त आई जी एन पी का 2,400 करोड़, जो अभी मेरे साथी बता रहे थे कि तेरह जिलों में पानी जाना है, 2,400 करोड़ रुपये आई जी एन पी में दिया, सरहिन्द फीडर में दिया।

एक मेरी बात नयी पर्ची वाली रह गयी साहब। नयी पर्ची पर बात कर लेने दो। बार-बार ये नयी पर्ची-नयी पर्ची करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी जो दिल्ली वाली पर्ची है यह आपकी पर्ची बहुत बार आयी है। 1980 में आपकी पर्ची स्वर्गीय जगन्नाथ पहाड़िया जी के लिए आयी। आपने साल भर में बदल दिया। शिवचरण जी माथुर को आपने 3 साल में बदल दिया, हीरालाल देवपुरा जी को बनाया। इन पांच सालों में तीन पर्ची आपकी आयीं। 1985 में जोशी जी के नाम पर और माथुर जी के नाम पर आयी और उसके बाद परसराम मदेरणा जी का जहां हक बनता था, आपकी पर्ची आयी। आज आपकी

(श्री गुरवीर सिंह)

पर्ची में दम नहीं रहा। आपकी पर्चियां लेकर के आपके माकन जी और खड़गे जी वहां बैठे रहे, आपकी सरकार कहीं और बैठी रही। आज हमारी पर्ची नहीं है, एक आम परिवार का वह आदमी मुख्य मंत्री बना है और उस मुख्य मंत्री ने पूरी जनता की सेवा करने की ठान ली है। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। श्री गणेशराज बंसल।

श्री गणेशराज बंसल (हनुमानगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं पूरे सदन को आज राष्ट्रीय बालिका दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सदन में बोलने का मेरा यह पहला अवसर है। मैं सदन की गरिमा और प्रक्रिया का पूरा ख्याल रखूंगा, फिर भी कोई त्रुटि हो जाये तो उसके लिए सदन से माफी चाहूंगा।

सभापति महोदय, आज जो हमारी यह लाइन है हम 'हां पक्ष' और 'ना पक्ष' के बीच की एक कड़ी को जोड़ते हैं। मैं उसी सन्दर्भ में बोलना चाहूंगा।

(समय: 15.48 बजे)

(श्री संदीप शर्मा, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, माननीय महामहिम जी के भाषण के सम्बन्ध में मैं अपनी सारगर्भित बात रखना चाहता हूं। इस सदन में उपस्थित हर एक माननीय सदस्य जनता का जनादेश लेकर यहां पहुंचा है इसलिये हर जन प्रतिनिधि के साथ जुड़ी जनभावना का सम्मान हो, ऐसी मैं सदन से अपेक्षा करता हूं। राजस्थान राज्य की जनता जनार्दन ने हर बार शासन बदलने की परम्परा को निभाते हुए इस बार फिर परिवर्तन किया है। जनता के स्पष्ट जनादेश के पीछे मंशा पर भी मन्थन होना आवश्यक है कि हर बार राजस्थान की जनता क्या बदलने का प्रयास कर रही है जो हर बार नहीं बदल पा रहा है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, मैं समझता हूं सभी सरकारें बेहतर करने का ही प्रयास करती होंगी, लेकिन गौरतलब है कि जो भी प्रयास रहे होंगे, मुकम्मल नहीं रहे होंगे तभी राजस्थान राज्य की जनता जनार्दन संतुष्ट नहीं है। दोनों बड़े राजनीतिक दलों ने अपनी पार्टी पालिसी के आधार पर चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी रहीं जहां दोनों बड़े दलों के उम्मीदवारों को जनता जनार्दन ने अस्वीकार किया, जिससे यह बात स्पष्ट है कि पार्टी पालिसी से दीगर स्थानीय मुद्दे भी जनता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जिनकी उपेक्षा हो रही है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपका ध्यान

(श्री गणेशराज बंसल)

इस युग की अयोध्या की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। अयोध्या में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरा भारतवर्ष राममय हो गया है, जो राष्ट्र की मर्यादा पुरुषोत्तम राम में आस्था का स्पष्ट प्रमाण है। साथ ही हम सभी राष्ट्र भक्तों में राष्ट्र में रामराज की परिकल्पना भी जोर पकड़ रही है। जब मैं आमजन के परिकल्पित रामराज की बात करता हूं तो इस रामराज में महिलाओं के प्रति यौन अपराध की कल्पना नहीं है। युवा अवैध नशे की गिरफ्त में नहीं है, आमजन पुलिस से भयभीत नहीं है, सरकारी योजनाओं का उद्देश्य अंतिम छोर पर बैठे जरूरतमंद को लाभान्वित करना है, न कि अप्रत्यक्ष रूप से केवल और केवल मात्र राजनीतिक महत्वाकांक्षा।

सभापति महोदय, रामराज के क्या मायने हैं, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन यह जरूर कह सकता हूं कि एक भय और भ्रष्टाचार मुक्त समाज रामराज से कम नहीं होगा। मैं हमारे बड़े-बुजुर्गों द्वारा कही गई एक कहावत पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो समय बीत गया, सो बीत गया। यानी बीते कल का शोक मनाने की बजाय नये कल को बेहतर बनाने की कोशिश होनी चाहिये। मैं यह बात इस सन्दर्भ में याद दिला रहा हूं कि भाजपा, कांग्रेस के शासन को कोसती रहे और कांग्रेस, भाजपा के शासन को, इससे तो बस आज बर्बाद होगा। जिस आज से हम अपना आने वाला कल बेहतर बना सकते हैं, उसे हम बीते कल को कोसने में व्यतीत कर रहे हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं जो माननीय सदस्यों के लिये नया हो या कोई बहुत ज्ञान की बात हो, अपितु बहुत ही सरल और व्यावहारिक सी बातें कह रहा हूं किन्तु यह बातें मानों ऐसी हैं जैसे सर्वशक्तिमान ईश्वर के होते हुए भी उसकी स्तुति कर याद करना कि हे ईश्वर, आप ही हैं। मैं हमारे माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी व उनकी पूरी कैबिनेट से इस बात की उम्मीद करूंगा कि जनता ने जो हमें विकास के लिये, अपने ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी मूलभूत सुविधाओं के लिये चुनकर भेजा है, हम जनता की जन-भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, पुरानी सरकारों को न कोसते हुए आगे अच्छे कार्य करें, ताकि जो राजस्थान की जनता ने हर पांच साल बाद सरकार बदलने की परम्परा बना रखी है, इस बार वह परम्परा रिपीट न हो, हम अच्छा कार्य करें। मैं माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी व उनकी पूरी कैबिनेट व सभी माननीय सदस्यों से उम्मीद करूंगा कि हम राजस्थान के विकास में अपनी भागीदारी निभाएं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम

(श्री गणेशराज बंसल)

सभी अपने-अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि जनता भय और भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहती है। जब तक यह नहीं होगा, यह जनता जनार्दन यूं ही बार-बार बदलती रहेगी और शायद यही लोकतंत्र है। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री सभापति: श्री लक्ष्मण राम।

श्री लक्ष्मण राम (मेड़ता): माननीय सभापति महोदय, आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने के लिये मौका देने के लिये हृदय से आपका धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र की देवतुल्य छत्तीस कौम के आशीर्वाद से और बाबा साहब अंबेडकर साहब, जिनके आशीर्वाद से मैं आज विधान सभा में पहुंचा हूं उनको नमन करता हूं।

सभापति महोदय, हाल ही में सम्पन्न हुए विधान सभा चुनाव 2023 में प्रदेश की देवतुल्य जनता ने हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर जो जन समर्थन हमें दिया, इस हेतु समस्त प्रदेशवासियों को बधाई। निश्चित तौर पर हमारी डबल इंजन की सरकार में माननीय प्रधान मंत्री और हमारे माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी के कुशल नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, मजदूर के हित में नये आयाम स्थापित होंगे। सभापति महोदय, बीते पांच साल में कांग्रेस का कुशासन रहा, जो राजस्थान सहित पूरे देश ने देखा। सभापति महोदय, पिछले पांच साल में करीब 19 हजार किसानों की जमीनें बैंकों ने कुर्क कर लीं, जबकि इनके नेता राहुल गांधी जी 2018 के विधान सभा की चुनाव रैलियों में राजस्थान के किसानों की सम्पूर्ण कर्ज माफी की बात करके गये थे। सभापति महोदय, पिछले पांच साल में ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां पर बम्पर लूट-खसोट और भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो।

सभापति महोदय, मैं जिस मेड़ता क्षेत्र से आता हूं वहां पूरा इलाका खेती पर आधारित है। 75 प्रतिशत लोगों का मुख्य पेशा ही किसानी है। उन किसानों को पिछले पांच साल में खाद-बीज से लेकर बिजली तक की विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा। 6 घंटे की जगह ट्रिपिंग करके 3-4 घंटे किसानों को बिजली दी जाती थी। मेरे क्षेत्र में जल जीवन मिशन, वह जल जीवन मिशन जिसके तहत हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी ने हर घर नल, हर घर जल का सपना देखा। विभिन्न राज्यों में, जैसे जम्मू-कश्मीर में वह मिशन

(श्री लक्ष्मण राम)

कामयाब हो गया। दुर्भाग्य है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए भ्रष्टाचार के कारण मेरे क्षेत्र में प्रत्येक गांव में पाइप लाइन बिछाने के नाम पर सड़कें तोड़ दीं, लेकिन आमजन तक पानी नहीं पहुंचा, यह बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इससे सम्बन्धित कंपनियों का 80 प्रतिशत भुगतान हो चुका है, इसलिए उनकी दादागीरी दिख रही है। आमजन को पेयजल उपलब्ध नहीं हुआ है। आमजन के हितों पर कुठाराघात करने वाली इन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर जुर्माना वसूला जाना चाहिये था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इन भ्रष्ट कंपनियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था।

सभापति महोदय, कांग्रेस के शासन में सबसे बड़ा दंश मेरी मेड़ता की जनता ने भुगता है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान मेड़ता में स्थानीय आर एल पी के विधायक थे। मेड़ता में कांग्रेस और आर एल पी में ऐसा टकराव था कि स्वीकृत ट्रोमा सेंटर के टेंडर हो गये, वर्क आर्डर जारी होने के बाद भूमि पूजन हो गया, लेकिन चंद नेताओं की लड़ाई में वह ट्रोमा सेंटर नहीं बन पाया। आजादी से पहले मेड़ता को जिले का दर्जा प्राप्त था और जिला सैशन कोर्ट मेड़ता में है। तमाम मापदंड पूरे करने के बावजूद कांग्रेस शासन में मेड़ता को जिले की सौगात नहीं मिली, जबकि 15 किलोमीटर के दायरे में जिले बांट दिये गये। मेड़ता को इन्होंने जिला नहीं बनाया, क्योंकि इनकी मानसिकता में द्वेषता थी।

सभापति महोदय, पिछले पांच साल में कांग्रेस ने खनन मामले में भ्रष्टाचार के सारे रिकार्ड तोड़ दिये। मेड़ता में सरकार की गलत नीतियों एवं निर्णयों की वजह से बजरी का अवैध कारोबार स्थापित हो गया। पिछले साल आचार संहिता से कुछ दिन पहले कई निर्दोष युवक कालग्रस्त हो गये। मैं माननीय मुख्य मंत्री भजन लाल जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन्होंने सरकार का गठन होते ही विशेष अभियान चलाकर खनन माफियाओं की कमर तोड़ने का काम किया। इन खनन माफियाओं के माहौल से मेड़ता में अवैध नशे के कारोबार ने पैर पसार लिये और आज युवा पीढ़ी बर्बाद होने के कगार पर है। आज इसी नशे के सेवन के आदी लोग चोरियां कर रहे हैं। मेरे मेड़ता क्षेत्र के कई गांवों में गांव वालों ने चंदा करके पहरेदार रखे थे, क्योंकि इनके शासन में पुलिस बेपटरी और लापरवाह थी।

माननीय सभापति महोदय, कल माननीय सदस्य श्रवण कुमार जी ने सदन में अवगत कराया कि गांवों में सड़कें, बिजली-पानी की मूलभूत सुविधाओं

(श्री लक्ष्मण राम)

का अभाव है। माननीय सदस्य, इसकी जिम्मेदार अभी की भाजपा सरकार नहीं है। हमें तो एक महीना हुआ है, जबकि गांव-ढाणी के विकास की कड़ी के मुखिया गांव के सरपंचों के साथ में इनकी सरकार ने दुर्व्यवहार किया। पंचायत से जुड़े विकास कार्यों की स्वीकृतियां रोक लीं। इनकी ही पार्टी के लोगों ने इनका विरोध किया। नागौर से लेकर जयपुर तक सरपंचों के साथ सरकार के खिलाफ पदयात्रा की, लेकिन इन्होंने नजरंदाज किया। इसका नतीजा यह रहा कि राजस्थान की जनता ने इनको नजरंदाज कर यहां पहुंचा दिया।

सभापति महोदय, आगामी पांच साल युवाओं के विकास के लिये महत्वपूर्ण हैं। हमारी नव-निर्वाचित भाजपा सरकार ने पेपर लीक माफिया एवं खनन माफियाओं पर कड़ी कार्यवाही कर यह संदेश दिया है कि राजस्थान में सुशासन की शुरुआत हो चुकी है।

माननीय सभापति महोदय, कल प्रतिपक्ष के सदस्य यह बोल रहे थे कि यह पर्ची वाली सरकार है। माननीय सदस्य, यह पर्ची वाली सरकार नहीं है, यह ईमानदारी से काम करने वाले कार्यकर्ताओं की सरकार है। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को यह याद रखना चाहिये कि आप कई दिनों तक सीएम नहीं बना पाये थे। पांच साल उठा-पटक में निकल गये, आये दिन आपकी सरकार होटलों में चली।

अभी माननीय सदस्य बाबा साहब के बारे में बोल रहे थे। बाबा साहब अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा। महिलाओं, पिछड़ों, एस सी, एस टी को और उन तमाम लोगों को अधिकार दिया जो उस समय दबे-कुचले थे। इस देश में सब कुछ अधिकार संविधान के माध्यम से है, लेकिन आपकी सरकार ने हमेशा उनका अपमान करने का काम किया। उनको भारत रत्न जैसे पवित्र पुरस्कार से वंचित कर दिया।

(समय: 16.00 बजे)

हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने उनके नाम पर पवित्र तीर्थ बनाने का काम किया, आप लोग भी जाकर देख सकते हैं। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र में बनने वाली सी आर आई एफ योजना के तहत सड़कों का जो जाल बिछाया, जैसे रेण से पिपाणा वाया मेड़ता रोड लाम्बा होते हुए, मेड़ता से वाया मेड़ता रोड मूंडवा तक, मेड़ता से गोटन जोधपुर बोर्डर, मेड़ता से जोधपुर वाया बोरूंदा होते हुए। पी एम जी एस वाई से मेड़ता में बडायली होते

(श्री लक्ष्मण राम)

हुए पाली विधान सभा के बोर्डर तक, बीटन से लिल्यां होते हुए, रियां बड़ी होते हुए डेगाना विधान सभा को जोड़ने वाली सड़क, पादुकलां से रियां-अरणिया होते हुए मांगड़्या जोनल सड़क। बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गणेश घोगरा।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की बात ही रखूंगा, क्योंकि मुझे शायद 12 मिनट का समय ही दिया गया है और आप जल्दी बिठा देंगे।

श्री सभापति: आपकी ही व्यवस्था।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सरकार में सामने जो मंत्री बैठे हुए हैं, इन्होंने जो लिखकर दिया है, वही माननीय महामहिम ने अभिभाषण में प्रस्तुत किया है। इस अभिभाषण में कुछ ऐसा नया नहीं है। बजट नहीं है, खजाना खाली है। मोदी जी ने यह कर दिया, मोदी जी ने वह कर दिया, डबल इंजन की सरकार है, इसके अलावा इस अभिभाषण में कोई तथ्य नहीं है। इस अभिभाषण में एस सी, एस टी के लिए कोई भी नीति, कोई भी योजना नहीं बनायी है कि एस सी, एस टी के लिए हम क्या करेंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि टी एस पी क्षेत्र में, यह मांग मैं पहले भी करता आया हूं, जनसंख्या के आधार पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि वहां के युवाओं की और क्षेत्र की जनता की कब से मांग है। मैंने पहले भी विधान सभा में मांग उठायी थी और अब भी उठा रहा हूं कि यह विशेष मांग है।

उसके बाद जो राज्य के एस टी को प्रशासनिक सेवा में 12 परसेंट आरक्षण मिलता है तो हमारे टी एस पी एरिया को इस 12 में से प्रशासनिक सेवा में 6 प्रतिशत आरक्षण पृथक से दिया जाये, क्योंकि हमारे टी एस पी क्षेत्र में भील आदिवासी, जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, एक बीघा जमीन है, किसी के पास जमीन भी नहीं है, वे मजदूरी करते हैं। खेती भी बराबर नहीं कर पाते हैं, उनको वास्तविक आरक्षण मिलना चाहिए। आज 75 साल तक वास्तविक हक हमको मिलना चाहिए। यह आरक्षण हमको नहीं मिलता है। अभी तो हम सीखे ही अब हैं कि आरक्षण होता क्या है। पहले आरक्षण के नाम से दूसरों ने ही

(श्री गणेश घोगरा)

फायदा उठाया है। अभी भी हमको एस सी, एस टी को 100 साल तक आरक्षण की आवश्यकता है, तब हम बराबर लेवल तक आयेंगे। आज तक हम यहां पर आये नहीं हैं।

कल हमारे पूर्व मंत्री जी बोल रहे थे। किसी माननीय सदस्य ने कहा था कि ये वनवासी क्या बोलेंगे। हम तो सीख रहे हैं, हम आदिवासी हैं लेकिन आपको हम पर आपत्ति है। आपको एस सी, एस टी पर आपत्ति है। हमें मन्दिर में घुसने नहीं दिया जाता है। अभी आप राम मन्दिर की बात कर रहे हैं। वहां पर गौ-मूत्र छिड़का जाता है, गंगाजल से साफ किया जाता है, फिर आप कौनसे विकास की बात कर रहे हैं? कौनसे विकसित भारत की बात कर रहे हो? आज भी हमारे एस सी, एस टी के साथ भेदभाव होता आ रहा है और भेदभाव हो रहा है। इस भेदभाव को खतम करना पड़ेगा। हमें सौ वर्ष और लग जायेंगे, हमें यह आरक्षण व्यवस्था चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, डबल इंजन की सरकार हमारे आरक्षण को खतम करना चाहती है, किसी माध्यम से हमें हटाना चाहती है।

आज आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। कार्तिक भील हत्याकाण्ड हुआ। मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासियों पर पेशाब किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जंगल को उजाड़ा जा रहा है। 90 हजार वृक्ष उजाड़ दिये। आदिवासियों को वहां से भगाया जा रहा है, वहां पर आदिवासियों को गोली से उड़ाया जा रहा है। अगर आदिवासी हक के लिए आवाज उठाता है तो उसको नक्सली बताकर गोली मारी जा रही है। क्या यह डबल इंजन की सरकार है? क्या यह मोदी जी की सरकार है? क्या आदिवासी इंसान नहीं है? क्या आदिवासी इस देश का मालिक नहीं है? उसका अधिकार नहीं है?

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे टी एस पी क्षेत्र में और आज भी कई जगह पर नाम मात्र के सरपंच हैं, नाम मात्र के प्रधान हैं। मेरे से पहले आये विधान सभा के माननीय सदस्य की डिजायर किसी और के पास रहती थी। जो सदस्य एम एल ए बनकर आते, वे खाली नाम मात्र के साइन करते, फायदा दूसरों ने उठाया। आदिवासियों को फायदा आज तक नहीं मिला है। सरपंच एस टी का बन गया, उप सरपंच पूरी पंचायत चला रहा है। एस टी का प्रधान बन गया, उप प्रधान पूरी पंचायत समिति। यह घटना आज भी है, आज भी चल रही है। आज भी वास्तविकता में हमें जो अधिकार मिलना चाहिए, वह नहीं मिला है। मैं कहना चाहूंगा कि वास्तविकता में उनको अधिकार मिलना चाहिए।

(श्री गणेश घोगरा)

कई वर्षों से आदिवासी लोग बिलानाम जमीन पर बैठे हुए हैं। जो जंगल में बैठे हुए हैं, जो खेती कर रहे हैं, मकान बनाकर रह रहे हैं पर उनको वनाधिकार का पट्टा नहीं दिया जा रहा है। बिलानाम जमीन पर वर्षों से बैठे हैं, उनको पट्टा या खातेदारी हक नहीं दिया जा रहा है। आदिवासी कभी शहर की ओर नहीं गया, लेकिन शहर वाले गांवों में जा रहे हैं, जंगल उजाड़ रहे हैं, उनको हटा रहे हैं। अगर कोई गरीब व्यक्ति है, तो उसके लिए कानून है, नियम है, लेकिन जो पैसे वाला है, जो अमीर है, उसके लिए कोई कानून, नियम नहीं हैं। नदी में भी उसकी होटल बन जायेगी, उसके लिए मकान का भी अलाटमेंट हो जायेगा और जो वर्षों से लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई नियम और कानून-कायदे नहीं हैं। सभापति महोदय जी, मैं चाहता हूं कि वास्तविकता में जो लोग वर्षों से बैठे हुए हैं, उनको खातेदारी हक दें, उनको वनाधिकार पट्टा दें। आपने यह नीति नहीं बनायी है। यह अभिभाषण में नहीं लिखा कि आदिवासियों के लिए यह करेंगे, एस सी के लिए यह करेंगे, एस टी के लिए यह करेंगे। जो लिखकर भेज दिया, बजट नहीं है, यह नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे? आप तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमारी पूर्ववर्ती सरकार में अशोक गहलोत साहब ने दो साल कोरोना का काल था, फिर भी किसी को भूखा नहीं सोने दिया। कई रोजगार चलाये, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना चालू की, 25 लाख रुपये का नि:शुल्क इलाज मिल रहा था। फ्री में दवाई, यह भी अशोक गहलोत साहब की योजना है, अशोक गहलोत साहब की देन है। अशोक महान् सम्राट राजा हुआ करता था और इन्होंने भी ऐसा काम किया है। भले ही आप ऊपर-ऊपर से मना कर रहे होंगे, लेकिन दिल से वास्तव में कांग्रेस सरकार ने सभी वर्गों का, 36 वर्ग के लिए काम किया था। आपने खाली नाम बदलने का काम किया है।

मणिपुर की घटना, मोदी जी मौन, भारतीय जनता पाटी के नेता मौन। मौन क्यों हो? वहां मणिपुर में आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है और क्योंकि वे आदिवासी हैं, इसलिए आप आवाज नहीं उठायेंगे। अगर हिन्दू होता तो आवाज उठाते, क्योंकि वे तो आदिवासी हैं इसलिए आप आवाज नहीं उठा रहे हैं। उनको इतनी तकलीफ हो रही है, लेकिन इसके लिए आप एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हो। मोदी जी, यह डबल इंजन की सरकार है। क्या मणिपुर भारत का राज्य नहीं है? लेकिन इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, वह देश को एकीकरण में नहीं, उसको अलग करने का काम कर रही है।

(श्री गणेश घोगरा)

माननीय सभापति महोदय, जो युवाओं की बात कर रहे हैं, जो रोजगार की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार ने राजीव गांधी...

श्री सभापति: आप विषय पर बोलें, माननीय सदस्य। आप शांत रहिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप विराजिए।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): मेरे लिए बजा रहे हैं, बजाओ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विषय पर बोलिए।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): साहब, मैं संक्षिप्त में बोल रहा हूं। हमें यहां भी दबाया जा रहा है। हमारे क्षेत्र की बात बोल रहा हूं।

श्री सभापति: बोलिए, बोलिए। आपका समय निकल रहा है। आपके दल ने जो समय दिया है, वह निकल रहा है।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): सर, हमारे प्रतिपक्ष के नेता बैठे हुए हैं।

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के नेता ने आपका समय दिया है। आप जल्दी विराजें।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): राजीव गांधी युवा मित्र जो लगाए थे 5 हजार, आज ये युवाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, आज युवा वहां पर 20 दिन से भटक रहा है, खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है, नहाने के लिए कपड़े नहीं हैं, एक ही ड्रेस में आये हैं। सोने के लिए, ओढ़ने के लिए बिस्तर नहीं है। महिला बच्चा लेकर आयी है, लेकिन आपने उनको हटाने का काम किया। वह सरकार की योजनाओं को घर-घर तक पहुंचा रहे थे, उनको फायदा दिला रहे थे, भले ही केन्द्र सरकार की योजना हो, भले राज्य सरकार की योजना हो। किस बात के कार्यकर्ता थे? वे तो सरकार की योजना घर-घर तक पहुंचा रहे थे। आपकी सरकार में पंचायत सहायक जो लगे थे, उनको हमारी सरकार ने नहीं हटाया। उनको नियमित किया। यह है कांग्रेस सरकार। यहां दिखती है आपकी सोच और कांग्रेस की सोच क्या है। आप युवाओं के कितने हितैषी हैं?

मैं कहना चाहूंगा, आप जितनी योजनाओं की बात कर रहे हैं, खाली आपने नाम बदलने का काम किया है।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): पेंशन, आज गरीब लोग पेंशन के लिए भटक रहे हैं।

श्री सभापति: श्री उदयलाल भडाणा।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): सर, दो मिनट। हमारे साथ ऐसा पक्षपात क्यों?

श्री सभापति: जो समय है, वह समय है। अंकित नहीं होगा।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): 000

श्री सभापति: समय हो गया। 12 मिनट हो गये। उदयलाल भडाणा।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): जय श्री राम।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): 000

श्री सभापति: वक्ता बहुत हैं। आपका समय पूरा हो गया, माननीय सदस्य। आप विराजिए।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): 000

श्री सभापति: प्लीज विराजिए। चालू कीजिए।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): माननीय सभापति महोदय, जय श्री राम...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्रारम्भ कीजिए। समय प्रारम्भ हो गया आपका।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): ऐसी कोई बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। हमारी चिंता हम करेंगे। जय सिया राम, सीता राम जो बोलना है, हम बोलेंगे। आपको जो बोलना है, वह बोलें।

श्री सभापति: आप बोलना प्रारम्भ कीजिए।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): सभापति महोदय जी, राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम सदन में विराजे सभी विधायकगण को राम-राम सा।

श्री सभापति: स्थान पर बैठकर भाषण मत दीजिए।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): श्रीराम जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर बहुत-बहुत बधाई व शुभकामनाएं। प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को बहुत-बहुत बधाई एवं धन्यवाद। मैंने दिनांक 22 जनवरी को श्री रामलला की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जो उत्साह और जोश पूरे भारतवर्ष के साथ ही पूरे विश्व में देखा, वैसा शायद मेरे जीवन काल के 45 वर्षों में कभी नहीं देखा। सभी सनातनियों के लिए यह गौरव की बात है।

सभापति महोदय, सदन के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता

(श्री उदयलाल भडाणा)

हूं कि मैं भगवान देवनारायण की जन्मस्थली भीलवाड़ा और माण्डल से आता हूं और मेरे विधान सभा क्षेत्र माण्डल में भी एक भगवान देवनारायण का मन्दिर है, जो पिछले 50 वर्षों से बंद है। पिछली विधान सभा में भी आदरणीय शिक्षा मंत्री अपने मदन जी दिलावर ने इसी विधान सभा में अध्यक्ष जी को अवगत कराया था और लोक सभा के अन्दर प्रदेश अध्यक्ष सी.पी. जोशी जी ने भी अवगत कराया था, लेकिन राजनीतिक द्वेषता के कारण भगवान देवनारायण का मन्दिर पिछले 50 साल से बंद है। उसका कोर्ट का फैसला आ चुका है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे भगवान राम का मन्दिर अयोध्या में खुला, उसी तर्ज पर भगवान देवनारायण का मन्दिर माण्डल का भी खुलना चाहिए और आम सनातनियों को, अभी जैसे ये बोल रहे हैं, जय श्रीराम, सीताराम, मैं बोल रहा हूं सभी सनातनी, आप भी सनातनी हो, सभी हिन्दू, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, लेकिन हमारे धर्म की जब बात आएगी, हम पुरजोर उसका स्वागत, अभिनंदन करेंगे। मैं सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो मन्दिर 50 वर्ष से बंद है...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप देवनारायण जी मन्दिर की बात कर लीजिए।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): वही कर रहा हूं। आप इसकी चिन्ता मत कीजिए। पिछले 50 साल से जो मन्दिर बंद है, उस मन्दिर को कांग्रेस सरकार ने खुलने नहीं दिया। केवल एक समाज विशेष के वोटों की खातिर कोर्ट का फैसला आने के बावजूद उस मन्दिर को खुलने नहीं दिया। मैं इस सदन के माध्यम से आपसे मांग करता हूं, निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि हमारी जो सरकार है, उसके माध्यम से संविधान और कानून के दायरे में उसका काम करके भगवान देवनारायण का मन्दिर बहुत जल्दी खुलवाया जाए, जिससे सभी सनातनियों को खुशी व आनंद का अनुभव होगा।

सभापति महोदय, इनके एक सदस्य कल बोल रहे थे कि जो ये नये-नये आते हैं, आप भी कभी पहली बार आये होंगे, आपको भी कभी किसी ने टोका होगा? ऐसा नहीं है कि आप नये सदस्य को इस प्रकार बोलो। आपके भी नये सदस्य हैं, भाजपा के भी नये सदस्य हैं। नये सदस्यों को आप उंगली पकड़कर बोलना सिखाओ, न कि टोकना सिखाओ। आप भी कभी न कभी पहली बार आये होंगे। आप बनते ही कोई एम एल ए या मंत्री नहीं बन गये।

(श्री उदयलाल भडाणा)

हमारा स्वागत कीजिए, सम्मान कीजिए, हम आपका मान-सम्मान करेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि पहली बार वालों को आप टोकते रहें।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): बोलो मत, आप पढ़ लीजिए।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): पढ़ लेंगे, उसकी चिंता मत कीजिए आप। आप स्वयं को आदिवासी बोल रहे हो और हमारे ये भाई आदिवासी हैं, ये बोल रहे हैं, मैं खुद हिन्दू हूं। आप हिन्दू समाज का अपमान करने का काम कर रहे हैं, फाड़ करने का काम कर रहे हैं।

माण्डल विधान सभा सहित पूरे राजस्थान में जमीन, अभी मेरे जो पूर्व साथी बोल रहे थे, हमारा आदिवासी समाज जंगल में रहता है, ...(व्यवधान) उसको पट्टे नहीं दिए।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): चाहे कुछ भी बोल लीजिए।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): आप एक बार नीचे विराजिए। (व्यवधान) नीचे विराजिए।

श्री सभापति: बैठिए, माननीय सदस्य।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): अभी ये बोल रहे थे कि आदिवासी समाज के लोग जंगलों में रहते हैं, गांवों में रहते हैं, चरागाह भूमि पर, बिलानाम भूमि पर रहते हैं, लेकिन शायद ये भूल गए कि इनकी पिछली सरकार में जो राजस्व मंत्री थे, वे हमारे यहीं से थे। उन्होंने बिलानाम भूमि, चरागाह भूमि का जितना बंदरबांट किया, आप सब लोगों को पता है। आप ही के उदयपुर के अन्दर एक आदिवासी समाज का जो भाई है, 6 भाइयों का परिवार रहता है, उसकी सारी जमीन को अपने मित्र के नाम पर अलॉटमेंट कर दी। उसके जो 45 सालों से लाइट का कनेक्शन है, बहुत बड़ेबड़े अखबारों में छपा था, इन्हीं के आदिवासी, ...(व्यवधान) इन्हीं की सरकार के राजस्व मंत्री ने सारी जमीनों को, चरागाह भूमि का बंदरबांट करने का काम किया। हमारे माण्डल विधान सभा क्षेत्र सहित पूरे भीलवाड़ा जिले में हर एक किसान, कब्जा किसी और का है, अलाटमेंट किसी और को कर दी। कब्जा किसी और का है, अलाटमेंट अपने दोस्त को कर दी।

सभापति महोदय, मैं तो इतना ही कहता हूं कि उन्होंने तो इतना गड़बड़झाला किया कि जो विधान सभा है, इस विधान सभा को सचिवालय में रख दिया और सचिवालय को लाकर जमीनों की किस्म चेंज कर दी। उनके

(श्री उदयलाल भडाणा)

खसरे इधर के उधर कर दिए और सारी जमीनों के घोटाले करने का काम किया। फिर भी आप लोगों को लगता है कि हमारे आदिवासी समाजों को पट्टे नहीं दिए? पिछली सरकार में यह कहा था कि चरागाह भूमि पर बसे हुए जो भी किसान हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको 100-100 गज के पट्टे दिए जाएंगे। एक भी शायद किसान परिवार को पट्टा नहीं दिया। केवल और केवल अपने दोस्तों को और अपने मिलने वालों को जमीन की बंदरबांट करने का काम किया।

श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): जांच करवा लो।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): जांच की बात करेंगे, आप चिन्ता मत कीजिए। ई.डी. करेगी, सी.बी.आई. करेगी, आप चिन्ता मत कीजिए।

श्री सभापति: आप विराजिए, माननीय सदस्य।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो गलती की है, उसकी सी.बी.आई. भी जांच करेगी, ई.डी. भी जांच करेगी। हम लैटर खुद लिखेंगे। जिसने गलत किया है, उसको सज़ा मिलकर रहेगी। सब होगा, आप लोगों ने भी खूब किया है।

सभापति महोदय, भीलवाड़ा के अन्दर अभी पिछले दो महीने से बजरी माफियाओं का जो आतंक हो रहा है, पांच साल तक जो आतंक था और उन्होंने लीज खतम होने के बावजूद भी जब तक चुनाव नहीं हुए तब तक खूब लूटमार की। लोगों के खूब हाथ पैर तोड़े हैं। भीलवाड़ा में अभी तक करीब ट्रैक्टर वालों द्वारा, डम्पर वालों द्वारा अवैध तरीके से चलाकर, अंधाधुंध चलाकर करीब 20 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 250 लोगों का गुंडे, दादाओं द्वारा हाथ पैर तोड़कर उनका अलाइनमेंट बिगाड़ दिया गया है। बजरी के माफिया कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण में लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों के हाथ पैर तोड़ रहे हैं। भीलवाड़ा शहर के अन्दर हमारे यू आई टी है, उस यू आई टी के अन्दर खनिज विभाग के अन्दर हम लोगों ने ऐसा सुना कि अधिकारी भी जो बजरी माफिया होते थे, भू-माफिया होते थे, उनके द्वारा लगाये जाते थे कि यह हमारे पसंद का अधिकारी है, इसको लगाओ, यह हमारी मदद करेगा लेकिन जो गुंडागर्दी की, आतंक फैलाया, उसका जवाब माण्डल विधान क्षेत्र की जनता ने देकर एक गांव के गरीब किसान के लड़के को आप लोगों के बीच में भेजा। मैं पहली बार इस सदन में आया हूं, मैं पहली बार ही बोल रहा हूं। मैं जो भी बात कहूंगा देश

(श्री उदयलाल भडाणा)

के संविधान और कानून में रहकर कहूँगा। मैंने अब तक सैकड़ों आंदोलन किए लेकिन एक भी आंदोलन में कानून और संविधान के दायरे से बाहर नहीं गया। हमारे विपक्ष के साथी बोलना चाहते हैं, मैं देश के संविधान के दायरे में रहकर ही बात करना चाहता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, शीघ्र समाप्त करें।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): दो मिनट और।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): हमारे वहां प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाकर गलत काम करवाए जाते थे। भीलवाड़ा ज़िले की फैक्ट्रियों से निकलने वाले काले पानी को नदियों में छोड़ने से किसानों की जमीनें खराब हो गईं, जल स्तर खराब हो गया। अत: सभापति महोदय से निवेदन करते हैं कि फैक्ट्री वाले गलत पानी छोड़ते हैं, उसमें नई सरकार के माध्यम से जांच बिठाकर हमारे किसानों को न्याय दिलाए।

माण्डल पुलिया, माण्डल चौराहे से माण्डल गांव एक पुलिया है। एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार के पूर्व मंत्री जी ने उसके तीन मोड़ दे दिए, जिसकी वजह से अभी तक करीब 100 लोगों का एक्सीडेंट हो गया और अभी तक 100 लोगों की जान जा चुकी है। सभापति महोदय के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने भी गलत काम किया उसकी भी जांच बिठाई जाए और जिन्होंने भी गलत किया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए।

श्री सभापति: विराजें।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): ठीक है, सर।

श्री सभापति: श्री संजय कुमार।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): सर, एक मुद्दा और है। एक निवेदन और करना चाहता हूं। हुडला से कोटड़ी के बीच स्टेट हाईवे एस एच 39ए निकल रहा है, उसमें अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए अपने लोगों को खेतों की तरफ से रोड देने के लिए, ज़मीनों के भाव बढ़ाने के लिए करीब 6 किलोमीटर का रोड में घुमाव दे दिया। सभापति महोदय के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस रोड की जांच की जाए। सरकार के लाखों-करोड़ों रुपये....(व्यवधान)

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री संजय कुमार।

श्री उदयलाल भडाणा (माण्डल): जांच करके नया टेंडर किया जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति: डा. शिखा मील।

डा. शिखा मील बराला (चौमूं): माननीय सभापति महोदय को प्रणाम और आभार कि मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। यहां मेरे सभी सीनियर और साथी सदस्यों को नववर्ष की शुभकामनाएं। उस ईश्वर के आशीर्वाद से जो सभी का है, जिस पर किसी का एकाधिकार नहीं है और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से पहली बार सदन में चुनकर आई हूं। यहां की परम्पराओं से कुछ वाकिफ हूं, कुछ नावाकिफ हूं।

सभापति महोदय, सत्र के प्रथम दिन महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अभिभाषण की सुनहरी परम्परा है। उम्मीद भरी निगाहें आसन की ओर टिकी थीं। आशा थी कि एक लम्बी लकीर खींची जाएगी। 83 बिन्दुओं का अभिभाषण सुनते-सुनते कुछ शब्द स्मरण में गुंजायमान हो गए। गत-विगत, पूर्ववर्ती, दु:ख, दुर्भाग्य जो चालीस बार बोले गए। उम्मीद थी कि एक विजन पेश किया जाएगा, सरकार के विकास का एक रोडमैप पेश किया जाएगा, पर सुनकर लगा कि अभिभाषण कांग्रेस सरकार पर ज्यादा केन्द्रित था। एक नकारात्मक अहसास दे गया।

बिन्दु सख्या-5 में, विगत सरकार के परस्पर अंतर्विरोध और खींचतान की बात कही गई। भाजपा का अंतर्कलह सभी को ज्ञात है, पर अब शायद कम हो गया है। जब जुबान और सोच पर ताले लग जाएं तो मतभेद नहीं होता है। इसी को देखकर मेरे मन में कुछ पंक्तियां आईं।

"आंखों पर सियासत का असर देख रहे हैं,

किस ओर लगी आग और किधर देख रहे हैं।"

संकल्प पत्र के लिए कटिबद्धता की बात आई, तो क्या आपके संकल्प पत्र में है कि 5 हजार राजीव गांधी युवा मित्रों को बेरोजगार कर दें? ये वही युवा मित्र हैं जिन्होंने सिर्फ कांग्रेस सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार नहीं किया, इन्होंने विकसित भारत यात्रा में भी भाग लिया है। 5 हजार युवा मित्रों के पीछे 20 हजार लोगों के सामने जीवन-यापन का संकट पैदा हो गया है। बहुत सारे लोग अपनी नियुक्तियों के आदेश में धरने पर बैठे हैं, पर उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है।

बिन्दु संख्या-13-पिछली सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन की बात कही

(डा. शिखा मील बराला)

गई। आई एम एफ द्वारा जारी आंकड़ों में 2014 में केन्द्र सरकार पर 55 लाख करोड़ का कर्ज था, जो सितम्बर, 2023 में 161 लाख करोड़ रुपया हुआ, यानी कि नौ साल में 192 प्रतिशत कर्ज बढ़ा। सरकारों की यह रीत है काम करने के लिए कर्ज लिया और दिया जाता है।

बिन्दु संख्या-16-विद्युत विभाग की बिजली कटौती की बात कही गई। 'अंधेर नगरी चौपट राजा' की बात कही गई। मुझे लगता है कि अंधेर नगरी तो अब है। मेरे सभी माननीय सदस्य जो यहां बैठे हैं, 40-50 परसेंट फोन इसलिए आते होंगे कि साहब छह घंटे बिजली का वादा किया है, चार घंटे तो दे दो। कड़कड़ाती सर्दी पड़ रही है तो बहुत सारे इलाक़ों में बिजली की आपूर्ति किसानों के लिए रात को ग्यारह से सुबह चार बजे तक की जाती है। मुझे लगता है इससे बड़ा असंवेदनशीलता का परिचय कुछ नहीं हो सकता।

बिन्दु संख्या-24-जी डी पी में कृषि क्षेत्र का 30 प्रतिशत योगदान बताते हुए किसानों को आर्थिक सम्बल देने की बात कही गई। आप लोग तब कहां थे जब 13 महीने तक किसान अपनी एम एस पी पाने के लिए, काले कानून के खिलाफ संघर्ष करने के लिए सड़क पर बैठा था? आखिर केन्द्र सरकार को झुकना पडा, घुटने टेकने पड़े, पर 700 लोग शहीद होने के बाद। भाजपा सरकार का किसानों के प्रति यह रूख देखकर मुझे याद आया-

"सियासत की अपनी अलग एक जुबां है,

लिखा हो जो इकरार, इन्कार पढ़ना।"

2016 में अशोक दलवाई कमेटी गठित हुई, जिसमें कहा गया 2022 तक किसान की आय दोगुनी की जाएगी, पर कमेटी की रिकमंडेशन कहीं दिखाई नहीं देती। लक्ष्य स्वप्न रह गया, आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई कई गुना बढ़ गई। राज्य में दूध पर मिलने वाली पांच रुपये प्रति लीटर सब्सिडी के भुगतान का भी कहीं अता-पता नहीं है।

बात अगर जल संकट की करें, इस राज्य की ज्वलंत समस्या है। मैं चौमूं क्षेत्र से आती हूं जो पशुपालन और कृषि प्रधान क्षेत्र है। भूजल सिमटकर रह गया है। बिन्दु संख्या-48 में, अगर हम जे जे एम की बात करते हैं तो विद्युत विभाग द्वारा पंचायतों के बिजली कनेक्शन काट दिये जाते हैं और भुगतान के लिए कहा जाता है कि चाहे जनता से पैसा लो, जबकि कांग्रेस सरकार ने 2 हजार यूनिट किसानों को फ्री बिजली दी थी। पी एच ई डी,

(डा. शिखा मील बराला)

विद्युत विभाग, ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के लेक आफ कार्डिनेशन का खामियाजा जनता भुगत रही है।

ई आर सी पी की बात करें। केन्द्र सरकार में जल संसाधन मंत्री हमारे राजस्थान से रहे। हमारे मुख्य मंत्री गुहार लगाते रहे कि डी पी आर तैयार है, ई आर सी पी को क्रियान्वित किया जाए, पर केन्द्र सरकार ने लटकाने, भटकाने, अटकाने की ही नीति को अपनाया। पानी जनता का अधिकार है। उम्मीद करते हैं कि इस बार भाजपा सरकार कुछ सकारात्मक रिजल्ट लेकर आये।

बिन्दु संख्या-50 की हम बात करें, ज़िलावार मेडिकल कालेजों की घोषणा होने पर हमें उम्मीद थी कि वर्तमान सरकार इस पर अपने सकारात्मक विजन बताती, इनको किस तरीके से डवलप किया जाए, यह बताती। कांग्रेस का विजन था, घोषणा हुई, अब इम्प्लीमेंटेशन एजुकेशन पर आप भी बात कर सकते हैं या फिर समीक्षाओं की ही बात करेंगे? अगर नये मेडिकल कालेजेज खुलते हैं तो रोगियों को इलाज मिलेगा। रोगियों का सिस्टम पर बहुत ज्यादा भार है। नये डाक्टर, नये नर्सिंगकर्मी बनेंगे, रोजगार के अवसर का सृजन होगा।

बिन्दु संख्या-58 व 59-चिरंजीवी योजना। अभी चिरंजीवी योजना में 01 करोड़ 42 लाख परिवारों का कवरेज हो रहा है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का यह एक बेहतरीन उदाहरण है। दस साल एक प्रेक्टिसिंग डाक्टर की तरह काम करते हुए मैंने गरीबजन और रोगियों का दर्द समझा है उनका दर्द महसूस किया है। पिछले कुछ सालों में देखा कि पैसे के अभाव में अब इलाज से लोग वंचित नहीं हैं। यह वही योजना है जिसका नाम बदलने के लिए आप लोगों ने वहां पर इस बिन्दु में पाइंट लिखा है। नाम बदलकर वाहवाही लूटने की मंशा किसकी है, यह साफ दिख रहा है, जब आप पी एच सी और सी एच सी का नाम तक बदलना चाह रहे हैं। मेरी व्यक्तिगत सोच है कि कोई भी शिक्षा और स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम को धार्मिक स्वरूप नहीं दिया जाए। जोधपुर प्रवास के दौरान हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय ने चिरंजीवी योजना को बोगस बताया था। हो सकता है कि यह आपका विचार हो पर मुझे यह नहीं लगता कि जिस योजना में लाखों रुपये से गरीबों को ट्रांसप्लांट की सुविधा मिल रही है, उनके घुटने बदले जा सकते थे, उनको महंगा कैंसर का इलाज फ्री मिल रहा है। हार्ट की बाईपास सर्जरीज हो रही हैं, वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरीज हो रही

(डा. शिखा मील बराला)

हैं तो ऐसी योजना बोगस है या विचार बोगस हैं आपके, यह आप ही बता सकते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: शांत रहें।

डा. शिखा मील बराला (चौमें): न्यूरो सर्जरीज, क्रेनिओटोमी, वह भी हो रही है। ट्रोमा भी इसमें कवर्ड है। 718 लोगों को आर्गन ट्रांसप्लांट का काम किया गया। 45 लाख परिवारों को पांच हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का इलाज इसमें मिला है। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की अगर बात करें तो अभी तक सरकार का इस पर कोई भी विजन क्लियर नहीं है कि वह इसको कंटीन्यू करना चाहती है या नहीं, जिसमें आश्रित परिवार को दस लाख रुपये की सहायता मिलती थी।

बिंदु संख्या-60-इस बिंदु में शायद महामहिम राज्यपाल विगत सरकार का उल्लेख करना भूल गये। उन्होंने बात की प्रधान मंत्री द्वारा सस्ती गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध करवाने की, पर मैं याद दिलवा दूं कि 2011 में ...(व्यवधान) (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करें।

डा. शिखा मील बराला (चौमूं): कांग्रेस सरकार फ्री दवाइयों की स्कीम पहले ही चालू कर चुकी थी।

अगर हम पर्यटन की बात करें तो बिंदु संख्या-76 में यह कहा गया कि राजस्थान भक्ति और शक्ति की धरा है। अगर इतना ही समर्पण है तो हमारे चौमूं के इलाके में जो सामोद बालाजी महाराज हैं, वहां पर एक रोप-वे का संचालन पिछले कुछ सालों से अटका हुआ है सिर्फ इसलिए क्योंकि वह केन्द्र सरकार के लेवल पर अटका हुआ है, फोरेस्ट विभाग में तो यह उदासीनता देखकर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें।

डा. शिखा मील बराला (चौमूं): इसका कारण समझ में नहीं आया। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे यहां बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिन्द। जय संविधान।

श्री सभापति: श्री लालाराम बैरवा (अनुपस्थित), डा. शैलेश सिंह।

डा. शैलेश सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

(डा. शैलेश सिंह)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि मैं महाराजा सूरजमल की धरती से आता हूं और बड़ी खुशी की बात यह है कि ऐसे समय में इस सदन में बोलने का मौका मिला है जिस समय पांच सौ साल से चले आ रहे संघर्ष को विराम मिला। रामलला अपनी जन्मस्थली पर स्थापित हुए। मुझे यह ध्यान है कि बचपन में मेरे पिताजी के समय में जब कई बार भारतीय जनता पार्टी के छोटे-बड़े आयोजनों में जाने का मौका मिलता था तो हम लोग नारे लगाया करते थे कि- 'रामलला हम आएंगे, मन्दिर वहीं बनाएंगे।' बहुत लम्बे समय तक यह नारेबाजी चलती रही, लेकिन मन में एक बड़ा विषाद सा रहता था और यह लगता था कि यह नारा हमारा सफल हो पायेगा या नहीं हो पायेगा। हमारे विपक्षी दलों ने भी हमारा उपहास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने यह नारा दिया कि- 'रामलला हम आएंगे, मन्दिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे।' माननीय सभापति महोदय, मुझे खुशी है और गर्व है इस बात का कि रामलला आये भी हैं, स्थापित भी हुए हैं, तारीख भी तय हो गयी और मन्दिर की स्थापना भी हो गयी और श्रीराम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी, 2024 को माननीय प्रधान मंत्रीजी की मौजूदगी में हो गयी तो ऐसे गरिमामय समय में मेरे को बोलने का मौका मिला है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जब माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो पुरानी सरकार की गलतियां गिनाने में लगे हैं और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने में लगे हैं। यह बिलकुल सही है और मेरा मानना यह है कि जब तक सामने वाले को अपनी गलतियों का अहसास नहीं करवाओगे, तब तक वह उनका सुधार कैसे करेगा तो इसलिए यह बहुत ही जरूरी है कि हम आज इस सदन में पुरानी जो पिछली पांच साल कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रही, उसकी गलतियों पर बात करें, जिससे आने वाले समय में हमारे माननीय सदस्यगण जो कांग्रेस से आये हैं, उनको अपनी गलती सुधारने का मौका मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, आपको एक निवेदन करना चाहूंगा कि मैं भरतपुर जिले से आता हूं, भरतपुर जिले में विधान सभा की सात सीट्स हैं। सात विधान सभा सीट्स में पिछली बार सारे के सारे सात कांग्रेस के विधायक

(डा. शैलेश सिंह)

थे जिनमें दो बसपा के भी थे, जिन्होंने समर्थन कांग्रेस को दे रखा था। सात विधायकों में से चार के पास मंत्री पद था और दो के पास मंत्री का दर्जा था। छह-छह मंत्री भरतपुर जिले से पिछली कांग्रेस सरकार में आये, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले पांच सालों में भरतपुर का जो हाल देखने को मिला, भरतपुर में अपराध बेलगाम हुआ, आये दिन डबल और ट्रिपल मर्डर भरतपुर के अन्दर होने लगे। अपराध की स्थिति भरतपुर के अन्दर ऐसी हो गयी कि कब कोई कहां पर किसी को गोली मार दे, कोई पता ही नहीं लगता था और पूरी तरह से पुलिस की व्यवस्था लचर हो गयी। पिछले पांच सालों में पुलिस का ज्यादातर समय इन मंत्रियों के पीछे, एस.पी., डीवाई.एस.पी., एडिशनल एस.पी. से लेकर सी.आई. तक सारे पुलिस के अधिकारी मंत्रियों के पीछे-पीछे, उनकी एस्कॉर्ट और उनकी चापलूसी करने में लगे रहे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज राज्य में केन्द्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन जगह-जगह पर हो रहा है। इस यात्रा के माध्यम से राजस्थान में केन्द्र की सरकार द्वारा लाभार्थियों को केन्द्र की नीतियों का, केन्द्र की योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है, उससे भी अवगत कराया जा रहा है और जो उस लाभ से अभी तक वंचित हैं, उनको पंजीकरण करवाने का भी मौका मिल रहा है। मुझे यह बात बताते हुए खुशी है कि हमारी सरकार ने आते ही हमारे माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी ने हमारी गरीब जनता को 450 रुपये का गैस सिलेंडर राजस्थान में 01 जनवरी, 2024 से देने का काम किया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कुछ साल पहले की घटना पर, जब कोविड की महामारी ने पूरी दुनिया को जकड़ा हुआ था, पूरी दुनिया कोविड महामारी के कारण हाहाकार कर रही थी तो हमारे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधान मंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदीजी के नेतृत्व में देश ने कोविड से बहुत अच्छे ढंग से लड़ाई लड़ी और हमारी तत्कालीन सरकार राजस्थान की, उस समय पांच सितारा होटलों में इनके विधायक बैठे थे और अपनी सरकार की कुर्सी बचाने में लगे थे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एक ऐसी स्थिति जब अस्पतालों में मरीजों को आई.सी.यू. के बेड उपलब्ध नहीं हो रहे थे, आक्सीजन उपलब्ध नहीं हो रही थी, ऐसे समय में वह सरकार,

(डा. शैलेश सिंह)

इतनी असंवेदनशील सरकार पांच सितारा होटलों में बैठकर अपनी कुर्सी बचाओ स्कीम में लगी हुई थी। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कोविड का वह समय मुझे याद है, मैं भारतीय जनता पार्टी में जिलाध्यक्ष के रूप में काम किया करता था। जो आज हमारे मुख्य मंत्रीजी हैं भारतीय जनता पार्टी के श्री भजन लाल शर्माजी, वे उस समय प्रदेश के महामंत्री हुआ करते थे। चूंकि भरतपुर सीमावर्ती जिला है, कोविड के समय में बहुत सारे मजदूरों ने लाखों की संख्या में जब पलायन किया तो भरतपुर और उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगी हुई है, भरतपुर और हरियाणा की जो सीमा लगी हुई है, उस पर लाखों की तादाद में मजदूर वहां पर इकट्ठे हुए। मुझे यह बात कहने में गर्व है कि वह एक दल, राजनीतिक दल, एक मात्र ऐसा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी थी, जिसने उस समय की आवश्यकता को समझा और अपनी जान जोखिम में डालकर उन गरीब मजदूरों की मदद करने के लिए काम किया। किसी कार्यकर्ता ने उनको चरण पादुका उपलब्ध करवाई, किसी ने भोजन उपलब्ध करवाया। जो भी जिससे बना, उस समय सबने उनको समय पर उपलब्ध करवाया।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मुख्य मंत्री महोदय ही थे उस समय, जब हम मजदूरों को भोजन देते थे, एक बड़ी समस्या हमारे सामने आती थी। हम मजदूरों को भोजन के पैकेट दे देते थे और उन्हें अगर खाने का मौका नहीं मिलता था तो वह भोजन दोपहर में खराब हो जाया करता था। माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्हीं की राय से हमने गरीब मजदूरों को चना और चिनोरी के पैकेट कोविड के समय में बांटे जिससे जब भी उनको भूख लगे और जब भी उनको आवश्यकता हो, चना और चिनोरी का इस्तेमाल करके अपना पेट भरने का काम कर सकें।

श्री सभापति: एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

डा. शैलेश सिंह (डीग-कुम्हेर): अभी तो शुरुआत ही हुई है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कोविड के बाद भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी के नेतृत्व में सबसे पहले भारत में कोविड की वैक्सीन बनाने का काम किया। उस समय विपक्षी दलों ने यह कहा कि यह तो मोदीजी की वैक्सीन है। इस वैक्सीन को लगवाओगे तो यह हो जायेगा, वह हो जायेगा लेकिन जब स्थिति ऐसी हुई, लगा कि इनके प्राण भी खतरे में हैं तो सबने चुपचाप-चुपचाप

(डॉ. शैलेश सिंह)

पी एच सी, सी एच सी पर जाकर वैक्सीन लगवाने का काम किया। गर्व होता है इस बात को कहने से कि मॉरीशस के प्रधान मंत्री, जब मोदीजी ने मॉरीशस में वैक्सीन भेजी तो मॉरीशस के प्रधान मंत्री हनुमानजी की फोटो ट्वीट करते हैं जिसमें हनुमानजी पूरे पहाड़ को हाथ में लेकर जा रहे हैं। गर्व होता इस बात पर कि ऐसे माननीय प्रधान मंत्रीजी के नेतृत्व में काम करने का मुझे मौका मिला है।

श्री सभापति: विराजें। श्री पूसाराम।

डा. शैलेश सिंह (डीग-कुम्हेर): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछली सरकार में अवैध खनन की मांग को लेकर महात्मा विजयदास बाबा को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा और आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री महोदय को जो अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाकर अवैध खनन को राजस्थान में रोकने का काम कर रहे हैं। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आपको बहुतबहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बोलने का मौका दिया।

श्री सभापति: श्री पूसाराम।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। अभिभाषण को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि सरकार का क्या विजन होगा, इस बात को छोड़ कर तत्कालीन सरकार को कोसा गया है और एक ही बात कही गयी है कि बिजली में भ्रष्टाचार हुआ, पानी में भ्रष्टाचार हुआ, स्वास्थ्य सेवा में भ्रष्टाचार हुआ, कालेज और स्कूल बिना तैयारी के खोले गये। क्या पांच साल तक कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने कोई काम नहीं किया? मैं बिजली के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे किसान को एक हजार रुपये प्रतिमाह बिल में सब्सिडी दी और 12 हजार रुपये उसको मिले। दो हजार यूनिट बिजली हमारी सरकार ने फ्री की किसान के लिए। सौ यूनिट बिजली फ्री की आम उपभोक्ता के लिए। क्या यह कुशासन है? क्या यह भ्रष्टाचार है? इसके अलावा उस समय जगह-जगह 33 के वी के सब स्टेशन खोले गये, 132 के वी के खोले गये। मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार की नीति के तहत 33 के वी सब स्टेशंस पर एडिशनल ट्रांसफार्मर स्वीकृत किये। सरकार बदलने के बाद उन पर रोक लगा दी गयी। वह इसलिए किया गया था कि हमारे किसान को दिन में बिजली मिलनी चाहिए। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। अभिभाषण में कहीं भी

(श्री पूसाराम गोदारा)

यह बात नहीं कही गयी कि किसान को दिन में बिजली देने का हमारा यह विजन है। किसान धरती पुत्र है। रात में कड़ाके की ठण्ड में उसको लाइनें बदलने में कितना जोर आता है और 33 के वी के जो एडिशनल ट्रांसफार्मर थे, उन पर सरकार आते ही रोक लगा दी गयी कि इन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाए। मैं कहना चाहता हूं कि मैं रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र से आता हूं वहां पर 15 एडिशनल ट्रांसफार्मर सैंक्शन थे, वहां पर चार लगे, शेष पर रोक लगा दी गयी। पूरे क्षेत्र में एक भी दिन, दिन में बिजली लगातार किसान को नहीं दे सकते। इससे बड़ी विडम्बना और क्या हो सकती है?

सभापति महोदय, आज कनेक्शंस के लिए सामान नहीं है, पोल नहीं हैं, तार नहीं हैं और ट्रिपिंग इतनी बार होती है कि किसानों की मोटरें जल जाती हैं। इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि किसान का ट्रांसफार्मर जल जाए, उसको पांच-पांच, सात-सात दिन तक नहीं मिलता। 63 का ट्रांसफार्मर नहीं है, 40 का नहीं है, 25 का नहीं है और ढाणियां जिनमें 5 और 10 के ट्रांसफार्मर होते हैं, 16 के होते हैं, वहां 15-15 दिन तक ढाणियां अंधेरे में रहती हैं और शाम को 6 से 10 बजे तक और सुबह 8 से 2 बजे तक बिजली नहीं मिलती। उस टाइम आम उपभोक्ता को ढाणी और गांव में जरूरत होती है, लेकिन इसके बारे में भी अभिभाषण में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है कि हमारी सरकार बिजली को दुरुस्त करने के लिए क्या करेगी। आपने कहा कि भ्रष्टाचार की जांच करायेंगे। जांच कराओ, कौन मना करता है आपको? कोई बात नहीं है।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं पानी की योजना के बारे में यह कहना चाहता हूं कि जहां पानी खारा है वहां आपणी योजना का रतनगढ़ और सुजानगढ़, फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ के लिए पानी आता है। कैपेसिटी का 40 परसेंट पानी दिया जाता है। घर-घर नल लगाने की स्कीम जब शुरू की गयी तो क्या हुआ कि इन्होंने एक गांव में दस पाइप डाल दिये, अगले गांव में पांच कनेक्शन कर दिये। सारी सड़कें तोड़ दीं। आज शहरों और गांवों के हालात खराब कर रखे हैं। कोई भी काम नहीं हो रहा है। जो गांव खारे पानी से प्रभावित हैं, आपणी योजना के अलावा जो सोर्स सिंगल फेज ट्यूबवैल 2012-13 में बनाये गये थे, उन सभी के कनेक्शन काट दिये गये। अब सरकार बदलने के बाद अभियान के रूप में कनेक्शन काटे जा रहे हैं और वहां पानी की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। जो सरकार पानी और बिजली पर विजन नहीं दे सकती, क्या वह सरकार सुशासन दे पायेगी?

(श्री पूसाराम गोदारा)

सभापति महोदय, कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार हुआ, पेपर लीक हुआ, लॉ एण्ड आर्डर खराब हुआ, इसके अलावा आपके पास कोई शब्द नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अशोक गहलोत की सरकार ने एक हजार रुपये की पेंशन दी है, वह क्या भ्रष्टाचार है? फूड किट्स गरीबों को बांटे गये, क्या वह भ्रष्टाचार है? क्या आप यह कहना चाहते हो कि लम्पी की बीमारी के दौरान किसानों को 40 हजार रुपये दिये, क्या वह भ्रष्टाचार है? हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है।

सभापति महोदय, ये आयुष्मान भारत की बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि पांच लाख रुपये तक की व्यवस्था है, लेकिन मुख्य मंत्री चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपये तक इलाज कराने की व्यवस्था है। सरकार बदलने के बाद चिरंजीवी योजना में एक भी काम नहीं हो रहा है। सारा काम होल्ड पर आ गया है। यह नहीं होना चाहिए कि सरकार बदल गयी तो सारा सिस्टम बदल गया। जो काम सेंक्शन हैं, उनको रोक दिया गया। जिन कामों के वर्क आर्डर जारी हो गये, उनको निरस्त किया जा रहा है। इससे कोई पारदर्शिता नहीं आने वाली है। अभिभाषण में इसके लिए विजन होना चाहिए। पूर्व वक्ता ने बहुत सही बात कही कि हमारी मंत्रिमण्डल की उप समिति ने जो भाषण बनाकर दिया, राज्यपाल महोदय से वह पढ़वा दिया गया। यह स्थिति सही नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि यू पी ए सरकार के टाइम में महानरेगा योजना शुरू की गयी, उसके अन्दर आज मैटेरियल के पेटे केन्द्र सरकार ने दो-दो साल तक ग्राम पंचायतों को भुगतान नहीं किया और वे सारे काम आज पैण्डिंग पड़े हैं। सारे गांवों के काम रूके हुए पड़े हैं और कई गांवों में आज नरेगा के अन्तर्गत कोई काम स्वीकृत नहीं है। तीन-तीन, चार-चार महीनों से सैंक्शनों पर रोक है। मजदूर रोजगार की वहां पर मांग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में, मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की रोक को भी हटाया जाना चाहिये।

एम.एस.पी., किसानों की फसल खरीद का जो मामला है, उसको कानूनी रूप मिलना चाहिये था लेकिन किसी प्रकार का कानूनी रूप नहीं देकर पिछले टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसानों को एक-डेढ़ साल तक तपाये रखा। दिल्ली का घेराव किया और तीन काले कानून उसके बाद वापस लिये। किसानों के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ, उस पर सत्ता पक्ष के लोग किसी प्रकार की चर्चा करना जरूरी नहीं समझते।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के दो साल से टार्गेट नहीं आ रहे हैं। आप कह रहे हो कि हर घर को छत देंगे, हर घर को नल देंगे, हर घर को बिजली का कनेक्शन देंगे, हर खेत को पानी देंगे। आवास का तो उनको भुगतान नहीं हो रहा है दो-दो साल से प्रधानमंत्री आवास योजना में। इससे बेस्ट कोई चीज नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में, मैं कहना चाहूंगा कि अभिभाषण में पंचायती राज की इसमें बात नहीं की गयी है, पंचायती राज को पंगु बना रखा है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री पूसाराम गोदारा (रतनगढ़): एक मिनट में कर रहा हूं। पंचायती राज में जो योजनाएं दी गयी हैं, उनको बजट नहीं दिया गया। कहीं बजट दिया गया तो कामों की सैंक्शन पर रोक लगा दी गयी और उनको जल जीवन मिशन योजना का इंचार्ज बना दिया गया, उनको बजट नहीं दिया इसलिये उसका धणी-धोरी न तो पी.एच.ई.डी. है और न उसका धणी-धोरी पंचायती राज है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रताप पुरी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाये।

श्री सभापति: क्या सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे बढ़ाया गया।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री प्रताप पुरी (पोकरण): जय सियाराम। अब तो बोलें, जय सियाराम बोला हूं मैं। अब जय श्रीराम भी बोल दो। बहुतबहुत धन्यवाद।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने विचार इस पवित्र वेदी पर रखने का सौभाग्य आपने मुझे प्रदान किया, इसके लिये मैं हृदय से साधुवाद करता हूं और आपका आभार और धन्यवाद करता हूं। मैं राजस्थान प्रदेश की जनता और मेरे विधान सभा क्षेत्र पोकरण की

(श्री प्रताप पुरी)

जनता का भी हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने लोकतंत्र की इस वेदी में अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति के साथ में हम सबको चुनकर यहां भेजा है और जितने भी सदस्य आज विधान सभा में विराजे हैं, उन सबको जय गुरु महाराज री, राम-राम साहब।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि मेरा प्रथम बार यहां आना हुआ और पोकरण विधान सभा की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2023 के चुनावों में राजस्थान का सर्वाधिक मतदान करके पोकरण की जनता ने रिकार्ड बनाया, उनको भी आपके द्वारा धन्यवाद देना चाहूंगा। 88 प्रतिशत के लगभग पोकरण की जनता ने मतदान करके प्रजातंत्र को जीवित रखकर परिवार तंत्र को तोड़ने का एक संकल्प लिया और उसको सफल करके दिखाया, इसलिये पोकरण की जनता को बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको अवगत कराऊं, पोकरण विधान सभा क्षेत्र कोई छोटा-मोटा विधान सभा क्षेत्र नहीं है। लगभग 300 किलोमीटर के आस-पास उसकी लंबाई है और सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र पूरा ग्रामीण क्षेत्र है। कोई बड़ा कस्बा नहीं है। विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं। सामाजिक विषम परिस्थितियां हैं और उन विषम परिस्थितियों में वहां के लोगों ने 88 प्रतिशत के आस-पास मतदान किया और सर्वाधिक मतदान से जिताकर भेजा है, इसलिये पोकरण की जनता का बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं पुन: एक शब्द के साथ में अपनी बात की अभिव्यक्ति करूंगा कि हम सबने यहां आकर शपथ ली और जब पहली बार हम लोग यहां आये तो ऐसा लगा कि हमारे विद्यार्थी काल का वह समय पुन: प्रारम्भ हो गया जब हम गुरू के पास बैठकर अध्ययन करते थे गुरूकुल में। ठीक ऐसा दृश्य आज मुझे उस समय दिखा और यह देखकर आप सबके बीच में आकर अपना विद्यार्थी काल भी याद आया और अपना गुरू भी याद आया। गुरू ने मुझे पंक्तियां सिखायी थीं-

'कालो न यातो वयमेव याता:।
तृष्णा न जीर्णा: वयमेव जीर्णा:।।
भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता:।
तपो न तप्तं वयमेव तप्ता:।।'

हम सबने शपथ ली, उस दिन हमारा कार्यकाल प्रारम्भ हो गया था और वह कार्यकाल एक-एक क्षण, एक-एक मिनट जिस दिन हमने शपथ ली, उस दिन

(श्री प्रताप पुरी)

अपने ऊपर स्वयं का कोई अधिकार नहीं। जनता का हमारी एक-एक श्वांस पर अधिकार है और जनता का और राष्ट्र का हमारे ऊपर अधिकार है, उस कर्ज को चुकाने के लिये हमने शपथ ली है कि हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, कर्तव्य को अंग्रेजी में ड्यूटी कहेंगे, कर्तव्य को उर्दू में फर्ज कहेंगे, जिम्मेदारी कहेंगे और शास्त्र और संतों की भाषा में उसको धर्म कहेंगे और जो धर्म, कर्तव्य और ड्यूटी नहीं निभाता है, वह अधार्मिक और पापी कहलाता है। वह कालचक्र के साथ में चलता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। समय निरन्तर चलता है, उसका नाम है - चेरैवेति-चेरैवेति, जो चलता रहता है, वह संसार है और वह समय है। समय के साथ हम भी चले जायेंगे, पद भी चला जायेगा, जगह भी छूटेगी, परंतु कुछ चीजें ऐसी रहेंगी जो चिर-स्थायी स्मृतियों में साथ में रहेंगी। वर्तमान काल में किया हुआ काम भविष्य में कुछ न कुछ याद करने लायक छोड़कर जायेगा। वर्तमान काल ही हमारे लिये सबसे महत्वपूर्ण काल है और भूतकाल के अन्दर जो इतिहास आयेगा, उसमें वर्तमान काल में जिस-जिस व्यक्ति ने जो-जो भूमिका निभायी है, सकारात्मक भाव से या नकारात्मक भाव से, विकास या विनाश के साथ में खड़े रहने का जो काम किया है, उन सबको उस दृष्टि से आने वाला इतिहास याद करेगा कि यह व्यक्ति, यह विचार, यह समाज, यह क्षेत्र किस विचाराधारा के साथ में उस समय खड़ा था, जब इतिहास के पन्नों में देखा जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, मुझे सौभाग्य मिला है कि अभी-अभी 22 तारीख को जो अयोध्या के अन्दर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य महोत्सव हम सबने मनाया और उस दिन मुझे गौरव हुआ, गर्व हुआ कि यह भगवाधारी संन्यासी के रूप में और पूरे प्रदेश, देश और दुनिया में जो भगवामय भारत हुआ था, उसके लिये हम सब लोग अभिनन्दन करते हैं और नरेन्द्र मोदीजी को और इस स्वर्णिम काल में जिस-जिसने उनका साथ दिया है, उन सबका स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कालचक्र के साथ-साथ में भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और भूमिका ही निभाने के लिये हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। इस भूमिका को कर्तव्य निर्वहन के साथ में एक हमारे साथ और जुड़ता है कि व्यक्ति याद किसको करेंगे? कबीर की वह पंक्तियां -

(श्री प्रताप पुरी)

'कबीरा जब हम पैदा भये
हम रोये और जग हंसा,
ऐसी करनी कर चलो
हम हंसे और जग रोये।'

यह कार्यकाल हमारा ऐसा रहना चाहिये जिसके अन्दर हम सब लोगों को आने वाले समय में याद करें कि किसके कार्यकाल में क्या-क्या हुआ है।

इसके साथ-साथ विनम्रतापूर्वक, माननीय सभापति महोदय, मैं एक संत के नाते कह रहा हूं कि राजनीति का शब्द, नेता शब्द का अर्थ होता है नियति से, नेता जो साथ ले चलने में सक्षम हो, जो समाज को साथ ले चलने में सक्षम हो, क्षेत्र को ले चलने में सक्षम हो, राष्ट्र को ले चलने में सक्षम हो, उस शब्द का अर्थ होता है नेता। नेता शब्द के साथ में दो मिथक जुड़ते हैं। देश को स्वतंत्र कराया, उस समय के नेताओं को जब देखते हैं तब हमारे जैसे संत और आप जैसे राष्ट्रभक्त आकर उनको नतमस्तक होकर अपना आदर्श मानते हैं, क्योंकि उनके जीवन में दो मिथक मिले हुए थे। एक तो था सेवा और दूसरा था त्याग। त्याग और सेवा के साथ जो राजनीति में आता है, वह व्यक्ति पूजा जाता है, वह पूछा जाता है, वह अमर हो जाता है और जो भोग और चाहना के साथ में राजनीति में आयेगा, वह कभी भी इतिहास में कहीं याद नहीं रखा जायेगा। इसलिये मोदीजी आज विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, इसलिये मोदीजी को भारत ने स्वीकार किया है, इसलिये विश्व उसका लोहा मानता है, क्योंकि मोदीजी के अन्दर वह गुण है। वह सेवा और त्याग के साथ में आये हैं, कोई भोग और चाहना के लिये नहीं आये हैं। किसी परिवार को पनपाने के लिये नहीं आये, किसी वंश को पनपाने के लिये नहीं आये, किसी जाति को पनपाने के लिये नहीं आये। उनके अन्दर वाद है तो राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद के लिये मोदीजी आये, इसलिये संत भी उनके साथ में खड़े हैं। आज पूरा विश्व उनका लोहा मान रहा है। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि मोदीजी के इस स्वर्णिम काल में हम सब लोग एक संकल्प के साथ में यहां उपस्थित हुए हैं। इस संकल्प को लेंगे कि राष्ट्र को विकसित भारत बनाने में हम सब लोग, सभी मान्यताओं, मर्यादाओं, विचारों से ऊपर उठकर इस स्वर्णिम काल में भारत को विकसित भारत बनाने में, सक्षम भारत बनाने में, समर्थ भारत बनाने में हम सब लोग अपनी भूमिका निभायेंगे।

(समय: 17.00 बजे)

(श्री प्रताप पुरी)

माननीय सभापति महोदय, इस राममय भारत को बनाने में केवल वर्तमान युग की ही नहीं, 500 साल तक जिन साधु, महात्माओं ने, राम भक्तों ने भारतीय जनता पार्टी के और देश एवं दुनिया के सभी राम भक्तों ने जो अपने प्राण न्योछावर किये, एक प्रतीक्षा के साथ बलिदान दिया, उनको भी मैं आज वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं, प्रणाम करता हूं कि उनके कारण एक नये इतिहास, एक नये युग का प्रारम्भ हुआ है। आइये, हम सब लोग राममय युग में मिलकर के एक साथ, 'संगच्छध्वं संवदध्वं, सं वो मनांसि जानताम्। देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते।।" आइये, हम सब लोग मिलकर करें। राम किसके नहीं थे? राम किसके नहीं हैं? राम रोम-रोम में हैं, राम प्रत्येक के अन्दर हैं, राम जीव में हैं, राम अणु में हैं, राम परमाणु में हैं, राम विश्व में हैं। राम तुझ में हैं, राम मुझ में हैं। राममय यह संसार है। इसलिए राम तो हम सब के हैं। राममय भारत को करना है, राममय विश्व को करना है, तो आइये हम सब लोग मिलकर के उस भारत को बनाने में कृतसंकल्प होकर के जो कर्तव्य निर्वहन की हमने प्रतिज्ञा की है, उसका निर्वहन करें।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान राम सिखाते नेतृत्व, भगवान राम सिखाते रणनीति और भगवान राम सिखाते समाजवाद। मैं सामने बैठे हुए सबसे निवेदन करता हूं कि यह जो समाजवाद की बात है, समरसता, समनत्व, समभाव, समदृष्टि हम सबके अन्दर है। 'अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्' इस भावना के साथ राष्ट्र की मिलकर के सेवा करेंगे तो इस भारत को विश्व शक्ति बनाने में कोई नहीं रोक पायेगा।

सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करते हुए विषय पर आऊंगा। मुझे आपने समय दिया और मेरे विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति का भी मौका दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छी योजना पिछले कार्यकाल में बनाई, लेकिन वह सफल नहीं हो पायी। उसका दुःख है। योजनाएं बहुत अच्छी बनाई। मोबाइल लाकर के बांटा, वह भी फेल हो गया। किट बांटे, वह भी फेल हो गये। कहां-कहां की योजना, कहां-कहां लाकर के फिट की।

श्री सभापति: कृपया अब समाप्त करें।

श्री प्रताप पुरी (पोकरण): यह भुक्तभोगी राजस्थान की जनता जानती है। विशेषकर मैं तो कहता हूं कि आपने सबसे बड़ा हमारे साथ राजस्थान में जो कुठाराघात किया है, वह परिसीमन का है। आपने परिसीमन इतना विकृत

(श्री प्रताप पुरी)

बनाया कि राजस्थान की जनता उसे भुगत रही है। आपने निहित स्वार्थों के कारण, अपने मेम्बर्स कैसे जीतें, सरपंच कैसे जीतें, जिला परिषद कैसे जीतें, एम एल ए कैसे जीतें, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 25-25 किलोमीटर दूर एक गांव को तोड़कर दूसरे गांव के साथ जोड़ा है।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

श्री प्रताप पुरी (पोकरण): पोकरण विधान सभा क्षेत्र के अन्दर मैं प्रमाण के साथ कहूंगा कि ऐसे गांव हैं जिनको ऐसी ग्राम पंचायत के साथ जोड़ा है, जिसके साथ उसकी सीमा नहीं लगती है। कल्पना करो कि गांव का व्यक्ति 25 किलोमीटर कैसे जायेगा और क्या करेगा? यह तुष्टिकरण की बात कहां तक करना चाहते हो? आप कितना करना चाहते हो? इसलिए यह परिसीमन की बात हो, चाहे कुछ भी हो, अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, उस पर मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं। आपकी जो योजनाएं आप लाये वह धरातल पर नहीं उतार पाये। जो भी कारण था, जो हुआ सो हुआ। बीती सो बीत गई, अगली बिसारो।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री प्रताप पुरी (पोकरण): हम सब लोग मिलकर के सक्षम भारत, समृद्ध भारत और मजबूत भारत बनाने के लिए संकल्पबद्ध होकर के अपने कार्य को समर्पित करेंगे।

श्री सभापति: श्री अशोक कोठारी।

श्री प्रताप पुरी (पोकरण): अंत में मैं आप सबसे एक बात कहूंगा, 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुख भागभवेत'। इन्हीं भावनाओं के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सबको सद्बुद्धि दे और हम सब लोग मिलकर के भारत को विकसित बनायें। राष्ट्र को मजबूत बनायें, प्रदेश को मजबूत बनायें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अशोक कोठारी।

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, गोमाता को नमन करते हुए लोकतंत्र के इस पवित्र मन्दिर, सदन को नमन करता हूं। सदन के सभी माननीय सदस्यों को नमन करता हूं। प्रभु के अपने निज धाम में विराजने के साथ ही एक नये युग परिवर्तन की सभी को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं।

(श्री अशोक कुमार कोठारी)

हम इस सदन के माध्यम से हमारे निर्वाचन क्षेत्र भीलवाड़ा के सभी सम्माननीय मतदाताओं का हृदय से आभार व धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आपने हमें माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विचार व्यक्त करने का समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

हमारा मुख्य विषय तो गोमाता है लेकिन उसके पहले विपक्ष में विराजे हमारे माननीय सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि पक्ष की पार्टी ने आदिवासी क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। हम किसी भी पार्टी से नहीं हैं। न पक्ष हैं, न विपक्ष हैं, हम बीच में हैं। हम कहेंगे कि 25 वर्षों से हम संघ परिवार से, संगठन से जुड़े हैं। उन्होंने जो ऐतिहासिक कार्य किया है, चाहे उदयपुर का कोटड़ा क्षेत्र हो, चाहे बांसवाड़ा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, वहां 40 हजार बच्चों की शिक्षा, अभी भी 24 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं। उसके अलावा भी कई ऐतिहासिक कार्य किये हैं। उन्होंने आदिवासी कल्याण के कई कार्य किये हैं, उनके हम साक्षी हैं।

हम आप सभी का ध्यान, सदन का ध्यान, माननीय सदस्यों का ध्यान गोमाता जो रोड पर, कचरे के ढेर पर खड़ी है, उसकी तरफ ध्यानाकर्षित करना चाहेंगे। वह गोमाता भूखी है, प्यासी है, दर-दर की ठोकरें खाती है। सर्दी, गर्मी, बारिश की पीड़ा सहन करती है। उसके बाद भी कत्ल खाने की पीड़ा सहन करती है। इसकी तरफ हमें अधिक ध्यान देने की जरूरत है। गाय हमारी भारतीय संस्कृति का आधार स्तम्भ है। इसमें 33 करोड़ देवी-देवता निवास करते हैं। क्या हमारे राजा का दायित्व नहीं है कि उनके राज्य में मनुष्य का पूर्ण विकास हो? लाखों-करोड़ों का बजट हो, लेकिन गोमाता को भोजन भी नहीं मिले? आपके बजट का कुछ हिस्सा पशु, पक्षियों को भी मिले। मानव के विकास के लिए तो सभी सरकारें कार्य करती हैं। चाहे पिछली सरकार हो, चाहे अभी की वर्तमान सरकार, वह भी अच्छा कार्य करेगी ऐसा विश्वास है।

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के 53वें बिन्दु पर लिखा है, हमारी सरकार गोमाता के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु नई नीति बनायेगी, उसके लिए आभार। गोमाता के लिए पिछली सरकार ने भी अच्छे कार्य किये हैं। उन्होंने गोशालाओं के अनुदान की अवधि बढ़ाकर, उसके अलावा भी जो कार्य किये हैं, उनके प्रति भी हम आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। इतने मात्र से ही काम नहीं चलेगा। विकास और मानव कल्याण के लिए हमारे देश

(श्री अशोक कुमार कोठारी)

के प्रधान मंत्री मोदी जी ने बहुत असंभव कार्य को भी संभव किया है। चाहे वह प्रभु श्रीराम का मन्दिर हो, धारा 370 हो, चाहे विश्व में भारत को 5वीं महान शक्ति बनाने का हो, उसके साथ ही चन्द्रयान की सफलता में भी वैज्ञानिकों का जहां पुरुषार्थ, मेहनत, लगन थी, वहीं उनकी साधना और तपस्या भी थी। उसके अलावा वह हर पल, हर क्षण देश की जनता के बारे में ही सोचते हैं कि देश की जनता कैसे सुखी हो, स्वस्थ हो, शिक्षित हो। उसके लिए लगातार प्रयत्न करते रहते हैं। विकास के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। यह योजनाएं प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, उसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा भी शुरू की। माननीय प्रधान मंत्री जी का सपना सभी स्वस्थ और समृद्ध रहें, उसके लिए उन्होंने जैविक खेती पर भी बहुत महत्व दिया। अभी हाल में 14 तारीख का वीडियो वायरल हुआ, वह उनके गोमाता के प्रति प्रेम को भी दर्शाता है लेकिन गोमाता के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

श्री सभापति: विराजें।

श्री अशोक कुमार कोठारी (भीलवाड़ा): हम दोनों पक्षों से निवेदन करते हैं कि हम मनुष्य के लिए इतने बड़े-बड़े विकास के कार्य करते हैं। एक मात्र हम मनुष्य का विकास, मनुष्य का विकास की बात करते रहते हैं। क्या अपने राज्य में पशु, पक्षी नहीं हैं? उनको जीने का अधिकार नहीं है? हम माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करेंगे, जो कि गोभक्त भी हैं, वह गोमाता की पीड़ा भी समझते हैं, कि आप सबसे पहले रोड पर जो निराश्रित गोवंश है, वह भूखा-प्यासा नहीं रहे, उसके लिए कुछ बिन्दुओं पर ध्यान दें। आप पशुपालकों को पाबंद करें कि वह रोड पर गोवंश को नहीं छोड़ें। उसके लिए एक सख्त कानून बनायें। उनको भी प्रति गोवंश यू पी सरकार की तर्ज पर कुछ अनुदान दें। वहां पर 900 रुपये प्रति गाय किसानों को दिया है। पशुपालक को पाबंद करने के बाद भी अगर गोवंश रोड पर आता है तो उसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत के स्तर पर गोशाला खोलें। नरेगा के मजदूरों को उससे जोड़ें। इससे नरेगा के मजदूरों को कुछ काम मिलेगा। गोचर भूमि को मुक्त करायें। उसकी सफाई एवं तारबंदी करायें। उसमें घास उगायें। केन्द्र सरकार जो रासायनिक खाद पर अनुदान देती है, यूरिया पर 2200 रुपये प्रति बैग और डी ए पी पर 2,500 रुपये प्रति बैग, तो जैविक खाद पर भी अनुदान दिया जाये, जिससे भूमि बंजर

(श्री अशोक कुमार कोठारी)

होने से बच सके, जैविक खेती हो सके। जिससे प्रधान मंत्री जी का सपना भी सत्य हो, प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे।

सभापति महोदय, हम आपसे गोमाता पर विशेष ध्यान चाहेंगे। गोमाता कोई सामान्य प्राणी नहीं है। वह ऋषियों का रिसर्च है। धरती पर अगर कोई भी गोमाता पीड़ा में है तो मनुष्य सुखी नहीं रह पायेगा। स्वयं ठाकुर जी ने भी जो श्रीकृष्ण हैं, वह गोमाता के पीछे नंगे पांव दौड़े थे। प्रभु श्रीराम जी का जन्म भी, राजा दिलीप के कोई संतान नहीं थी, गोमाता की सेवा के बाद उनका प्रादुर्भाव हुआ। भगवान महादेव के सामने जो नन्दी बाबा खड़े हैं, सभी लोग मन्दिर में जाते हैं, नन्दी बाबा के जल चढ़ाते हैं। महादेव जी के जल चढ़ाते हैं तो अपनत्व, महादेव जी नंदी बाबा को देखते हैं और नंदी बाबा उनको देखते हैं। इससे अपन क्या प्रेरणा लेंगे कि अनादिकाल से, पहले से नंदी की क्या महत्ता है, यह बता चुके थे। उसके साथ भगवान महावीर के प्रत्येक श्रावक के पास 40-40 हजार गोमाता थी। इसके साथ ही हम हमारा उदाहरण आपको देना चाहेंगे, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है कि हमारी यात्रा 24 दिन की यात्रा थी और हमारा कोई भी राजनीतिक क्षेत्र से सम्बन्ध नहीं रहा, किसी भी राजनीतिक दल में हमने कोई कार्य नहीं किया, किसी संगठन का कोई दायित्व नहीं था। हमने अपना चुनाव भी 21 दिन में मात्र सत्य सिद्धांत के साथ, पूरी प्रामाणिकता और नैतिकता के साथ पूरे चुनाव को लड़ा और जनता ने हमें पूरा स्नेह और विश्वास दिया। हम आपसे कहना चाहेंगे कि गोमाता क्या कुछ नहीं कर सकती है। यहां पहुंचना मेरा कोई उद्देश्य या मकसद नहीं था, वो तो गोमाता की या प्रभु की योजना थी, उसके तहत हम यहां आये हैं। हम आपसे कहेंगे कि गोमाता तो आपको वैतरणी पार करा देती है। सनातन धर्म में लिखा है कि गोमाता की पूंछ पकड़कर आप वैतरणी पार कर सकते हैं। हमने बचपन में पढ़ा था कि गोमाता कामधेनु और कल्पवृक्ष है। वो हमने पाया है, वो सत्य है। 25 वर्ष पहले हम लोग गोमाता को नहीं जानते थे, जो पाया है उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि गोमाता को दोनों पक्ष मिलकर किसी भी तरीके से गोमाता रोड पर भूखी-प्यासी नहीं रहे, उसके लिए श्रेष्ठ कार्य करें। आपने हमें समय दिया, धन्यवाद। आभार आपका।

श्री सभापति। धन्यवाद। श्री गोपीचन्द मीणा (अनुपस्थित), श्री समाराम (अनुपस्थित)। श्री हरलाल सहारण।

श्री हरलाल सहारण (चूरू): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं मेरी चूरू विधान सभा क्षेत्र की जनता को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि एक साधारण किसान के बेटे को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का उसने काम किया है। मैं उनका आभारी हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा महामहिम राज्यपाल महोदय को जो हमारे संविधान के प्रमुख हैं, जिन्होंने 16वीं विधान सभा के प्रथम सत्र को सम्बोधित करते हुए 26 पेज के अभिभाषण के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी सरकार के विजन को सामने रखा। इसके लिए मैं महामहिम राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जनता के बीच में गई, वहां जाकर जो वादे किये थे उन्हें सत्ता में आने के बाद कानून और गारंटी के रूप में लागू करके राजस्थान की जनता का भला करना हमारी सरकार का लक्ष्य है।

माननीय सभापति महोदय, मैं किसान परिवार से आता हूं और राजस्थान विधान सभा में पहली बार चुनकर आया हूं। अभिभाषण पर पहली बार बोल रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, जिस चूरू जिले से मैं आता हूं और जिस जिला मुख्यालय से आया हूं, उस जिला मुख्यालय के प्रतिनिधि की आवाज इस सदन में वर्षों-वर्ष गूंजती रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं पूर्व नेता, प्रतिपक्ष और सात बार के लगातार विधायक और मेरे बड़े भाई आदरणीय राजेन्द्र राठौड़ के गृह विधान सभा क्षेत्र से आया हूं। मैं एक बात कह सकता हूं कि राजस्थान की जनता का यह सर्वोच्च सदन है।

माननीय सभापति महोदय, मैं उस जगह से आता हूं जहां 50 डिग्री गर्मी होती है और माइनस या जीरो डिग्री सर्दी होती है। हम गहरा पानी पीते हैं और गहराई की बात करते हैं। इस गहराई की मैं कह सकता हूं कि राजस्थान की जनता ने इस बार जनादेश दिया है, अब तक का सबसे ज्यादा प्रतिशत मतदान करके यह सरकार बनाई है, इसके लिए राजस्थान की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मतदान का बढ़ा हुआ प्रतिशत इस बात का सूचक है कि राजस्थान का आम व्यक्ति पिछली सरकार से त्रस्त था। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के चुनाव में 75 प्रतिशत से

(श्री हरलाल सहारण)

अधिक मतदान करके इस बात को सिद्ध किया कि राजस्थान बदलाव चाहता है। इस बदलाव में इस बात का सवाल भी उठता है कि यह बदलाव क्यों चाहते थे? यह बदलाव इसलिए चाहते थे कि राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार के समय में यह राजस्थान लूटा गया, राजस्थान को अपमानित किया गया। अखबारों की सुर्खियों में कितनी गलत बातें राजस्थान के लिए छपीं। महिला सुरक्षा नहीं, कर्जा माफी के नाम पर किसान लुटता रहा, किसानों को गुमराह किया गया, उनकी जमीन नीलाम होती रही, बेरोजगार युवाओं को रोजगार की जगह लाठियां मिलीं, पेपर माफिया सक्रिय रहा।

माननीय सभापति महोदय, पिछली कांग्रेस सरकार ने दो ब्लाक में बिजली देने की बात की थी। मेरे मित्र और मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे सामने अभी बोल रहे थे पूसारामजी गोदारा, ये चूरू से आते हैं। इनको पता है कि मुख्य मंत्रीजी ने बजट घोषणा, कई बार भाषण में मैंने सुना था, किसान को दो ब्लाक में बिजली देंगे, वो बिजली कहां गई, 'अंधेर नगरी और चौपट राजा' की कहावत साबित हुई है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कह सकता हूं कि पिछली कांग्रेस सरकार के 5 साल के कार्यकाल में राजस्थान में जिस प्रकार का वातावरण रहा उसका यदि कोई सूत्रधार है तो मेरे सामने बैठे लोग हैं जो आज लम्बी-लम्बी बातें कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में अब डबल इंजन की सरकार इसलिए बनी है, क्योंकि दुनिया के सबसे लोकप्रिय, आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने लोगों को गारंटी दी और मोदीजी की गारंटी पर राजस्थान की जनता ने विश्वास जताया है। पूर्व मुख्य मंत्रीजी कहते थे कि मेरी सरकार रिपीट होगी, सरकार को डिलीट करने का काम मोदीजी की गारंटी ने किया।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार के गठन के साथ ही जिस प्रकार का आपसी विरोध था वो सबने देखा, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। कांग्रेस सरकार के पूरे पांच साल लड़ाई-झगड़े में चले गए। राजस्थान के लोगों ने देखा कि पूर्व मुख्य मंत्री और पूर्व उप मुख्य मंत्री अलग-अलग पांच सितारा होटलों में 34 दिन तक रहे। सरकार गिरेगी कि नहीं गिरेगी, इन बातों को लेकर राजस्थान के लोगों के बीच चर्चा होती थी। आपसी खींचातानी इतनी बढ़ गई कि पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने अपने साथियों को निकम्मा, नाकारा, गद्दार कहा। यहां तक कि उनके खिलाफ मुकदमे तक किये।

(श्री हरलाल सहारण)

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार के कार्यकाल को राजस्थान के लोगों ने भुगता है। पिछली सरकार में भ्रष्टाचार की भट्टी जलती रही और इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या होगी कि सचिवालय में जहां से शासन चलता था, वहां नोट और सोना मिला है। माननीय सभापति महोदय, पूर्व के मुख्य मंत्री कांग्रेस के लोगों को कहते थे कि हम पारदर्शी शासन करेंगे, यह किस प्रकार का पारदर्शी शासन था? भ्रष्टाचार का ताण्डव रहा। नौजवान के अरमान लुटते चले गए, पेपर लीक होते चले गए।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने सत्ता में आते ही पेपर लीक को रोकने का काम किया। एस आई टी का गठन किया। सरकार बनते ही दो परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित हुईं। टास्क फोर्स ने काम करना शुरू कर दिया। माननीय सभापति महोदय, आर पी एस सी के पूर्व मेम्बर जब जेल में बैठे होते हैं, बाबूलाल कटारा, शर्म तो आती है कहने के लिए, सामने मेरे मित्र और सदस्यगण बैठे हैं, किन-किन पूर्व मंत्रियों के नाम आएंगे, यह सब सामने आने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, इस बात के लिए मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि भाजपा के संकल्प पत्र को आपने पहली कैबिनेट बैठक में सरकारी दस्तावेज बनाया। साथ ही गरीब परिवारों को मात्र 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने का काम किया। माननीय सभापति महोदय, मोदीजी कहते हैं वो करते हैं। पिछली कांग्रेस सरकार में इंदिरा रसोई के नाम से 450 ग्राम भोजन मिलता था लेकिन मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अन्नपूर्णा रसोई योजना में मोटे अनाज को शामिल करते हुए भोजन की मात्रा को 600 ग्राम किया। यह गरीब को भरपेट भोजन देने का काम किया है और जिसने यह काम किया उसका नाम है भजन लाल सरकार। मैं इसके लिए भी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि शासन में आने के बाद आपने राज्य में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए 36 घंटे में मुख्य मंत्रीजी ने केन्द्रीय कोयला मंत्रीजी से बात करके सरकारी बिजली घरों में पर्याप्त कोयला मिले, यह आपका प्रयास काबिले तारीफ है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी को नई पहल का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि पहली बार राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री अचानक रेन बसेरा और थाने पहुंचते हैं और हालात का जायजा लेते हैं। माननीय

(श्री हरलाल सहारण)

सभापति महोदय, मैं इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि सुखदेव गोगामेड़ी के हत्यारे 72 घंटे में जेल की सलाखों के पीछे थे। आपने इस मामले में एन आई ए को जांच सौंपने का काम किया, अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए एस टी एफ के गठन करने का फैसला किया। पिछली कांग्रेस सरकार गम्भीर मामलों में भी सी बी आई की जांच कराने के पक्ष में नहीं थी। पहले सरकार की अनुमति चाहती थी, लेकिन अब माननीय मुख्य मंत्री जी सी बी आई की जांच राजस्थान से जुड़े किसी भी मामले में करा सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं किसान का बेटा हूं और मैंने अपने हाथों से खेती की हुई है। कल यहां एक किसान का बेटा बोल रहा था कि जब मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे पिता जी कहीं खेत में होंगे। मैं उस इलाके से आता हूं जो बरसात पर निर्भर रहता है, बरसात होती है तो फसल हो जाती है, वरना बर्बाद हो जाती है। सभापति महोदय, मैं देश के प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने 6 हजार रुपये राजस्थान के 72 हजार किसानों को सीधे उनके खातों में किसान सम्मान निधि के रूप में देने का काम किया। भाजपा ने इसे बढ़ाकर 12 हजार रुपये करने का काम किया है। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। एक तरफ मोदी जी की सरकार किसानों को सम्मान दे रही है, वहीं पिछली कांग्रेस सरकार ने कर्जा माफ करने के नाम पर किसानों के साथ धोखा किया। कांग्रेस के प्रधान मंत्रियों ने 50 सालों तक शासन किया है। कांग्रेस ने किसानों के साथ धोखा किया है।

सभापति महोदय, मैं इस हाउस में पहली बार आया हूं। राजस्थान के 19 हजार किसानों की जमीनें नीलाम हुईं दर्जनों किसानों ने आत्महत्याएं कीं। यह पिछली सरकार के माथे पर कलंक है। मैं जिस जिले से आता हूं, वहां 1,809 किसान ऐसे हैं, जिन्होंने पूर्व सरकार की घोषणा पर विश्वास किया और उनकी जमीनें नीलाम हो गईं। मैं यह कह सकता हूं कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में...

श्री सभापति: विराजिये माननीय सदस्य। समय समाप्त हो गया। श्री ललित यादव।

श्री हरलाल सहारण (चूरू): माननीय सभापति महोदय, अयोध्या में राम मन्दिर बनाने का सपना साकार हुआ है। इसके लिए मैं दुनिया के लोकप्रिय प्रधान मंत्री को धन्यवाद कहना चाहूंगा। जय जवान-जय किसान। भारत माता की जय।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सोलहवीं विधान सभा में चुने गये सभी माननीय सदस्यों को मैं बधाई देता हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ। हम तो नये लोग चुनकर आये हैं और यहां की परम्पराओं को कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ आज से पहले देखकर सीखने का प्रयास किया, लेकिन जब महामहिम बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि महामहिम राज्य का नहीं, बल्कि केन्द्र का अभिभाषण पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है, जिस प्रकार से यहां पर्ची से सरकार बनी उसी प्रकार उन्हें कोई पर्ची मिली, जिसे पढ़कर वे चले गये। चलिये, धन्यवाद उनका कि पढ़ तो गये। ऐसा सुना है कि पहले तो टेबल कर देते थे।

मैं पैरा संख्या 24 पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राजस्थान की जी डी पी में कृषि क्षेत्र के योगदान की बात कही गयी तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि 500 रुपये से हजार रुपये प्रतिमाह करने की बात उसमें है। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाह रहा हूं कि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि खेती और किसान के बिना प्रदेश और देश की उन्नति सम्भव नहीं है। किसान खेती करेगा तो निश्चित रूप से देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा। देश के आर्थिक विकास का आधार खेती है, क्योंकि 70 परसेंट से ज्यादा लोग आज भी खेती पर निर्भर हैं और खेती कर रहे हैं। देश-प्रदेश की आय का जो एक महत्वपूर्ण साधन है, वह भी खेती ही है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी सब चीजें रुकीं, लेकिन कृषि के क्षेत्र में लगातार बदस्तूर काम चलता रहा, रुका नहीं।

मैं इस नयी-नवेली सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार में किसान को पूरे छह घण्टे बिजली मिल रही थी, लेकिन जैसे ही नयी सरकार बनी, गांवों से जितने टेलीफोन आते हैं, 80 परसेंट लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि बिजली पूरी कब आयेगी। भले ही चार घण्टे बिजली मिले, लेकिन पूरी लगातार तो मिले। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सुदूर गांवों में बैठे लोगों को बिजली देने का काम आप लोग कब पूरा कर पाएंगे?

जिस तरह से पिछली सरकार ने 2 हजार यूनिट किसानों को बिजली फ्री देने का काम किया, क्या आने वाले वक्त में यह पर्ची सरकार भी

(श्री ललित यादव)

राजस्थान की जनता को दो हजार या उससे ज्यादा यूनिट बिजली फ्री देकर किसान की आय बढ़ाने में सहयोग करेगी? किसान सम्मान निधि में 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर एक हजार रुपये करने की बात कही गयी। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा कि किसान की आय दुगुनी करेंगे, लेकिन केवल 500-1000 रुपये बढ़ाकर आय दुगुनी नहीं हो सकती। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब आप आय बढ़ाने का काम करना ही चाहते हैं तो एक हजार नहीं, बल्कि 10 हजार रुपये बढ़ाने का काम करना चाहिये।

एम एस पी पर खरीद की बात आपने कही है। 2,700 रुपये गेहूं खरीद की बात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं लगता नहीं कि राजस्थान में आज एम एस पी पर खरीद हो रही है। देश में पिछले सालों में जो तीन काले कानून लाये गये, पूरे देश में एक हजार से ज्यादा किसानों ने शहादत दी, उसके बाद भी प्रधान मंत्री के कानों पर जूं नहीं रेंगी। देश के इतने सारे किसान शहीद हो गये, उसके बाद घुटनों पर आकर उनकी बात माननी पड़ी। देश के प्रधान मंत्री चाहते थे, किस तरह वे अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचा सकते हैं कैसे उन्हें लाभ दिला सकते हैं, लेकिन मैं किसान कौम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह रोड पर आयी और उसने अपने हक की बात की, तब जाकर उन्हें अपना हक मिल सका।

पैरा संख्या 58 में चिरंजीवी योजना की बात की गयी है। उसमें वाहवाही लूटने जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। मैंने एक बूढ़े पिता के कन्धों पर जवान बेटे को जाते देखा है। मैंने एक गरीब व्यक्ति को अपने इलाज के लिए घर-जमीन गिरवी रखते हुए देखा है। मैं पूर्ववर्ती सरकार और उसके मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो चिरंजीवी जैसी योजना लेकर आये और 25 लाख रुपये तक का इलाज राजस्थान में फ्री करने का काम किया। प्रदेश के साढ़े 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका लाभ हुआ। जैसे ही सरकार बनी आपने इसका नाम आयुष्मान भारत करने का तो काम किया है, लेकिन जो 25 लाख रुपये तक का इलाज लोगों को फ्री मिल रहा था, क्या आने वाले वक्त में आप इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपये करेंगे?

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यहां सदन में उस साइड बैठने वाले लोगों ने श्रीराम को लेकर बोलना स्टार्ट किया। हम सब भी राम को मानने वाले लोग हैं और राम मन्दिर बना है तो केवल उस पक्ष के

(श्री ललित यादव)

लोगों द्वारा नहीं बना, उसमें हम सबका भी सहयोग रहा है। सब लोगों ने सहयोग किया है। आप और हम सब लोग यहां चुनकर इसलिए आये हैं, ताकि अपने-अपने क्षेत्र के विकास की बात करें कि किस तरीके से हम अपने क्षेत्र को आगे ले जा सकते हैं। हमारे लोगों ने हमें चुनकर इसलिए भेजा है, ताकि हम उनके हक-हकूक की लड़ाई यहां खड़े होकर लड़ सकें, उनकी बात कह सकें। मुझे कई बार देखकर लगता है, कहीं रामायण मंचन में तो नहीं आ गये, कहीं महाभारत मंचन में तो नहीं आ गये। इस प्रकार के वक्तव्य आप यहां देते हैं।

माननीय सभापति महोदय, हो सके तो एक दिन रामायण-महाभारत का पाठ करवा लें। उसके बाद हम सब यहां बैठकर प्रदेश की साढ़े 7 करोड़ जनता के बारे में चिन्ता करें कि किस तरह से हम उसका भला कर सकते हैं, उसे फायदा दिला सकते हैं। जनता के बारे में बात करने की आवश्यकता है। भगवान श्रीराम सबके हैं, आपको यह बात नहीं भूलनी चाहिये। आपकी प्रदेश में जब सरकार थी और वसुन्धरा जी मुख्य मंत्री थीं, जयपुर में प्राचीन मन्दिरों को तोड़ने का काम आपकी सरकार ने किया था। आपको इन बातों को नहीं भूलना चाहिये। मैं तो आपका ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाह रहा हूं कि जब से हम यहां पर आये हैं, तब से यही बातें सुनने को मिल रही हैं। ऐसा लग रहा था कि श्रीराम भगवान का पेटेंट तो आप लोगों ने करवा लिया और हम लोग तो भगवान श्रीराम को मानने वाले ही नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में अपराध अपनी चरम सीमा पर है। मेरे जिले में बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र में प्रात: भ्रमण पर गये एक शिक्षक दम्पत्ति को सुबह घात लगाकर लोगों ने जान से मारने का प्रयास किया। हमारे थानागाजी में किस तरह से लोगों को मारने का प्रयास किया जा रहा है। बून्दी जिले के दबलाना थाना क्षेत्र में एक नौजवान को मारकर सड़क पर डाल दिया जाता है। मैं इन सब बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, इन सब बातों पर चिन्ता करने की आवश्यकता है।

क्या सरकार राजीव गांधी युवा मित्रों के बारे में चिन्ता कर रही है कि वे 5 नहीं, बल्कि 25 हजार लोग हैं, उनका परिवार कैसे चलेगा? क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि उनके परिवारों को रोजी-रोटी कैसे उपलब्ध हो पायेगी? कोई नौजवान साथी इस बात की चिन्ता कर रहा था कि मेरी बहन की शादी होगी तो मैं उसके लिए सामान लेकर आऊंगा, उसकी शादी में

(श्री ललित यादव)

काम करूंगा, उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आऊंगा। उसे आपने सड़क पर बैठाने का काम किया है। वे लोग बैठे हैं, इस बात की चिन्ता सरकार करे। हमको उन लोगों को वापस लगाने का काम करना चाहिए।

घरेलू सिलेंडर के बारे में साढ़े चार सौ रुपये की बात कही है। मैं माननीय सभापति जी के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि साढ़े चार सौ रुपये में सिलेंडर देने की बात कही है तो सीधे साढ़े चार सौ रुपये में जनता को सिलेंडर दे दो। आप साढ़े चार सौ रुपये का देंगे और फिर सब्सिडी डालेंगे, कई सारा लफड़ा होगा, इसलिए आपकी देने की मंशा है तो आप लोगों को सीधे साढ़े चार सौ में देने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कल मेरे एक साथी बड़ेबड़े भाषण दे रहे थे। (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी) भारत जोड़ो यात्रा के बारे में चर्चा कर रहे थे। मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उसी भारत जोड़ो यात्रा के अन्दर आप भी किलोमीटर पैदल चले हो और आप भी इसी साइड से उधर गये हो। मैं इस बात को मानता हूं कि दिल्ली से पर्ची मुख्य मंत्री की आई वैसे ही पर्ची आपको भी मिली होगी।

मैं आपकी गलती नहीं मानता हूं लेकिन आपने जिस प्रकार का वक्तव्य यहां पर दिया था, आपको एक बार सोचने की आवश्यकता थी कि उसी पुराने वाले वक्त में भी ये लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे। आपको वापस इधर ही आना पड़ेगा।

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): मैं आपका ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि कल का अभिभाषण मैं सुन रहा था। आपकी बात सुन रहा था। उनको देखकर लग रहा था कि आप जाते ही फिल्टर हो गये, लेकिन मुझे किसी साथी ने बताया कि इनको पर्ची मिली है दिल्ली से, उसके बारे में बोल रहे हैं।

मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पिछली सरकार में ओ पी एस योजना लागू करके, इस पूरे अभिभाषण के अन्दर भ्रष्टाचार और कई सारी बातों की चर्चा की गई है, ओ पी एस लागू करके राजस्थान के उन कर्मचारियों को फायदा देने की बात सरकार ने की तो क्या भ्रष्टाचार है? क्या सामाजिक पेंशन देने की बात की तो क्या भ्रष्टाचार है?

श्री सभापति: धन्यवाद, समाप्त करिये।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): रोडवेज में महिलाओं का आधा किराया करने की बात की, वह भ्रष्टाचार है? 100 यूनिट घरेलू बिजली फ्री देने की बात की, क्या वह भ्रष्टाचार है? 2000 यूनिट किसानों को बिजली देने की बात की, क्या वह भ्रष्टाचार है? 125 दिन मनरेगा में काम देने की बात की, क्या वह भ्रष्टाचार है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। आपका समय हो गया है।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट का समय लेना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, 2014 के अन्दर 15 लाख रोजगार देने की बात कही थी, हर साल दो करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, रुपये और डॉलर को बराबर करने की बात कही थी, कालाधन लाने की बात कही थी, एक सिर के बदले दस सिर लाने की बात कही थी। नोटबन्दी से क्या फायदा हुआ और आपके चलाये दो हजार के नोट को क्यों बन्द किया? इन सब बातों की ओर सोचने की जरूरत है।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री ललित यादव (मुण्डावर): हमको प्रदेश के विकास के लिए हमारी जनता ने यहां भेजा है, हम सब लोग यहां बैठकर प्रदेश की जनता के बारे में चिन्ता करें। एक-दूसरे के बारे में बोलने की बजाय प्रदेश के हित के बारे में प्रयास करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। राम-राम सा।

श्री सभापति: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। श्री जोगेश्वर गर्ग।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्रम संख्या 2)

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक बुधवार, दिनांक 24 जनवरी, 2024 को मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

कि सोमवार, दिनांक 29 जनवरी 2024 से गुरुवार, दिनांक 08 फरवरी 2024 तक सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए :-

सोमवार, दिनांक 29 जनवरी 2024	1. राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 - पर विचार एवं पारण। 2. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में संशोधनों के संबंध में प्रस्तुत शासकीय संकल्प पर विचार एवं पारण। 3. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद।
मंगलवार, दिनांक 30 जनवरी 2024	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर।
बुधवार, दिनांक 31 जनवरी 2024 से बुधवार, दिनांक 07 फरवरी 2024	बैठक नहीं होगी।
गुरुवार, दिनांक 08 फरवरी 2024	1. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2024-25 का उपस्थापन। 2. वर्ष 2024-25 के लिये लेखानुदान (वोट ऑन अकाउण्ट) संबंधी विवरण का प्रस्तुतीकरण; 3. लेखानुदान संबंधी प्रस्ताव का पारण;

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

	4. लेखानुदान संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण।
	5. अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2023-24 (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन।
	6. अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2023-24 (द्वितीय संकलन) पर मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण।
	7. अनुपूरक अनुदान की मांगों संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण।

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई। श्री हाकम अली खां।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय सभापति महोदय जी, आपने मुझे महामहिम जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

(श्री हाकम अली खां)

महोदय, महामहिम का अभिभाषण सुनकर बेहद निराशा हुई। भाजपा ने राजनीतिक शुचिता एवं परस्पर सद्भाव को तार-तार कर दिया। जो अपराध उन्होंने महामहिम के माध्यम से कराया, वह बेहद चिन्ताजनक है। अभिभाषण में सरकार के काम नहीं बताकर कि हम पांच साल में क्या करने वाले हैं, उसके बजाय पिछली सरकार की कमियों पर ज्यादा ध्यान दिया है, जबकि होता यह है कि राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार के पांच साल के कार्यकाल को बताया जाता है।

अभिभाषण के बिन्दु संख्या 14 के अनुसार 31 मार्च, 2019 को राज्य का भार 3 लाख 11 हजार 300 करोड़ रुपये था, जिसे 31 मार्च, 2024 में 5 लाख 79 हजार करोड़ रुपये बताया गया है। इन्होंने यह तो बता दिया, केन्द्र की बहुत सारी बातें भी बता दीं और माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी का गुणगान भी कर दिया पर मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 31 मार्च, 2014 में यू पी ए सरकार के बाद आपकी सरकार बनी थी, तब भारत सरकार का कर्ज 55 लाख 87 हजार करोड़ रुपये था और अभी माननीय वित्त मंत्री महोदय, भारत सरकार ने बताया कि 31 मार्च, 2023 को भारत सरकार पर 152 लाख 61 हजार करोड़ रुपये का भार हो गया है। भारत सरकार का कर्ज तीन गुना बढ़ गया है, जबकि राजस्थान सरकार का तो दुगुना भी नहीं हुआ था। इसका जवाब इनके पास नहीं है, न इसका किसी ने जिक्र किया है।

बिन्दु संख्या 22 में इंदिरा रसोई के नाम को बदलने का इन्होंने जिक्र किया है। मैं मानता हूं कि आपकी पूर्ववर्ती सरकार ने अन्नपूर्णा रसोई की योजना शुरू की थी, लेकिन उसमें कमियां थीं, वे आप लोगों ने नहीं बताईं। इंदिरा रसोई की गाड़ियां बस स्टैण्ड पर, रेलवे स्टेशन पर, अस्पताल के सामने या और कहीं जाकर खड़ी हो जाती थीं। मजदूर, असहाय आदमी और लोग पर्ची कटाते थे और हाथ में एक प्लेट लेकर खड़े रहते थे और सड़क के ऊपर खड़े-खड़े खाना खाते थे। हर आदमी वहां नहीं जा सकता था। जिस आदमी का थोड़ा बहुत भी जमीर जिन्दा था तो वह आदमी नहीं जा सकता था। धन्यवाद देना चाहूंगा मैं माननीय पूर्व मुख्य मंत्री श्री अशोक जी गहलोत को कि उन्होंने इसको देखते हुए एक साफ सुथरी जगह, एक भवन देकर सारी नगरपालिकाओं को आदेश दिया कि आप कोई भवन किराये पर लें और वहां टेबल-कुर्सियां डालें और रसोई के अन्दर बैठाकर मान-सम्मान के साथ खाना खिलाओ, जिससे वहां अच्छे लोग भी खाना खाने के लिए आयें। आप कहते हैं कि सिर्फ

(श्री हाकम अली खां)

नाम चैंज किया है। अगर आप पहले यह काम करते तो हो सकता है शायद हमारी सरकार उसमें कुछ और भी ज्यादा बढ़ाती। आप लोगों ने आते ही उसका वापस वही नाम कर दिया।

बिन्दु संख्या 23 पर महामहिम के अभिभाषण में साढ़े चार सौ रुपये में गैस सिलेंडर की बात कहलवाई, वह तो पहले ही पांच सौ रुपये में दे रहे थे। जनता सब जानती है कि आपने सिर्फ पचास रुपये कम किये हैं। अगर आप ही करते तो सबको देते राजस्थान की जनता को साढ़े चार सौ में सिलेण्डर। आपका अख़बार में एक बहुत बड़ा इश्तेहार छपा था संकल्प पत्र और कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में पांच सौ रुपये की कही तो आपने साढ़े चार सौ का संकल्प पत्र में छपवा दिया, लेकिन जब सरकार बन गयी तो सिर्फ गरीब लोगों को, उज्ज्वला योजना वालों को सिर्फ हम साढ़े चार सौ रुपये में देंगे, तो उज्ज्वला योजना वालों को तो कांग्रेस सरकार पहले ही पांच सौ रुपये में दे रही थी। आपने तो सिर्फ पचास रुपये कम किये। या फिर आप यह कहते माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी को पूरे भारत में साढ़े चार सौ में सिलेण्डर करो, तब हम मानते कि आपने गरीब जनता को सुना और गरीब जनता का भला किया, लेकिन जनता सब जानती है कि जनता के साथ छलावा हुआ है।

सभापति महोदय, बिन्दु संख्या 25 में गेहूं की खरीद के लिए आपने 2,700 रुपये प्रति क्विंटल खरीदने की घोषणा की, जबकि गेहूं की खरीद 2,700 में नहीं हो रही है। पहले 2,400 रुपये की आप लोगों ने एम एस पी जारी कर दी थी कि 2,400 रुपये सरकारी रेट में गेहूं खरीदा जायेगा। यह भी किसानों के साथ बड़ा कुठाराघात है, धोखा है, जबकि हमारी सरकार के लिए आप बार-बार बोलते हो कि धोखा किया है और एक, दो, तीन, चार, पांच, नौ, दस गिना रहे हो कि कर्ज माफ नहीं किया। पूरा आंकड़ा है, आप कहो तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने 21 लाख किसानों के 14 हजार करोड़ रुपये का राजस्थान के सभी सहकारी बैंकों के किसानों का सम्पूर्ण लोन माफ किया था और राजस्थान सरकार ने लैटर लिखा था माननीय प्रधान मंत्री जी को कि नेशनलाइज्ड बैंकों का भी कर्ज माफ कीजिये उसमें हमारी हिस्सेदारी है वो हम करेंगे, आपकी हिस्सेदारी आप करो, लेकिन एक रुपया भी नेशनलाइज्ड बैंकों का भारत सरकार ने माफ नहीं किया।

सभापति महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा 64 लाख किसानों को

(श्री हाकम अली खां)

दिसम्बर, 2018 से जुलाई, 2023 तक कृषि विद्युत अनुदान के बीस हजार करोड़ रुपये दिये थे। राजस्थान सरकार द्वारा सौ यूनिट प्रतिमाह घरेलू बिजली नि:शुल्क दी जा रही थी। प्रतिमाह किसानों को 533.33 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जा रहा है जो कि वार्षिक 6,400 करोड़ रुपये है। किसानों को तारबंदी अनुदान के रूप में 69.11 करोड़ रुपये अनुदान दिये गये हैं। पशुपालकों को दूध पर प्रति लीटर अनुदान पांच रुपये दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा फरवरी, 2019 से मार्च, 2023 तक 1,109 करोड़ रुपये का अनुदान दिया। लगभग आठ लाख दूध उत्पादक किसान लाभान्वित हुए हैं और औसतन प्रति दुग्ध उत्पादक अनुदान 13,862 रुपये है। लम्पी प्रभावित पशुपालकों को चालीस हजार रुपये प्रति पशु के हिसाब से अनुदान दिया गया जो कुल राशि 175.72 करोड़ रुपये है और लाभान्वित पशुपालक 41 हजार 933 हैं।

सभापति महोदय, कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत प्रति पशु बीमा चालीस हजार रुपये नि:शुल्क राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है, जिससे 1.7 करोड़ पशुपालक लाभान्वित हुए हैं। बीज मिनी किट वितरित किये गये जिनकी कुल संख्या 55.70 लाख है और 3 हजार रुपये का लाभ दिया गया। केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान में 64 लाख किसानों को दिसम्बर, 2018 से जुलाई, 2023 तक 6 हजार रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से मात्र 1,281.87 करोड़ रुपये किसान निधि के रूप में दिये गये, जबकि राजस्थान ने कई गुना अधिक राशि अनुदान के रूप में किसानों को दी है।

(समय: 17.43 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को जो सहायता एवं अनुदान प्रदान किये गये हैं वे साठ हजार रुपये प्रति वर्ष से अधिक राशि है, जबकि केन्द्र सरकार द्वारा केवल मात्र 6 हजार रुपये प्रति वर्ष मात्र अनुदान दिया गया है, दस गुना ज्यादा है। राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को सहायता एवं अनुदान प्रदान किये गये, वह साठ हजार प्रति वर्ष से अधिक राशि है, जबकि केन्द्र सरकार द्वारा केवल मात्र 6 हजार रुपये। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने का वादा किया था किन्तु आय दुगुनी करने की बजाय किसानों को उपज एवं खेती से वंचित करने हेतु केन्द्र सरकार ने तीन काले कानून कृषि कानून लागू कर दिये, जिसके विरोध

(श्री हाकम अली खां)

में किसानों को 13 माह तक आन्दोलन करना पड़ा और उसमें 790 से अधिक किसान शहीद हुए थे वहां पर।

सभापति महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा कृषि कनेक्शनों पर किसानों को 2 हजार यूनिट बिजली प्रति माह दी जा रही है। यह हमारी सरकार ने पिछले पांच सालों में किया है।

बिन्दु संख्या 51 में महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल की समीक्षा करने का कहा है। क्या समीक्षा करोगे? गरीब का बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा है, वो आपको नहीं जंचा। आपके समझ में नहीं आयी कि कहीं गरीब का बच्चा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, गांव का बच्चा कोई अंग्रेजी पढ़ करके और कहीं आगे नहीं चला जाये, इसके लिए आप समीक्षा कर रहे हो।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): क्योंकि उनके पास प्राइवेट स्कूलों में भेजने का है नहीं और मैं समझता हूं कि जहां तक यहां अपन दो सौ बैठे हैं शायद किसी का भी बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हो, सबके प्राइवेट में पढ़ते हैं लेकिन उस गरीब का बच्चा इंग्लिश पढ़े इसलिये इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली गयी थी और आप कह रहे हो कि कुछ नहीं हुआ। आप देखो लाटरियों से एडमिशन हो रहे हैं। 30 सीट हैं 100-100 बच्चे आ रहे हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन लो, हमारे बच्चे का एडमिशन लो और आपने उसकी समीक्षा करने का कहा है। इससे साफ-साफ आपकी मंशा जाहिर होती है कि आपने उसको बन्द करने का किया है। आपने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही आर पी एस सी भंग कर देंगे। हो गयी क्या आर पी एस सी भंग?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): एक मिनट। बिन्दु संख्या 69 में यह सरकार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन की बात करती है। बहुत अच्छा प्रोत्साहन करोगे आप लोग, केन्द्र में तो कर ही दिया। केन्द्र ने क्या किया, नहीं देखा आपने? पूरे भारत ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि जो मेडलिस्ट थे उनके साथ उन बहनों के साथ क्या किया था। क्या किया था कि उनको दिल्ली की पुलिस रौंद रही थी वहां पर।

श्री सभापति: श्री धर्मपाल।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): सभापति महोदय, एक मिनट बस।

(श्री हाकम अली खां)

हमारी सरकार के दौरान राजस्थान इन सबमें नम्बर एक था। हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज में ....(व्यवधान) माननीय सदस्य, एक मिनट बस।

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): आप आसन से विनती करिये।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज में 93 परसेंट कवर्ड हो गया था। पच्चीस लाख रुपये इंश्योरेंस कवरेज एवं सरकारी संस्थानों में सम्पूर्ण फ्री इलाज करने वाला एकमात्र राज्य भारत में। सबसे ज्यादा नये सब सेन्टर राजस्थान में, नये पी एच सी खोलने में राजस्थान सबसे आगे, नये सी एच सी खोलने में राजस्थान सबसे आगे, नये सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने में राजस्थान सबसे आगे। देश का सबसे ऊंचा चौबीस मंजिला आई पी डी टावर जो बन रहा है वह राजस्थान में बन रहा है। किसी राज्य में सर्वाधिक यूनिवर्सिटी में राजस्थान सबसे आगे। नये कालेज खोलने में भी...

श्री सभापति: विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): 000

श्री सभापति: विराजिये।

श्री धर्मपाल (खेतड़ी): जय श्रीराम। जय श्रीराम। माननीय सभापति महोदय, संक्षिप्त परिचय के साथ आपसे मुखातिब होना चाहूंगा। राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्र खेतड़ी से जहां पर स्वामी विवेकानन्द को नरेन्द्र से विवेकानन्द के नाम की अवधारणा मिली, उनको पोशाक मिली, उस क्षेत्र से आता हूं। अरावली की पहाड़ियों से घिरे हुए उस क्षेत्र से आता हूं जहां पर च्यवन ऋषि ने अपने तप के बल पर, च्यवन ऋषि ने वहां पर तप किया था, उसी धरती से आता हूं। ऐसी धरती से आता हूं जहां पर एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड है जो संयंत्र साठ वर्षों से चल रहा है और आगे भी दो सौ वर्षों का ताम्बा वहां पर है। 42 तरीके के मेजर मिनरल और 22 तरीके के माइनर मिनरल की धरती से आता हूं। अरावली से घिरी हुई खेतड़ी के बारे में बताना चाहता हूं कि 555 गांवों की रियासत जो जयपुर दरबार के बाद में सबसे बड़ी रियासत थी और काल खण्ड में यह उल्लेख है कि जयपुर में जब भी दरबार लगता था तो खेतड़ी की धरती के राजा अजीत सिंह की कुर्सी उसमें रहती थी चाहे राजा वहां पर पहुंचे, न पहुंचे। ऐसी एक सम्मानजनक धरती से आता हूं।

सभापति महोदय, मैं बहुत अध्ययन कर रहा हूं यहां पर जो भी डिस्कस होता है। हम पहली बार चुन कर आये हैं इसलिये गलती आसन भी

(श्री धर्मपाल)

माफ करेगा, जो वरिष्ठ सदस्य हैं वो भी माफ करेंगे। मुझे अदब के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे वरिष्ठ जो साथी हैं जो इस सदन के साथी हैं, वैसे मेरे प्रेरणास्रोत हैं, उनके श्रीचरणों में प्रणाम करते हुए, युवा साथी जो मेरे चुन कर विधायक आये हैं उनका अभिनन्दन करते हुए मैं आसन का अभिनन्दन करता हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर इस अदने से व्यक्ति को आप लोगों ने मौका दिया, उसके लिए मैं आसन का धन्यवाद करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, बहुत गहरी विवेचना न करते हुए मेरी पहली यहां पर वार्ता है और पहली बार मैं यहां पर मुखातिब हो रहा हूं। पुन एक बार क्षमाप्रार्थी हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार का विजन और पूर्ववर्ती सरकार के विजन के बारे में यहां पर बड़ी विस्तृत चर्चा हुई। विस्तृत चर्चा इसलिये हुई क्योंकि हमने अपनी सरकार के जो दो माह पुरानी है, उसका जो विजन था उसके बारे में बातें कहीं और पांच साल की बातें पूर्ववर्ती सरकार की कहीं। मैं पूर्ववर्ती सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि जब जनता और जनार्दन किसी को सत्ता से विमुक्त करती है और मुक्त करती है तो उसमें कमियां जरूर होती हैं। यह सिर्फ आपके साथ ही नहीं हुआ, हमारे साथ भी हुआ है, लेकिन हमारे साथ इसलिये हुआ कि जो कुप्रबन्धन पांच साल में कांग्रेस की गवर्नमेंट करती है, कांग्रेस की सरकार करती है उसको प्रबन्धन में और प्रदेश को सही विजन में लाने में हमें समय लग जाता है, इसलिये हम लोग विपक्ष में बैठते हैं, लेकिन आपने पांच साल में क्या किया, क्या नहीं किया, उसकी अगर संक्षिप्त में मैं बात करना चाहूं तो इतना ही कह सकता हूं कि पांच साल में प्रदेश की जो स्थिति आप लोगों ने की है, पांच साल में सिर्फ और सिर्फ सरकार बचाने का काम किया है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। पांच साल की आपस की खींचतान में प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता की जो अनदेखी हुई है, जो प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, सबको आप लोगों ने प्रताड़ित किया है।

निश्चित रूप से मैं आपसे बहस करने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं क्योंकि मैं इस सदन का नया-नया सदस्य हूं, कोई ऐसी बात निकल जाये जिसका कंटेंट सोशल मीडिया पर जाये और वह विधान सभा के लिये, मेरे क्षेत्र के लिये और व्यक्तिगत इंजीनियर धर्मपाल के लिये कहीं नुकसानदेह नहीं हो

(श्री धर्मपाल)

जाये, इसलिए वाद-विवाद के विषय में नहीं पड़कर मैं इतना ही कह सकता हूं कि सत्ता से कोई नहीं हटाता है।

"राम किसी को नहीं मारता, कहां हत्यारा राम।

बंदा खुद ही मर जाता, कर-कर खोटे काम।"

आप विपक्ष में बैठे हो तो आपके कामों के कारण बैठे हो, न कि हमारे कारण बैठे हो। साढ़े सात करोड़ जनता को कोई बरगला नहीं सकता। हम यहां पर आये हैं तो अपने कामों के दम पर आये हैं।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि विषय राजस्थान का है लेकिन राजनीति से हटकर और आंकड़े बताने से हटकर भी हमारे पास बहुत कुछ है, जो हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, समाज को हम लोग बहुत कुछ दे सकते हैं। पांच लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करके एक विधायक यहां पर आता है। सिर्फ आंकड़े प्रस्तुत करके और अपनी बात रख कर, सरकार की बड़ाई करके व विपक्ष की बुराई करके हम न तो क्षेत्र का भला कर सकते हैं न प्रदेश का भला कर सकते हैं। राजनीति से हटकर बहुत कुछ चीजें हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह देश भी यही था, यह आसमान भी यही था, फसलें भी यहीं होती थीं, जनसंख्या कम-ज्यादा होती रही है, भौगोलिक स्थिति भी इस देश की ऐसी ही थी, लेकिन आज तक क्यों नहीं सोचा गया कि हमारी माता-बहनों की 60 साल तक पहुंचने तक आंखें खराब हो जाती हैं? उसके बारे में आज 60 वर्ष तक राज करने वाली पार्टी ने क्यों नहीं सोचा? 2014 से जब से नरेन्द्र मोदी जी आये हैं, आपने ही क्यों सोचा कि धुएं के कारण जिन महिलाओं की आंखें खराब हो जाती थीं, उन महिलाओं के मान-सम्मान के लिये उज्ज्वला गैस कनेक्शन मादरे हिन्द के लाड़ले नरेन्द्र मोदी ने दिया। आज तक क्यों नहीं सोचा कि फसल बुआई के समय एक किसान खाद और बीज के लिये साहूकार के यहां जाकर अंगूठा टेकता है और वह साहूकार उस अंगूठे का 12 महीने चक्रवर्ती ब्याज लेता है? उस किसान के मान-सम्मान को ध्यान में रखते हुए किसान सम्मान निधि को 6 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये करने वाला प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी किसान के लिये जीता है। आज तक क्यों नहीं सोचा हमारे बच्चों और इस देश के लिये? देश का मान-सम्मान बढ़ाना चाहते थे, लोकतंत्र तो हमारा 76 साल का हो चुका है, आज विदेशों में हमारे देश का मान-सम्मान है, उसको बढ़ाने वाले नरेन्द्र मोदी को मैं इस सदन के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं।

(श्री धर्मपाल)

हमारी सरकार जो दो महीने पुरानी है, आज ही आप उससे आंकड़े मांगोगे? आज जो आप बात बता रहे हो, वह अपनी पूर्ववर्ती सरकार की बता रहे हो। दो महीने में न तो कोई जादू की छड़ी है कि कोई प्रदेश को बदल सकता है, देश को बदल सकता है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा विजन लेकर यह सरकार बनी है, अपने घोषणा पत्र को सरकारी डाक्यूमेंट के रूप में जारी करना, यह बड़ी हिम्मत का काम है, यह कमजोरी का काम नहीं है। जो हमारे घोषणा पत्र में लिखा है, उसको सरकार ने अपना सरकारी डाक्यूमेंट बनाकर पेश किया है और उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे।

पूर्ववर्ती वक्ताओं के द्वारा कही बात को रिपीट करना, शब्दों के मायाजाल से विधान सभा को गुमराह करना, मैं समझता हूं उचित नहीं है। जो व्यक्ति इतना विजन लेकर चल सकता हो कि हर रसोई को अन्न की गारंटी है, हर सिर को छत की गारंटी है, हर नल को जल की गारंटी है, हर महिला को सुरक्षा की गारंटी है, हर अपराधी को सज़ा की गारंटी है, इतना बड़ा विजन लेकर जो सरकार आई है, निश्चित रूप से हम पांच साल में जो भी करेंगे, यह सदन देखेगा और यह जो पांच साल हम और पांच साल आपका परिवर्तन चलता है, यह इस बार व्यवस्था बदलेगी। निश्चित रूप से हम केन्द्र सरकार के दम पर और राजस्थान सरकार के दम पर यह बात कह सकते हैं।

मैं सदन द्वारा आबंटित समय से ज्यादा समय लेने के पक्ष में नहीं हूं और मैं अपनी बात को संक्षिप्त तरीके से निवेदन करना चाहता था। मैं सदन द्वारा आबंटित समय में अपने क्षेत्र की एक बात करना चाहता हूं। इस कांग्रेस सरकार का जीवंत और ज्वलंत उदाहरण है, जो सिर्फ 6 महीने की सरकार कहलाती है। जनता पांच साल के लिये सरकार चुन कर देती है, लेकिन हम 6 महीने की सरकार बनकर रह जाते हैं और वह इसलिए बनकर रह जाते हैं कि आखिरी 6 महीने में जो काम करेंगे उसको जनता याद रखेगी। हमने मान लिया है, यह बात ठान ली है कि जनता की याद्दाश्त कमजोर होती है, लेकिन भूल जाओ, निश्चित रूप से जनता की याद्दाश्त बहुत तेज है। पिछले 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ इस सरकार ने मेरे खेतड़ी औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन किया। उसमें जमीन एक्वायर हुई नहीं, एन्वायर्नमेंट क्लियरेंस मिली नहीं, 213 हैक्टेयर जमीन, जिसमें 147 हैक्टेयर एक्वायर की है, उसके बाद 50 हैक्टेयर को डवलप करने का इन्होंने विजन दिया है। मैं कहता हूं सिर्फ RIICO लिखने से न तो बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, न ही वहां पर उद्यम

(श्री धर्मपाल)

स्थापित होगा। चुनाव से 6 महीने पहले शिलान्यास करना और अपने भाषणों में बातें करना, साढ़े चार साल की सरकार गायब, 6 महीने की सरकार अस्तित्व में दिखती है।

सभापति महोदय, पर्यटन का भी यही हाल है। वहां पर सफारी का एक डेमो किया गया। मेरी अरावली पहाड़ियों का मैं जिक्र कर चुका हूं। वहां पर पर्यटन के नाम पर एक ढोंग किया गया और एक डेमो किया गया कि यहां पर रणथम्भौर की तरह से एक सफारी चलेगी। वह डेमो करके ऐतिहासिक महत्व के खेतडी, जो हमारी ऐतिहासिक विरासत है, वहां पर रामकृष्ण मिशन है, जहां पर पन्ना सागर तालाब है, जो राजा अजीत सिंह द्वारा बनाया हुआ है, वहां पर पर्यटन के नाम पर डेमो करके चुनाव से 6 महीने पहले हमारे उद्योग को क्षत-विक्षत करने का प्रयास किया है।

मैं कहना चाहता हूं, झंझुनूं हमारी वीरों की धरती है, जहां पर अनेक वीर माताएं और वीरांगनाएं निवास करती हैं। उनकी तरफ मैं आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे जो वीर शहीद हुए जो माइनस 35 डिग्री और प्लस 51 डिग्री में अपने परिवार को छोड़ कर हमारे देश की चिंता करते हैं, उन शहीदों के लिये, वीरांगनाओं के लिये और वीर माताओं के लिये सी एस डी कैंटीन और ई सी एच एस की सुविधा के लिये हमारे सैनिक भटक रहे हैं, उसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अपने आबंटित समय के बीच में ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप टोको, उससे पहले यह इंजीनियर धर्मपाल अपना कथन समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको राम-राम। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जोगेश्वर गर्ग (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ाया जाय।

श्री सभापति: क्या सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया गया।

श्री भीम राज भाटी।

अभिभाषण

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री भीम राज भाटी (पाली): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, मेरे इलाके में फर्जी राशनकार्ड की वजह से जगह-जगह एक ही राशनकार्ड से दो-दो, तीन-तीन जगह पर राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है, इसलिए जो राशन के असली हकदार हैं, उनको राशन नहीं मिल रहा है। दूसरा, राशन डीलरों द्वारा फिंगर प्रिंट और आईबॉल के कांट्रेक्ट की वजह से वह किसी भी आदमी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको राशन उपलब्ध नहीं कराते हैं। कभी फिंगर प्रिंट नहीं मिलता है, कभी आईबॉल नहीं मिलता, तो वह राशन उपलब्ध नहीं कराते हैं।

इसी तरह मेरे विधान सभा क्षेत्र में और राजस्थान के विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में रबी और खरीफ की फसल के लिये इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो अनुदान मिलना चाहिये था, उन इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से अभी कोई भी क्लेम नहीं मिल पाया है, उसके लिये मैं राजस्थान सरकार से हृदय से अनुरोध करता हूं। दूसरा, केन्द्र सरकार ने पहले जुमला दिया था कि 15 लाख उपलब्ध करा देंगे, हर खेत को पानी दे देंगे। न तो 15 लाख आये और न कोई दो करोड़ नौकरियां मिलीं।

सभापति महोदय, कृषि कनेक्शनों की स्वीकृति नहीं दी जा रही है। सन् 2017-18 के बाद से अभी तक कृषि कनेक्शन उपलब्ध नहीं करवाये जा रहे हैं। पाली विधान सभा क्षेत्र में दो-तीन साल में ट्रेन से पानी लाया जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं उस दुर्भाग्यपूर्ण जगह से आता हूं जहां ट्रेन से पानी सप्लाई किया जाता है। हर दो-तीन साल में ट्रेन से पानी सप्लाई करना पड़ता है। ट्रेन के एक फेरे पर 70 लाख, 90 लाख रुपये खर्च होते हैं। वह पानी की व्यवस्था भी अभी तक उपलब्ध नहीं हो पा रही है। पाली विधान सभा क्षेत्र और विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में जो पानी की टंकियां बना रखी हैं, उन पानी की टंकियों में भी अभी तक पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। वह टंकियां फेल हो गई हैं, आज दिन तक उन टंकियों में पानी नहीं आया है।

माननीय सभापति महोदय, सीवरेज लाइनों की वजह से गंदगी पूरे मोहल्ले में फैल जाती है और उस गंदगी की वजह से पूरे मोहल्ले में दुर्गंध

(श्री भीम राज भाटी)

होती है, बच्चे बीमार होते हैं, बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। दूसरा, मेरे यहां पर एक सी ई टी पी है, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, उसमें करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार है। उस करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार में जो मालिक है, जो अध्यक्ष है। वह खुद 60-65 करोड़ रुपये का सिटी यूनियन बैंक और स्टेट बैंक आफ इण्डिया का कर्जदार है। उस अध्यक्ष महोदय को आज दिन तक किसी ने टच नहीं किया, किसी ने उसको बर्खास्त करने की कोशिश नहीं की। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत विधान सभा में यह निवेदन करता हूं कि ऐसे अध्यक्ष को सरकार तुरन्त हटाकर उस सी ई टी पी प्लांट में भ्रष्टाचार मिटाकर आगे कार्यवाही करे।

(समय: 18.00 बजे)

राज्य में बिना लाइसेंस के दवाइयां वितरित की जा रही हैं, उससे ग्रामीणों और शहरवासियों की सेहत पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। प्रदूषण की वजह से हजारों एकड़ जमीन मेरे पाली विधान सभा क्षेत्र में बर्बाद हो गयी है। उस हजारों एकड़ जमीन में किसानों की कोई भी फसल उपजाऊ नहीं होती, कोई भी फसल पैदा नहीं कर सकते। इस बाबत हाई कोर्ट ने उन किसानों को मुआवजा देने के आदेश कर रखे हैं, उस मुआवजे के बारे में अभी तक कोई प्रावधान नहीं किया गया है। माननीय सभापति महोदय, जो कृषि भूमि बर्बाद हुई है, उस कृषि भूमि का मुआवजा देने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट ने आदेश कर रखे हैं, लेकिन उसके बारे में भी अभी तक कुछ नहीं किया है। राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद, भारत सरकार द्वारा या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए व्यवस्था करें।

माननीय सभापति महोदय, नेहड़ा बांध को मैंने फैडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ जर्मनी से 9 करोड़ रुपये मंजूर करवाकर सिंचाई के लिए बांध बनवाया था। प्रदूषित पानी को उस बांध में छोड़कर उसको पूरा बर्बाद कर दिया है। इसके लिए राज्य सरकार अभी तक कुछ भी व्यवस्था नहीं कर पायी है। जो नेहड़ा बांध है, 9 करोड़ रुपये से बना हुआ है, उस 9 करोड़ रुपये के बांध को प्रदूषण से सुरक्षित करने के लिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

माननीय सभापति महोदय, तुष्टिकरण का हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है। हम टोपियां पहनकर या चादर ओढ़ाकर, जब दरगाहों में चादर चढ़ाते हैं या सिर पर टोपी रखते हैं। तुष्टिकरण का काम तो अब आप लोग भी कर

(श्री भीम राज भाटी)

रहे हैं। भाजपा सरकार भी कर रही है, भाजपा के मंत्री भी कर रहे हैं, भाजपा के मुख्य मंत्री भी कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, नदियां जोड़ने के लिए पिछली बार 2014 में प्रधान मंत्री जी ने एक वादा किया था कि 2014 में मोदी जी सारी नदियों को जोड़ देंगे। पूरे हिन्दुस्तान की नदियों को जोड़कर हर खेत को पानी उपलब्ध करा दिया जायेगा, लेकिन उस वादे पर भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। माननीय सभापति महोदय, यह छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्ड है, एक जंगल है। उस जंगल को उजाड़ा जा रहा है, जीव-जन्तु मारे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जमीन अडानी जी को दे रखी है और अडानी जी के द्वारा उस हसदेव अरण्ड में पेड़-पौधे उखाड़े जा रहे हैं और आदिवासियों को बर्बाद किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, बजरी माफियाओं का आतंक भी पूरी तरह राजस्थान में छाया हुआ है। इसी तरह सरकारी अस्पताल भी रैफरल अस्पताल में कन्वर्ट हो चुके हैं। सरकारी अस्पताल में कोई भी जाता है तो उसको बड़े अस्पताल में रैफर कर दिया जाता है, कोई भी स्थानीय अस्पताल मरीजों की सेवा नहीं करता है। माननीय सभापति महोदय, मनरेगा में सारे कार्य ठप पड़े हैं और बेरोजगार दर-दर भटक रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके इन लोगों को, जो भी मनरेगा में अभी तक उपलब्ध नहीं हो रहा है, उपलब्ध करायें। जगह-जगह पर सरकारी अस्पतालों में जो तकलीफ हो रही है, उसकी व्यवस्था सुधारकर मेहरबानी करके अनुग्रहित करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कालूराम जी।

श्री कालूराम (डग): माननीय सभापति महोदय, आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिस प्रकार से मैं सुबह से सुन रहा हूं, पिछली सरकार-पिछली सरकार। अभी हमारी सरकार बने हुए एक महीना हुआ है। आपकी सरकार के क्या कारनामे रहे? आपकी पिछली सरकार बनी, पांच साल हो गये, पांच साल में आपने जो वादे किये थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। जब सुबह जल जीवन मिशन का प्रश्न था तो जल जीवन मिशन के बारे में आप सब वैल में आकर खड़े हो गये। मैं जल जीवन मिशन के बारे में बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी योजना, सम्माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी

(श्री कालूराम)

जी का उद्देश्य था कि हर गरीब को नल से पानी मिले, हर घर तक पानी मिले। बाकी क्या स्थिति रही? सबसे ज्यादा घोटाला किसी में हुआ तो जल जीवन मिशन में हुआ। आज ग्रामीण क्षेत्र की यह स्थिति है कि किसी भी व्यक्ति को सही तरीके से पानी नहीं मिल रहा है और सरकार ने पिछले साल 2021-22 में टारगेट पूरे करने के लिए जो पुरानी पाइप लाइन डली हुई थी, उसी से कनेक्शन जोड़ दिया। जो कनेक्शन जोड़ दिये, उन कनेक्शनों में नल नहीं लगाये, सिर्फ टोंटी लगाकर आपने कनेक्शन जोड़ दिया। उन घरों में पानी नहीं जा रहा है, जबकि पहले टंकी बननी चाहिए, वह टंकी अभी तक नहीं बनी। सिर्फ और सिर्फ आपने लक्ष्य बढ़ाने के माध्यम से, जल जीवन के माध्यम से उनको कनेक्शन दे दिये, सिर्फ राज्य सरकार की उपलब्धि के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब हमारी सरकार आ गयी है, अब हम इसको सुधारेंगे, बाकी सबसे ज्यादा अगर खराब स्थिति है तो जल जीवन मिशन की है।

इसके अलावा हम बिजली पर आयें। बिजली में आपने घोषणा की थी कि हम 2022 तक सभी किसानों को विद्युत कनेक्शन जारी कर देंगे, बाकी किसान के ट्रांसफार्मर अभी तक जो डिमांड नोटिस जमा हो गये, उन डिमांड नोटिसों को साल-साल, दो-दो साल हो गये हैं, डेढ़-डेढ़ साल से किसान घूम रहा है, अब जाकर उनको कुछ ट्रांसफार्मर उपलब्ध हो रहे हैं। बाकी अभी तक आपकी सरकार में उनके न तो पोल गड़े, न उनके तार खिंचे, न उनको ट्रांसफार्मर मिला। किसान परेशान हो चुका। इस तरीके से किसान को बड़ी दिक्कत आयी है।

सड़क के माध्यम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सड़कें हैं पूरी सड़कें टूट चुकी हैं। कई पुलियाएं टूट गयीं। अतिवृष्टि के कारण पुलियाओं में जो नुकसान हुआ था उनके लिए आपकी सरकार ने कहा था कि हम इनको बजट देकर तुरन्त सही करायेंगे, बाकी कोई भी सड़क अभी तक सही नहीं हुई।

राशन कार्ड के बारे में माननीय सदस्य बता रहे थे। आपने राशन कार्ड की पांच साल से साइटें बन्द कर रखी हैं। पांच साल तक साइटें बन्द रखीं, जिसके कारण किसी गरीब परिवार का राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ रहा है। जो गरीब वंचित परिवार है, जो गरीब परिवार राशन कार्ड से वंचित है, अब हमारी सरकार राशन कार्ड के माध्यम से उन गरीब वंचित परिवारों को राशन देने का काम करेगी। सम्माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कोरोना काल

(श्री कालूराम)

से 80 करोड़ लोगों को नि:शुल्क अनाज देने का काम किया है, आप लोग यह भूल गये। जितने गरीब परिवार हैं, उनको नि:शुल्क, अभी तक 80 करोड़ लोगों को नि:शुल्क अनाज मिल रहा है। आपकी सरकार ने इन गरीबों का नाम हटाने का काम किया है, गरीबों की साइटें बन्द करने का काम किया है।

इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास ले लें। पांच साल में प्रधानमंत्री आवास के जो पोर्टल खुलने चाहिए, वे पोर्टल नहीं खुले और प्रधानमंत्री आवास योजना में कई लोगों के आवास नहीं बने। लगातार दो साल से प्रधानमंत्री आवास की किश्तें नहीं डल रही हैं। 2018 से लेकर 2023 तक प्रधानमंत्री आवास के सारे काम अभी तक बन्द पड़े हैं। अभी हमारी सरकार इस पर विचार कर रही है।

एक सबसे बड़ी योजना थी, आयुष्मान योजना। जब दूसरे राज्यों में आयुष्मान कार्ड चार साल पहले लागू हो गया, राजस्थान में क्यों नहीं हुआ? राजस्थान में आयुष्मान कार्ड, हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से 16 दिसम्बर से 26 जनवरी तक जो शिविर लगाये जा रहे हैं, इन शिविरों के माध्यम से सभी गरीब परिवारों को आयुष्मान कार्ड वितरित किये जा रहे हैं। यह एक इतनी अच्छी योजना है कि इसके माध्यम से हर गरीब परिवार को आयुष्मान कार्ड का वितरण होगा तो उस आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गरीब व्यक्ति राजस्थान को छोड़कर अन्य राज्यों में भी अपना इलाज करा सकेगा।

(समय: 18.09 बजे)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

जिस प्रकार से आपने बिजली का पिछली बार जो घाटा बताया था, उससे कई गुना ज्यादा हमारे वसुन्धरा राजे जी की सरकार ने माफ किये। अब जो इस सरकार में घाटा है बिजली का, बहुत बड़ा घाटा अभी चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आप शिक्षा के बारे में देख लें। सारे स्कूलों के अध्यापकों का आपने ट्रांसफर करके अपने चहेते टीचर्स को तो लगा दिया और डार्कजोन जो एरिया था, जैसे मेरा जिला झालावाड़ में सबसे दूर का एरिया था, एक-एक स्कूल में दो-तीन टीचर, जहां 25 टीचर होने चाहिए, वहां आज की तारीख में मात्र 2-2 या 3-3 टीचर हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां खाली पद हैं, वहां अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। गरीब परिवारों को जो इस सरकार से असुविधा हुई थी, उसका फायदा मिलना चाहिए।

(श्री कालूराम)

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। किसान की फसल खराब हो जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है। कभी सर्दी गिरती है, कभी अतिवृष्टि होती है। अतिवृष्टि का जो 2023 में मुआवजा पास हुआ था, वह कई किसानों को अभी तक नहीं मिला है। कई किसानों को मुआवजा बाकी रह गया और कई किसानों को अभी तक बीमा नहीं मिला। कई किसान अभी तक अपने बीमा से वंचित रह गये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुआवजे के बारे में विचार करना चाहिए। इस मुआवजे में प्रधान मंत्री जी की तरफ से प्रधानमंत्री फसल बीमा जो होता है, वह बड़ी- बड़ी कंपनियां आकर पैसा ले जाती हैं। किसान तक पैसा नहीं पहुंचता है। इसलिए जिन किसानों के पिछली सरकार के मुआवजे बाकी हैं, उन किसानों को मुआवजा और बीमा राशि का फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि किसान बहुत मेहनत से अपनी खेती करता है।

अभी वर्तमान में जो शीतलहर चली है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में धनिये की फसल बिलकुल नष्ट हो चुकी है और पिछले साल का मुआवजा बाकी है। कई गरीब परिवारों के पिछली बार मकान गिर गये थे, उन मकानों का मुआवजा नहीं मिला। किसानों के सोयाबीन का मुआवजा, करीब 50 परसेंट लोगों का अभी मुआवजा बाकी है। कई लोग ऐसे हैं जो मुआवजे से वंचित रह गये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार में सिर्फ इन्होंने वाहवाही लूटने का काम किया। आम आदमी को महत्वाकांक्षी योजनाओं का फायदा नहीं मिला और आम आदमी इस फायदे से वंचित रह गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस योजना पर ध्यान दें।

एक बहुत बड़ी योजना आपने चलाई थी कि हम प्रत्येक पंचायत समिति में नंदी गोशाला खोलेंगे। बाकी वह नंदी गोशालाएं आपकी सिर्फ 5 साल में कागजों में रह गयीं। किसी पंचायत समिति में आप देख लीजिए, कहीं भी नंदी गोशाला नहीं है। आज हमारी गोमाता भटक रही है। गोमाता जगह-जगह घूम रही हैं। इस गौमाता के लिए नया कानून बनाकर गायों के लिए गोशाला बनाने का काम हमारी सरकार निश्चित ही करेगी।

पिछली सरकार ने जो वादे किये थे, वे वादे धरातल पर नहीं आये। वे वादे सिर्फ वादे ही रह गये। पैरा नंबर 54 में लिखा है कि हर सिर पर छत हो,

(श्री कालूराम)
इस उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा सभी को आवास (हाउसिंग फोर आल) सुनिश्चित करने हेतु देश भर में प्रधानमंत्री आवास संचालित किये जा रहे हैं। दुर्भाग्य है कि गत सरकार द्वारा प्रदेश के लाखों पात्रधारी आवेदकों को पोर्टल सिस्टम पर समय पर अपलोड नहीं करने के कारण 9 लाख से अधिक लाभार्थी इस योजना से वंचित रह गये हैं। हमारी सरकार इस योजना को लागू करेगी और निश्चित ही हमारी सरकार ने जो वादे किये हैं, आपने देखा है कि दो महीने में कितने काम शुरू हो गए हैं। पूर्व में हमारी कांग्रेस सरकार से जो पिछली सरकार थी वसुन्धरा राजे जी की, उस सरकार में जो काम स्वीकृत पड़े थे 2018-19 के, वे काम आज दिन तक अधूरे पड़े हैं। मेरे क्षेत्र में एक रोड का काम चल रहा है, जो 2017-18 में स्वीकृत हुआ और 5 साल से पूरा नहीं हो सका। ऐसे कई काम हैं, कई पुलियाएं हैं, जो हमारी पिछली सरकार में स्वीकृत हुई थीं, वे काम हमें अब पूर्ण करने पड़ेंगे। इसी प्रकार से जो काम अधूरे पड़े हैं, उसको हम पूरा करेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, स्टेट हाईवे, जो वसुन्धरा राजे सरकार में टोल फ्री था, वह सरकार बनते ही इन्होंने टोल वसूलने का काम कर दिया। एक ओर तो सड़कें सारी जगह टूट गयी हैं, जहां सड़कें खराब हो गयीं, उस जगह भी इन्होंने टोल वसूलने का काम किया। महंगे टोल हो गये हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि टोल के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। 15-15 किलोमीटर पर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 103 किलोमीटर पर 5 टोल लग रहे हैं। एक बार इनकी समीक्षा करवाएं। इस सरकार ने तो टोल माफ नहीं किये। करीब 60 किलोमीटर पर एक टोल होना चाहिए। इसी आशा के अनुरूप आपने बहुत अच्छा समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री पितराम सिंह काला।

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे यहां बोलने का सुअवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी के साथ सदन के अन्दर बैठे सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा और मेरी पिलानी की जनता को जिसने मुझे निर्वाचित कर यहां प्रथम बार पहुंचने का अवसर दिया, उसको धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही भारत के संविधान को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिसकी बदौलत मैं यहां चुनकर पहुंचा हूं। उन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

(श्री पितराम सिंह काला)

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे जो बोलने का अवसर दिया, उसके लिए सभी को पुन: धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके पैरा संख्या 8 में यह लिखा है कि हमारी संकल्प यात्रा है, उस संकल्प यात्रा में जो चुनावी यात्राएं की गईं, जो सभाएं की गईं, उन सभाओं के अन्दर ये वादा किया गया कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, उनका संरक्षण करेंगे, उनकी पैरवी करेंगे, लेकिन ज्योंही सरकार आई, सरकार ने कार्य ग्रहण किया, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने एक आदेश निकलवाया 25 तारीख को और 5 हजार युवाओं को बेरोजगार कर दिया। उनके ऊपर कुठाराघात किया। इनकी कथनी व करनी में रात-दिन का अंतर है। कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आज वे 5 हजार व्यक्ति एक महीने से सड़क के ऊपर पड़े हैं। न उनके पानी की व्यवस्था है, न उनके शौचालय की व्यवस्था है, न उनके कपड़ों की व्यवस्था है। आप क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, आगे की बात है पर पहली बात तो उनको बहाल करना चाहिए। राजस्थान के जो अख़बार हैं, उनके अन्दर विज्ञापन जारी हुआ था। उस विज्ञापन के माध्यम से यह कहा गया था कि जो योग्य व्यक्ति हैं, उनको लिया गया है। वे न तो कांग्रेस के आदमी थे, न बी जे पी के आदमी थे, योग्यता के आधार पर उनको लिया गया। उनका इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू होने के बाद में ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग होने के बाद में उनको नियुक्ति दी गयी। वे राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं थीं, उनको पहुंचा रहे थे, लेकिन उनके साथ गलत किया, कुठाराघात किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनको वापस बहाल किया जाए चाहे उनका नाम आप किसी भी नाम पर रख सकते हैं, लेकिन उनका जो अधिकार है, उसको कायम किया जाए।

माननीय महोदय, इसमें बिंदु संख्या 25 के अन्दर एक बहुत बढ़िया बात की है किसानों के हक की कि हम गेहूं की जो खरीद है, वह 2,700 रुपये प्रति क्विंटल करेंगे, लेकिन अभी तक वह खरीद हुई नहीं है। उस खरीद के लिए आप व्यवस्था करवाएं। इसी के साथ राजस्थान का जो किसान है, वह कृषि में सरसों की बुवाई बहुत ज्यादा करता है। पिछली बार जो सरसों थी वह 8 हजार रुपये क्विंटल बिकी थी। आज 4 हजार रुपये क्विंटल कोई खरीदने वाला नहीं है। उसकी परचेजिंग की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। एक वर्ष के अन्दर किसान जो उर्वरक काम में लेता है, उसकी रेट बढ़ गयी, जबकि सरसों की जो खरीद है, उसकी रेट आधी रह गयी। इस प्रकार से किसानों के साथ

(श्री पितराम सिंह काला)

बहुत बड़ा कुठाराघात है। सदन के माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि इसकी भी कोई व्यवस्था की जाए।

अभी इसके बिंदु संख्या 35 के अन्दर अपराध मुक्त राजस्थान की बात कही गई है। जिस पिलानी विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूं, वहां पर तीन वारदात हुईं। अपराधियों ने दीवारों के ऊपर परचे चिपकाए, दुकान पर परचे चिपकाए और यह कहा कि आपको जो करना हो, वह करें, हम आपके ऊपर गोलीकांड करेंगे, फायर करेंगे। वह आदमी एस.आई. के पास गया, डीवाई.एस.पी. के पास गया। इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई और वहां 6-7 राउंड गोली चली। उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। वे आज तक खुले में घूम रहे हैं। इसके बाद पुन: चेतावनी दी गई। दीवारों पर पर्चे लगाए गए और दुबारा गोलीकाण्ड हुआ।

इसी प्रकार मेरे पिलानी में एक महिला को चैलेंज दिया गया कि आपके पति को सरेआम मारेंगे। वह सी.आई. के पास रोती रही, डी.वाई.एस.पी. के पास रोती रही और महीनों तक एस.पी. के पास रोती रही, उसकी कोई बात नहीं सुनी गई और रात को 12 बजे धमकी देने वाले ने उसके पति की हत्या कर दी। इस प्रकार का जंगलराज। जो अपराध मुक्त की बात करते हैं उनके समय में एक महीने में एक शहर में तीन-तीन गोलीकाण्ड होते हैं और सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती, इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात होगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार जो गतिविधि की जाती है उनको कोई संरक्षण देता है या किसी गैंग से जुड़े हैं तो उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए और जनता में भयमुक्त वातावरण बनाया जाए, जब जनता को राहत मिलेगी।

बिन्दु संख्या-43 में यह कहा गया कि महिलाओं और बच्चियों का मान सम्मान बनाए रखने की हम मांग करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि दिल्ली में खिलाड़ी जीत कर आई थी, देश के लिए मेडल जीत कर लाई थी, देश का नाम रोशन किया था तो माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने यह कहा था कि ये देश का नाम रोशन करके आई हैं, उन्होंने खाना दिया था। उन्हीं के साथ अनहोनी हुई, दुराचार हुआ। वहां के शासन ने जब कार्य किया, पुलिस ने उनको प्रताड़ित किया और लात-घूसों से उनको पीटा गया तो यह कहा गया कि ये तो कोई जाति विशेष की लड़कियां हैं। जब वह मेडल जीतकर लाई तब तो देश की लड़कियां हो गईं और जब उनके साथ अत्याचार, दुराचार हुआ तो वह जाति विशेष की लड़कियां हो गईं,

(श्री पितराम सिंह काला)

तो इस प्रकार आपकी कथनी और करनी में अंतर है, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

जब कांग्रेस की सरकार थी तो महिलाओं व बच्चियों को सम्मान देने के लिए उड़ान योजना चलाई थी, जिसके अन्दर महिलाओं व लड़कियों को मासिक धर्म में पैड उपलबध कराये गये, वह योजना बंद कर दी। महिलाओं का मान-सम्मान था, उसको आपने खतम कर दिया।

बिन्दु संख्या-49 में जल संरक्षण की बात कही गई है, उसके प्रबंधन की बात कही है। मैं मेरे पिलानी विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। पिलानी विधान सभा क्षेत्र में काजी एक ग्राम पंचायत है जहां की जनता को आपकी सरकार बनने के बाद पानी की एक बूंद नहीं गई। वहां के लोग एक हजार रुपये में एक पानी का टैंकर डलवाते हैं। जब जे.ईएन., ए.ईएन., एक्स.ईएन. से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश आ गए, सरकार ने नई परचेज पर रोक लगा दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है उस रोक को आप हटाइये। पानी की रोक हटाओ, बिजली की रोक हटाओ, जो अनिवार्य सेवाएं हैं वे तो रहे। एक मजदूर आदमी, जिसके खाने के लिए अनाज नहीं है वह हजार-हजार रुपये के पानी का प्रबंध कैसे करेगा? पिलानी में कुएं ड्राई निकल रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां जल संरक्षण किया जाए। कुम्भाराम लिफ्ट योजना है उसको वहां स्वीकृत किया जाए, उसकी डी.पी.आर. बनाई जाए, पानी पहुंचाया जाए।

एक डाक्टर का धर्म होता है कि सबसे ज्यादा सीरियस आदमी होता है उसकी पहले सुननी चाहिए। पिलानी में सर्दियों में यह हालत है कि वहां जनता धरने पर बैठी है। जगह-जगह धरने लगा रखे हैं पर पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। पिलानी से जयपुर कूच करने की जनता अख़बारों के माध्यम से घोषणा करती है कि हमें पानी उपलब्ध नहीं हुआ तो हम पिलानी से जयपुर कूच करेंगे, मुख्य मंत्री आवास को घेरेंगे। मैं सदन के माध्यम से आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी पिलानी विधान सभा क्षेत्र में पानी की व्यवस्था की जाए। सर्दियों में पानी के लिए त्राहि-त्राहि है तो गर्मियों में क्या हालात होंगे, आप खुद इस बात को समझ सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने क्या किया और विद्यालयों की बात की,

(श्री पितराम सिंह काला)

महाविद्यालयों की बात की, इंग्लिश मीड़ियम की बात की। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर हम सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोलेंगे और प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोली गई। देश की आजादी के बाद 2018 तक 478 कालेज थे। केवल पांच साल में 130 कालेज खोले और आज वे सारे कालेज संचालित हैं। इस प्रकार का ऐतिहासिक कार्य कांग्रेस सरकार ने किया है और वह धन्यवाद की पात्र है। आप केवल आलोचना न करें, आप उससे बढ़िया काम करके दिखाएं, तब मालूम चलेगा कि क्या है, क्या नहीं है।

महात्मा गांधी स्कूल। महात्मा गांधी स्कूल संचालित किए थे, वे पहले डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर संचालित किए थे, उनका परीक्षण किया गया और वह स्कूल बढ़िया चली। इंटरव्यू के माध्यम से प्रिंसिपल लिया गया। टीचर पदस्थापित किये वे इंटरव्यू लेकर किये गये, उनका रिजल्ट बढ़िया निकला। एक-एक सेक्शन में तीस सीटें खाली थी, तीस सीटों की कैपेसिटी थी, उसके लिए 100-100 आवेदन आये। लाटरी के माध्यम से लिए गए। वहां टीचर्स के बच्चे पढ़ते हैं, अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं। बढ़िया स्कीम थी, जिसको आपने समीक्षा के नाम पर बन्द कर दिया। उसके बाद ब्लाक लेवल पर इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली गईं, उनमें भी इंटरव्यू से पदों को भरा गया। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में, प्रत्येक विधान सभा में 10-10 स्कूलें खोली गई थीं। माननीय अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूं जब आप शिक्षा मंत्री थे तो मैं चूरू जिला शिक्षा अधिकारी था और आपने मुझे जयपुर में बेस्ट डी.ई.ओ. के रूप में भी सम्मानित किया था। मैंने संयुक्त निदेशक से वी.आर.एस. लेकर चुनाव लड़ा और जीतकर आया हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां इंग्लिश मीडियम में लड़के पढ़ते हैं, आज वे लड़के किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते तो 40-40 हजार रुपये उनको फीस देनी पड़ती। आज वे गवर्नमेंट स्कूलों में नि:शुल्क पढ़ रहे हैं। यह इस राजस्थान का बड़ा सौभाग्य है, लेकिन उस योजना को आप लोगों ने समीक्षा के नाम पर बन्द कर दिया, जो बहुत गलत है। मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उस योजना को चालू रखा जाए।

बिन्दु संख्या-52 पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं किया। कोरोना काल में भीलवाड़ा

(श्री पितराम सिंह काला)

मॉडल था वह पूरे भारत, पूरे विश्व में सराहा गया कि किस प्रकार से कोरोना काल में कांग्रेस सरकार ने माननीय मुख्य मंत्री गहलोत जी के निर्देशन में बढ़िया काम किया। यह केन्द्र की तरह नहीं था कि ताली बजा दो, थाली बजा दो और अपने घर बैठ जाओ। आज उस मॉडल की चर्चा की गई, उसके तहत इन्सानों का ट्रीटमेंट किया गया और सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गईं।

पशुओं में लम्पी की बीमारी आई। लम्पी की बीमारी में प्रत्येक पशु के मालिक को 40 हजार रुपये का मुआवजा दिया गया, वह रिकार्ड में मेरे साथी हाकम जी ने आपको अभी बता दिया कि कितना दिया गया और क्यों दिया गया, मैं उसमें आपका समय जाया नहीं करना चाहता। इस प्रकार का जो प्रबंध किया गया, वह वास्तव में बहुत बढ़िया था।

अब राइट-टू-हेल्थ की बात है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को केवल राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत में सराहा गया। जर्मनी की टीम भी इसका अध्ययन करने के लिए आई कि किस प्रकार की योजना है। राज्य में सभी व्यक्तियों को नि:शुल्क और 25 लाख रुपये तक का बीमा दिया गया।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): कितना दिया गया, यह अभी मेरे साथी ने बता दिया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बख्तावरपुरा ग्राम पंचायत है, वहां से महिला मेरे पास रोती हुई आई, उसका पति आया, उसका पुत्र आया और यह कहा कि आप अपने लैटर हैड पर रिकमंडेशन लिखकर दो। मैंने कहा किस बात की तो उसने कहा इलाज कराने के लिए बीकानेर गई थी। कहा कि वह स्कीम बन्द कर दी। यदि वह स्कीम चालू रहती तो 25 लाख रुपये तक का इलाज होता। उसका इलाज नहीं हो सका और वह मरणासन्न स्थिति में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि उस योजना को पुन: चालू किया जाए। आप 5 लाख रुपये का नाम लेकर वाहवाही करो, वह 25 लाख थी। हमारी सरकार ने घोषणा की थी कि हम इसको 50 लाख रुपये तक बढ़ाएंगे। कम से कम उसको यथावत तो रखें।

बिन्दु संख्या-69 में खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन का जिक्र किया गया है। मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि खेल के अन्दर पूर्ववर्ती सरकार ने केवल प्रोत्साहन ही नहीं किया, ग्रामीण ओलम्पिक खेल आयोजित किये गये। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ग्रामों में, शहरों में खेलों का वातावरण बनाया गया। खेलों के अन्दर

(श्री पितराम सिंह काला)

कोटा तय किया गया और उस कोटे के तहत खिलाड़ियों को नियुक्ति दी गई है जिसके अन्दर दो तो डी.एस.पी. स्तर के अधिकारी हैं।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें।

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): गजेटेड आफिसर हैं। कई व्यक्तियों को नियुक्ति दी गई। यह केवल दिखावा मात्र नहीं है, घोषणा मात्र नहीं है, इसको हमारी सरकार ने धरातल पर उतारा है। आज के दैनिक नवज्योति में यह लिखा गया है कि ओ.पी.एस. स्कीम को बन्द कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करिये, दस सैकण्ड में।

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): अध्यक्ष महोदय, केवल एक मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट नहीं, 25 सैकण्ड हैं। सदन की कार्यवाही 6.30 बजे तक है। (व्यवधान) 15 सैकण्ड हैं।

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी): भारत के संविधान.....

श्री अध्यक्ष: लास्ट 8 सैकण्ड हैं।

श्री पितराम सिंह काला (पिलानी):...के अनुच्छेद 51 के तहत क्लाज है उसमें लिखा है...

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 29 जनवरी 2024 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.30 बजे सोमवार, दिनांक 29 जनवरी 2024 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान में सेक्टर रोड्स का निर्माण

30. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या नगरीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के चहुंमुखी विकास हेतु जविप्रा द्वारा अलग-अलग सेक्टर प्लान व जोनल प्लान बनाकर विकास कार्य करवाये जा रहे हैं? यदि हां, तो जोनल डवलपमेंट प्लान-9 में कितनी सेक्टर रोड प्रस्तावित हैं? उक्त प्रस्तावित सेक्टर रोडस में से कितनी सड़कों का निर्माण कार्य करवाया गया तथा कितनों का निर्माण शेष है?

(2) क्या सरकार उक्त प्रस्तावित सेक्टर रोड्स को बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि जविप्रा के मास्टर प्लान-2025 के सेक्टर 60-61 (जोनल डवलपमेंट प्लान-9) में प्रस्तावित एक भी सेक्टर रोड का निर्माण अब तक नहीं करवाया गया है? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 17 जोनल डवलपमेंट प्लान अनुमोदित किये गये हैं। जोनल डवलपमेंट प्लान-9 में 18 मीटर से 90 मीटर तक की कुल 258 सडकें प्रस्तावित की गई है, जिनमें से 24 सड़क पूर्ण तथा 14 सड़कें अर्द्धनिर्मित हैं एवं 220 सड़कों का निर्माण किया जाना शेष है।

(2) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर सेक्टर रोड्स का चयन कर निर्माण कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के मास्टर प्लान-2025 के अन्तर्गत जोनल डवलपमेंट प्लान-9 के सेक्टर 60-61 में प्रस्तावित 137 सड़कों में से 09 सड़कें पूर्ण निर्मित एवं 09 अर्द्धनिर्मित हैं। जोनल प्लान में निर्धारित/प्रस्तावित सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर वर्गीकरण किया जाकर सेक्टर रोड बनाया जाना प्रस्तावित है।

विद्युत चोरी रोकने हेतु जांच दल

31. **श्री रामनिवास गावड़िया** (परबतसर): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा आपणो अग्रणी संकल्प पत्र में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की घोषणा की गई थी? क्या ग्रामीण अंचल में वर्तमान समय में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है? यदि नहीं, तो उक्त आपूर्ति कब तक प्रारम्भ कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में विद्युत चोरी रोकने हेतु ग्रामीण क्षेत्र एवं घरेलू उपभोक्ताओं के विरुद्ध सतर्कता जांच एवं वी सी आर भरने का विभाग को अधिकार है? यदि हां, तो वी सी आर भरने का मापदण्ड क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र परबतसर में बाहरी विजिलेंस टीमों द्वारा चोरी रोकने की बजाय गैर कानूनी ढंग से किसानों एवं घरेलू उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पर रोक लगाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान डिस्कॉम्स ग्रामीण क्षेत्र में भी 24 घंटे विद्युत सप्लाई देने हेतु प्रतिबद्ध एवं प्रयासरत हैं। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में 22-24 घंटे विद्युत सप्लाई की जा रही है, परन्तु कभी-कभी तकनीकी कारणों जैसे अचानक किसी उत्पादन स्रोत की उपलब्धता न होने, एक्सचेंज में विद्युत उपलब्धता न होना, मांग में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी होने या मौसम में बदलाव के फलस्वरूप सौर या पवन ऊर्जा उत्पादन में कमी, एल टी लाइन, 11 के वी एवं 33 के वी फीडर के फाल्ट होने इत्यादि की वजह से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। विद्युत तंत्र की सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक होने पर 220 के वी जी एस एस से रोटेशन के आधार पर लोड शैडिंग करवाई जाती है जिसे कुछ समय में बहाल कर दी जाती है।

(2) प्रदेश में विद्युत निगम के विभिन्न अधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार में सतर्कता जांच किये जाने हेतु अधिकृत हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

सतर्कता जांच के दौरान किसी भी परिसर में मीटर से छेड़छाड़ करने व विद्युत चोरी पायी जाने पर, साक्ष्य एकत्रित कर, विद्युत अधिनियम 2003

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

की धारा 135 विद्युत चोरी एवं धारा 138 अनुज्ञप्तिधारी के मीटरों या संकर्मों से छेड़छाड़ के तहत वी सी आर भरी जाती है, जिसमें मौके पर पकड़ी गयी विद्युत चोरी के तरीकों (Mode of theft) का स्पष्ट उल्लेख करते हुए विद्युत चोरी में पाये गये सम्बद्ध भार की गणना कर, उसका उपकरणवार विवरण वी सी आर में इन्द्राज किया जाता है। मौके पर जब्तशुदा सामान या उपकरण की फर्द जब्ती तैयार कर दोषी व्यक्ति का विद्युत सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाता है।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र परबतसर में बाहरी विजिलेंस टीमों द्वारा विद्युत चोरी रोकने की बजाय गैर कानूनी ढंग से किसानों एवं अन्य उपभोक्ताओं को परेशान किया जाने का सामान्यतया कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।

विधान सभा क्षेत्र परबतसर में विद्युत चोरी पाये जाने पर संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई है। यद्यपि किसानों या अन्य उपभोक्ताओं के विद्युत चोरी या वैधानिक दायित्व की राशि से सहमत नहीं होने की स्थिति में सम्बन्धित किसान या अन्य श्रेणी के उपभोक्ता आदेश दिनांक 01 फरवरी, 2021 के अनुसार सक्षम समिति के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है। आदेश की प्रति परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

सूरतगढ़ में संचालित राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पद

33. श्री डूंगरराम गेदर (सूरतगढ़): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में राजकीय महाविद्यालय कब से संचालित हैं तथा उक्त में किस-किस संकाय में कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालयों में किस-किस श्रेणी के कितने पद स्वीकृत व रिक्त हैं? उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के राजियासर, पालीवाला, जैतसर में राजकीय महाविद्यालय तथा सूरतगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में राजकीय क्षेत्र में स्व. श्री गुरुशरण छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय, सूरतगढ़ वर्ष 1977 से तथा राजकीय महाविद्यालय, बीरमाना वर्ष 2023 से संचालित है। उक्त महाविद्यालयों में संकायवार अध्ययनरत विद्यार्थियों का विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(2) उक्त महाविद्यालयों में शैक्षणिक वर्ग के स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-02 तथा अशैक्षणिक वर्ग के स्वीकृत व रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-03 पर संलग्न है।

उक्त महाविदयालयों में रिक्त पदों को नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर यथासमय भरा जा सकेगा।

(3) विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के राजियासर, पालीवाला, जैतसर में राजकीय महाविद्यालय तथा सूरतगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

फलौदी में खराब ट्यूबवैलों की मरम्मत

34. श्री पब्बाराम विश्नोई (फलौदी): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में कितने ट्यूबवैल खराब व बंद हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में 609 नलकूप स्थापित हैं, जिनमें से 519 नलकूप क्रियाशील हैं तथा 90 नलकूप भूजल स्तर से नीचे चले जाने के फलस्वरूप सूख जाने अथवा परित्यक्त हो जाने के कारण बंद हैं।

क्रियाशील नलकूपों में से वर्तमान में 02 नलकूप ख़राब हैं, जिनमें से 01 नलकूप विद्युत ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण तथा 01 नलकूप लोरिंग पाइप टूट कर गिर जाने के कारण बंद है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त 02 नलकूपों को दिनांक 31.01.2024 तक ठीक किया जाकर चालू किया जाना प्रस्तावित है।

सूखे/परित्यक्त 90 नलकूपों में से 59 नलकूपों के स्थान पर नवीन नलकूप निर्माण के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं, जिन्हें बजट की उपलब्धता एवं तकनीकी उपादेयता के आधार पर स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है। शेष 31 सूखे/परित्यक्त नलकूपों के स्थान पर नवीन नलकूप निर्माण हेतु भूजल की उपलब्धता सुनिश्चित होने के पश्चात् विचार किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शाहपुरा को ई आर सी पी से जोड़ने की कार्ययोजना

35. श्री मनीष यादव (शाहपुरा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) से विधान

(श्री मनीष यादव)

सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) को जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कार्ययोजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के गांवों में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त परियोजना के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र में सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की रिपोर्ट के अनुसार परियोजना के अन्तर्गत निर्मित की जाने वाली फीडर कैनाल से नजदीक के पूर्व निर्मित 26 बांधों में जल अपवर्तन किया जाना प्रस्तावित है, जिनमें शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र में स्थित कोई बांध सम्मिलित नहीं है ।

ई आर सी पी की डी पी आर में सम्मिलित 26 बांधों के अतिरिक्त दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, अलवर, भरतपुर एवं अन्य जिलों के कुछ बांधों में भी जल भरे जाने हेतु डी पी आर तैयार करायी जा रही है। जल उपलब्धता, तकनीकी एवं वित्तीय उपादेय होने पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

(2) विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा में 08 बांध स्थित हैं, जिनकी भराव क्षमता 10.317 मिलियन घन मीटर है, जिसमें 8.787 मिलियन घन मीटर क्षमता के 04 बांध जल संसाधन विभाग के अधीन एवं 1.53 मिलियन घन मीटर क्षमता के 04 बांध पंचायती राज के अधीन हैं। विगत कुछ वर्षों में बांध के कैचमेण्ट में वर्षा कम होने/वर्षा के Pattern में परिवर्तन के कारण उक्त बांधों में पानी की आवक कम हुई है जिसके कारण नहरों द्वारा सिंचाई हेतु जल प्रवाह नहीं हुआ है।

इंदिरा रसोई का संचालन

36. **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में इंदिरा रसोई योजना कब से संचालित है? जिलेवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त की संख्या में वृद्धि कर सुचारु रूप से चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(3) प्रदेश में इंदिरा रसोई योजना से विगत तीन वर्ष में कितने लोग लाभान्वित हुए हैं? वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में 20 अगस्त, 2020 से सभी नगरीय निकायों में इन्दिरा रसोई योजना प्रारम्भ की गई थी। इन्दिरा रसोइयों की जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) रसोइयों की संख्या की आवश्यकता एवं स्थानों का युक्तियुक्त परीक्षण किये जाने हेतु समस्त जिला कलेक्टरों से विभागीय पत्र दिनांक 06.01.2024 के माध्यम से प्रस्ताव मांगे गए हैं। प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर संख्या का निर्धारण कर, सुचारु रूप से चलाने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।

(3) प्रदेश में इन्दिरा रसोइयों के माध्यम से विगत तीन वर्ष में 15,57,75,294 (पन्द्रह करोड़ सत्तावन लाख पिचहत्तर हजार दो सौ चौरानवे) जरूरतमंद लोग लाभान्वित हुए हैं, जिनका वर्षवार विवरण परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

वैर में कृषि कनेक्शन के लम्बित आवेदन

37. श्री बहादुर सिंह (वैर): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र वैर में विगत पांच वर्षों में कितने कृषि कनेक्शन हेतु आवेदन प्राप्त हुए तथा उक्त में से कितने कनेक्शन जारी किये गये? पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने कृषि कनेक्शन के आवेदन वर्तमान में लम्बित हैं? उक्त लम्बित कनेक्शन कब तक जारी कर दिये जायेंगे? पंचायतवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र वैर में 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2023 तक विगत पांच वर्षों में कृषि कनेक्शन हेतु कुल 2,472 आवेदन प्राप्त

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

हुए तथा प्राप्त आवेदनों में से 566 कृषि कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। पंचायतवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 2023 तक 1,959 आवेदन कृषि कनेक्शन हेतु लम्बित हैं। उक्त में से जमा मांग पत्र वाले 1,067 कृषि आवेदकों के कनेक्शन वरीयतानुसार माह मई, 2024 तक जारी किया जाना लक्षित है तथा शेष 892 कृषि आवेदकों के मांग पत्र जारी करना शेष है। पंचायतवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य कार्मिकों की वेतन विसंगतियों का निस्तारण

16. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार के पास कार्मिकों के वेतन विसंगति से जुड़े मामले निस्तारण हेतु लंबित हैं? यदि हां, तो उक्त मामलों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वेतन विसंगति से जुड़े मामलों का कार्मिकों की मंशा के अनुरूप निस्तारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 को लागू किये जाने के पश्चात् विभिन्न राज्य कर्मचारी संघों से वेतन विसंगति/वेतन सुधार सम्बन्धी ज्ञापन समय-समय पर राज्य सरकार को प्राप्त होते रहें हैं।

उक्त वेतन विसंगतियों/वेतन सुधार के संबंध में प्राप्त होने वाले प्रतिवेदनों का परीक्षण करने हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग की आज्ञा संख्या प.6(5)प्र.सु./अनु.-3/2017 दिनांक 03.11.2017 के द्वारा श्री डी.सी. सामन्त, सेवानिवृत्त आई.ए.एस. की अध्यक्षता में वेतन विसंगति निवारण समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 05.08.2019 को राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है। उक्त रिपोर्ट राज्य सरकार में परीक्षणाधीन है।

इसके पश्चात् वित्त विभाग के आदेश संख्या प.7(4)वित्त/नियम/2021 दिनांक 05.08.2021 के द्वारा श्री खेमराज चौधरी, सेवानिवृत्त आई.ए.एस. की अध्यक्षता में कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा विभिन्न कर्मचारी संगठनों/विभागों से वेतन विसंगति/वेतन सुधार के संबंध में प्रस्तुत ज्ञापनों सहित अन्य मांगों का परीक्षण किया गया है। इस समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 30.12.2022 को राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है। उक्त रिपोर्ट राज्य सरकार में परीक्षणाधीन है।

(2) राज्य सरकार द्वारा वेतन विसंगति/वेतन सुधार संबंधी प्रकरणों

(वित्त मंत्री)

का समय-समय पर निस्तारण किया जाता रहा है। उक्त दोनों समितियों द्वारा की गई सिफारिशों की रिपोर्ट पर निर्णय होने के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर वेतन विसंगति/वेतन सुधार के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

फतेहपुर व रामगढ़ की प्राचीन हवेलियों का संरक्षण

17. श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): क्या कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर परिषद्, फतेहपुर एवं नगरपालिका, रामगढ़ की कितनी प्राचीन हवेलियां हैरिटेज की सूची में सम्मिलित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पुरानी हवेलियों को हैरिटेज सूची में सम्मिलित करने के क्या मापदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त हवेलियों को धीरे-धीरे नष्ट किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हवेलियों को संरक्षित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त के लिए क्या कार्ययोजना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त हवेलियों को ध्वस्त करने से पूर्व किसी स्तर से अनुमति लिया जाना आवश्यक है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर परिषद्, फतेहपुर एवं नगरपालिका, रामगढ़ में वर्तमान में विभाग की कोई प्राचीन हवेलियां हैरिटेज की सूची में चिन्हित नहीं हैं।

(2) पुरातत्व संबंधी स्थान, भवन, मंदिर, किले, बावड़ियां इत्यादि को राजस्थान स्मारक पुरावशेष स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अंतर्गत उनकी ऐतिहासिकता, कलात्मकता, प्राचीनता इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए संरक्षित घोषित करने के लिये विभाग अधिकृत है। (नियम की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न)

(3) जी हां। मरम्मत एवं संरक्षण के अभाव में हवेलियां धीरे-धीरे नष्ट हो रही हैं। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विभागीय मापदण्डों के आधार पर प्राचीन/पुरानी हवेलियों को बचाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर संरक्षित घोषित किया जाता है। तदुपरान्त उनका रख-रखाव, संरक्षण एवं जीर्णोद्धार का कार्य किया जाता है। निजी स्वामित्व की हवेलियों पर राज्य सरकार द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है।

(कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व मंत्री)

(4) जी हां। इस प्रकार की कार्यवाही नितान्त आवश्यक हो तो निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग से सम्पर्क कर और उनसे अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही ध्वस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है। (आदेश की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न)

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

एन एच 325 से चांदराई सड़क का नवीनीकरण

18. श्री छगनसिंह राजपुरोहित (आहोर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि एनएच-325 से चांदराई सड़क बिपरजॉय से पूर्ण क्षतिग्रस्त हो गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का नवीनीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि भूती से रोडला सड़क भी बिपरजॉय से पूर्ण क्षतिग्रस्त हो गयी है? यदि हां, तो सरकार उक्त सड़क का नवीनीकरण कब तक करवाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। एनएच-325 से चांदराई तक सड़क की कुल लम्बाई 14.00 किमी. है। किमी. 5/0 से 14/0 (9 किमी.) सड़क बिपरजॉय तूफान में माह जून, 2023 में क्षतिग्रस्त हुई है। 05 किमी. लम्बाई में सड़क की स्थिति संतोषजनक है। उक्त क्षतिग्रस्त 09 किमी. लम्बाई में सड़क का नवीनीकरण करवाया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(2) जी हां। भूती-रोडला सड़क की कुल लम्बाई 04 किमी. है जिसमें से 3 किमी. सड़क पूर्ण क्षतिग्रस्त हो गयी थी तथा 01 किमी. संतोषजनक स्थिति में है। उक्त क्षतिग्रस्त 03 किमी. सड़क का नवीनीकरण करवाया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

स्टेट हाईवे को टोल मुक्त करने की कार्ययोजना

19. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(1) प्रदेश में स्टेट हाईवे पर टोल बूथ लगाने के क्या नियम हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश में पूर्व में स्टेट हाईवे पर लगे टोल बूथ नि:शुल्क किये गये थे? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्तमान सरकार स्टेट हाईवे को टोल मुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में स्टेट हाईवे पर लगे टोल बूथ पर फीस वसूली हेतु राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 29 मई, 2015 द्वारा जारी अधिसूचना "राजस्थान राज्य राजमार्ग फीस (दर निर्धारण एवं वसूली) नियम 2015" लागू है। अधिसूचना की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) जी हां। राजस्थान प्रदेश में स्टेट हाईवे पर लगे टोल बूथ पर पूर्व में नॉन ट्रांसपोर्ट वाहन (निजी वाहन) को राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 14 मई, 2018 द्वारा जारी अधिसूचना से नि:शुल्क किया गया था। अधिसूचना की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-2)

(3) राज्य सरकार के निर्णय अनुसार राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 के द्वारा जारी अधिसूचना के द्वारा पूर्व में नि:शुल्क किये जाने संबंधित अधिसूचना को निरस्त कर नॉन ट्रांसपोर्ट वाहन (निजी वाहन) पर टोल शुल्क पुन: लगाया गया। स्टेट हाईवे पर लगे टोल बूथ पर वाहनों को शुल्क मुक्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विधिक एवं वित्तीय बिन्दुओं पर विचार कर जनहित में समुचित निर्णय लिया जाएगा। (परिशिष्ट-3)

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

शेरगढ़ के भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र

20. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में कितने आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं? माह दिसम्बर, 2018 से माह दिसम्बर, 2023 तक कितनी राशि के कौन-कौन से भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की गई? उक्त में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण व कौन-कौन से अपूर्ण हैं? सरकार शेष भवन विहीन केन्द्रों की कब तक स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के कौन-कौन से नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? क्या सरकार उक्त की स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के कितने राजस्व गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्र खुलने शेष हैं तथा वहां कब तक नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोल दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में 04 बाल विकास परियोजनाएं क्रमश: सेखाला, चामू, शेरगढ़ एवं बालेसर संचालित हैं, जिनके अन्तर्गत 345 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 100 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र, कुल 445 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। इनमें से विभागीय भवनों में 215, सरकारी विद्यालयों में 137, अन्य सरकारी भवनों में 42, सामुदायिक भवनों में 46, किराये के भवनों में 2 एवं नि:शुल्क भवनों में 3 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं, जिनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

दिसम्बर, 2018 से दिसम्बर, 2023 तक आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं हुई है।

आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से नि:शुल्क भूमि आबंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता से क्रमश: किराये के भवनों, नि:शुल्क भवनों, सामुदायिक भवनों एवं अंत में राजकीय विद्यालयों की एवज में निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार करवाया जाता है। विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण भारत सरकार से अनुदान राशि प्राप्त होने के पश्चात् नरेगा, 15वें वित्त आयोग इत्यादि योजनाओं के कन्वर्जेंस से करवाया जाता है।

(2) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के 197 प्रस्ताव विचाराधीन हैं, परन्तु वर्तमान में भारत सरकार ने नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर रोक लगा रखी है।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

राज्य मद में बजट घोषणा 2023-24 में 10 हजार नवीन आंगनबाड़ी खोलने के तहत विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ से 197 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। वित्त विभाग द्वारा विधान सभा चुनाव 2023 की आदर्श आचार संहिता के कारण स्वीकृति पर रोक लगा दी गई थी, जिस पर अभी निर्णय प्रक्रियाधीन है।

(3) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के 38 राजस्व गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्र खुलने शेष हैं, जिनके प्रस्ताव 197 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों में सम्मिलित हैं। वर्तमान में भारत सरकार ने नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर रोक लगा रखी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सुजानगढ़ व बीदासर तहसील में भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र

21. श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) तहसील सुजानगढ़ व तहसील बीदासर में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों में कितने केन्द्र विभाग के भवनों में संचालित नहीं हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्र जिनके स्वयं के भवन नहीं हैं, उनके भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील सुजानगढ़ के अन्तर्गत संचालित परियोजना, सुजानगढ़ में 212 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 5 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र, कुल 217 केन्द्र स्वीकृत व संचालित हैं तथा तहसील बीदासर के अन्तर्गत संचालित परियोजना, बीदासर में 122 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 12 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र, कुल 134 केन्द्र स्वीकृत हैं। इनका परियोजनावार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) तहसील सुजानगढ़ के अन्तर्गत संचालित परियोजना, सुजानगढ़ में कुल 217 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 148 आंगनबाड़ी केन्द्र एवं तहसील बीदासर के अन्तर्गत संचालित परियोजना, बीदासर में 134 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 88

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

आंगनबाड़ी केन्द्र विभागीय भवनों में संचालित नहीं हैं। इनका परियोजनावार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से नि:शुल्क भूमि आबंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता से क्रमश: किराये के भवनों, नि:शुल्क भवनों, सामुदायिक भवनों तथा विद्यालयों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार निर्माण करवाया जाता है। विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण भारत सरकार से अनुदान राशि प्राप्त होने के पश्चात् नरेगा, 15वें वित्त आयोग, इत्यादि योजनाओं के कन्वर्जेंस से करवाया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

थानागाजी मुख्यालय पर नवीन बस स्टैण्ड का निर्माण

22. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार थानागाजी उप खण्ड मुख्यालय पर नवीन बस स्टैण्ड निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

थानागाजी उप खण्ड मुख्यालय में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस स्टैण्ड हेतु भूमि आरक्षित है।

नि:शुल्क भूमि आबंटन होने तथा बस स्टैण्ड निर्माण हेतु आवश्यक बजट उपलब्ध होने पर थानागाजी उप खण्ड मुख्यालय पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा नवीन बस स्टैण्ड का निर्माण करवाया जा सकेगा।

शाहपुरा के बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय की पदक विजेता छात्राओं को प्रोत्साहन राशि

23. श्री मनीष यादव (शाहपुरा): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय में छात्राओं के लिए खेल गतिविधियां संचालित की जाती हैं? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में आयोजित विभिन्न अन्तर

(श्री मनीष यादव)
महाविद्यालयी प्रतियोगिताओं में कितनी छात्राओं ने भाग लिया? खेलवार व वर्षवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त खेल प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने एकल व बहुल प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त किये हैं? यदि हां, तो कितनी छात्राओं ने? क्या उक्त खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए महाविद्यालय विकास समिति द्वारा कोई प्रोत्साहन राशि दी गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विगत तीन वर्षों में आयोजित विभिन्न अन्तर महाविद्यालयी प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली छात्राओं का खेलवार व वर्षवार विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(2) खेल प्रतियोगिताओं में किसी भी छात्रा द्वारा पदक प्राप्त नहीं किये गये हैं एवं महाविद्यालय विकास समिति द्वारा किसी भी प्रकार की प्रोत्साहन राशि नहीं दी गयी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बामनवास में हर-घर-नल योजना में अनियमितता की जांच

24. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में हर घर नल योजना के तहत ग्राम पंचायतों में पेयजल की आपूर्ति हेतु लगाये गये पाइपों की जांच किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब की गई? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना में घटिया क्वालिटी के पाइप लगाये जाकर उनका पूरा भुगतान उठाया गया है? क्या सरकार उक्त योजना में अनियमितता करने वाले अधिकारियों व संवेदकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) वर्तमान में उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजना के तहत कितना कार्य पूर्ण व कितना अपूर्ण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत स्वीकृत योजनाओं में पेयजल की आपूर्ति हेतु डाले गये विभिन्न साइज के

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

पाइपों की जांच, संवेदक द्वारा पेयजल योजना पर पाइप आपूर्ति से पूर्व, विभागीय अधिकारियों/प्रतिनिधियों/तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेन्सी द्वारा पाइप फैक्ट्री में जाकर की गयी है तथा साइट पर पाइप की आपूर्ति के उपरान्त विभाग द्वारा पाइप के सैम्पल लेकर निर्धारित प्रयोगशालाओं में जांच करवाई गयी है। जांच का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है तथा जांच रिपोर्ट की प्रतियां परिशिष्ट-ब पर संलग्न हैं।

(2) विभाग द्वारा जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत पेयजल योजनाओं पर निर्धारित आई एस आई मापदण्डों, विभागीय विशिष्टयों तथा निविदा प्रपत्रों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ही पाइपों की आपूर्ति कर पाइप लाइन जोड़ने व बिछाने का कार्य करवाया जा रहा है।

संवेदक द्वारा पेयजल योजना पर पाइप आपूर्ति से पूर्व विभागीय अधिकारियों/प्रतिनिधियों/तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेन्सी द्वारा पाइप फैक्ट्री में जाकर पाइप की जांच की जाती है तथा निर्धारित मापदण्डानुसार उपयुक्त पाये जाने पर ही इनकी आपूर्ति की अनुमति दी जाती है। साइट पर पाइप की आपूर्ति के उपरान्त विभाग द्वारा पाइप के सैम्पल लेकर निर्धारित प्रयोगशालाओं में जांच करवाई जाती है तथा जांच में उपयुक्त पाये जाने के पश्चात् ही पाइप का उपयोग जल योजना में पाइप लाइन कार्य में किया जाता है।

(3) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में जल जीवन मिशन अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं की प्रगति का योजनावार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(प्रतियां एवं विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

डूंगरपुर में हैण्डपम्प मिस्त्रियों की कमी

25. श्री गणेश घोगरा (डूंगरपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में विगत तीन वर्षों में कितने हैण्डपम्पों को ठीक करवाया गया? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि हैण्डपम्प मिस्त्रियों की कमी है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पुराने कुओं की मरम्मत एवं गहरा करवाने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां तो, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विगत तीन वर्षों में मरम्मत किये गए हैंडपम्पों का संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत अभियान के अंतर्गत किया जा रहा है। हैण्डपम्प मिस्त्रियों की कमी के दृष्टिगत हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य अनुबंधित श्रमिकों के माध्यम से भी करवाया जा रहा है। विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत समितिवार उपलब्ध हैण्डपम्प मिस्त्रियों एवं अनुबंधित श्रमिकों का विवरण परिशिष्ट-अ में निहित है।

राजस्थान पंचायती राज नियम-1996 में हैण्डपम्प मिस्त्रियों के पदों पर सीधी भर्ती का प्रावधान नहीं होने के कारण हैण्डपम्प मिस्त्रियों की भर्ती विचाराधीन नहीं है।

(3) पुराने कुओं की मरम्मत एवं गहरा किये जाने का कार्य राज्य वित्त आयोग एवं केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत देय अनुदान राशि से कराया जाना अनुमत है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अपने क्षेत्र की आवश्यकतानुसार उक्त कार्य करवाया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

टोडाभीम के बांधों व नहरों का रख-रखाव

26. **श्री घनश्याम** (टोडाभीम): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के बांधों एवं नहरों की भराव क्षमता कम हुई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त बांध, नहरों के रख-रखाव, मरम्मत पर विगत तीन वर्षों के दौरान कार्य कराये गये हैं? यदि हां, तो कितनी लागत के, किन संवेदकों द्वारा व किस मद से किये गये तथा उनकी गारंटी अवधि क्या थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के क्षतिग्रस्त बांध, नहर की मरम्मत, रिनोवेशन कराने, भराव क्षमता बढ़ाने एवं आवक फीडर्स को दुरुस्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग के चार बांध विशनसमंद, मोहनपुरा, न्यूटेंक महस्वा व फतेहसागर हैं। उक्त बांधों के भराव क्षेत्र में सिल्ट आने के कारण भराव क्षमता में कमी आई है। विगत कुछ वर्षों में बांध के कैचमेंट में वर्षा कम होने/वर्षा के Pattern में परिवर्तन के कारण उक्त बांधों में पानी की आवक कम हुई है जिसके कारण नहरों द्वारा सिंचाई हेतु जल प्रवाह नहीं हुआ है।

(2) विगत तीन वर्षों में विशनसमंद, मोहनपुरा और न्यूटेंक महस्वा बांधों पर कोई भी कार्य नही करवाया गया है तथा फतेहसागर बांध के जीर्णोद्धार कार्य हेतु बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में राशि रुपये 180.29 लाख का कार्य स्वीकृत है, जिसका लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण करवा लिया गया है, वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है। फतेहसागर बांध का कार्य संवेदक मैसर्स गंगासहाय गुर्जर, गांव बीलई तहसील नादौती द्वारा Extension, Renovation and Modernization (ई.आर.एम.) मद में करवाया जा रहा है। उक्त कार्य की Defect Liability Period कार्य समाप्ति की दिनांक से 5 वर्ष तक है।

(3) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में स्थित विशनसमंद बांध, न्यूटेंक महस्वा और मोहनपुरा बांध के पुनर्वास के कार्य जायका (RWSLIP) योजनान्तर्गत प्रस्तावित है। सक्षम स्वीकृति पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

देवली-उनियारा में जारी वनाधिकार हक के पट्टे

27. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के अंतर्गत वर्ष 2019 से दिसम्बर, 2023 तक वनाधिकार अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत सामुदायिक पट्टे वनाधिकार हक व व्यक्तिगत पट्टे वनाधिकार हक के कितने आवेदन प्राप्त हुए? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त अवधि में कितने लोगों को वनाधिकार हक व्यक्तिगत पट्टे और सामुदायिक पट्टे जारी किये गए व कितने शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शेष रहे आवेदकों को भी उक्त पट्टे देने का विचार

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के अन्तर्गत वर्ष 2019 से दिसम्बर 2023 तक उप खण्ड देवली में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक प्राप्त दावे शून्य हैं तथा उप खण्ड उनियारा में व्यक्तिगत प्राप्त दावे शून्य हैं एवं धारा 3 (1) के तहत 24 सामुदायिक दावे प्राप्त हुए हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में वर्ष 2019 से दिसम्बर 2023 तक उप खण्ड उनियारा के वन अधिनियम की धारा 3(1) के तहत 24 सामुदायिक दावे प्राप्त हुए हैं जिन्हें उप खण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति, उनियारा एवं जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा वन संरक्षण अधिनियम के तहत पात्रता नहीं रखने के कारण निरस्त किये गये हैं। अतः उक्त अवधि के दौरान एक भी व्यक्तिगत या सामुदायिक पट्टा जारी नहीं किया गया है।

(3) अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत दावा करने व पात्र पाये जाने पर नियमानुसार अधिकार पत्र/हक पत्र जारी किये जाने का प्रावधान है।

बहरोड़ में तहसील व उप-तहसील कार्यालयों के भवनों का निर्माण

28. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में कुल कितने भवन रहित तहसील एवं उप-तहसील कार्यालय हैं? क्या सरकार उक्त के भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त तहसील, उप-तहसील कार्यालयों में विभिन्न संवर्गवार कितने पद स्वीकृत हैं तथा उक्त में से कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने पटवारी तथा कानूनगो के पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में एक उप तहसील गण्डाला भवन रहित है।

जी हां। राज्य सरकार की नीति, प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर भवन रहित तहसील एवं उप तहसील कार्यालयों का निर्माण किया जाता है।

(2) उक्त तहसील, उप-तहसील कार्यालयों में विभिन्न संवर्गवार स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट 'अ')

रिक्त पदों पर पदस्थापन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही समय-समय पर की जाती रहती है।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में पटवारी तथा कानूनगो के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट 'ब')

रिक्त पदों पर पदस्थापन किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही समय-समय पर की जाती रहती है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

बासबदनपुरा ग्राम, तहसील व जिला जयपुर की खसरा नं. 172 की अवाप्त भूमि

29. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या नगरीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि खसरा नं. 172 ग्राम बासबदनपुरा, तहसील जयपुर, जिला जयपुर की जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा अवाप्त भूमि को अवाप्ति से मुक्त कर दिया गया है? यदि हां, तो कब व कितनी भूमि को? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवाप्त भूमि अवाप्ति से पूर्व जमाबंदी में किसके नाम दर्ज थी व वर्तमान में किसके नाम से दर्ज है? क्या जमाबंदी में संशोधन के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा तहसीलदार जयपुर को पत्र भिजवा दिया गया है? यदि हां, तो कब? पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उक्त अवाप्त भूमि अवाप्ति से पूर्व खसरा नम्बर 172 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा (0.3288 हैक्टेयर) जमाबंदी में भौरिया, भरता, पांच्या पिता

(राज्य मंत्री, नगरीय विकास)

भोला हिस्सा बराबर कोम धोबी साकिन देह के नाम दर्ज थी (तहसील जयपुर की जमाबंदी सम्वत् 2071-2074 के अनुसार)।

वर्तमान (तहसील जयपुर की जमाबंदी सम्वत् 2075-2078 के अनुसार) में खसरा नम्बर 172 रकबा 0.2276 हैक्टेयर किस्म गैर-मुमकिन सड़क की खातेदारी सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर एवं खसरा नम्बर 172/1 रकबा 0.1012 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन जलमहल विकास प्राधिकरण, जयपुर के नाम से दर्ज है।

इस प्रकार उक्त खसरा नम्बर 172 रकवा 01 बीघा 06 बिस्वा (0.3288 हैक्टेयर) की सम्पूर्ण भूमि में से 0.2276 हैक्टेयर भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर के नाम दर्ज है तथा शेष रही भूमि 0.1012 हैक्टेयर भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम होने के स्थान पर जलमहल विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज हो चुकी है। जमाबंदी में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम संशोधन बाबत जिला कलेक्टर, जयपुर को इस बाबत् पत्र क्रमांक डी-125 दिनांक 19.01.2024 द्वारा लिखा गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

आबू पर्वत नगरपालिका में निविदा प्रक्रिया में अनियमितताएं

30. श्री रतन देवासी (रानीवाड़ा): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगरपालिका, आबू पर्वत को विगत चार वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन एवं कचरा निष्पादन हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई? उक्त में से कितनी राशि नगरपालिका के खाते में जमा हुई एवं उक्त राशि से क्या-क्या कार्य करवाये गये तथा कितना भुगतान किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त नगरपालिका द्वारा विगत चार वर्षों के दौरान भण्डार एवं निर्माण शाखा द्वारा एक लाख से कम के कार्यों में निविदा प्रक्रिया में अनियमितता की गई है तथा संवेदक फर्म द्वारा मौके पर वह कार्य भी नहीं कर मिलीभगत से भुगतान प्राप्त किया गया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका, आबू पर्वत को विगत चार वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन एवं कचरा निष्पादन हेतु स्वीकृत, प्राप्त एवं उपयोग का मदवार विवरण "परिशिष्ट-अ" पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त बाध्य अनुदान राशि का 50 प्रतिशत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु किया जाता है। प्राप्त राशि का उपयोग आबंटित मद में ही किया गया है, जिसका विवरण उक्त "परिशिष्ट-अ" में अंकित है।

(2) जी नहीं। नगरपालिका, आबू पर्वत द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत ही निविदा प्रक्रिया अपनाई जाती है एवं विगत 04 वर्ष की अवधि में संवेदक फर्म द्वारा कार्य नियमानुसार किये गये हैं एवं संवेदक के कार्य के प्रमाणीकरण के बाद ही संवेदक को नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

छबड़ा में विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाएं

31. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में माह जनवरी, 2019 से माह नवम्बर, 2023 तक विद्युत ट्रांसफार्मर की चोरी की घटनाएं हुई हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए क्या-क्या उपाय किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाओं की एफ आई आर दर्ज हुई हैं? यदि हां, तो किन-किन थानों में किसके द्वारा एफ आई आर दर्ज करवायी गई तथा उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में जनवरी, 2019 से नवम्बर, 2023 तक सिंगल फेज के 44 व थ्री फेज के 116 यथा कुल 160 ट्रांसफार्मर चोरी हुए हैं जिनका स्थानवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) ट्रांसफार्मर चोरी की वारदातों को रोकने के लिए ट्रांसफार्मर को

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

पर्याप्त ऊंचाई पर स्थापित किया जाना, ट्रांसफार्मर को सब-स्टेशन स्ट्रेक्टचर के साथ वेल्डिंग करने, फीडर इन्चार्ज से पेट्रोलिंग करवाना एवं कॉपर बाइण्डिंग के स्थान पर एल्युमिनियम बाइण्डिंग वाले ट्रांसफार्मर स्थापित करना इत्यादि प्रयास किये जा रहे हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर चोरी हो जाने पर सम्बन्धित उप खण्ड द्वारा थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करवायी जाती है, जिस पर सम्बन्धित थाने द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(3) जी हां। ट्रांसफार्मर चोरी की घटना होने पर सम्बन्धित थाने में निगम अधिकारी या कर्मचारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी गई है तथा सम्बन्धित थाने द्वारा दर्ज प्रकरण में अनुसंधान किया जाता है। प्रकरण किसके द्वारा दर्ज करवाया एवं प्रकरण में की गई कार्यवाही तथा किस थाने में प्रकरण दर्ज हुआ, का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चित्तौड़गढ़ में बूंद-बूंद सिंचाई योजना में जारी कृषि विद्युत कनेक्शन

32. श्री चन्द्रभान सिंह चौहान (चित्तौड़गढ़): क्या ऊर्जा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में विगत तीन वर्षों में "बूंद-बूंद सिंचाई योजना" में कितने किसानों द्वारा कृषि कनेक्शन हेतु आवेदन किया गया तथा उक्त में से कितने आवेदनों में कृषि कनेक्शन जारी कर दिये गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने आवेदन किन कारणों से निरस्त किये गये तथा कितने कनेक्शन अब तक किन कारणों से लम्बित हैं? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त लम्बित कृषि कनेक्शन जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में 01 जनवरी, 2021 से 31

(राज्य मंत्री, ऊर्जा)

दिसम्बर, 2023 तक विगत 3 वर्षों में "बूंद-बूंद सिंचाई योजना" में कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु 286 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 255 कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) उपरोक्त कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदनों में से 29 आवेदकों के मांग पत्र निर्धारित समयावधि में जमा नहीं करवाये जाने के कारण निरस्त किये गये। शेष 2 आवेदकों के कृषि विद्युत कनेक्शन फसल खडी होने (रास्ता उपलब्ध नहीं होने) के कारण जारी करना लम्बित है।

(3) उक्त लम्बित दो आवेदकों के कृषि विद्युत कनेक्शन रास्ता उपलब्ध होने पर शीघ्र ही जारी किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)